खण्ड-409, अंक-8
शुक्रवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1915
(4 मार्च, 1994 ई0)

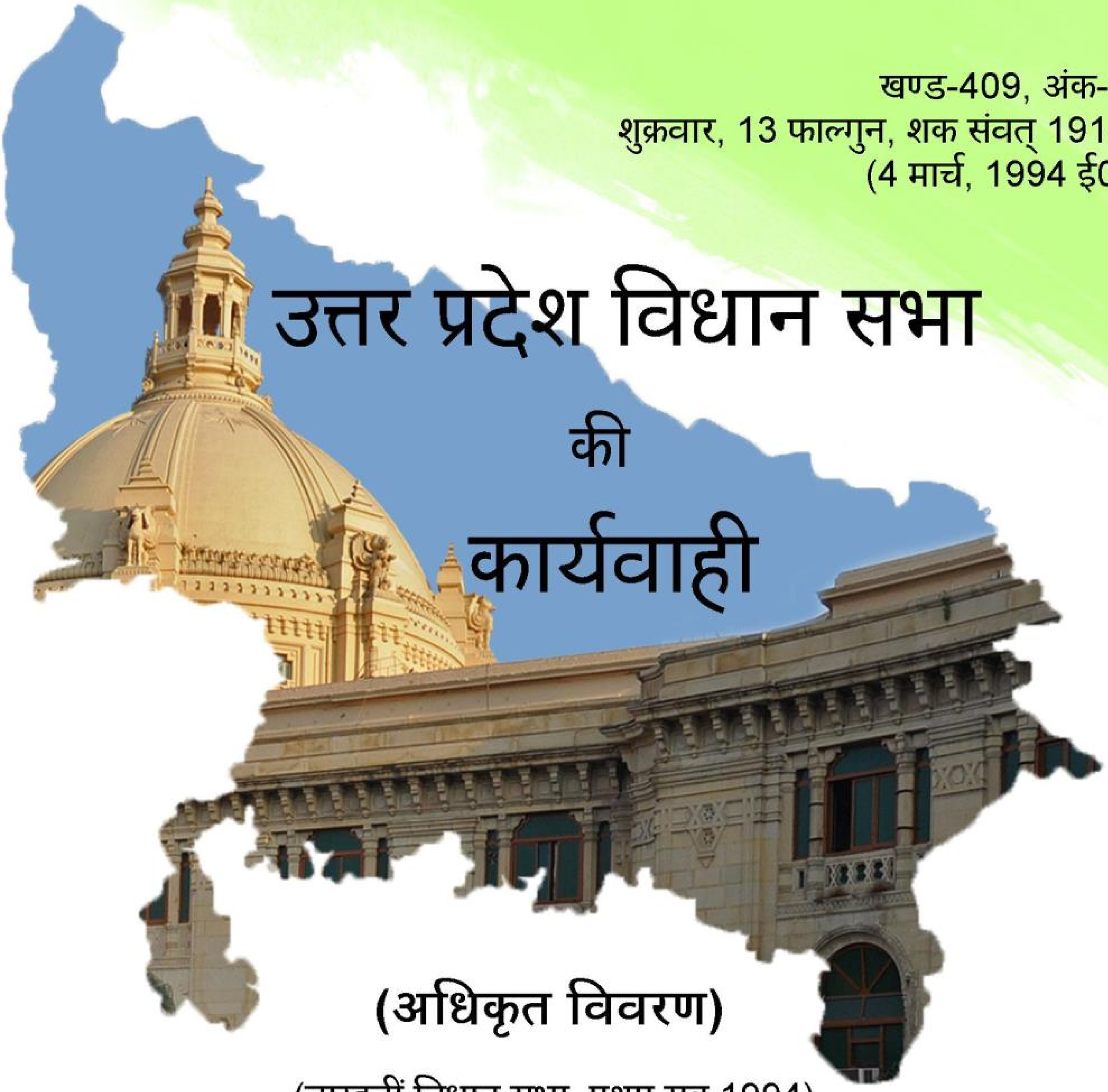

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 409 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	
प्रश्नोत्तर	1–105
अतारांकित प्रश्न संख्या 158, 160 तथा 174 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	105
श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा को समतावादी ग्रुप के नेता के रूप में मान्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धी सूचना	105
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	106
वाराणसी उत्तरी के मोहल्ला नक्खी घाट व मढ़िया में सीवर एवं बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	106–107
देहरादून नगर के मध्य से गुजरने वाले नाले की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
आलमबाग (लखनऊ) स्थित जय प्रकाश नगर की जलभराव समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
जहानाबाद (फतेहपुर) की पराध नई सहकारी समिति के सचिव द्वारा किसानों की धनराशि का गबन करने एवं खातेदारों से वसूली रोककर सचिव के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	108
आवास विकास परिषद् योजना नं० 6 बरेली द्वारा अधिग्रहीत किये गये प्लाटों को मुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
बरसठी (जौनपुर) क्षेत्र में निर्माणाधीन शारदा सहायक खंड–39 इलाहाबाद रजबहा को शीघ्र निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	108–109
बेलवाल स्पिनिंग मिल्स रामनगर (नैनीताल) में पुराने श्रमिकों को न लिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को अगले कार्य दिवस में लिये जाने की सूचना	109–110
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	110
ग्राम नीरपुर, परगना खैराबाद, तहसील व जिला सीतापुर के मजरा नेवादा बरुआ को सरायन नदी के कटान से बचाने हेतु बन्धा बनाये जाने विषयक श्री सुरेश यादव की याचिका (प्रस्तुत की गयी)	111

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	111–148
श्री मित्रसेन यादव, स० वि० स० को समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने की सूचना	148
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	149–164
वित्तीय वर्ष 1993-94 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण ...	164
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	164–168
प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पंत के प्रति अपमानजनक शब्द कहे जाने पर आपत्ति	169–172
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	172
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	172–173
नत्थियां	174–186

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखलाख, श्री	मेरठ
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं
अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई
ओंकार सिंह, श्री	एटा
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कोकब हमीद खां, श्री	मेरठ
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद
जगदम्बा, श्री	बस्ती
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जवाहर लाल दिवाकर, श्री	इलाहाबाद
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती	वाराणसी
तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
नन्द किशोर मिश्रा, श्री	देवरिया
नरेन्द्र सिह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	देवरिया
राजबीर सिंह, श्री	अलीगढ़
राम प्रकाश, श्री	बस्ती
राम प्रकाश गुप्त, श्री	लखनऊ
राम प्रताप सिंह	गोण्डा
राम प्रसाद टम्टा, श्री	अल्मोड़ा
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शराफत यार खां, श्री	बरेली
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीराम, श्री	मिर्जापुर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
सुरेश प्रताप सिंह, श्री	मुरादाबाद
स्वयंबर चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर देहात

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा यात्रियों के किराये वृद्धि का विचार एवं दरें

**1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम यात्रियों के किराये में वृद्धि करने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो बढ़ोत्तरी की दरें क्या होंगी ?

परिवहन मंत्री (श्री आर० के० चौधरी)–

जी हां । किराया वृद्धि की दरों का निर्धारण विचाराधीन है । बढ़ोत्तरी की दरें अभी अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं हुई हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने नियम–311 में सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी पहले प्रश्न हो जाने दीजिये, उसके बाद कहियेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने पूछा है कि क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम यात्रियों के किराये में वृद्धि करने पर विचार कर रहा है ? तो माननीय मंत्री जी ने इसके उत्तर में कहा "जी हां ।" दूसरे वाक्य में उन्होंने कहा है कि किराया वृद्धि की दरों का निर्धारण विचाराधीन है। मान्यवर, यह जो किराया वृद्धि का मामला विचाराधीन है तो उसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि यह दरें निर्धारित करने के लिये कोई समिति बनायी हैं ? यह समिति माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में बनी है या उच्च अधिकारियों की अध्यक्षता में ? यह किराये वृद्धि का निर्धारण दूसरे प्रदेश की किराये वृद्धि को देखते हुए किया जायेगा ? कल परिवहन विधेयक पर मंत्री जी ने कहा था कि उनकी मंशा है और सरकार की मंशा है, उनकी तमन्ना यह है कि परिवहन निगम के किराये में घटोत्तरी करेंगे क्योंकि दूसरे प्रदेश में ज्यादा है । मान्यवर, एक तरफ कल इन्होंने किराये में घटोत्तरी की बात कही है और प्रश्न के उत्तर में किराये में वृद्धि की बात कही है । मैं इनकी मंशा जानना चाहता हूं ।

श्री आर० के० चौधरी–

माननीय सदस्य जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है । हमने जो कल उत्तर दिया था और आज जो उत्तर दिया है, उसमें कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं है । हमारी आज भी वही तमन्ना है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

दिल की तमन्ना दिल में न रह जाय, बता दें ।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, मैंने कल कहा था कि हमारा निगम घाटे में चल रहा है मैं लगा हुआ हूं कि इसे घाटे से निकाल कर फायदे में ले जायं। इतने फायदे में ले जायं कि टिकट की दरों में कन्ट्रोल कर सकें। जिस दिन यह कर ले जायेंगे यह मेरी जिन्दगी की खुशी का दिन होगा।

श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, मैं 311 में एक सवाल पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्न हो जाने दीजिये।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपनी तमन्नाओं का जिक्र किया है इस प्रश्न के उत्तर में। तमन्नाओं में यह भी कहा है कि किराये में कमी करेगे लेकिन प्रश्न के उत्तर में किराये में वृद्धि की बात कही है। इस बारे में मैं इतना अवश्य कहूंगा।

तमन्नाओं में हम उलझाये गये हैं।
खिलौना देकर बहलाये गये हैं।
जिन्हें समझा था अपना हकीकी।
उन्हीं के हाथ लुटवाये गये हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किराये की दरें जो अभी निर्धारित करनी हैं उसके लिये कितनी दर तक वृद्धि प्रस्तावित है और उस पर आप कब तक विचार कर सकेंगे ?

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, माननीय सदस्य पहले परिवहन विभाग देख चुके हैं, उनके जमाने में कैबिनेट में एक फैसला हुआ था किराया बढ़ाने के लिये अभी वही पेंडिंग है। व्ययों में वृद्धि हुई हैं। यह वृद्धि दो तरह की है। एक तो केन्द्र सरकार ने डीजल के दाम बढ़ा दिये हैं। दूसरे संचालन में कलपुर्जे खरीदे जाते हैं वह महंगे हुए हैं। उससे दिक्कत पैदा हुई है। यह विचाराधीन है अभी फाइनल नहीं हुआ है।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

कितने प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित है।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह बहुत ही जनहित का प्रश्न है पूरे प्रदेश में करोड़ों यात्री बसों में यात्रा करते हैं। हम बहुत स्पष्ट उत्तर चाहते हैं और अध्यक्ष महोदय इस संबंध में हम आपका संरक्षण चाहते हैं। केन्द्र सरकार ने डीजल के दाम बढ़ा दिये हैं इस सरकार के आने के पूर्व की वृद्धि प्रस्तावित है शासन के सामने लम्बित है। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। माननीय मंत्री जी स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने कितने प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव शासन के समक्ष भेजा है और शासन में विचाराधीन है शासन स्तर पर कोई समिति परीक्षण इस पर कर रही है या यह किस स्तर पर लम्बित है।

श्री आर० के० चौधरी–

अभी दर तय करेंगे यह शासन में विचाराधीन है । जहां तक समिति का प्रश्न है अभी समिति नहीं बनी है । यह मामला विचाराधीन है । माननीय सदस्य अगर कोई राय देना चाहें तो वह इस पर अपनी राय दे सकते हैं चाहे सदन में कोई राय दें, या चेम्बर में आकर अपनी राय दें हम उनको आमंत्रित करते हैं ।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या निजी बसें चलेंगी । क्योंकि निजी बस वाले वर्तमान दर से 25 प्रतिशत दर कम पर बसें चलाने को तैयार हैं ? यदि हां, तो क्या उनसे यह बसें चलवायेंगे ।

श्री आर० के० चौधरी–

आपका सप्लीमेंटरी दूसरा है और प्रश्न दूसरा है यह इससे मेल नहीं खा रहा है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि तमाम चीजों की महंगाई बढ़ गई है, निगम घाटे में चल रहा है । उस घाटे को पूरा करने का उपाय किया जा रहा है । तो क्या माननीय मंत्री जी के सामने कोई इस तरह का प्रस्ताव आया है कि चूंकि निगम घाटे का है इसलिये इसको निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाये ?

श्री आर० के० चौधरी–

ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष–

अब श्री पाल साहब कोई अन्तिम प्रश्न पूछना चाहें, तो पूछ लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मेरा निवेदन यह है कि आपने देखा होगा कि इस संबंध में जितने भी प्रश्न पूछे गये हैं माननीय सदस्यों द्वारा उनका सम्यक् उत्तर नहीं आया है इसलिए इस पर आप आश्वस्त हों तो इस प्रश्न को स्थगित करने की कृपा करें । या सही उत्तर दिलाये । कल माननीय मंत्री जी ने सदन में स्वीकार किया था बसों के किराये में घटोत्तरी करेंगे । चूंकि यह सरकार गरीबो, पिछड़ों, दलितों की सरकार है तो मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या वर्तमान दरें जो हैं उनमें से घटोत्तरी करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री आर० के० चौधरी–

यह सही है कि पहली बार माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में दलितों, पिछड़ों की सरकार बनी है । जो भी दर विचाराधीन है उस पर पूरा ध्यान रखा जायेगा कि गरीबों के ऊपर ज्यादा बोझ न पड़े ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है ।

(श्री जगदम्बिका पाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

लखनऊ के अहिरवरनपुर, सीतापुर रोड के पावर हाउस से बिछायी गयी हाई वोल्टेज लाइनों को हटाये जाने की मांग

**2–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि अहिवरनपुर सीतापुर रोड, लखनऊ के पावर हाउस से जो दो हाई वोल्टेज की लाइनें ग्रामीण क्षेत्र एवं बक्शी का तालाब एयर पोर्ट हेतु बिछायी गयी हैं, वे अहिवरनपुर, योगी नगर, त्रिवेणीनगर आदि मोहल्ले के मकानों की छतों से होकर गयी हैं ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त लाइनें पुरानी एवं जर्जर अवस्था में हैं जिनके टूटने से आये दिन दुर्घटनाये होती रहती हैं और अब तक कई व्यक्तियों की मृत्यु इन लाइनों से हो चकी हैं ? यदि हां, तो इसे हटाने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त लाइनों से दुर्घटना में मृत कितने व्यक्तियों को मुआवजा विद्युत विभाग द्वारा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र अहिवरनपुर से दो 11 के० वी० पोषक ग्रामीण क्षेत्र एवं बक्शी का तालाब स्थित ऐरोड्रोम के लिये आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व बनाये गये थे, जबकि प्रभावित अहिवरनपुर, योगीनगर तथा त्रिवेणीनगर नामक मोहल्ले विकसित नहीं हुए थे । भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के प्राविधान 77, 79 व 82 का अनुपालन न करते हुए इन मोहल्लों में मकानों का निर्माण इन पोषकों के नीचे करा लिया गया है, जिसके कारण मकान की छतों से विद्युत लाइन की दूरी कम हो गयी है । विद्युत परिषद् द्वारा उपरोक्त लाइनों का रख-रखाव किया जा रहा है । इसके अन्तर्गत इस पोषकों के तार, क्लम्प, क्रास आर्म इत्यादि आवश्यकतानुसार समय-समय पर बदले गये हैं । विगत दो वर्षों में तार टूटने के कारण कोई विद्युत दुर्घटना घटित नहीं हुई है । अतः कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है । संबंधित भवन स्वामियों को भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 की धारा 82 (4) में निहित प्राविधानों के अनुसार पहले धनराशि जमा करनी चाहिए । उन्होंने इस प्राविधानों के अन्तर्गत धनराशि परिषद् में जमा नहीं की है । संबंधित धनराशि उपलब्ध होने पर ही परिषद् द्वारा तार हटाये जायेंगे ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, यह बड़ा अहम मसला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने भी नगर हैं, वहां पुरानी विद्युत लाइनें हैं और मोटी-मोटी हाई वोल्टेज लाइनें मकानों के ऊपर से गयी हैं । लखनऊ की बहुत सी कालोनी हैं, जहां खुले जमीन पर तथा सड़कों के ऊपर से ये लाइनें बिछायी गयी हैं । लखनऊ के त्रिवेणीनगर मोहल्ले में कई बार यह हाई वोल्टेज लाइनें टूट जाती हैं, जिससे घर जल जाते हैं, पंखे बिजली, विद्युत उपकरण जल जाते हैं तथा लोग जल कर घायल हो जाते हैं । इसमें एक की मृत्यु भी हो चुकी है । विभाग में बार-बार लिखने के पश्चात् भी कभी किसी को मुआवजा नहीं दिया गया । इस सदन में इस सवाल को पहले भी उठाया गया, परन्तु विद्युत विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है । मान्यवर, यह बिल्कुल गलत है कि अहिवरनपुर आदि बस्तियां 20 साल बाद के मोहल्ले हैं । वास्तविकता यह है कि अहिबरनपुर आदि सैकड़ों साल से आबाद हैं, वहां गरीब और दलित लोग रहते हैं और बस्तियों के ऊपर से हाई वोल्टेज लाइनें बिछायी गयी हैं । झोपड़ी वाले पक्का मकान बना रहे हैं। नगरपालिका सीमा के भीतर इस प्रकार की लाइनो का रहना अनुचित और बहुत ही खतरनाक है । इसे शीघ्र हटाया जाना चाहिए । जो यह बात कही गयी कि दुर्घटना नहीं हुई है, यह भी गलत है । एक

व्यक्ति विद्युत करेंट लगने से मरा है और उसे मुआवजा देने के लिए आदेश हुए हैं, इसलिए मेरा अनुपूरक प्रश्न है कि क्या दुर्घटना होने पर वहां के रहने वाले लोगों को मुआवजा दिया जायेगा ? दूसरा नियमावली, 1956 के प्राविधान 77, 79 और 82 के संबंध में नियमावली क्या है ? यह सभी मोहल्ले नगरपालिका की सीमा में कब से हैं । चौथा प्रश्न यह पूरे प्रदेश की समस्या है तथा इसमें किसी समय भी बड़ी-बड़ी दुर्घटनायें हो सकती हैं । तो क्या जनहित में यह सरकार इन हाई वोल्टेज लाइनों को हटाने के आदेश करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसमें अपने मानक हैं और अखबारों में समय-समय पर इसे प्रकाशित किया जाता रहा है । मेरे पास अखबारों की फोटो कापी है, अगर आप चाहेंगे, तो अलग से आपको उपलब्ध करा देंगे । पहले से जो गैर आबाद इलाके हैं, उसमें जब हाई वोल्टेज वायर निकाले जाते हैं, तो उस समय कोई आबादी नहीं रहती है । जो लोग अपने मकान बना लेते हैं हाई वोल्टेज वायर के नीचे बावजूद नोटिस के तो 300 रु० जुर्माने का प्राविधान है । तो जो मकान बनाये जाते हैं, जिसका मकान बना है, घर की छत पर ढाई मीटर अगर बराबर से जा रही है, तो 4 फीट और अगर मकान ऊंचाई पर बना है, तो जमीन से 5, 5 मीटर, तो इस तरह से यह मानक है । जब वहां पर हाई वोल्टेज की लाइनें लगायी गयीं, उस समय वहां पर मकानात नहीं थे, मकानात बाद में बने हैं ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मैंने पहला प्रश्न यह पूछा था कि यह क्षेत्र नगरमहापालिका क्षेत्र में कब से है ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर पिछले साल एक बच्चा मर चुका है। मंत्री जी यह बता दें कि यह क्षेत्र 25 साल से है या 100 साल से है अगर यह पहले से नगरमहापालिका क्षेत्र में है, तो हाई पावर टेंशन की लाइनें लगाना गलत है । लाइनें मकानों के ऊपर से गयी हैं और बिजली के तार गिर जाते हैं और उससे क्षति होती है और यही नहीं एक किलोमीटर तक के मकानों की बिजली चली जाती है और अंधेरा हो जाता है और हाहाकार मच जाता है । मान्यवर, अगर मकानात पहले से हैं, तो इन लाइनों को हटाया जाये । मेरी जानकारी है कि यह जो मुहल्ले हैं वह 100 साल से हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मामला नगर महापालिका में होने या न होने से नहीं है । जब हाई पावर लाइन बनी, तो उस समय मकानात थे या नहीं थे । मैं कहना चाहूंगा कि जिस समय यह लाइन बनी इस समय मकानात नहीं थे । यह सारे मकानात लाइन बन जाने के बाद बने हैं । हमारी लाइनें बहुत अच्छी नहीं हैं, उसके बहुत कारण हैं, हमारे पास पैसे की कमी है, हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, बिजली की मांग बहुत ज्यादा है और कनेक्शन भी बहुत ज्यादा हैं । मान्यवर, जितनी अधिक लाइनें होंगी, उतने अधिक ही फाल्ट होंगे और जब फाल्ट होंगे तो जीवन का खतरा हो सकता है ।अगर रिपोर्ट लाज होती है और विभाग से जांच होती है और मामला सही पाया जाता है, तो मृतक को 10 हजार रुपया दिया जाता है । इस मामले में 10 हजार रुपया जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है । हो सकता है कि वह अब तक पहुंच गया हो ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

हुसैनाबाद घंटाघर पार्क के पूर्व गुलाला जाने वाले मार्ग तथा गोमती बांध के बीच नगर महापालिका द्वारा भराई का कार्य

*1–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि हुसैनाबाद घंटाघर पार्क के पूर्व गुलाला जाने वाले मार्ग तथा गोमती बांध के बीच की भूमि पर भराई का कार्य नगर महापालिका ने किया है ? यदि हां, तो इस पर क्या लागत आयी है ? क्या लखनऊ नगर महापालिका इस पर पार्क बनाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ? क्या इस भूमि पर किसी सहकारी आवास समिति द्वारा अवैध तरीके से भूखंड बेचे जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? महापालिका इसे रोकने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सन्त बक्श रावत)–

जी नहीं ।

पिछले 10 वर्षों से नगर महापालिका द्वारा कोई भराई का कार्य नहीं किया गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं, कोई योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम कुमार शुक्ला–

मान्यवर, जितने भी उत्तर आये हैं, वह गलत आये हैं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि इस क्षेत्र की भूमि नगर महापालिका की है और जो व्यक्ति इस पर कब्जा कर रहा है, वह वहां का सभासद है और सहकारी समिति के जरिये वहां की भूमि बेची जा रही है । इस संबंध में मेरा एक ही सवाल है कि क्या अवैध हो रहे कब्जों को हटाने के आदेश सरकार देगी ।

श्री सन्त बक्श रावत–

मान्यवर, जो उत्तर दिया गया है वह बिलकुल स्पष्ट रूप से दिया गया है । यह तो बता दिया गया है नगर महापालिका द्वारा 10 वर्षों से कोई कार्य नहीं कराया गया है । माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भराई का कार्य कराया गया है । उस भराई के कार्य को नगर महापालिका ने नहीं कराया है । उस कार्य को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कराया है और जहां तक कब्जे की बात है उसको लखनऊ विकास प्राधिकरण ने हटवा दिया है, और भविष्य में सोसाइटी नहीं बेच सकेगी । वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीन रहेगी और उसकी देख रेख में रहेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह सवाल 29 (4) में प्राथमिकता प्राप्त सवाल है । मान्यवर, आप देखें कि 3 महीने की सूचना है और आपकी कृपा से यह सवाल आ सका है । आपने उसके महत्व को समझा है । मैं जानना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण सवाल के बारे में जो अंश दिया गया है, क्या इस भूमि पर सोसाइटी अवैध तरीके से भूखण्ड बेचने जा रही है । इसके उत्तर में माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सूचना एकत्र

की जा रही है । मान्यवर, यह लखनऊ का मामला है । सरकार की जानकारी में नहीं है, लेकिन सदस्य की जानकारी में है कि जमीन बेची जा रही है और अवैध कब्जे हो रहे हैं । मान्यवर, इस विसंगति को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की जानकारी को सही मानते हुए क्या इस आशय की जांच आज ही कराने की कृपा करेंगे कि वास्तव में जमीन बेची जा रही है और अवैध निर्माण किये जा रहे हैं । क्या इन अवैध निर्माणों को तत्काल रोकने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री सन्त बक्श रावत–

मान्यवर, मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं इस भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भराई का कार्य कराया गया था जिस पर न्यू रिवर सहकारी आवास समिति ने कब्जा कर लिया था । उनके कब्जे को हटा दिया गया है । माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं यदि वहां ऐसा निर्माण हो रहा होगा तो रुकवा देंगे ।

प्रदेश के स्थानीय निकाय कर्मचारियों के भवनों का गृहकर, जलकर एवं सीवर कर समाप्त किये जाने की मांग

*2–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के स्थानीय निकाय कर्मचारियों के भवनों का गृहकर, जलकर एवं सीवर कर समाप्त करेगी ? यदि हां, तो उक्त कर की वसूली किस तिथि से बन्द की जायेगी ?

श्री सन्त बक्श रावत–

अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि गृह कर, जलकर, सीवर कर, को समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके पूर्व में एक शासनादेश जारी किया गया था जिसके अन्तर्गत कुछ नगरपालिकाओं जैसे फर्रुखाबाद ने जलकर, सीवरकर, गृहकर अपने कर्मचारियों के लिये समाप्त कर दिया है ?

श्री सन्त बक्श रावत–

मान्यवर, ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, फर्रुखाबाद और कुछ दूसरी नगरपालिकाओं ने सीवर, जलकर, गृहकर समाप्त किया है । इस प्रकार का शासनादेश जारी हुआ है, मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं, इस प्रकार का शासनादेश जारी हुआ है ।

श्री सन्त बक्श रावत–

वैसे तो मैंने उत्तर दे दिया है । अगर माननीय सदस्य के पास फर्रुखाबाद की कोई सूचना है तो दे दें उसको मैं दिखवा लूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक शासनादेश निर्गत हुआ है उसी के तहत कतिपय नगरपालिकाओं ने अपने कर्मचारियों के लिये माफ किया है । अगर कुछ ने अपने कर्मचारियों के लिये सीवर कर, जलकर, गृहकर माफ किया है तो अन्य ने क्यों नहीं माफ किया है । इस विसंगति को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सन्त बक्श रावत–

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है सरकार उसके बारे में स्वयं गम्भीर है । इस प्रकरण पर निदेशक स्थानीय निकाय तथा सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों से अभिमत मांगा गया है । उनका मत प्राप्त होने पर तद्नुसार इस प्रकरण पर विचार करके कोई निर्णय सम्भव हो सकेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो डाइरेक्टर लोकल बाडीज तथा जिलाधिकारियों से अभिमत आया है उस अभिमत को यहां रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सन्त बक्श रावत–

मान्यवर, अभिमत मांगा गया है, अभी आया नहीं है आ जायेगा तो माननीय सदस्य को भी अवगत करा दूंगा।

[शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 1994 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

लखनऊ नगर के सौन्दर्यीकरण हेतु योजना एवं अवैध बनती कालोनियों पर रोक लगाये जाने की मांग

*1–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर को विकसित करने तथा सौन्दर्यीकरण हेतु क्या कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार नगर में अवैध बनती कालोनियों पर कोई रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहममद आजम खां–

लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा पार्कों के सौन्दर्यीकरण हेतु चार योजनायें बनायी गयी हैं :––

(1) गोमती नगर, विपिन खण्ड के पार्कों के संबंध में ।

(2) गोमती नगर, विजय खण्ड पार्क के संबंध में ।

(3) कानपुर रोड योजना के सेक्टर "डी" के पार्कों के संबंध में ।

(4) कुड़ियाघाट पार्क के संबंध में ।

अवैध निर्माण एवं कालोनियों के संबंध में कार्यवाही करने का प्राविधान उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 27(1) एवं 28 में है । यह एक अनवरत प्रक्रिया है जिस पर प्राधिकरण द्वारा सुसंगत अधिनियमों में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर समय-समय पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

(श्री मो० आजम खां द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ने में विलम्ब करने पर)

एक सदस्य–

मान्यवर, होमवर्क करके नहीं आये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अध्यापक नहीं हैं, इसलिये होमवर्क करके नहीं आते हैं ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मुख्य रूप से हमारे प्रश्न दो हैं । मान्यवर, लखनऊ पार्कों का शहर रहा है और पुराने लखनऊ और नये लखनऊ में कभी हजारों पार्क सजे रहते थे परन्तु अब उनकी हालत बहुत खराब है । चाहे पुराना लखनऊ हो या महानगर, अलीगंज, त्रिवेणीनगर, निरालानगर आदि नई कालोनी हो, अमीनाबाद पार्क तो बेच ही दिया गया है, इस तरह से लखनऊ के जितने पार्क हैं सभी की हालत बड़ी खराब है, सभी टूटे फूटे हैं, रैलिंग नहीं है, माली नहीं है, मेरा मूल प्रश्न है जिसके संबंध में मंत्री जी सही जवाब नहीं दिया है मेरा मूल प्रश्न पूरे नगर के सभी पार्कों के संबंध में थे परन्तु मंत्री जी ने लखनऊ के बाहर बनने वाले कुछ पार्कों की चर्चा कर समाप्त कर दिया है । इसलिये मेरा प्रश्न है कि लखनऊ में महापालिका तथा एल० डी० ए० द्वारा संचालित पार्कों की स्थिति क्या है, उन्हें कब तक सुधारा जायेगा ? मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पुराने लखनऊ तथा नये लखनऊ के पार्कों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, पुराने लखनऊ की कुछ पार्कें तो लुप्त प्राय हो गयी हैं । इसके विषय में बार-बार शिकायत की जाती है परन्तु अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं । इसलिये आप मेरे मूल प्रश्न के उत्तर में बतायें कि सरकार इन पार्कों के सौन्दर्यीकरण हेतु क्या कोई योजना बना रही है यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

मान्यवर, सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 27 (1) एवं 28 की चर्चा की है तो क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस धारा का कभी उपयोग नहीं हुआ है शहर में अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं तथा नजूल और महापालिका आदि की भूमि अवैध तरीके से कालोनाइजर्स द्वारा बेची जा रही है । सर्फराजगंज, दौलतगंज आदि में फर्जी सीलिंग प्रमाण-पत्र दिये गये हैं । जब इसकी शिकायत एल० डी० ए०, महापालिका, पुलिस को की जाती है तो यह कालोनाइजर्स उन्हें मोटी रकम दे देते हैं और जनता की कोई बात सुनी नहीं जाती । सर्फराजगंज में गरीबों और दलितों की 158 बीघा जमीन जिसमें नजूल भूमि भी शामिल है, यह कालोनाइजर्स हड़प कर गये और सैकड़ों बीघा जमीन दौलतगंज में कब्जा कर चुके हैं, यह समस्या आज से नहीं है, दसियों साल से है । मेरा प्रश्न है कि धारा 27 (1) और 28 जिसका कोई अनुपालन नहीं हो रहा है, क्या इसका अनुपालन हेतु सरकार आदेश देगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जवाब तो पहुंच गया है समझने का फर्क है या तो आप समझ नहीं पाये हैं या मैं समझा नहीं पाया हूं । अवैध कब्जों की जहां तक बात है । इसमें अगर आपकी कोई निश्चित सूचना हो किसी पार्क के बारे में कि वहां कब्जा अवैध हुआ है तो उसको दिखवाया जाय अभी तक न कोई सूचना आप दे सके हैं और न कोई सूचना मेरे पास है कि पार्क पर अवैध कब्जा हुआ है । जो पार्क हमारे प्रस्तावित हैं, जहां बनाया जाना है उन्हीं पर एक-एक पार्क पर 21 लाख रुपया एक पर 9 लाख रुपया, एक पर 6 लाख रुपया और एक पर 7 लाख रुपया का खर्च होना है । यह भी आपको अंदाजा होगा, आप सरकार

में रह चुके हैं कि इतने धन का कहां से इंतजाम होगा । पहले यह 4 पार्क हमारे बन जायं उसके बाद अगले पार्कों की स्कीम प्रस्तुत की जा सकती है ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

श्रीमन्, इन्होंने नये पार्कों की बात कही है, मैंने पुराने पार्कों के रख-रखाव की बात पूछी है कि पहले जैसी व्यवस्था की जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य को लखनऊ में आजकल घूमने का मौका नहीं मिल रहा है, क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं । लखनऊ में पार्कों में जायेंगे तो अब आपका मन लगेगा । इन तीन महीनों में पार्कों को अच्छा मेन्टेन किया गया है ।

*2–श्री जगदम्बिका पाल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में स्थानीय निकायों में समय से कर्मचारियों को वेतन न मिलने का कारण एवं स्थायी व्यवस्था किये जाने की मांग

*3–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थानीय निकायों में समय से कर्मचारियों को वेतन न मिलने का क्या कारण है ? क्या इस संबंध में सरकार कोई स्थायी व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्त बक्श रावत–

प्रदेश की स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के समय से वेतन न मिलने के अनेक कारण हैं, जिसमें से मुख्यतः स्थानीय निकायों द्वारा अपने संसाधनों में वृद्धि न करना, निकायों द्वारा आवश्यकता से अधिक तथा अनधिकृत नियुक्तियां करना एवं फलस्वरूप अधिष्ठान व्यय में पर्याप्त वृद्धि होना है ।

स्थानीय निकायों में शासन द्वारा नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तथा वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने के आदेश दिये गये हैं । साथ ही शासन द्वारा भी पथकर/चुंगी की क्षतिपूर्ति की जाती है तथा वेतन अंशदान दिया जाता है और समय-समय पर डेफिसिट स्थानीय निकायों को तदर्थ अनुदान भी दिया जाता है । परन्तु चूंकि कर्मचारी स्थानीय निकाय के हैं, अतः उनके वेतन की भुगतान की स्थायी व्यवस्था संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों में वृद्धि करके अपने स्तर से करना चाहिए ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, उ० प्र० की लगभग 10 प्रतिशत स्थानीय निकायों में नियमित रूप से कर्मचारियों को वेतन न मिलने के कारण हड़ताल बनी रहती है, उससे पूरा जनजीवन इन नगरों में नारकीय बन जाता है। मेरा पहल प्रश्न यह है कि कितने बोर्ड ऐसे हैं जहां लोगों की अवैधानिक नियुक्तियां की गयी हैं और यह कितनी हुई हैं और जिन लोगों ने यह किया है उन लोगों को अभी तक क्या दण्ड दिया गया है ?

दूसरे, विभिन्न स्थानीय निकायों को संसाधन बढ़ाने लिये आपने निर्देशित किया है, उसमें क्या कोई गाइड लाइन्स दी हैं ?

श्री सन्त बक्श रावत–

मान्यवर, कुछ पर्टिकुलर नगरपालिकाओं की जो यह सूचना मांगी है, उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह प्रश्न से संबंधित नहीं है । जहां तक माननीय सदस्य ने जो पूछा कि शासन द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है, शासन द्वारा जो अंशदान दिया जाता था उसमें अंशदान के रूप में 14 करोड़ रु० दिये हैं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है ।

श्री सन्त बक्श रावत–

आप पूरा उत्तर तो सुन लें । अंशदान में 34 करोड़ रु० दिये हैं, चुंगी प्रतिपूर्ति में 140 करोड़ रु० और पथकर प्रतिपूर्ति में 10.48 करोड़ रु० इस प्रकार 204.48 करोड़ रु० अवमुक्त हुए हैं । इसके लिये खाता खुलवा दिया है जिससे नियमित वेतन मिलेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसमें वेतन संदाय के बारे में जिज्ञासा व्यक्त की गयी है वह तो नियमों में अंशदान देने की व्यवस्था है, उसकी आपने जानकारी दी है । वर्ष 1991-92 और उसके बाद नगरपालिकाओं के बहुत से कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है । इसमें चतुर्थ श्रेणी और सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत है। तो मैं शासन की नीति के बारे में जानना चाहता हूं कि क्या शासन ने इस पर विचार किया है कि जो 14 महीने, 16 महीने, 17 महीने का वेतन बकाया है उसके बारे में विशेष रूप से अनुदान नगरपालिकाओं को देने की कृपा करेंगे । जब मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे, इससे पहली बार, तो उन्होंने भी दिया था, जब हमारी सरकार थी तो हमने भी दिया था तो उन नगरपालिकाओं को, जिसमें सीतापुर नगरपालिका भी है, को विशेष अनुदान देने के बारे में शासन विचार कर रहा है । यदि हां, तो ठीक है और यदि नहीं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पर विचार कर लें ।

संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, हमारा यह प्रयास रहेगा कि वेतन किसी का बकाया न हो । हम सबको वेतन देंगे ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो मूल प्रश्न का उत्तर दिया गया उसमें दो कारण बताये गये । पहला कारण यह है कि स्थानीय निकायों द्वारा अपने संसाधनों में वृद्धि न करना और दूसरा कारण यह है कि निकायों द्वारा आवश्यकता से अधिक तथा अनाधिकृत नियुक्तियां करना । तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब शासन के पास इस प्रकार की सूचना नहीं थी तो उत्तर कैसे आया ? मेरा सीधा सा प्रश्न था कि ऐसे कितने स्थानीय निकाय हैं जहां अनधिकृत रूप से शासनादेश के विरुद्ध नियुक्तियां की गयीं और क्या शासन इस संबंध में कोई दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? मान्यवर, वहां पर 16, 17 महीने का वेतन बकाया है, कुछ लोगों की गलती से सबको खामियाजा भुगतना पड़ता है ।

श्री संत बख्श रावत–

मान्यवर, मैंने पहले भी अपने प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि शासन ने पहले से ही नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, कोई नयी नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं बल्कि आय के स्रोत बढ़ाने की बात की जा रही है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जिन्होंने नियुक्तियां कर ली हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है । मेरा स्पष्ट उत्तर अभी भी नहीं आया है ।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं किसी को अनुमति नहीं देता हूं आप कृपया बैठ जायें । खन्ना जी आप भी कृपया बैठ जायें । दूसरे प्रश्न में आप पूछ लीजियेगा ।

वाराणसी नगरीय क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की दशा में दूसरे उप केन्द्र से कनेक्शन जोड़ कर व्यवस्था किये जाने की मांग

*4–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी के नगरीय क्षेत्र में वर्ष 93 में किन-किन उपकेन्द्रों में गड़बड़ी के चलते कितने समय तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही ? किसी भी उपकेन्द्र में गड़बड़ी आने अथवा लम्बे समय तक विद्युत व्यवधान की स्थिति में दूसरे उपकेन्द्र से कनेक्शन जोड़कर संबंधित क्षेत्र की बिजली चालू करने हेतु कोई व्यवस्था सरकार लागू करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

वाराणसी नगर क्षेत्र में वर्ष 1993 के दौरान निम्नलिखित उपकेन्द्रों में गड़बड़ी के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रही :––

क्र०सं०	उपकेन्द्र का नाम	घण्टे	मिनट
1	33/11 के० वी० मैदागिन	—	45
2	.. .. .. काशी	1	55
3	.. .. .. पाण्डेपुर	8	30
4	.. .. .. बी० एच० यू०	9	10
5	.. .. .. भदैनी	18	05
6	.. .. .. पन्नालाल पार्क	21	45
7	.. .. .. चौकाघाट	26	.00
8	.. .. .. काशी विद्यापीठ	50	25
9	.. .. .. भेलूपुर	61	50

भदैनी एवं चौकाघाट उपकेन्द्र को छोड़कर सभी उपकेन्द्रों पर 33 के० वी० एवं 11 के० वी० लाइन के रिंगमेन होने के कारण आंशिक रूप से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है ।

संसाधनों की अनिश्चितता के कारण शेष कार्य पूर्ण होने की 'कोई निश्चित सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी अपने प्रदेश में औद्योगीकरण के विस्तार के लिये दूसरे प्रदेशों में जाकर उद्योगपतियों का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं आप हमारे यहां उद्योग लगाइये, हम आपको बिजली, पानी से लेकर सारे साधन मुहैया करायेंगे । जैसा आप हम सभी जानते हैं कि वाराणसी पूरे देश की सांस्कृतिक राजधानी है और विभिन्न दृष्टियों से इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । जैसा कि माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि करीब 200 घण्टे विद्युत आपूर्ति बाधित रही, जिसका औसत प्रति माह 16–17 घण्टे पड़ता है । मान्यवर, वाराणसी की जो स्थिति है उसमें विद्युत का पानी से अटूट संबंध है और अक्सर देखा जाता है कि जब विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो पूरे नगर की पानी की आपूर्ति भी बंद हो जाती है, जिससे पूरे नगर में हाहाकार मच जाता है, इसलिये मैंने यह सूचना मंगाने की सोची थी कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि उसकी अहमियत को मद्देनजर न रखते हुए यह कह दिया कि संसाधनों की अनिश्चितता के कारण शेष कार्य पूर्ण होने की कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

हां, यह अवश्य है कि इन्होंने इसकी आवश्यकता को महसूस किया है । मैंने उपरोक्त जिन बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया, उन बिन्दुओं को मद्देनजर रखते हुए दूसरे उपकेन्द्र से जोड़ते हुए, जिसका एक स्विच रूम हो, दूसरे फीडर से जोड़ने की योजना को क्रियान्वित करने में कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी और क्या इतनी बड़ी धनराशि है जिसका पूरा किया जाना सम्भव नहीं है । यदि 15-16 लाख आती है तो वाराणसी के महत्व को देखते हुए तथा बिजली पानी की आवश्यकता को देखते हुए इस योजना को क्रियान्वित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य की चिन्ता है, वह बिल्कुल सही है और हमारा जो संकल्प है, जो हमारी नीयत है, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, बिजली देने की, लगभग उतने घण्टे बिजली हम दे पा रहे हैं, कहीं एक-आध घंटे का फर्क हो जाता है, तो दूसरी जगह बढ़ भी जाती है जो चार्ट आपको दिया गया है, उससे आप अगर प्रतिशत निकालेंगे तो घोषणा से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा । दूसरा सवाल आपका है, अगर कहीं पर बिजली फेल्योर होता है तो उसको दूसरे कनेक्शन से जोड़ने का क्या तरीका है ? ऐसा प्राविधान केवल उस जगह नहीं बल्कि हर जगह है कि अगर कहीं कोई फाल्ट होती है और उसमें देर लगती है तो उसे दूसरी लाइन से जोड़ने का सिस्टम एक जिले में नहीं हर जिले में होता है । नई स्कीम का जहां तक ताल्लुक है तो आप आप जानते हैं कि संसाधनों की कमी है और विद्युत परिषद् पर 600 करोड़ रुपये का बकाया है । हमारा उत्तर प्रदेश कई छोटे देशों के बराबर है, इतने बड़े प्रदेश को बिजली देने का वायदा किया है और आपने हमारे उस वायदे को भी दोहराया है कि हम दूसरे प्रदेशों से यह कहते हैं कि वह आयें और यहां पर अपनी फैक्ट्रियां लगायें । जाहिर है कि हम दूसरे लोगों को बुलायेंगे तो बुलाने के पीछे हमारी मंशा प्रदेश को विकास की तरफ ले जाना है कहीं

और नहीं । जब हम प्रदेश को विकास की ओर ले जायेंगे तो कुछ समस्यायें खड़ी होंगी, उन समस्याओं का समाधान सरकार करेगी और सरकार को करना चाहिए ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मानयवर, जनता को जो सन्तुष्टि चाहिए थी वह आश्वासन प्राप्त नहीं हो सका । लेकिन मैं पुनः मानवीय पहलू से प्रश्न रखना चाहता हूं कि मैं पूर्व में भी माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में सदस्य रहा और आजम खां साहब भी रहे हैं । मैं बराबर बनारस के पानी और बिजली का सवाल उठाता रहा हूं और पानी के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है । अगर बिजली चली जाती है तो पानी की सप्लाई बन्द हो जाती है तो क्या जो संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, उसके तहत कोई योजना बना रहे हैं जिससे समस्या का समाधान हो सके । शहर का वह हिस्सा जो जल संस्थान पर डिपेण्ड है और विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर पानी की समस्या हो जाती है तो क्या कोई ऐसी योजना कार्यान्वित करेंगे जिससे समस्या का समाधान हो सके ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आप पुराने सदस्य हैं और जानते है कि का पानी का सिस्टम अलग है और बिजली का अलग है । यह जरूरी नहीं होता कि एक पर्टीकुलर एरिया में पानी का जो सिस्टम है वह दूसरे, तीसरे और चौथे एरिया में भी हो । हमेशा कोशिश यही की जाती है कि अगर एक जगह फेल्योर हो जाय तो दूसरी जगह से जोड़ते हैं तो पानी देने के लिये कनेक्टिव वाल्व होने चाहिए लेकिन उसका बिजली से कोई रिश्ता नही है । अगर कहीं पानी की खराबी है तो उसे पानी वाले देखेंगे और बिजली का है तो बिजली वाले देखेंगे । लेकिन बिजली का यह सिस्टम है कि अगर कहीं एक जगह कोई फाल्ट हो जाती है तो उसकी सप्लाई की जाती है, एक दम उसको अंधेरे में नहीं रखा जाता है ।

सुल्तानपुर के विद्युत वितरण खंड में ग्रामीण विद्युतीकरण एवं कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य

*5–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत वितरण खंड, सुल्तानपुर में वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में ग्रामीण विद्युतीकरण एवं कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य कराया गया ? वहां पर किन-किन ठेकेदारों से कार्य कराया गया ? उक्त कार्य के लिये विभाग को कितना पैसा मिला था ? उक्त कार्य की मद में कितना भुगतान किया गया है ? क्या कुछ ठेकेदारों का भुगतान अभी तक बकाया है ? यदि हां, तो कितना ? क्या उक्त मद में प्राप्त धन को किसी अन्य मद में खर्च कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

विद्युत वितरण खण्ड, सुल्तानपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 76 ग्रामों में तथा वर्ष 1991-92 में 2 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य कराया गया । कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत उक्त वर्षों में कोई विद्युतीकरण का कार्य नहीं कराया गया । विद्युतीकरण का कार्य जिन ठेकेदारों से कराया गया उनकी सूची संलग्न है । उक्त कार्य के लिये वर्ष 1990-91 में रु० 10.51 लाख तथा वर्ष 1991-92 में रु० 3 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी । उक्त मद में अब तक रु० 16.60 लाख का भुगतान किया गया ।

जी हां । कुल रु० 8.51 लाख की धनराशि अभी तक बकाया है । उक्त मद में प्राप्त धन को किसी अन्य मद में खर्च नहीं किया गया ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 174 पर)

श्री तेजभान सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो यह ग्रामीण विद्युतीकरण एवं कुटीर ज्योति योजना चल रही है उसकी कोई समय सीमा है ? अगर है तो कब तक कार्य चलेगा और उसे कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, वहां कार्य चल रहा है और जाहिर है कि कार्य समाप्त होने में समय लगे । मान्यवर, जिस योजना पर कार्य चल रहा है उसको जल्द ही पूरा कराया जायेगा ।

श्री तेजभान सिंह–

मान्यवर, जो यह योजना चल रही है उसकी कोई समय सीमा है, उसे निश्चित करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह सही है कि काम कराया जा रहा है, काम की नियत भी होनी चाहिए, ठेकेदारों को इसका पैसा भी मिलना चाहिए, सही वक्त पर मिलना चाहिए, बकाया जो वाजिब है, जल्द से जल्द दिया जायेगा ।

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में जलालपुर विद्युत लाइन तथा मल्लावां–गौसगंज लाइन के जीर्णोद्धार के उपाय किये जाने की मांग

*6–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में जलालपुर विद्युत लाईन तथा मल्लावां–गौसगंज लाइन के जीर्णोद्धार का प्रकरण विगत लगभग 15 वर्षों से अनिस्तारित पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त विद्युत लाइनों के जीर्णोद्धार के कौन से उपाय किये जा रहे हैं ? यदि उपाय नहीं किये जा रहे हैं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम में स्थित 33 के० वी० विद्युत उपगृह से एक 11 के० वी० ककराखोरा पोषक द्वारा जलालपुर विद्युत लाइन बनायी गयी थी । इस लाइन पर कोई भी विद्युत कनेक्शन न होने के कारण इसका सामान वर्ष 1976 में चोरी हो गया था । इस लाइन को वर्ष 1976 में ही पुनः चालू किया गया लेकिन कनेक्शनों के अभाव में वर्ष 1977 में पुनः तार चोरी हो गये थे । कुछ निजी नलकूप कनेक्शन आने पर इस लाइन को जलालपुर से चौलियापुर तक वर्ष 1989 में पुनः चालू किया गया जो वर्तमान में चालू है । पूरी लाइन को तार बिछाकर इसलिये पुनः जीर्णोद्धार नहीं किया गया क्यों कि अभी तक किसी ग्रामवासी ने कनेक्शन लेने हेतु किसी प्रकार की धनराशि जमा नहीं की है ।

मल्लावां से गौसगंज तक कोई भी 11 के० वी० लाइन नहीं बनायी गयी थी परन्तु 33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र सण्डीला से निकलने वाली 11 के० वी० बांगरमऊ फीडर से ग्राम हसनापुर से गौसगंज तक एक 11 के० वी० लाइन बनायी गयी थी और उसी से ग्राम गौसगंज का विद्युतीकरण दिनांक

18-9-82 को किया गया था परन्तु कनेक्शन न होने के कारण हसनापुर से गौसगंज की पूरी लाइन चोरी हो गयी । कनेक्शन होने पर उक्त लाइन का जीर्णोद्धार जून, 1992 में कर दिया गया है तथा वर्तमान में गौसगंज में विद्युत आपूर्ति हो रही है ।

(माननीय मंत्री जी के प्रश्नोत्तर पढ़ने के मध्य श्रीमती रानी देवलता के फ्लोर के सामने से जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्या इस प्रकार सामने से न जाया करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने दो विद्युत लाइनों का जिक्र अपने प्रश्न में किया है, एक लाइन है जलालपुर, दूसरी लाइन मल्लावां–गौसगंज की है । मान्यवर, जलालपुर लाइन 1976 में शुरू हुई थी, लेकिन उसके तार चोरी हो गये । 1976 से आज तक उसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया और माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि कनेक्शन के लिये प्रार्थना-पत्र ग्रामवासियों से प्राप्त नहीं हुए हैं, जब लाइन ही नहीं है तो ग्रामवासी प्रार्थना-पत्र किसे देंगे । दूसरी बात इस लाइन के जीर्णोद्धार के बारे में है । इस सदन में कई बार आश्वासन भी दिया गया कि इसका जीर्णोद्धार करा दिया जायेगा । 1976 से अब तक किसी भी प्रकार का जीर्णोद्धार नहीं कराया गया है । मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, जो पिछड़े क्षेत्र से जुड़ी लाइन है, जीर्णोद्धार पर विचार करें । दूसरा मल्लावां उपकेन्द्र, विद्युत लाइन है खम्भे गाड़ दिये गये हैं तार नहीं बिछाये गये हैं । मान्यवर, खम्भों का जाल फैला है, परन्तु तार नहीं डाले गये हैं, खम्भों के ऊपर तार नहीं बिछाया गया है ।

लेकिन अधिकारी यह कहते हैं कि तार चोरी चले गये । मल्लावां उप-केन्द्र से जुड़े हुए दसियों गांव ऐसे हैं, जिनके नाम भी मैं बता सकता हूं, आप जांच भी करा लें, खम्भे खड़े हुए हैं परन्तु उनमें तार नहीं बिछाये गये हैं । क्या माननीय मंत्री जी उन खम्भों पर तार बिछाकर विद्युत आपूर्ति करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय सदस्य की शिकायत बिलकुल सही है । तार जो चोरी होता है, उसे केवल जनता के लोग ही नहीं करते, प्रायः यह भी देखा गया है कि तार चोरी करवाने में विभाग के लोगों का भी हाथ होता है । ऐसे लोगों को सजायें भी देते रहे हैं । इस प्रश्न के बाद यह कोशिश की जायेगी कि विभाग और चुस्त हो और चोरी करने वालों पर नजर रखी जाये । जलालपुर की बात कही गयी । मान्यवर, दो किस्म की स्कीमें होती हैं । एक स्कीम वह होती जिसमें पहले से ही तार बिछाने का काम शुरू कर दिया जाता है और कुछ स्कीमें ऐसी होती हैं, जिनमें कनेक्शन लेने हेतु लोग जब तक एप्लाई नहीं करते हैं, तब तक तार बिछाने का काम नहीं किया जाता है । यहां का हाल भी आपको मालूम है । बहरहाल चोरी हुआ और उसके बाद लाइन ठीक की गयी । सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसमें नियमों की रुकावट आ जाती है । जब तक एफ० आई० आर० लाज नहीं हो जाती तब तक दूसरा सामान नहीं दिया जाता है । एफ० आई० आर० लाज होने व सामान जारी करने के बीच 5-6 व 7 दिन का समय लग जाता है । आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, पता नहीं आपके क्षेत्र में देरी कैसे हो गयी, समझ में नहीं आ रहा है । आपके तो प्रश्न के आने के बाद ही विभाग में भगदड़ मच गयी है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पहले गौसगंज मल्लावां से जुड़ा हुआ था । मल्लावां–गौसगंज के बीच जितने भी गांव पड़ते हैं, वे सब मेरे क्षेत्र में पड़ते थे और गौसगंज क्षेत्र से बाहर था । उस समय का जो शासन था, उसके जो विधायक थे तो गौसगंज को दूसरी तरफ से जोड़ दिया गया, जिससे मल्लावां–गौसगंज के बीच के जितने भी गांव थे, वे ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं । इसलिये मैं पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मल्लावां उप-केन्द्र से संबंधित जितने भी गांवों में खम्भे खड़े हुए हैं, उनमें तार बिछवाकर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जैसे ही कनेक्शन के लोग एप्लाई करेंगे वैसे ही व्यवस्था कर दी जायेगी ।

जनपद फैजाबाद के कुमारगंज अन्तर्गत 132 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण में प्रगति एवं संचालित न होने के कारण

*7–श्री मित्र सेन यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुमारगंज, फैजाबाद के अन्तर्गत 132 के० वी० विद्युत एवं सब स्टेशन कब से निर्माणाधीन है और अब तक की प्रगति क्या है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ए० टी० पी० सी० से विगत वर्षों में कोई धनराशि स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो उक्त विद्युत स्टेशन के अब तक संचालित न होने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद फैजाबाद के कुमारगंज में स्थित 132/33 के० वी० मिल्कीपुर विद्युत उपकेन्द्र वर्ष 1985-86 से निर्माणाधीन है । अब तक के कार्य की कुल प्रगति 29 प्रतिशत है ।

एन० टी० पी० सी० इस कार्य के लिये धनराशि स्वीकृत नहीं करता है । उक्त केन्द्र हेतु दिनांक 21-12-90 को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा रु० 394.56 लाख की एक योजना स्वीकृत की गयी थी परन्तु निगम द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी है । उपकेन्द्र का कार्य आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण रुका हुआ है ।

श्री मित्र सेन यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी काफी अनुभवी मंत्री हैं । उन्होंने इस पूरे मामले को देखा होगा । प्रश्न पूछने का जो मकसद है वह यह है कि जिस काम को शुरू किया गया होगा, उस समय संबंधित योजना पर कितनी धनराशि का व्यय होगा, इसका आंकलन किया गया होगा, तभी उसे शुरू किया गया होगा। 1985-86 में 132 के० वी० विद्युत सब स्टेशन पर काम शुरू हुआ । उस समय कुल कितनी लागत इस पर प्रस्तावित थी और कितना धन स्वीकृत किया गया था । 8 साल बीत जाने के बाद केवल 20 प्रतिशत प्रगति हुई है । लगभग 70 प्रतिशत काम नहीं हुआ है । 4 करोड़ रुपये इस योजना पर प्रस्तावित था और यह पैसा केन्द्र सरकार से आपको मिल चुका है । केन्द्र से इस योजना को स्वीकृत कराने में हम लोगों ने भी प्रयास किया था । मुझे जानकारी है कि शायद कोई मंत्री हमारे उस पैसे को आजमगढ़ अपने यहां लेकर चले गये ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री मित्र सेन यादव–

इसे आप दिखवा लें जिसकी वजह से इतने समय से काम रुका हुआ है उसे कार्यान्वित कराने में कितनी धनराशि की आवश्यकता है और वह पैसा कहां से मिलेगा, राज्य सरकार कैसे उसे पूरा करने का प्रयास कर रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जो देश प्रगति के पथ पर होते हैं उनमें वक्त लगता है काम को पूरा होने में ऐसा नहीं होता है कि पैसे के लिये ही स्कीम रोक दी जाय, स्कीम एप्रूव होती है पैसा जैसे-जैसे आता है स्कीम शुरू होती है। आपका यह कहना सही नहीं है कि केन्द्र से पैसा मिल गया है और उसे नहीं लगाया गया है। जवाब में साफ लिखा है पैसा नहीं मिला और खुद विभाग के पास पैसा न होने से यह काम नहीं हो पाया है। यह काम जल्दी हो जाना चाहिए।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, एक प्रश्न करना है। माननीय मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि साधनों की कमी है क्या वह सुनिश्चित करेंगे कि उपभोक्ताओं के मीटरों की नियमित रूप से रीडिंग हो और समय पर उनको बिल दिये जायं और उनसे वसूली की जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसका मूल प्रश्न से तो कोई ताल्लुक नहीं है। कोशिश तो यही होती है कि सही वक्त पर बिल दिये जायं और वक्त पर पैसा मिल जाय। लोग बिजली की चोरी न करें चोरी रोकी जाय और पकड़े गये लोगों को छुड़ाने थानों में हम लोग न जायं। यह कोशिश की जाती है और की जाती रहेगी।

श्री मित्रसेन यादव–

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें एक चीज छोड़ दी जिस समय इस कार्य के लिये पैसा स्वीकृत किया गया उस वक्त कितनी लागत का प्रस्ताव था। दूसरा जो पैसा केन्द्र सरकार से मिलता है वह किसी योजना के नाम पर नहीं मिलता। योजना स्वीकृत हो जाती है पैसा सामूहिक दिया जाता है। जो 4 करोड़ रुपया मिला है वह सही माने में दूसरी जगह पर विभाग ने प्रभाव में आकर खर्च कर दिया। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि यह योजना 8 साल से लम्बित है 132 के० वी० की इस योजना से सुल्तानपुर और फैजाबाद के लोगों को फायदा होगा। तो इसे कब तक पूरा करा देंगे और कब तक धन दे देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जरूरी तो है जल्द हो जाना चाहिए, यथाशीघ्र ही इसको कराया जायेगा।

जनपद प्रतापगढ़ के गौरा विकास खण्ड में विद्युत पावर हाउस बनाने हेतु भूमि का अधिग्रहण तथा उसके विलम्ब के कारण

*8–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के गौरा विकास खण्ड में जिस विद्युत पावर हाउस बनाने हेतु भूमि का अधिग्रहण हो गया है तथा चहारदीवारी भी बन गयी है, उसको बनाने में किस कारण से विलम्ब हो रहा है तथा यह कब तक बन जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रतापगढ़ जनपद के गौरा विकास खण्ड में विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण (133/11 के० वी०) हेतु भूमि अध्यापित की जा चुकी है तथा अधिग्रहण उपरान्त तार से घेरकर बाड़ की जा चुकी है । वांछित संसाधन उपलब्ध न होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है ।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो विद्युत पावर हाउस बनाने के लिये जो भूमि अध्यापित की गयी वह कब की गयी उसे तार से कब घेरा गया उसका उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, काम हो गया है, तार से जमीन को घेरा जा चुका है, उसकी हदबंदी हो गयी है तो यह सूचना काफी है, जो काम होना था वह हो गया है इसमें अब कोई जानने की आवश्यकता नहीं रह गयी है ।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

| × × × |

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसकी इजाजत मैं आपको नहीं देता हूं । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

छोटी-छोटी बातों में आप कहां जाते हैं । थोड़ी सी घेराबंदी हो गयी है । (व्यवधान)

(व्यवधान)

नोट :—| × × × | यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

श्री पाण्डे जी मैं आपको समय नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जाएं। दूसरे माननीय सदस्य का नुकसान हो रहा है। आप बैठ जायं (श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय के न बैठने पर) आपका नहीं लिखा जायेगा)

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय–

[× × ×]

(श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय सदन त्याग कर चले गये।)

*9–कुंवर सर्वराज सिंह–

[तीसरे सोम में अता० प्र० सं० 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेरठ नगर महापालिका क्षेत्र के अन्तर्गत गुरूनानक नगर, देवपुरी क्षेत्र नंगलाबट्टू तथा प्रभातनगर क्षेत्र में नाली, खड़ंजा, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने की मांग

*10–श्री अमित अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगर महापालिका क्षेत्र के अन्तर्गत जिन बस्तियों को शासन रेग्यूलराइज्ड कर चुका है और पालिका गृह कर आदि भी ले रही है उनमें पक्की सड़कें, नालियां और स्ट्रीट लाईट आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नगर विकास विभाग की है ? गुरूनानक नगर, देवपुरी क्षेत्र नंगलाबट्टू, प्रभातनगर क्षेत्र आदि में इनका निर्माण कराने हेतु आदेश निर्देश प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्त बक्श रावत–

शासन द्वारा नगर की बस्तियों को रेगुलराइज्ड नहीं किया जाता बल्कि नियमानुसार यह कार्य विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

प्रश्नगत बस्तियों, गुरूनानक नगर, देवपुरी, नगलाबट्टू, प्रभातनगर के अधिकतर भागों में नाली, खड़ंजा व स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था, कुछ में मेरठ विकास प्राधिकरण तथा कुछ में महापालिका द्वारा कराया गया है। पुरानी बस्तियों में खड़ंजे को पक्की सड़क में परिवर्तित करने का कार्य निवासियों के अनुरोध पर बेटरमेन्ट चार्ज लेकर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाता है।

श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, परिस्थिति यह है कि बेटरमेन्ट चार्जेज और विकास शुल्क यह दोनों नक्शा पास कराने पर लिया जाता है और अनुरोध पर नहीं लिया जाता है।

मान्यवर, मेरठ विकास प्राधिकरण में 200 वर्ग मीटर के प्लाट पर 30 रुपये मीटर के हिसाब से विकास शुल्क, 3 रुपये प्रति वर्ग फीट कवर्ड एरिया के हिसाब से बेटरमेन्ट चार्जेज तथा बैनामे पर आवास विकास शुल्क 2 प्रतिशत की दर से, कुल मिलाकर 19/20 हजार रुपये प्राधिकरण को प्राप्त होता है और सभी कार्य नगर महापालिका को कराने पड़ते हैं। इसलिये मेरा प्रश्न है कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मेरठ विकास प्राधिकरण की स्थापना के बाद से अब तक कितनी धनराशि एम० डी० ए० को बेटरमेंट चार्जेज, विकास शुल्क तथा 2 प्रतिशत आवास विकास शुल्क के रूप में प्राप्त हुई और कितनी धनराशि उसने इन मदों पर व्यय किया है ?

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि भविष्य में नक्शा पास कराने का अधिकार नगर महापालिका को क्या दिलायेंगे । इसके अलावा यह सारे शुल्क और चार्जेज भविष्य में क्या मंत्री जी नगर महापालिका को दिलायेंगे जिससे वह अपने संसाधन बढ़ाकर इन सभी कार्यों को वह कर सके ?

श्री सन्त बक्श रावत–

मान्यवर, मूल प्रश्न के उत्तर में मैंने स्पष्ट कर दिया है कि यह जो कालोनियां हैं, जिनका उल्लेख है, यह अनधिकृत रूप से निर्मित कालोनियां हैं ।

रिगुलराइजेशन विकास प्राधिकरण का उद्देश्य है । यदि यह चाहते हैं तो वहां की विकास प्राधिकरण की जो निर्धारित शर्तें हैं उनको पूरा करा दें तो उन कालोनियों का रिगुलराइजेशन हो जाएगा ।

श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, एम० डी० ए० ने जिन 100 कालोनियों का रिगुलराइजेशन कर दिया है, यह प्रश्न उन्हीं के बारे में है । मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी गरीब की साइकिल को टूटने से बचा लीजिये चूंकि उसकी साइकिल खड्डों और खड़ंजों पर चलने से साइकिल टूट जाती है, उसकी टायर की हवा निकल जाती है और उसका पहिया टूट जाता है । तो इस पर खड़ंजे लगवा दिये जायें और भराव हो जाए और नालियां बन जायें, इसका कार्य नगर महापालिका को बिना आर्थिक संसाधनों के करना पड़ता है । इसलिये वह उसको मिले और यह सब शुल्क आप नगर महापालिका को दिया जाना सुनिश्चित करायें ?

श्री सन्त बक्श रावत–

यह मंगलपट्टू पुराना राजस्व गांव है, परन्तु उसके आसपास भारी संख्या में अनधिकृत नालियां बनवाकर भवन निर्मित हो गये हैं और दूसरी अन्य शेष बस्तियां भी बिना किसी निधारित प्रक्रिया को पूरा किये अवैध रुप से विकसित हुई हैं । यह बहुत पुरानी हैं, इनमें समस्त नालियों के निर्माण, खड़ंजे आदि लगाने तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो गयी है और यह समस्त कार्य मेरठ विकास प्राधिकरण व नगरपालिका द्वारा कराये गये हैं । अब खड़ंजा मार्ग को पक्के मार्ग में परिवर्तित करने का कार्य बेटरमेंट चार्ज लेकर ही किया जा सकता है ।

जौनपुर में विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में अवशेष अनुसूचित जाति की बस्तियों को विद्युतीकरण किये जाने की मांग

*11–श्री राम दवर (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 256, शाहगंज, जौनपुर में कितनी अनुसूचित जाति की बस्तियों का विद्युतीकरण हुआ है ? जिन शेष अनु० जाति की बस्तियों का विद्युतीकरण होना शेष है, उनका विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

विधान सभा क्षेत्र 256, शाहगंज, जौनपुर के 122 अनुसूचित जाति की बस्तियों का विद्युतीकरण हो चुका है । शेष ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद मऊ के घोसी में किसानों की तरह बुनकरों का मासिक विद्युत चार्ज निर्धारित किये जाने की मांग

*12–श्री अक्षयवर भारती–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी जनपद मऊ में किसानों द्वारा 5 हा० पा० विद्युत मोटर के लिये रुपया 165 मासिक विद्युत देय भुगतान किया जाता है और बुनकरों को एक हार्स पावर विद्युत मोटर के लिये रुपया 200 से रुपया 250 मासिक विद्युत देय भुगतान करना पड़ता है, जो कि किसानों के मुकाबले अत्याधिक है ? क्या किसानों की तरह बुनकरों का मासिक विद्युत चार्ज निर्धारित होगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

5 हा० पा० के विद्युत मोटर के लिये ग्रामीण अधिसूची से विद्युत आपूर्ति पाने वाले किसानों से वर्तमान टैरिफ के अनुसार निजी नलकूप एवं सम्बद्ध बत्ती के लिये 165/- प्रति माह का बिल निर्धारित किया जाता है । बुनकरों से भुगतान उनके द्वारा किये गये वास्तविक खपत के आधार पर लिया जाता है । बुनकरों से मासिक नियम दर पर विद्युत चार्ज लिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । परिषद् की खराब वित्तीय स्थिति के कारण यह प्रस्ताव स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

श्री अक्षयवर भारती–

किन्तु क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जितनी बिजली वह लेते हैं, जितनी खर्च होती है, उस निर्धारित अनुपात से ज्यादा क्यों लिया जाता है, क्या ज्यादा ले सकते हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, क्योंकि यह कृषि प्रधान प्रदेश है और पहले से ही यह चला आ रहा है, हम किसानों को विशेष रियायत देते हैं, इसलिये इसको कम नहीं किया जा सकता है और किसानों के अलावा जितने बाकी बुनकर आदि का काम करने वाले है चाहें जैसी छोटी-बड़ी इण्डस्ट्री उनकी हो, उन्हें किसी प्रकार की छूट देने का अभी तक प्राविधान नहीं है ।

श्री अक्षयवर भारती–

मान्यवर, बुनकर भी तो प्रदेश में और हमारे यहां एक बड़ी तादाद में है । वह गरीब भी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है तथा उनका काम भी महत्व का है, फिर आपको इनको भी छूट देनी चाहिये ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इच्छा है, माननीय सदस्य की अच्छी इच्छा है, जिसको भी जितनी रियायत मिल सके अच्छी बात है । लेकिन अभी कोई ऐसी बात नहीं है ।

उ० प्र० में लाइन लास का प्रतिशत एवं इसे कम करने हेतु उठाये गये कदम एवं इसके लिये निचले स्तर के अधिकारियों को उत्तरदायी बनाये जाने की मांग

*13–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में लाइन लास का प्रतिशत कितना है, उसे कम करने हेतु सरकार कोई प्रभावशाली कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? उत्तर प्रदेश में लाइन लास तमिलनाडु के सापेक्ष कितने प्रतिशत अधिक है ? क्या निचले स्तर के अधिकारियों को इसके लिये सीधे उत्तरदायी बनाया जायेगा ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

वर्ष 1991-92 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की लाइन हानियां 25.26% थी । उ० प्र० में लाइन हानियां कम करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये गये जिससे वर्ष 92-93 में यह हानियां घटकर 24.10% हो गयी तथा वर्ष 93-94 में इसका लक्ष्य 23 प्रतिशत रखा गया है तथा वर्ष 94-95 में लक्ष्य 22 प्रतिशत रखा गया है ।

उत्तर प्रदेश में लाइन हानियां तमिलनाडु के सापेक्ष वर्ष 1991-92 में 7.05% अधिक थी । कुछ समय पूर्व तक अधिशासी अभियन्ता तक के अधिकारियों को ही लाइन हानियों के लिये उत्तरदायी बनाया गया था लेकिन अब सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता को भी इसके लिये उत्तरदायी बना दिया गया है क्योंकि वितरण प्रणाली के रखरखाव व विद्युत चोरी को रोकने के लिये यह अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा इसका सीधा प्रभाव लाइन हानियों पर पड़ता है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से पहला सवाल यह पूछना चाहता हूं कि जो तरीके तमिलनाडु में लाइन लास को कम करने के लिये अपनाये गये हैं क्या उन्हीं तरीकों को यह सरकार भी अपनायेगी । दूसरा सवाल मैं यह कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ जनपद में वहां के जो अधीक्षण अभियन्ता हैं उनकी शय पर अवर अभियन्ता बड़े पैमाने पर विद्युत चोरी करवा रहे हैं । क्या मंत्री जी इस विद्युत चोरी की जांच करवा कर उन्हें बन्द करवायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, दूसरे सवाल का जवाब तो यह है कि माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे दें आजमगढ़ की ही बात नहीं जहां कहीं का मामला हो, उसको दिखवा लेंगे और उसकी जांच कराने के पश्चात् प्रशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी । विद्युत चोरी रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाये गये हैं । जब से यह सरकार आयी है उसके बाद से 6 बड़े बिजली चोर पकड़े गये हैं उत्तर प्रदेश में । पहला है मेसर्स महेन्द्र स्टील गाजियाबाद, दूसरा मेसर्स नोवा कायल इण्डिया, नोएडा, तीसरा मेसर्स त्रिकोण सीमेन्ट मवाना, मेरठ, चौथा मेसर्स सर्वोदय इस्पात फैक्ट्री, झांसी, पांचवां सुरेन्द्र कुमार बर्नवाल भदोही, वाराणसी और छठा है गंगोत्री नर्सिंग होम, इलाहाबाद । किसी के साथ कोई रियायत नहीं हुई है । नोएडा के जनरल मैनेजर हाथ आ गये थे उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया ।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें जो भदोही के अन्तर्गत मेसर्स सुरेन्द्र बर्नवाल के खिलाफ कार्यवाही की गयी उसमें कौन-कौन सी कार्यवाही हुई और किस मामले में चोरी पकड़ी गयी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह सीधे तार डालकर बिजली ले रहे थे । इसे डायरेक्ट केबिल चोरी कहते हैं, उसी में पकड़े गये ।

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी अगर अन्तिम प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि तमिलनाडु में लाइन लास कम करने के लिये जो तरीके अपनाये गये हैं क्या उन तरीकों को यह सरकार भी अपनायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश के मुकाबले में बहुत छोटा प्रदेश है और उसी ऐतबार से वहां चोरी की संख्या भी कम है । हमारा प्रदेश बड़ा है, चोर ज्यादा हैं । आप हैरत करेंगे कुछ फैक्टरियों के बारे में यह मालूम हुआ है कि वहां चोरी के तरीके ईजाद करने के लिये एक पोस्ट क्रियेट की गयी है । चोर रखे जाते हैं । रिमोट कन्ट्रोल इस्तेमाल किये जा रहे हैं । मीटर को रोकने के लिये बारीक बर्मे से बारीक सुराख कर दिया जाता है और बारीक तार डालकर उसका पहिया रोका जाता है । ऐसा हमारी जानकारी में आया है । हमने इसके लिये कदम उठाये हैं, 6 चोर पकड़े हैं और यह कार्यक्रम जारी रहेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त होता है ।

अनु० जाति/जनजाति बस्तियों के विद्युतीकरण करने के लिये सरकार द्वारा योजना बनाये जाने की मांग

*14–इं० राम लोटन सिंह पटेल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनु० जाति/जनजाति बस्तियों को विद्युतीकरण करने के लिये सरकार कोई नई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पहाड़ी पठारी क्षेत्रों के लिये उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मैदानी क्षेत्र से अलग कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अनु० जाति/जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण ग्रामों के विद्युतीकरण के साथ अनिवार्य रूप से किया जा रहा है । इसलिये किसी नयी योजना की आवश्यकता नहीं है । पहाड़ी क्षेत्रों के लिये प्रतिवर्ष एक अलग सब प्लान की संरचना की जाती है जिसके अन्तर्गत अन्य कार्यों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों की बस्तियों के विद्युतीकरण का भी प्राविधान किया जाता है ।

नोट :–नत्थी (ग) तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ ।

जिला जालौन के विकास खण्ड नदी गांव के ग्राम गिदवासा के रिहायशी क्षेत्र के ऊपर से गयी बिजली लाइन को हटाये जाने की मांग

*15–श्री चैनसुख भारती–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन के विकास खंड नदी गांव के ग्राम गिदवासा के रिहायशी क्षेत्र के ऊपर से 1100 के० वी० ए० की बिजली लाइन निकाली गयी है जिससे ग्रामीणों की जानमाल का खतरा बना हुआ है और अब तक एक ग्रामवासी की मृत्यु भी हो चुकी है ? क्या इस बिजली लाइन का नया स्टीमेट बनाकर इसे गांव के ऊपर से हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला वाराणसी के ब्लाक बड़ागांव में पेयजल ग्राम समूह में लिये गये गांव एवं पेयजल की सप्लाई हेतु पाइप लाइन

*16–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अनेई, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में पेयजल ग्राम समूह में कौन-कौन से गांव लिये गये हैं ? उनमें से कितने गांवों में पेयजल की सप्लाई की जा रही है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि योजना के मुताबिक आज तक पेयजल की सप्लाई हेतु पाइप लाइन नहीं बिछायी गयी है ?

नगर विकास मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)–

अनेई ग्राम समूह पेयजल योजना ब्लाक बड़ागांव जनपद वाराणसी में भारत सरकार के त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 48 ग्राम नामतः बीकापुर, बराई, दल्लीपुर, ताड़ीडीह, जनकपट्टी, भवानीपुर, ताड़ी, पतेहपुर, खेमापुर बटुआ, नौनियापुर, मकसूदन पट्टी, लखसीपुर, धनन्जयपुर, भरथीपुर, लछिरामपुर, अजोरेपुर, खेमापुर, हिताड़ी, आराजीतपड़ी, सर्वीपुर, असवारी, हमीरापुर, कुआर, धमहापुर, रसूलपुर, देवचन्दपुर, लखमीपुर, भरथरा, बटौरा, निन्दनपुर, जद्दूपुर, बहुतरा, लखासीपुर, खरावन, निमाइच, खरावन, सोनपुरवा, अनेई, चकभटान, ढोड्ईपुर, चकगझिया, चकचमरान, रायपुर, पश्चिमपुर, कथकौली, अमिलो, चकचौतारा, वेलवा व सिसवा लिये गये हैं । इनमें से 24 ग्रामों में पेयजलापूर्ति की जा रही है ।

गत वर्षों में धन की कमी के कारण योजना के मुताबिक पाइप लाइन नहीं बिछायी जा सकी । अतएव इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

हरदोई बस डिपो द्वारा विभिन्न मार्गों पर बस चलाये जाने की मांग

*17–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि हरदोई रोडवेज डिपो लाभ में चल रहा है ? यदि हां, तो फिर हरदोई-कानपुर, हरदोई-फर्रुखाबाद, हरदोई-दिल्ली, हरदोई-आगरा-मथुरा, हरदोई-बिलग्राम, हरदोई-लखनऊ रूटों पर बस परमिट होने के बावजूद बसें कम चलाये जाने का क्या कारण है और घटिया बसें चलाये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार यह सभी व्यवस्थायें अविलम्ब ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

सीमित बस बेड़ा व वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण हरदोई डिपो का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है । डिपो द्वारा 33 बसें संचालित हैं । पूर्व में स्वीकृति परमिटों के आधार पर हरदोई डिपो द्वारा हरदोई-मथुरा मार्ग को छोड़कर अन्य सभी मार्गों पर सेवा संचालित की जा रही है जो कि यात्रियों की उपलब्धता को देखते हुए पर्याप्त है । मथुरा-हरदोई मार्ग पर आगरा डिपो की एक बस संचालित होती है । इसी प्रकार प्रश्नगत मार्गों पर निगम की सेवाओं का संचालन किया जा रहा है । हरदोई-उन्नाव-कानपुर मार्ग का हरदोई-बिलग्राम-उन्नाव तक का भाग अराष्ट्रीयकृत है । प्रश्नगत मार्ग पर डिपो के वाहनों की कमी के कारण 10 स्वीकृत परमिटों के विपरीत 7 वाहनों का संचालन किया जा रहा है ।

हरदोई-बिलग्राम मार्ग पूर्णतः अराष्ट्रीयकृत है जिस पर निजी वाहनों द्वारा संचालन किया जा रहा है । निगम द्वारा उक्त मार्ग से होते हुए लम्बी दूरी की सेवायें काफी मात्रा में संचालित होने के कारण यात्रियों को इस मार्ग पर निगम की बसों की सेवायें भी उपलब्ध हैं ।

हरदोई-सांडी-बिलग्राम मार्ग पूर्णतः राष्ट्रीयकृत है । जिस पर 12 स्वीकृत परमिटों के विरुद्ध केवल 1 बस का संचालन हरदोई डिपो द्वारा किया जा रहा है । यह मार्ग चारों ओर से निजी मार्गों से घिरा हुआ है और इस मार्ग पर निजी बसों द्वारा भारी मात्रा में ओवरलैपिंग किए जाने के कारण निगम का संचालन लाभप्रद नहीं रहता है ।

हरदोई डिपो में कार्यशाला पूर्णरूप से विकसित न होने के कारण बसों की धुलाई, चेकिंग, मेन्टीनेन्स का कार्य आंशिक रूप से प्रभावित होता है, परन्तु बसें घटिया नहीं है ।

हरदोई डिपो की बसों के समुचित संचालन हेतु डिपों कार्यशाला निर्माणाधीन है, यात्री सुविधाएं भी शनैः-शनैः सुलभ कराई जा रही हैं । डिपो में कर्मचारियों/अधिकारियों की तैनाती की गई है । बस संचालन की देख-रेख तथा उसमें सुधार लाने की प्रक्रिया जारी है ।

गाजियाबाद नगर महापालिका बनाये जाने का प्रस्ताव

*18–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद नगर महापालिका बनाये जाने की अर्हता प्राप्त कर चुका है ? यदि हां, तो क्या गाजियाबाद नगर के आसपास के उन क्षेत्रों, जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने विकसित किये हैं, को मिलाकर गाजियाबाद को महापालिका बनाये जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी में वरुणापार क्षेत्र में विचाराधीन ट्रान्स वरुणा सीवर योजना एवं उस पर व्यय

*19–श्री माया शंकर पाठक–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में वरुणापार क्षेत्र में ट्रांस वरुणा सीवर योजना जो गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत विचाराधीन है इसके लिये धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस योजना पर व्यय कितना आयेगा और योजना कब तक प्रारम्भ की जायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मिर्जापुर में सीखड़ ब्लाक में अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण हेतु लक्ष्य पूरा किये जाने की मांग

*20–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा ? यदि हां, तो सीखड़ ब्लाक, जिला मिर्जापुर की अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण क्या वर्ष 1994 में पूरा करने का लक्ष्य है ? उक्त विकास खण्ड में कितनी अनुसूचित बस्तियों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राज्य विद्युत परिषद् की वर्तमान नीति के अनुसार सामान्य जाति की बस्ती के विद्युतीकरण के साथ उस ग्राम की अनुसूचित जाति की बस्ती का विद्युतीकरण अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत भी अनुसूचित जाति बस्तियों के विद्युतीकरण की विशेष योजना भी प्रचलित है । सीखड़ ब्लाक जिला मिर्जापुर की अनुसूचित-जाति बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु जनपदीय विद्युत एवं सिंचाई सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 93-94 के लिये कोई चयन नहीं किया गया है । उक्त विकास खण्ड में 28 अनुसूचित जाति की बस्तियों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद फैजाबाद स्थित कुमारगंज नामक स्थान पर निर्माणाधीन 132 के०वी०/33 के० वी० विद्युत सब-स्टेशन एवं उस पर व्यय की गई धनराशि

1–श्री तुलसीदास राय चन्दानी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित कुमारगंज नामक स्थान पर 132 के० वी०/33 के० वी०विद्युत सब-स्टेशन निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो कब से और उक्त के निर्माण में अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? क्या उक्त विद्युत सब-स्टेशन को तत्काल पूरा करने के संबंध में श्री बी० एन० सिंह, सदस्य, विधान परिषद् एवं श्री सुन्दर सिंह बघेल, सदस्य, विधान परिषद् का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र माह जनवरी, 1993 से जून, 1993 के मध्य तत्कालीन सलाहकार, ऊर्जा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी तथा उक्त सब-स्टेशन कब तक चालू हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । जनपद फैजाबाद स्थित कुमारगंज नामक स्थान पर एक 132/33 के० वी० मिल्कीपुर विद्युत उप-केन्द्र निर्माणाधीन है ।

उक्त उपकेन्द्र का निर्माण वर्ष 1984-85 से प्रारम्भ किया गया था तथा अब तक इस पर लगभग 28.03 लाख रुपया व्यय हो चुका है ।

जी हां । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को मूलरूप में सन्दर्भ पंजी सं० 112 एम० एम० पी/93 दिनांक 15-6-93को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा चुका है । उक्त केन्द्र हेतु दिनांक 21-12-90 को ग्रामीण विद्युतीकरण द्वारा रु० 394.56 लाख की एक योजना स्वीकृत की गयी थी परन्तु निगम द्वारा कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी है । उपकेन्द्र का कार्य आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण रुका हुआ है ।

अनुराग शुक्ला, सदस्य, विधान परिषद् का व्यवसायिक केन्द्रों की दुकानों से सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर की सांठ-गांठ से अवैध कब्जा विषयक पत्र एवं उस पर कार्यवाही

2–श्री तुलसीदास राय चन्दानी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनुराग शुक्ला, सदस्य, विधान परिषद् का कोई पत्र जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का कानपुर रोड योजना के सेक्टर–बी में स्थित व्यवसायिक केन्द्र की दुकानों में संबंधित जूनियर इन्जीनियर की सांठ-गांठ से किये गये अवैध कब्जा को हटवाने के संबंध में है, माह अप्रैल, 1993 से माह नवम्बर 1993 के मध्य तत्कालीन सलाहकार आवास एवं नगर विकास विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अवैध कब्जे हटाये गये तथा दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो अवैध कब्जा कब तक हटवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मा० सदस्य, विधान परिषद् श्री अनुराग शुक्ला के पत्र में उल्लिखित दुकान संख्या–171 व 172 में कोई अवैध कब्जा नहीं है इसलिये किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पौड़ी गढवाल की चौपान पट्टी में ग्रामों की संख्या एवं विद्युतीकरण

3–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल की चौपान पट्टी में कुल कितने ग्राम है ? इन ग्रामों में कितने ग्रामों का और कब-कब विद्युतीकरण किया गया है ? अवशेष ग्रामों को कब तक विद्युतीकृत किया जायेगा ? क्या यह सत्य है कि सन् 1972 से पट्टी चौपान में बिजली के मात्र खम्भे खड़े कर दिये गये थे, जिन पर तार तक नहीं खींचा गया ? क्या यह भी सत्य है कि वे खम्भे सड़कर गिर गये हैं ? यदि हां, तो इसका जिम्मेदार कौन है ? शासन द्वारा इस पर क्या कार्यवाही हुयी है ? क्या चौपान पट्टी के लिये विद्युतीकरण की कोई विशेष योजना बनायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जिला पौड़ी गढ़वाल की चौपान पट्टी में कुल 72 ग्राम हैं । उक्त ग्रामों में से अब तक किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया गया है । इन ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है । वर्ष 1972 में पट्टी चौपान के ग्राम बूंगीधार में एल० टी० लाइन के खम्भे खड़े किये गये थे । लाइन चालू न होने का मुख्य कारण देघाट से बूंगीधार तक 11 के० वी० लाइन का निर्माण न होना है । यह क्षेत्र सघन बनों से घिरा हुआ है अतः वन अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन न हो पाने के कारण यह लाइन नहीं बन पायी । इस क्षेत्र के विद्युतीकरण की विशेष योजना बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है । जिला विकास योजना बनाते समय इस क्षेत्र के विद्युतीकरण की योजना भी बनायी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा पिकप के आन्तरिक सजावट के कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों का स्थानान्तरण तथा घपले की जांच

4–श्री ओम प्रकाश, श्री उमाकान्त पाण्डे तथा श्री उमाकान्त यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम के कान्सट्रेक्टिव एण्ड डिजाइनिंग यूनिट, कामर्शियल विंग को राज्य नगर विकास अधिकरण, नव चेतना भवन केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, विकास दीप तथा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ऊंचाहार का भी आन्तरिक सज्जा का कार्य मिला है ? यदि हां, तो इसका अलग-अलग आदेश कितने-कितने का तथा कब-कब मिला है ? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों को, जिन्होंने पिकप के आन्तरिक सजावट के कार्य में लगभग बीस लाख रुपये का घपला किया है, उनको इस विंग से हटाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

उत्तर प्रदेश जल निगम के कन्स्ट्रशन एण्ड डिजाइन यूनिट (कामर्शियल विंग), लखनऊ को राज्य नागर विकास अभिकरण, नव चेतना भवन तथा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ऊंचाहार की आन्तरिक साज-सज्जा का कार्य मिला है । केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, विकास दीप का कार्य नहीं मिला है ।

राज्य नागर विकास अभिकरण

पत्र संख्या 3131/01/(तीन)/92, दिनांक 31-8-92 द्वारा विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार कुल लागत

रु० 7.292 लाख

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ऊंचाहार

(1) पत्र संख्या–057/सी० एस०/302/सी/44/ए० एल०–170/564, दिनांक 30-9-92 के अनुसार

रु० 7.78 लाख

(2) पत्र संख्या–057/सी० एस०/38/एल०–171/574, दिनांक 30-9-92 के अनुसार

रु० 5.04 लाख

जल निगम द्वारा पिकप के आन्तरिक सजावट के कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया है तथा जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जल विद्युत गृह तिलवाड़ा (सुमाड़ी) टिहरी गढ़वाल का बन्द होना एवं प्रतिवर्ष रख-रखाव वेतन आदि पर व्यय

5–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु जल विद्युत गृह तिलवाड़ा (सुमाड़ी), टिहरी गढ़वाल कब से बन्द पड़ा है ? इसके बन्द पड़े रहने से उत्तर प्रदेश सरकार को कुल कितनी हानि प्रतिमाह हो रही है तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? गढ़वाल मण्डल में कितने लघु जल विद्युत गृह बन्द पड़े हैं तथा इनका बन्द होने का क्या कारण है ? क्या सरकार को इन परियोजनाओं के बन्द रहने से कोई नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो प्रतिमाह कितना नुकसान हो रहा है ? क्या ये जल विद्युत गृह लाभप्रद हैं ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या ठोस कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जल विद्युत गृह तिलवाड़ा (सुमाड़ी), टेहरी गढ़वाल का हैड, विद्युत नहर टेलरेस तथा पहुंचने का मार्ग दिनांक 15/16-8-86 को मन्दाकनी एवं लस्तरगाड़ में बाढ़ के कारण बह जाने से बन्द है। इस परियोजना में प्रति वर्ष लगभग रु० 5.00 लाख का विद्युत उत्पादन होता था व रखरखाव एवं वेतन आदि पर लगभग रु० 6.00 लाख व्यय होता था अतः विद्युत गृह अलाभप्रद है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के वेतन आदि तथा वार्षिक की हानि हो रही है तत्कालिक रूप से मरम्मत करके यह माह मार्च, 94 के अन्त तक चालू हो जायेगा। इस हानि के लिये किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। इस मण्डल में तिलवाड़ा के अतिरिक्त कुल 7 विद्युत गृह बन्द पड़े हैं जो निम्नलिखित हैं :–

1–गलोगी विद्युत गृह, जनपद देहरादून (2×1000×2×500 कि० वा०),

2–मतवाड़ी लघु जल विद्युत गृह जनपद उत्तरकाशी (2×25 कि० वा०),

3–गंगोरी लघु जल विद्युत गृह, जनपद उत्तरकाशी (4×200 कि० वा०),

4–कोटी लघु जल विद्युत गृह, उत्तरकाशी (2×100 कि० वा०),

5–उमरार लघु जल विद्युत गृह, जनपद पौड़ी (100 कि० वा०),

6–गैठीछेडा लघु जल विद्युत गृह, पौड़ी (200 कि० वा०),

7–चमोली लघु जल विद्युत गृह, जनपद चमोली (4×200 कि० वा०)।

इनके बन्द होने का प्रमुख कारण मशीनों का काफी पुराना व क्षतिग्रस्त होना, भूकम्प से विद्युत् गृह को क्षति, पावर चैनल का क्षतिग्रस्त होना है । इनमें से चार विद्युत गृह चलाना प्रस्तावित नहीं है । शेष में जल विद्युत गृह गंगोरी (जिला उत्तरकाशी), चमोली (जिला चमोली) व कोटी (जिला उत्तरकाशी) पर मरम्मत कार्य चल रहा है । यह विद्युत गृह परिषद के लिये लाभकारी नहीं हैं । इससे होने वाली हानि, जो मुख्यतः कर्मचारियों के वेतन आदि व मशीनों का इससे है । इसको समाप्त करने के लिये विद्युत परिषद् कार्यवाही कर रही है ।

लखनऊ में गोमती नगर के विशाल खण्ड–1 में स्थित कतिपय पार्कों पर कब्जा एवं उन्हें हटाये जाने की मांग

6–श्री रमापति उर्फ रमाकान्त–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशाल खण्ड–1, गोमती नगर, लखनऊ के भवन संख्या 1/815 से 1/818 तथा 1/843 से 1/854 के सामने स्थित पार्क एवं भवन संख्या 1/812 से 1/818 तक के भवनों में से डिगडिगा ग्रामवासियों का अनधिकृत कब्जा हटवाने के संबंध में तथा पार्क को पक्का कराने के विषय में वहां के निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 15 मई, 1992 तत्कालीन नगर विकास मंत्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जा अभी तक न हटवाये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उल्लिखित भवनों के सामने स्थित पार्क से अनधिकृत कब्जा हटवा दिया गया है । पार्क की बाउन्ड्रीवाल प्लिंथ लेबिल तक बनी हुई है ।

संचालक सहकारी को० बैंक, दुबौलिया बाजार, जिला बस्ती द्वारा अनुसूचित जाति एवं दुर्बल वर्ग के नाम ऋण लिये जाने विषयक मुकदमा एवं कार्यवाही

7–श्री दरोगा तथा श्री बशीर–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि संचालक सहकारी को० बैंक, दुबौलिया बाजार, जिला बस्ती द्वारा अनुसूचित जाति एवं दुर्बल वर्ग के नाम पर लाखों रुपये का ऋण लिया गया है और सचिव के स्थान पर स्वयं ही जाति पहचान प्रमाण-पत्र भी जारी किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि ए० आर०, बस्ती द्वारा इस आशय की कोई रिपोर्ट मुकदमा संख्या 153/90 धारा 419/420 के तहत थाना दुबौलिया में वर्ष 1992 में दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

श्री सीताराम, भू० पू० सचिव साधन सहकारी समिति, दुबौलिया बाजार, जनपद बस्ती ने अपने कार्यकाल में मु० 07283-20 का फर्जी ऋण वितरण काल्पनिक नाम से करते हुए आहरण किया था उस समय समिति के सभापति श्री बाबूराम सिंह थे जिन्होंने सभापति के हैसियत से काल्पनिक व्यक्ति के नाम के चेक एवं प्रोनोट पर हस्ताक्षर किये थे ।

प्रोनोट पर काल्पनिक नाम अंकित किये गये हैं, जिससे जाति का पता नहीं लग पाया ।

जी नहीं ।

जिला सहायक निबन्धक, सह० समिति, उ० प्र०, बस्ती ने कोई एफ० आई० आर० दर्ज नहीं कराया था बल्कि तत्कालीन अपर जिला सहकारी अधिकारी हर्रैया, श्री वीरेन्द्र सिंह ने श्री सीताराम, भू० पू० सचिव, तत्कालीन सभापति (जो बैंक के संचालक भी थे) श्री बाबूराम सिंह एवं श्री रामनाथ पाण्डेय, शाखा प्रबन्धक, छावनी के विरुद्ध मु० अ० सं०–156/90 धारा 419/420/409 आई० पी० सी० थाना दुबौलिया में वर्ष 1990 में दर्ज कराया था ।

श्री बाबूराम सिंह दिनांक 10-8-93 को गिरफ्तार कर जेल रवाना किये गये ।

श्री सीताराम, सचिव दिनांक 24-2-92 को सेवाच्युत किये जा चुके हैं ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिशासी अभियन्ता वि०/यां०, बरेली (श्री डंगवाल) एवं श्री पी० बी० त्रिपाठी अधिशासी अभियन्ता वि०/यां० शाखा, झांसी के विरुद्ध कतिपय शिकायत एवं जांच

8–श्री राम लखन तथा श्री मुनीश गौड़–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के वर्तमान अधिशासी अभियन्ता वि०/यां०, बरेली (श्री डंगवाल) जब कुमाऊं जल संस्थान, नैनीताल के महाप्रबन्धक थे, तो इनके विरुद्ध कतिपय अनियमितताओं की सतर्कता जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि क्या इस जांच में इनको दोषी मानकर वृहद दण्ड दिये जाने की संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि क्या इसी प्रकार श्री पी० बी० त्रिपाठी, अधिशासी अभियन्ता वि०/यां० शाखा, झांसी के विरुद्ध मुख्य अभियन्ता (श्री अकबाल), अधीक्षण अभियन्ता (श्री अकबर हुसैन), अधिशासी अभियन्ता (श्री डंगवाल) एवं अवर अभियन्ता (श्री शमीम अहमद) ने कई लिखित शिकायत मुख्यालय में किया है ? यदि हां, तो इन लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सही है कि श्री त्रिपाठी द्वारा जनपद झांसी के मूल निवासी होकर फर्जी जनपद दिखाकर अपने ही जनपद झांसी में तैनाती कराया है ? यदि हां, तो क्या पूरे प्रकरण की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां । किन्तु श्री डंगवाल कुमायूं जल संस्थान में अधिशासी अभियन्ता के पद पर थे, न कि महाप्रबन्धक के पद पर ।

जी हां ।

जी नहीं । परन्तु श्री पी० बी० त्रिपाठी, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती मामले में श्री एस० एम० इकबाल, मुख्य अभियन्ता द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट प्राप्त हुई है ।

श्री डंगवाल, अधिशासी अभियन्ता को दण्ड दिये जाने संबंधी विभागीय औपचारिक कार्यवाही जल निगम द्वारा की जा रही है तथा श्री पी० बी० त्रिपाठी, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध प्राप्त रिपोर्ट का जल निगम स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त उनके द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

सेवा अभिलेखों के अनुसार इनका गृह जनपद दतिया (मध्य प्रदेश) है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पेयजल योजनाओं में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी फिटरों की दैनिक मजदूरी एवं इनको समान काम के लिए समान वेतन दिये जाने की मांग

9–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल योजनाओं में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी फिटरों को माह में कितनी मजदूरी मिलती है ? क्या इन फिटरों को समान काम के लिये समान वेतन नहीं दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या उन्हें अलग-अलग वेतन दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि 75 रुपये माहवार के हिसाब से वेतन पाने वाले फिटर, पेयजल योजना में कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्या इन फिटरों को शोषण से बचाने हेतु सरकार न्यूनतम वेतन ऐक्ट का पालन सुनिश्चित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्राप्त सूचना के अनुसार पेयजल योजनाओं पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी फिटरों को प्रतिदिन रु० 30 अथवा उससे अधिक मजदूरी मिलती है ।

जी नहीं ।

फिटरों के नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित स्थानीय निकाय/जल संस्थान/जल निगम होते हैं और वे अपने स्तर से दैनिक वेतन का निर्धारण किये हुये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर, गढ़वाल का बन्द पड़ा निर्माण कार्य, इस पर खर्च हुई धनराशि एवं इसे शुरू किये जाने की मांग

10–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर गढ़वाल का निर्माण कार्य बन्द पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ? क्या शासन इस परियोजना को चालू करने के लिये धन आवंटन करेगा ? क्या उक्त परियोजना लाभप्रद है ? यदि हां, तो इस परियोजना में निर्माण कार्य कब से शुरू किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । इस परियोजना को अब तक लगभग 98 करोड़ रु० उपलब्ध कराये जा चुके हैं । विश्व बैंक की सहायता निरस्त हो जाने के फलस्वरूप इस परियोजना पर वर्ष 1993-94 व आगामी वर्ष 94-95 की वार्षिक योजना में शासन द्वारा कोई भी धन आवंटित नहीं किया गया है । यह परियोजना लाभप्रद है । परियोजना में निर्माण कार्य इस हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के बाद किया जायेगा । इन संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए विश्व बैंक की सहायता व निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिये प्रयास किये गये हैं ।

गौरीगंज विधान सभा क्षेत्र सुल्तानपुर में विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत न हुए गांवों की संख्या एवं उस क्षेत्र के खड़े खम्भों को ऊर्जीकृत किये जाने की मांग

11–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गौरीगंज विधान सभा क्षेत्र सुल्तानपुर में कितने पुरवे, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अभी तक विद्युतीकृत नहीं हुए हैं और क्यों ? क्या उन्हें पूर्णतः विद्युतीकृत कराने की शासन की कोई योजना है ? उक्त क्षेत्र में कितने खम्भे बिना ऊर्जीकृत हुए खड़े हैं व क्यों ? क्या उनहें ऊर्जीकृत करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अभी तक 863 पुरवे विद्युतीकृत नहीं हुए हैं । पुरवों का विद्युतकरण वांछित संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो सका ।

जी हां । श्रीमन्, योजना है । इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है । इन पुरवों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उक्त विधान सभा क्षेत्र के 98 पुरवों में 1960 खम्भे बिना ऊर्जीकृत किये खड़े हैं । वांछित संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण शेष कार्य नहीं हो सका ।

जी हां, श्रीमन् ।

इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है ।

जिला वाराणसी में गांव सभा दादूपुर, ब्लाक बड़ा गांव में कतिपय गांवों में पेयजल संकट दूर करने के लिए हैण्ड पम्प मन्जूर किये जाने की मांग

12–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि गांव सभा दादूपुर, महिमापुर, रसुलहा, कोइलार, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में वरुणा नदी व बसुही नदी के किनारे होने तथा ऊंचा-नीचा होने की वजह से कुयें सूख गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि गांव सभा दादूपुर, 10 पुरवों में बंटा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल के संकट को दूर करने हेतु उपरोक्त गांवों में आबादी एवं पुरवों के हिसाब से कम से कम 25 हैण्ड पम्प मन्जूर करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्रश्नगत क्षेत्र में कुओं के सूखने के संबंध में शासन को जानकारी प्राप्त कराई गई है, परन्तु इसका कारण नदी के किनारे होने अथवा ऊंचा-नीचा होने के बारे में जानकारी नहीं है ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम सभा दादूपुर 11 (ग्यारह) पुरवों में बंटा है ।

ग्राम दादूपुर पाइप पेयजल योजना से लाभान्वित है । कतिपय उस क्षेत्र के ग्राम पेयजल योजना के अन्तिम भाग पर होने के फलस्वरूप जलपूर्ति में उत्पन्न कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुये 5 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये हैं जो सभी पूर्ण रूप से जलापूर्ति कर रहे हैं ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के पूर्वी सीमा पट्टी में स्थित अनु० जाति के कतिपय गांवों में विद्युतीकरण का कार्य किये जाने की मांग

13–श्री अखिलेश, श्री दरोगा तथा श्री फौजदार प्रसाद–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि स्वतंत्रता के बाद विकास खण्ड छपिया, जनपद गोण्डा के पूर्वी सीमा पट्टी में स्थित अनु० जाति बाहुल्य ग्राम बुकनापुर, साबरपुर, सकदरपुर, हरखूपुर आदि आज तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लाभ से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए उपरोक्त ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य आरम्भ करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्राम बुकनापुर, विकास खण्ड बभनजोत, ग्राम साबरपुर, विकास खण्ड छपिया केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार विद्युतीकृत हैं। ग्राम सकदरपुर, विकास खण्ड छपिया अभी विद्युतीकृत नहीं है। हरखूपुर का विद्युतीकरण वर्ष 1968-69 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किया जा चुका है।

इन ग्रामों का विद्युतीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयन एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

म० स०–71, एल० आई० जी०, इन्दिरा नगर, कानपुर की किश्त सहित बकाया धनराशि आवंटी श्रीमती गिरिजा श्रीवास्तव के खाते में जमा करने विषयक की गई कार्यवाही

14–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मकान संख्या–71, एल० आई० जी०, इन्दिरा नगर, कानपुर की किश्त सहित बकाया धनराशि रु० 18,271.22 में से दिनांक 4/78 को जमा की गयी धनराशि रु० 7,003.92 के आवंटी श्रीमती गिरिजा श्रीवास्तव के खाते में समायोजन के संबंध में तत्कालीन नेता, विरोधी दल, विधान सभा श्री कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी के पत्र संख्या 2080/ने-वि०द०/92, दिनांक 2-4-1992 तथा संख्या 3456/ने०वि०द०/92, दिनांक 28-9-1992 उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इस बारे में धनराशि समायोजन की अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ? उक्त प्रकरण पर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए रु० 7,003.92 की धनराशि को जमा करने की तिथि 4/78 में कब तक समायोजित करा दिया जायेगा ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण को केवल एक पत्र संख्या–3456/ने०वि०द०/92, दिनांक 28-9-92 ही प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत भवन किराया क्रय पद्धति पर आवंटित हुआ है। किराया क्रय की किश्तों में मूलधन और देय ब्याज सम्मिलित रहता है, अतएव श्रीमती गिरिजा श्रीवास्तव द्वारा जमा की गई इंगित धनराशि किश्तों के मद में समायोजित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला वाराणसी में गांव गजोखर, ब्लाक पिंडरा में 132 के० वी० के बन रहे सब विद्युत स्टेशन के लिए भारत सरकार से प्राप्त धन

15–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 132 के० वी० का सब विद्युत स्टेशन गांव गजोखर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में अर्सा दो वर्ष के ऊपर हो गया, बन रहा है ? यदि हां, तो यह विद्युत स्टेशन कब तक बन कर तैयार होगा ? क्या यह सही है कि जिस स्थल पर उक्त विद्युत स्टेशन बनाया जा रहा है वह जमीन बहुत नीची है ? क्या उस पर अभी तक मिट्टी की पटाई भी नहीं हुई ? क्या इस सब स्टेशन के लिये पूरा रुपया भारत सरकार को देना है ? यदि हां, तो अब तक कितना धन प्राप्त किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

132 के० वी० उपकेन्द्र, गजोखर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी पर कार्य लगभग दो वर्ष पूर्व शुरू किया गया था ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण इस उपकेन्द्र का निर्माण कार्य बन्द है । वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के 2 वर्ष के अन्दर विद्युत उपकेन्द्र बनकर तैयार हो जायेगा ।

जी नहीं ।

मिट्टी की पटाई की आवश्यकता नहीं है। जी हां, उक्त सब स्टेशन निर्माण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो भारत सरकार का एक उपक्रम है के द्वारा राज्य विद्युत परिषद् को 547.16 लाख रु० का ऋण दिनांक 25-3-92 को स्वीकृत हुआ है । अब तक रु० 20.276 लाख मात्र ऋण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा दिया गया है ।

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र डेरापुर में विद्युतीकरण हुए गांवों की संख्या एवं भविष्य में गांवों का विद्युतीकरण किये जाने की योजना

16–श्री राम दास पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र डेरापुर में कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ है और भविष्य में कितने गांवों का विद्युतीकरण किये जाने की योजना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डेरापुर में कुल 134 ग्राम हैं जिनमें से कुल 119 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है । आगामी वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम प्रतिवर्ष निर्धारित परिव्यय और उसके विरुद्ध उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा ।

हरदोई–चौसार मार्ग पर बन्द परिवहन निगम की बन्द बसों को पुनः चालू किये जाने की मांग

17–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि हरदोई–चौसार मार्ग पर परिवहन निगम की बसें चलना बन्द हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार वहां बसें, पूर्व की तरह पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री आर० के० चौधरी–

हरदोई–चौसार मार्ग पर एक बस सेवा दो अप दो डाउन ट्रिप में संचालित है। यह सेवा पूर्व में भी संचालित थी, किन्तु बसों के अभाव के कारण दिनांक 1-6-93 से 22-1-94 तक बन्द करनी पड़ी थी। इसे दिनांक 23-1-94 से पूर्ववत संचालित कर दिया गया है।

प्रश्नगत कार्यवाही उपरोक्तवत की जा चुकी है।

जनपद हरदोई की खसौरा ग्राम सभा के समस्त गांवों को पूर्ण रूप से विद्युतीकृत किये जाने की मांग

18–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की खसौरा ग्राम सभा में आधे ग्राम सभा के गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार पूरी ग्राम सभा का विद्युतीकरण अविलम्ब करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम–खसौरा, विकास खण्ड–हरपालपुर, जनपद–हरदोई का विद्युतीकरण दिनांक 28-3-84 को प्रस्तावित 30 नं० विद्युत कनेक्शनों के आधार पर एल० टी० मेन्स बिछाकर किया गया था। शेष ग्राम का विद्युतीकरण वांछित संसाधनों के अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका।

शेष ग्राम का विद्युतीकरण वांछित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बलिया के विकास खण्ड चिलकहर, नगरा एवं पन्दह के सभी अनु० जाति की बस्तियों को समग्र रूप से विद्युतीकरण किये जाने की मांग

19–श्री संग्राम सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड चिलकहर, नगरा एवं पन्दह के किन-किन गांवों के अनु० जाति बस्तियों में विद्युतीकरण किया जा चुका है ? क्या यह भी सत्य है कि अनु० जाति बस्ती के नाम पर गांव के दबंग लोगों के यहां ही कनेक्शन देकर ही सम्पूर्ण बस्ती का विद्युतीकरण मान लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उन सभी बस्तियों में समग्र विद्युतीकरण के लिये नये सिरे से धन की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद बलिया में ऊर्जीकृत ग्राम एवं अनु० जाति बस्तियों की संख्या निम्नवत् है :–

(सूची संलग्न है)†

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	एल० टी० मेन्स द्वारा विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	विद्युतीकरण अनु० जाति बस्तियों की संख्या
1	चिलकहर	21	20
2	नगरा	70	72
3	पन्दह	33	35

† छापी नहीं गयी।

जी नहीं । अनु० जाति बस्ती के नाम पर दबंग लोगों के यहां कनेक्शन देकर अनु० जाति बस्तियों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है और न ही सम्पूर्ण बस्ती का विद्युतीकरण माना गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला वाराणसी में ब्लाक बड़ा गांव के कतिपय गांवों में चुनाव के दौरान विद्युतीकरण हेतु बिजली के खम्भे गिराने एवं विद्युतीकरण न करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

20–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव नटवां, गांव सभा चकखरायन, गांव फत्तूपर, गांव सभा कठिरांव, गांव नई बस्ती, गांव सभा वरजी व गांव सभा दल्लीपुर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में जे० ई० श्री दीनानाथ व सहायक अभियन्ता श्री बेचनराम, स्टोर अभियन्ता श्री सहाय, विद्युत विभाग, वाराणसी ने चुनाव के दौरान विद्युतीकरण हेतु बिजली के खम्भे गिरवाये हैं ? यदि हां, तो अब तक वहां विद्युतीकरण न कराने का कारणा क्या है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता, जोन वाराणसी तथा अधिशासी अभियन्ता, श्री एस० पी० सिंह को पत्र तारीख 4-12-93 को स्वयं मिल कर दिया है ? यदि हां, तो विद्युतीकरण अब क्यों नहीं कराया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और जल्द से जल्द विद्युतीकरण कराने का आदेश देगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

चुनाव के दौरान संदर्भित गांवों के विद्युतीकरण हेतु बिजली के खम्भे नहीं गिरवाये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

इस संबध में प्रश्नकर्ता ने शिकायत पत्र दिया था ।

गांवों का विद्युतीकरण जनपद सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयन होने पर विद्युतीकरण की कार्यवाही की जायेगी ।

उक्त ग्रामों में ग्राम नटवा (प्रश्न में भटवां लिखा गया है) का चयन वर्तमान सत्र 1993-94 में विद्युतीकरण हेतु जनपद सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा किया गया है । इसका विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान तिमली बडमा, वि० ख० जखोली में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोले जाने की मांग

21–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान तिमली बडमा, वि० ख० जखोली में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक उक्त बैंक की शाखा खुल जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान तिमली बडमा में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

22–श्री अक्षयवर भारती–

[पहले सोम में अता० प्र० सं० 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद में मनौरी पावर हाउस में काफी लम्बे समय से खराब पड़े ट्रान्सफार्मर को ठीक कराये जाने की मांग

23–श्री शिवदानी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि मनौरी पावर हाउस, इलाहाबाद में लगा ट्रान्सफार्मर काफ़ी लम्बे समय से खराब पड़ा हुआ है ? क्या यह सही है कि वहां के किसानों की 90 प्रतिशत भूमि की सिंचाई नहीं हो पा रही है ? क्या उक्त ट्रान्सफार्मर को ठीक कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मनौरी सब स्टेशन, इलाहाबाद में एक 5 एम० वी० ए० 33/11 के० वी० ए० का ट्रान्सफार्मर दिनांक 19-9-1993 को खराब हुआ था । इस उप-संस्थान पर दो 5 एम० वी० ए० के ट्रान्सफार्मर लगे हुये थे । एक ट्रान्सफार्मर क्षतिग्रस्त हो जाने पर दूसरे 5 एम० वी० ए० के ट्रान्सफार्मर के द्वारा इस क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति की जा रही थी । अब 5 एम० वी० ए० का एक ट्रान्सफार्मर खराब ट्रान्सफार्मर के स्थान पर दिनांक 18-12-93 को लगा दिया गया है ।

जनपद महराजगंज मुख्यालय से चौक मीठौरा, खुटहा तक नगर बस सेवा चलाने के प्रस्ताव पर विचार किये जाने की मांग

24–श्री चन्द्र किशोर–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज मुख्यालय से चौक मीठौरा, खुटहा तक नगर बस सेवा चलाने का प्रस्ताव पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो उक्त बस सेवा कब से प्रारम्भ कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार प्रदेश के बड़े नगरों में ही नगर बस सेवा का संचालन किया जा रहा है ।

जनपद हरदोई में बिलग्राम सांडी वाया जरौली नेवादा पक्की डामर रोड पर बसें चलाये जाने की मांग

25–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में बिलग्राम सांडी वाया जरौली नेवादा पक्की रोड होने के बावजूद परिवहन विभाग की बसें नहीं चलती हैं ? क्या सरकार वहां बसें चलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री आर० के० चौधरी-

जी हां ।

जी नहीं, क्योंकि यह मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है, इसलिए इस पर परिवहन निगम की सेवायें संचालित किया जाना प्रस्तावित नहीं है । निजी बसें चलाने पर विचार किया जायेगा ।

लखनऊ पश्चिम के कतिपय मुहल्लों में बिजली पावर बढ़ाने हेतु ट्रान्सफार्मर बदलवाने पर विचार किये जाने की मांग

26-श्री राम कुमार शुक्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ पश्चिम के रहीमनगर, त्रिवेणी नगर, बालागंज, वजीर बाग अदि मोहल्लों में विद्युत वोल्टेज बहुत कम रहता है, जिसके कारण बच्चों को परीक्षा के समय में पढ़ाई करने में दिक्कत होती है ? यदि हां, तो रहीमनगर में बिजली पावर बढ़ाने हेतु क्या सरकार विद्युत लाइन तथा ट्रान्सफार्मर बदलवाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

रहीमनगर क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति पूर्व में 33/11 के० वी० अलीगंज उपकेन्द्र से की जाती थी लेकिन विद्युत आपूर्ति में सुधार तथा वोल्टेज ठीक रखने के लिये इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति 33/11 के० वी० उपकेन्द्र विकासनगर से कर दी गयी है । अतः इस क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या नहीं रह गयी है । त्रिवेणीनगर क्षेत्र में 480 के० वी० ए० का नया ट्रान्सफार्मर ऊर्जीकृत कर दिया गया है अतः अब त्रिवेणीनगर में भी कम वोल्टेज की समस्या नहीं रह गयी है । बालागंज तथा वजीरबाग की विद्युत आपूर्ति 33 के० वी० गऊघाट विद्युत उपकेन्द्र से की जा रही है, परन्तु अब एक नया विद्युत उपकेन्द्र 33/11 के० वी० 5 एम० वी० ए० बालागंज में स्थापित हो गया है । इससे इन क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा ।

लखनऊ के त्रिवेणी नगर भाग तृतीय में सचिवालय कालोनी के म० नं० 15/4 तक महापालिका द्वारा सड़क बनाने का प्रस्ताव

27-श्री राम कुमार शुक्ल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ के त्रिवेणी नगर भाग तृतीय में सचिवालय कालोनी के म० नं०-15/4 तक जाने वाली सड़क अधूरी बनी पड़ी है ? यदि हां, तो कब से तथा क्यों ? क्या ठेकेदार को इस सड़क का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ? क्या इस सड़क के शीघ्र बनने की संभावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तथा ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

लखनऊ के त्रिवेणी नगर भाग तृतीय में सचिवालय कालोनी में मकान सं०-15/4 तक सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव महापालिका द्वारा स्वीकृत नहीं है । अतः सड़क बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ पश्चिम में टूटी हुई सड़कों तथा गलियों को बनाने की विचाराधीन योजना

28–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ पश्चिम में टूटी हुई सड़कों तथा गलियों को बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में सरकार कोई योजना बनाने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री रमाशंकर कौशिक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत स्थान पर निकट भविष्य में अलग से कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ए० एम० सिद्दीकी, पूर्व सहायक अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायती पत्र एवं कार्यवाही

29–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ए० एम० सिद्दीकी, पूर्व सहायक अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनियमित रूप से करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति अर्जित करने तथा अपने गृह जनपद में लगभग 16 वर्षों तक तैनात रहने के शिकायती पत्र जो प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव आवास को विगत 92-93 में भेजे गये थे प्राप्त हुए ? यदि हां, तो क्या उन पत्रों पर जांच कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी पाये जाने पर कर्मचारी को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राप्त शिकायती-पत्रों पर विभागीय जांच कार्यवाही का निर्णय लेकर श्री ए० एम० सिद्दीकी को आरोप-पत्र देते हुये मुख्य अभियन्ता, आवास विकास परिषद् को जांच अधिकारी बनाया गया है । जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है ।

जनपद आजमगढ़ के सगड़ी विधान सभा क्षेत्र में चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण

30–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1992-93, 93-94 में विद्युतीकरण हेतु चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसे कब तक विद्युतीकृत कर लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

वर्ष 1992-93 में चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो सका ।

वर्ष 1993-94 में कोई ग्राम जिला स्तरीय सिंचाई एवं विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयनित नहीं किया गया ।

चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है । इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

सेवा निवृत्त श्रीमती मुन्नी देवी आत्मजा स्व० श्री हनुमान, सफाई कर्मचारी, नगर महापालिका लखनऊ को बीमा का ब्याज सहित भुगतान किये जाने की मांग

31–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मुन्नी देवी आत्मजा स्व० श्री हनुमान, सफाई कर्मचारी, नगर महापालिका, लखनऊ, निवासी–हाता सितारा बेगम कालोनी, सराय माली खां, हरदोई रोड, चौक, लखनऊ की सेवानिवृत्त अप्रैल, 1991 में हुयी थी ? क्या अभी तक उनके बीमा का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इनके बीमा का ब्याज सहित भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत सफाई कर्मचारी के जीवन बीमा प्रपत्र संबधित कर्मचारी द्वारा पूर्ण करके संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है, उसे श्रीमती मुन्नी देवी द्वारा माह जनवरी, 1994 में प्रस्तुत किया गया है ।

निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत निदेशक, स्थानीय निकाय को महापालिका द्वारा प्रपत्र फरवरी, 1994 में भेजे जा चुके हैं । जीवन बीमा निगम से धनराशि प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी को तत्काल भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद महराजगंज में निचलौल डिपो में राजकीय परिवहन निगम की बसों की स्थिति एवं कर्मचारियों की अनुपस्थित के कारण

32–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निचलौल, डिपो जनपद महराजगंज में कुल कितनी राजकीय परिवहन निगम की बसें हैं, उनकी स्थिति क्या है ? उसमें कितनी चालू हालत में हैं ? कितनी बसें डिपो में खड़ी हैं ? क्या यह सही है कि डिपो में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति मात्र 25 प्रतिशत ही रहती है ? यदि हां, तो बसों के खड़ी होने तथा कर्मचारियों की अनुपस्थिति होने का कारण क्या है ?

श्री आर० के० चौधरी–

निचलौल डिपो में 46 बसें हैं । इनमें से 4 बसें क्षेत्रीय कार्यशाला, गोरखपुर में तथा 3 बसें डिपो कार्यशाला में मेन्टीनेन्स तथा मरम्मत हेतु खड़ी हैं । शेष 39 बसें चालू हालत में हैं ।

जी नहीं ।

निचलौल डिपो (गोरखपुर) द्वारा कतिपय मार्गों पर संचालित बसों की संख्या एवं समय

33–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निचलौल डिपो से चलने वाली बसों में से कितनी बसें जनपद मुख्यालय, मंडल मुख्यालय, गोरखपुर, प्रदेश मुख्यालय, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर वाराणसी एवं खड्डा पडरौना, कुशीनगर के लिए चलायी जाती हैं ? यदि बसें चलायी जाती हैं, तो उनके चलाने का समय क्या है ? यदि नहीं चलाई जाती हैं तो क्या सरकार चलाने की कृपा करेगी ?

श्री आर० के० चौधरी–

निचलौल डिपो (गोरखपुर क्षेत्र) द्वारा प्रश्नगत मार्गों पर संचालन निम्नवत् किया जा रहा है :–

मार्ग का नाम	संचालित बसों की संख्या	विवरण
1–निचलौल–महाराजगंज निचलौल–गोरखपुर	10	इन 10 बसों का संचालन निचलौल-महाराजगंज-गोरखपुर मार्ग पर ही होता है ।
2–निचलौल–इलाहाबाद	शून्य	निचलौल डिपो द्वारा कोई बस संचालित नहीं ।
3–निचलौल–लखनऊ–दिल्ली	2	निचलौल–कानपुर सेवा लखनऊ होकर जाती है ।
निचलौल–कानपुर	2	
4–निचलौल–वाराणसी	शून्य	निचलौल डिपो द्वारा कोई बस संचालित नहीं है ।

5–अराष्ट्रीयकृत मार्गांश निहित होने के कारण निचलौल से खड्डा–पडरौना–कुशीनगर मार्ग पर सीधी बस सेवायें संचालित नहीं की जा रही हैं ।

समय सारिणी संलग्न है ।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार अराष्ट्रीयकृत मार्गांश पर नई बस सेवाओं का संचालन नहीं किया जाना है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 175–176 पर)

ग्रामीण क्षेत्र मेरठ महापालिका की सीमा के अन्तर्गत महानगर से जुड़े कच्चे, खड़ंजे मार्गों को पक्का डामर बनवाये जाने की मांग

34–श्री अमित अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र मेरठ महापालिका की सीमा के अन्तर्गत आ चुके हैं उनके महानगर से लिंक मार्ग या तो कच्चे हैं या खड़ंजों से जुड़े हैं, उन्हें पक्का डामरयुक्त करने का दायित्व किस विभाग का है ? क्या सरकार ऐसे मार्गों को पक्का डामर बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

नगरमहापालिका की सीमा में सम्मिलित कर लिये गये ग्रामों में लिंक मार्ग निर्माण का दायित्व नगर महापालिका का है ।

नगरमहापालिका की वित्तीय स्थिति एवं धन की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए मार्गों को पक्का कराया जा सकेगा ।

जनपद मथुरा के अन्तर्गत श्री मानसी गंगा गोवर्धन के गन्दे पानी को निकालने की व्यवस्था किये जाने की मांग

35–अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि पवित्र धार्मिक स्थल श्री मानसी गंगा, गोवर्धन, जनपद–मथुरा का पानी रुका होने के कारण चरणामृत योग्य नहीं रहा है ? यदि हां, तो विगत समयानुसार पूर्व दिशा में से नाले के द्वारा पानी का निकास क्यों नहीं किया जा रहा है ? श्री मानसी गंगा, गोवर्धन के पानी की निकासी (सरकुलर सिस्टम) शुद्धीकरण हेतु धार्मिक महत्ता एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या उपाय अपनाये जा रहे हैं ? यदि हां तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन में मानसी गंगा के पानी का उचित निकास न होने के कारण पानी गंदा हो जाता है ।

मानसी गंगा का जल निकास हेतु चकलेश्वर घाट के सहारे नाम गांव माइनर से छोटा नाला बनाया गया है, किन्तु गर्मी में मानसी गंगा का जलस्तर कम होने और नाले का स्तर ऊंचा होने के कारण निकास नहीं हो पाता है ।

नगर क्षेत्र समिति द्वारा मुख्य पर्व मुंड़िया पूनों के अवसर पर मानसी गंगा की सफाई करायी जाती है ।

नगरमहापालिका, वाराणसी के नगर प्रमुख द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनियमिततायें बरतने विषयक सभासदों के हस्ताक्षर युक्त शिकायती पत्र एवं कार्यवाही

36–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरमहापालिका, वाराणसी के नगर प्रमुख द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विभिन्न अनियमिततायें बरतने संबंधी सभासदों के हस्ताक्षर युक्त एक आरोप पत्र दिनांक 6 अक्टूबर, 1991 सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त आरोप पत्र के

मुख्य बिन्दु क्या हैं ? क्या जांच में आरोप सिद्ध पाये गये ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्रश्नगत आरोप पत्र दिनांक 6-10-91 को नहीं बल्कि दिनांक 15-10-91 को प्राप्त हुआ था ।

उक्त आरोप पत्र में तत्कालीन नगर प्रमुख, वाराणसी द्वारा कर निर्धारण में विलम्ब, पेट्रोल, टेलीफोन, के दुरुपयोग करने तथा महापालिका की बैठकों को ठीक से संचालित न करने की शिकायत की गई थी ।

मामले की जांच मण्डलायुक्त, वाराणसी से कराई गई । प्राप्त जांच आख्या के आधार पर दिनांक 4-6-1992 को नगर प्रमुख, वाराणसी को कारण बताओ नोटिस दी गई जिसके विरुद्ध दिनांक 18-6-1992 को नगर प्रमुख, वाराणसी द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया । प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विवादित है ।

जिला वाराणसी के ब्लाक पिंडरा, गांव देउसी को विद्युतीकरण हेतु आदेश दिये जाने की मांग

37–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री गांव देउसी, ब्लाक–पिंडरा, जिला–वाराणसी का विद्युतीकरण करने हेतु आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1981 के अनुसार वाराणसी जनपद के पिंडरा ब्लाक में देउजी नाम का कोई ग्राम अंकित नहीं है । इसके स्थान पर देवजी (कोड 158) अंकित है जो अप्रैल, 1988 में केन्द्रीय विकास प्राधिकरण की परिभाषानुसार विद्युतीकृत है । ग्राम का एल०टी०मेन्स द्वारा गहन विद्युतीकरण सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयनित होने एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

नगर क्षेत्र घोसी, जनपद मऊ के प्रबन्धाधीन तालाब/पोखरों की संख्या एवं धार्मिक संगठनों की अधीन संख्या, टाउन एरिया को प्राप्त आय

38–श्री अक्षयवर भारती–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र घोसी, जनपद मऊ के प्रबंधाधीन कितने तालाब/पोखरे हैं ? उन तालाबों/पोखरों का प्रबंध किन-किन धार्मिक संगठनों के अधीन है ? उक्त नगर क्षेत्र में स्थित ताल/पोखरों से टाउन एरिया को विगत 8 वर्षों में कितनी आमदनी हुई है ? क्या मछुवा सहकारी समिति, आजमगढ़ की मत्स्यपालन हेतु पट्टे की धनराशि जमा है ? यदि हां, तो उक्त मछुवा सहकारी समिति को अभी तक पट्टा निर्गत न करने का कारण क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जिलाधिकारी, मऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 44 तालाब/पोखरे हैं ।

कोई तालाब/पोखरा धार्मिक संगठनों के अधीन नहीं है । परम्परा के अनुसार शिव मन्दिर, सीता मन्दिर तथा कब्रिस्तान धार्मिक संगठनों के द्वारा तीन पोखरों/तालाबों का प्रयोग विभिन्न धार्मिक अवसरों पर होता है ।

विगत 8 वर्षों में रु० 5,369.70 पैसे की आय हुई ।

जी हां ।

तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा पट्टे की अल्प आय के कारण प्रशासकीय स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के वि०खं० नरेन्द्र नगर में ग्राम सभा नौर पट्टी कुंजणी में बसुई ग्राम में बिजली के खम्भे गाड़ कर बिजली न दिये जाने, तारों की चोरी व दोषी व्यक्तियों को दण्डित किये जाने की मांग

39–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के वि०ख० नरेन्द्रनगर में ग्राम सभा नौर पट्टी कुंजवी में बसुई ग्राम में 5 वर्ष पूर्व बिजली के खम्भे गाड़ दिये गये थे ? यदि हां, तो पांच वर्ष बाद भी बसुई गांव मे बिजली के तार क्यों नहीं जोड़े गये ? क्या इन तारों को बेचा गया है ? यदि नहीं, तो क्या इन तारों की चोरी हुई थी ? क्या दोषी व्यक्ति को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड नरेन्द्र नगर में ग्राम सभा नौर के ग्राम बसुई में वर्ष 1990 में खम्भे गाड़े गये थे । इस ग्राम के लिये जो तार दिया गया था, वह चोरी हो गया था । तार चोरी की रिपोर्ट थाना नरेन्द्र नगर में की गयी थी । तार चोरों का पता नहीं चल पाया है । अब पुनः तार प्रबन्ध हो गया है तथा शीघ्र ही विद्युत आपूर्ति चालू कर दी जायेगी ।

गढ़वाल मण्डल में विभिन्न स्थानों पर जले हुए ट्रांसफार्मर एवं इन्हें इस्तेमाल के लिए कारगर उपाय ढूंढे जाने की मांग

40–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में कितने स्थानों में ट्रांसफार्मर जले हुये हैं ? इन जले हुए ट्रांसफार्मरों को कब तक बदला जाता है ? यदि लम्बे समय तक ट्रांसफार्मर जो जले होते हैं, को नहीं बदला जाता तो क्या बिजली न प्रयोग करने पर भी बिजली का बिल उपभोक्ता को देना पड़ता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? ट्रांसफार्मर जल्दी-जल्दी जलने के कारण क्या हैं ? जले हुए ट्रांसफार्मर की मरम्मत करके क्या फिर वहीं पर उन्हें इस्तेमाल में लाया जाता है ? क्या इसके लिए कारगर उपाय ढूंढा गया है कि ट्रांसफार्मरों का जलना बन्द हो जाय ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गढ़वाल मण्डल में दिनांक 31-12-93 तक कुल 323 नं० वितरण ट्रांसफार्मर जले हुये हैं । इनमें से 10 प्रतिशत ट्रांसफार्मर 5 के०वी०ए० के हैं तथा उन ग्रामों के हैं जहां पर कोई भी विद्युत कनेक्शन नहीं हैं । सामान्यतया जले हुये ट्रंसफार्मरों को 15 दिन से एक माह के अन्दर बदल दिया जाता है । परन्तु कुछ विपरीत भौगोलिक स्थितियों में कभी-कभी कुछ अधिक समय भी लग जाता है ।

यदि ट्रांसफार्मर एक माह से अधिक समय में बदल जाते हैं तो उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों में छूट (रिबेट) दी जाती है और यदि ट्रांसफार्मर एक माह के अन्दर बदल दिये जाते हैं तो उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों में छूट (रिबेट) नहीं दी जाती है ।

ट्रांसफार्मरों के क्षतिग्रस्त होने के निम्न कारण हैं :–

1–ट्रांसफार्मरों का क्षमता से अधिक भारित होना ।

2–एल०टी० लाइनों को शार्ट सर्किट होना जिसका मुख्य कारण क्षमता से अधिक भारित होना है ।

3–प्राकृतिक आपदायें जैसे आकाशीय विद्युत, आंधी, हिमपात आदि का होना ।

क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को मरम्मत के लिये विभागीय कार्यशाला एवं निजी फर्म को भी भेजे जाते हैं । मरम्मत होने पर उन ट्रांसफार्मरों को उसी स्थान पर जहां वह क्षतिग्रस्त हुआ था, इस्तेमाल नहीं किया जाता ।

ट्रांसफार्मर को जलने से बचाने के लिये समय-समय पर उपभोक्ताओं के लोड की चेकिंग भी की जाती है तथा अनधिकृत कनेक्शनों को काट दिया जाता है । आवश्यकतानुसार तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार लोड बढ़ने पर ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है ।

जनपद हरदोई के कस्बा बिलग्राम में नगरपालिका के मोहल्ला रफैयतगंज में अनु० जाति के मोहल्ला में पेयजल व्यवस्था की मांग

41–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद के कस्बा बिलग्राम में नगरपालिका के मोहल्ला (वार्ड) रफैयतगंज में अनु० जाति के मोहल्ले में कोई पेयजल की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो उस मोहल्ले में इंडिया मार्का हैण्ड पाइप कब तक लगाया जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

जनपद हरदोई की नगर पालिका, बिलग्राम के मोहल्ला (वार्ड) रफैयतगंज में अनु० जाति मोहल्ले में पाइप लाइन एवं स्टैण्ड पोस्ट द्वारा पेयजल की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मलौथा गांव सभा के कंडिया व लट्ठपुरा गांव को विद्युतीकरण किये जाने की मांग

42–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद की 90–बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र के मलौथा गांव सभा में विद्युतीकरण है ? यदि हां, तो क्या उसके मजराजात कुंडिया व लट्ठपुरा जो अनु० जाति के हैं, में विद्युतीकरण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों विद्युतीकरण वहां पर कराया जायेगा ? तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

हरदोई जनपद की 90 विधान सभा क्षेत्र के मलौथा ग्राम सभा का विद्युतीकरण किया जा चुका है । उक्त ग्राम के मजराजात कुंडिया व लट्ठपुरा में विद्युतीकरण नहीं कराया गया है । वर्तमान में इनके विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है । इनका विद्युतीकरण जनपदीय विद्युत एवं सिंचाई सलाहकार समिति द्वारा चयनित होने एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

श्रीनगर, गढ़वाल में जल विद्युत परियोजना आरम्भ करने का वर्ष एवं इस योजना में हुआ व्यय

43–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर, गढ़वाल किस सन् में प्रारम्भ हुई थी ? इस परियोजना में कितना खर्च हो चुका है ? कितनी धनराशि अभी और इस परियोजना में लगेगी ? क्या कार्यरत अधिकारी कर्मचारी अपने-अपने कार्य में लगे हैं ? क्या धनाभाव के कारण इस परियोजना का काम बन्द पड़ा है ? क्या यह भी सत्य है कि कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बिना काम का वेतन दिया जा रहा है ? क्या जनहित में परियोजना को चला रही है ? क्या कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की छटनी होगी ? यदि नहीं, तो कब तक इस परियोजना में शुरू किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस परियोजना का कार्य वर्ष 1985-86 में आरम्भ किया गया था । अब तक इस परियोजना के लिये लगभग रु० 98.00 करोड़ उपलब्ध कराया जा चुका है । मार्च 1993 के मूल्यों के आधार पर परियोजना की कुल अनुमानित लागत रु० 621.5 करोड़ है । वर्तमान में कुछ अधिकारी/कर्मचारी सुरक्षा एवं अनुरक्षण कार्य हेतु तैनात हैं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां, इस परियोजना के लिये संसाधन जुटाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

जी नहीं । इसमें कार्यरत अतिरिक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आवश्यकतानुसार अन्य परियोजनाओं पर कार्य लिया जा रहा है ।

निर्माण कार्य किया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना हेतु ऋण पुनः कब उपलब्ध कराया जाता है तथा निजी उद्यमियों के द्वारा पूंजी निवेश कब उपलब्ध हो पाता है ।

बेतियाहाता, गोरखपुर आवास विकास में स्थानीय अधिकारियों की मदद से अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाये जाने की मांग

44–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेतियाहाता, गोरखपुर आवास विकास में स्थानीय अधिकारियों की मदद से सड़क तथा नाली आदि घेर कर अवैध रूप से कब्जा किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त कब्जा जो अनुसूचित जाति की आबादी के रास्ते का है, को तुरन्त हटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद महराजगंज के क्षेत्र महराजगंज में विद्युतीकरण हुए गांवों की संख्या एवं अवशेष गांवों को विद्युतीकरण किये जाने की मांग

45–श्री चन्द्र किशोर–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज के क्षेत्र महराजगंज में स्थित किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा कितने ग्राम शेष हैं ? क्या सरकार शेष ग्रामों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

महराजगंज जनपद के विकास खण्ड महराजगंज में कुल 88 ग्रामों में से 74 ग्राम विद्युतीकरण किये जा चुके हैं, जिनकी सूची संलग्न है। शेष 14 ग्रामों का विद्युतीकरण होना शेष है।

जी हां। इन ग्रामों का विद्युतीकरण वांछित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 177–179 पर।

जनपद अल्मोड़ा में तहसील बागेश्वर में रोडवेज बस डिपो न खोले जाने के कारण

46–श्री राम प्रसाद टम्टा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बागेश्वर, जनपद अल्मोड़ा में रोडवेज बस डिपो किन कारणों से नहीं खोला गया है ? क्या उक्त बस डिपो को खोलने संबंधी प्रस्ताव काफी दिनों से लम्बित पड़ा है ? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

बागेश्वर से जुड़ने वाले अधिकांश मार्ग अराष्ट्रीयकृत होने तथा संचालन की दृष्टि से निगम के लिए अनुपयोगी होने के कारण, यहां डिपो खोलने की आवश्यकता नहीं पाई गई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के बागेश्वर में पूर्व मुख्य मंत्रित्वकाल में ऋण माफी के बाद वसूली एवं पुनः वापस किये जाने की मांग

47–श्री राम प्रसाद टम्टा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पूर्व मुख्य मंत्रित्वकाल में 10 हजार रु० तक ऋण माफ किया गया था ? यदि हां, तो क्या इसके विपरीत बागेश्वर जनपद अल्मोड़ा में जबरन वसूली की गई है ? यदि हां, तो क्या वसूला गया ऋण पुनः वापस किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मो० आजम खां–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में टाउन एरियाओं में कार्यरत कर्मचारियों का बकाया वेतन व उसे भुगतान किये जाने की मांग

48–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री धनराज यादव, श्री शिवेन्द्र सिंह, श्री गनपत सिंह तथा श्री चन्द्र किशोर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्थानीय निकायों के टाउन एरियाओं में कार्यरत नियमित कर्मचारियों का 31 अक्टूबर, 93 तक कितना बकाया वेतन देय है ? क्या सरकार शासनादेश संख्या–760/9-1-92-94 शा०/91, दिनांक 24 जनवरी, 1992 द्वारा दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पूर्ण बकाये वेतन का भुगतान एक माह के अन्दर करने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

टाउन एरिया के कर्मचारियों के 31-10-93 तक के बकाये वेतन की सूचना एकत्रित की जा रही है ।

शासनादेश सं०–760/9-1-92-94सा/91 दिनांक 24 जनवरी, 1992 बकाया वेतन भुगतान के बारे में नहीं है, परन्तु स्थानीय निकाय का अलग खाता खोलकर वेतन वितरण व्यवस्था के बारे में है । यह कार्यवाही की जा चुकी है ।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारियों का प्रथम चार्ज पर वेतन भुगतान किये जाने के आदेश

49–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री धनराज यादव, श्री शिवेन्द्र सिंह, श्री गनपत सिंह तथा श्री चन्द्र किशोर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–760/9-1-92-94 सा/91 लखनऊ दिनांक 24-1-92 द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारियों के वेतन भुगतान की व्यवस्था की गयी थी और वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 अध्याय 16 में दिये गये नियम–363 एवं 364 के अन्तर्गत अलग-अलग खाता कोषागार में खोलने के लिए आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा देय चुंगी, पथकर, क्षतिपूर्ति तथा वेतन मंहगाई भत्ते पर देय अंशदान से निकाय के नियमित कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जायेगा ? क्या इसके अतिरिक्त वेतन भुगतान की कमी को डेफिसिट के रूप में शासन द्वारा अनुदान धनराशि का भुगतान करके, नियमित कर्मचारियों का वेतन भुगतान समय से सरकार द्वारा किया जायेगा ? क्या यह सही है कि निकाय के सफाई नियमित कर्मचारियों का 12 से 15 माह तक का बकाया वेतन का भुगतान आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल निकाय के नियमित कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

शासनादेश संख्या–6450/9-1-89, दिनांक 31-9-89 द्वारा प्रदेश के स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारियों का प्रथम चार्ज पर वेतन भुगतान किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं । मा० सदस्य

ने स्थानीय निकाय/निकायों के नाम इंगित नहीं किये हैं, जहां सफाई कर्मचारियों का 12 से 15 माह का वेतन बकाया हो । अतः इस संबंध में कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान का दायित्व स्थानीय निकाय का होता है । अतः सरकार द्वारा वेतन भुगतान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद नगर के लिए जलापूर्ति हेतु विशेष अनुदान दिये जाने की मांग

50–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिटी बोर्ड, गाजियाबाद के पत्र संख्या–जलकल/ज०क०म०/59/91, दिनांक 12-9-91 द्वारा जलापूर्ति हेतु कोई तुरन्त राहत देने की योजना शासन को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो गाजियाबाद की तेजी से बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए क्या उसे कोई ग्राण्ट प्रदान की गयी ? क्या आगामी ग्रीष्म ऋतु में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए सिटी बोर्ड, गाजियाबाद को विशेष अनुदान प्रदान किया जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

जी नहीं, गाजियाबाद नगर के सिस हिण्डन क्षेत्र में महामहिम राज्यपाल की घोषणा के अन्तर्गत एक, विश्व बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत दो तथा शास्त्री नगर में एक नग नलकूप निर्माणाधीन हैं । ट्रान्स हिण्डन क्षेत्र तथा इन्दिरापुरम्, वैशाली एवं कौशाम्बी में अतिरिक्त नलकूप की आवश्यकता नहीं बतायी गयी है ।

वर्तमान नीति के अनुसार 5.00 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले नगरों को पेयजल के लिए अनुदान नहीं दिया जाता है ।

लखनऊ में आर० डी० एस० ओ० में विद्युत सब-स्टेशन बनाने में अधिक लागत लगने के कारण

51–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक 3300 के० वी० ए० का सब-स्टेशन बनाने की लागत क्या आती है ? शहर लखनऊ में आर० डी० एस० ओ० में सब-स्टेशन बनाने की क्या लागत आयी है ? क्या आर० डी० एस० ओ० में इससे कम लागत में बनाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो वह लागत क्या थी ? यदि वह लागत कम थी, तो अधिक लागत में सब-स्टेशन का निर्माण कराये जाने का क्या कारण था ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में किसी 33/11 के०वी०ए० के 2×5000 के०वी०ए० क्षमता के एक ट्रान्सफार्मर उप केन्द्र की लागत भूमि की कीमत को छोड़ते हुए (वर्ष 1993-94 के मूल्यों के आधार पर) लगभग रु० 72.00 लाख आती है । आर० डी० एस० ओ० उप केन्द्र डिपाजिट कार्य के आधार पर बना था जिसको बनाने की वास्तविक लागत रु० 36.55 लाख आयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ की मलिन बस्तियों के नागरिकों को सुविधायें देने की शासन की विचाराधीन योजना

52–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की मलिन बस्तियों के निवासियों को नगर विकास विभाग द्वारा देय नागरिक सुविधायें देने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या-क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्रश्नगत लखनऊ की मलिन बस्तियों के निवासियों को नगर विकास विभाग द्वारा देय नागरिक सुविधायें देने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में कतिपय न्याय पंचायतों की अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण किये जाने की मांग

53–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र के ग्राम–सरायगोपी, पलिया, थलया, थलवारा गढ़ी गोसियामऊ, खानपुर, मल्हनपुरवा, सरीफाबाद चौबसी, आलापुर, रेहरा, मुस्तफाबाद, बबुआपुर, शिवनाम, मिलवल, दहिला, खेरा कनकूं बहुता, रामनगर, त्रिवेदीगंज, दतौली चंदा,बरावा, कमेला, अन्सारी, बाबा टीकाराम, सुवेहा, न्याय पंचायतों के अन्तर्गत ग्राम सभाओं में अनु० जाति ग्रामीण बस्तियों में विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र के ग्राम–सरायगोपी तथा खेरा कनकूं ग्राम सभाओं में अनु० जाति ग्रामीण बस्तियों का विद्युतीकरण वर्ष 1993-94 में प्रस्तावित है । इनका विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

ग्राम चौबीसी, शिवनाम, भिलवल, दहिला, बहुता, त्रिवेदीगंज, कमेला, अन्सारी, सुबेहा एवं थलवारा ग्राम सभाओं के अनु० जाति बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

ग्राम पलिया, गढ़ी, गोसियामऊ, खानपुर, भलहनपुरवा, शरीफाबाद, आलापुर रेहरा, मुस्तफाबाद, बबुआपुर, रामनगर, दतौली, चन्दा, बरावा, बाबा टीकाराम न्याय पंचायतों के अन्तर्गत ग्राम सभाओं में अनु० जाति बस्तियों में विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव शासन में वर्तमान में विचाराधीन नहीं है । संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप, जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण, विभिन्न वर्षों में किया जाना है । संसाधनों की कमी के कारण कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जिला वाराणसी के गांव फुलवरिया, गांव सभा लखनपुर प० भदेही, त० भदोही में रैनूबो एक्सपोर्ट कम्पनी द्वारा वर्कशाप का नक्शा पास कराकर फैक्ट्री मिल्स का नक्शा बनाया जाना

54–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं० 7, 8, 12, 14 गांव फुलवरिया, गांव सभा लखनपुर उर्फ अमयनपुर, प० भदोही, त० भदेही, जिला–वाराणसी को रैनबो एक्सपोर्ट कम्पनी (कालीन) ने वर्कशाप बनाने का नक्शा बीडा भदोही से पास कराया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्कशाप न बनाकर फैक्ट्री मिल्स रैनबो ने बिना नक्शा पास करके बनाया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस संबंध में श्री मेवालाल वर्मा, ग्राम प्रधान, गांव सभा–बरवां, परगना भदोही के प्रार्थना पत्र को प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ नगर विकास मंत्री को 15-12-93 को दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार वर्कशाप का नक्शा सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

ग्राम भिखारीपुर में मै० रैनबो ऊलेन्स प्रा० लि० द्वारा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकारी (बीडा) भदोही से डाइंग फैक्ट्री का नक्शा स्वीकृत कराकर निर्माण कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

तहसीलदार भदोही द्वारा जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला वाराणसी के रैनबो एक्सपोर्ट मिल को एग्रीमेन्ट से ज्यादा हार्स पावर की बिजली भदोही पावर हाउस द्वारा सप्लाई किया जाना एवं इसकी जांच

55–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रैनबो एक्सपोर्ट मिल जो बीडा भदोही की जमुनीपुर कालोनी के पास फुलवरिया गांव की जमीन 7, 8, 12 व 14 आराजी नं० में चल रही है ? यदि हां, तो उसको कितने हार्सपावर का कनेक्शन मंजूर है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि एग्रीमेन्ट से ज्यादा हार्स पावर की बिजली भदोही पावर हाउस द्वारा सप्लाई की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

रैनबो एक्पोर्ट मिल, भदोही के नाम से कोई भी इकाई जमुनीपुर कालोनी के पास फुलवरिया की जमीन में नहीं चल रही है । इस जमीन में मेसर्स रैनबो कार्पेट के नाम से 5 किलो वाट का अस्थायी विद्युत भार दो माह की अवधि के लिये दिनांक 4-2-94 को विमुक्त किया गया है, जिसका प्रयोग उपभोक्ता के द्वारा बत्ती पंखा एवं वेल्डिंग के निमित्त किया जा रहा है । स्वीकृत अस्थायी विद्युत भार से अधिक विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है ।

लखनऊ के गोमती नगर योजना विपुल खण्ड एवं विभूति खण्ड, विजय खण्ड में पार्क आदि कार्यों के सबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा अपने ठेकेदारों से टेण्डर पुल कराने के संबंध में शिकायती पत्र एवं कार्यवाही

56–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28-8-93 को प्रेषित शिकायती पत्र सचिव, ल० वि० प्रा० 28-8-93 को प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव आवास, सचिव सतर्कता विभाग को लखनऊ के गोमती नगर योजना विपुल खण्ड एवं विभूति खण्ड, विजय खण्ड में पार्क आदि के अन्य कार्यों के अपने उच्चाधिकारियों द्वारा अपने ठेकेदारों से टेण्डर पुल करा लेने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त में आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आवास मंत्री इस टेण्डर को निरस्त करने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त गबन में दोषी कर्मियों को दण्डित करने की कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

शिकायतकर्ता श्री नरेन्द्र सिंह के शिकायती पत्र पर जांच करायी जा रही है । जांचोपरान्त परिणाम के आधार पर निविदा निरस्त करने तथा अन्तर्ग्रस्त पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही निहित होगी ।

गाजियाबाद नगर की विकसित कालोनियों में नागरिक सुविधाएं प्रदान किये जाने की मांग

57–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या गाजियाबाद नगर के साथ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों से अतिरिक्त अनेक कालोनियां विकसित हुयी हैं ? यदि हां, तो उन कालोनियों में रहने वाले नागरिकों को भी न्यूनतम नागरिक सुविधायें प्रदान करने की शासन की क्या योजना है ? पिछले 5 वर्षों में कितनी कालोनियों में सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं तथा उनके चयन का आधार क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद महराजगंज में सिसवा बाजार हेतु मुख्य भण्डार से आवंटित विद्युत पोल एवं विद्युतीकरण

58–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत उपखण्ड सिसवा बाजार व निचलौल बाजार जनपद महराजगंज में वर्ष 1989-90 से अक्टूबर 93 तक ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु कितने विद्युत पोल मुख्य भण्डार से आवंटित किये गये थे ? उन विद्युत पोलों से किन-किन ग्रामों में आज तक विद्युतीकरण कराया गया है ? क्या यह सही है कि आवंटित पोलों में से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? क्या मुख्य भण्डार से आवंटित विद्युत पोल उपरोक्त विद्युत खण्ड के स्टोर में पड़े हैं ? यदि हां, तो विद्युत पोल भण्डार के होते हुये वर्ष 93 में अतिरिक्त विद्युत पोलों का आवंटन करने का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद महराजगंज में वर्ष 1989-90 से अक्टूबर 93 तक सिसवा विकास क्षेत्र में कुल 150 पी०सी०सी० पोल ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु मुख्य भण्डार से आवंटित हुए जिनसे ग्राम पटियरिया, चयनपुर, रामपुर खुर्द एवं विशुनपुरा का विद्युतीकरण किया गया । विकास क्षेत्र निचलौल में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु 221 पी०सी०सी० पोल भण्डार से आवंटित किये गये जिससे ग्राम गिरहिया, राम चन्द्रही, बेलता, गुरली एवं सोट का विद्युतीकरण किया गया । ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित पोलों से ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य ही किया जाता है । विद्युत खण्ड का कोई अगल से भण्डार नहीं है । महाराजगंज जनपद के लिये विद्युत से सम्बन्धित सामग्री पहले विद्युत भण्डार केन्द्र, गोरखपुर से भेजी जाती थी, परन्तु माह 9/93 से महाराजगंज में विद्युत भण्डार केन्द्र का सृजन कर दिया गया है । इस भण्डार केन्द्र पर उपलब्ध पी०सी०सी० पोल विद्युत वितरण खण्ड महाराजगंज के आवश्यकतानुसार समय-समय पर अलग-अलग कार्यों हेतु प्रयोग में लाने के लिये हैं ।

लखनऊ में आजाद नगर, (दक्षिण) आलमबाग में अनुसूचित जाति के लोगों के पानी निकास को बन्द किये जाने विषयक सूचना एवं कार्यवाही

59–श्री छोटे लाल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आजाद नगर (दक्षिण) आलमबाग, लखनऊ में निवास कर रहे अनुसूचित जाति के लोगों के पानी निकास को बन्द कर दिया गया है, जिसकी लिखित व हस्ताक्षरित सूचना मुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री को दिनांक 10-12-93 द्वारा दी गयी है ? यदि हां, तो पानी निकास के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

डा० अम्बेडकर पार्क रोड आजादनगर (दक्षिण) आलमबाग, लखनऊ बिना किसी ले आउट प्लान के अनियमित बसा हुआ है । सम्पूर्ण क्षेत्र अविकसित एवं कच्चा है । लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से भवनों का निर्माण कराये जाने के कारण जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है ।

नगर महापालिका, लखनऊ के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर पानी की निकासी को साफ कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन ज्ञानपुर वाराणसी द्वारा शमशेर खां, कर अधीक्षक भदोही को अनियमित भुगतान हेतु अध्यक्ष नगर पालिका भदोही व अधिशासी अधिकारी को अनियमित भुगतान हेतु कार्यवाही किया जाना

60–श्री ऊदल–

क्या नगर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना अधिकारी भदोही, जिला वाराणसी में संख्या मेमो/एस०टी०–93 दिनांक अक्टूबर, 16 सन् 1993 के द्वारा अपर जिलाधिकारी प्रशासन ज्ञानपुर वाराणसी ने शमशेर खां, कर अधीक्षक भदोही को अनियमित भुगतान हेतु अध्यक्ष, नगर पालिका भदोही व अधिशासी दोनों को संयुक्तरूप से जिम्मेदार ठहराया है और दोनों व्यक्तियों के खिलाफ म्युनिसपल ऐक्ट की धारा–81 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रस्तावित थी ? यदि हां, तो 16 अक्टूबर, 93 के

इस रिपोर्ट के बाद क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उस पर तुरन्त कार्यवाही करेगी और अनियमित भुगतान को वापस करायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा–81 के अधीन अध्यक्ष को दिनांक 28-1-94 को व अधिशासी अधिकारी को दिनांक 11-2-94 को कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है ।

उक्त नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद मैनपुरी के टाउन एरिया कुरावली में बिछी अधूरी सीवर लाइन को पूर्ण किये जाने की मांग

61–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मैनपुरी जनपद की टाउन एरिया कुरावली में लगभग 16 वर्ष पहले सीवर लाइन बिछी थी, जो अभी तक अधूरी है ? यदि हां, तो यह कब तक पूर्ण होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

वर्ष 1981-82 में कुरावली सीवरेज योजना का कार्य पूर्ण कर योजना चालू की गयी जो तकनीकी कारणों से अवरुद्ध हो गयी । वर्ष 1986-87 में संशोधित सीवरज योजना अनुमानित लागत रु० 23.78 लाख की विरचित की गयी । इस योजना पर ऋण व अनुदान हेतु जब प्रपत्र अध्यक्ष नगर क्षेत्र समिति कुरावली को प्रेषित किये गये तो वे इस योजना पर ऋण व अनुदान लेने के लिए तैयार नहीं हुए । फलस्वरूप योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी रायबरेली को सम्बोधित श्री राम आसरे पुत्र श्री राम दयाल, ग्राम उमरी मजरे सराय महेशा, ब्लाक बहादुरपुर, का कर्ज माफी करा देने हेतु अवैध शुल्क लेने विषयक ए०डी०ओ० (सी०) के विरुद्ध शिकायती पत्र एवं कार्यवाही

62–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी रायबरेली को सम्बोधित श्री राम आसरे पुत्र राम दयाल, ग्राम उमरी मजरे सरायंमहेशा, ब्लाक बहादुरपुर, जिला रायबरेली का दिनांक 8-2-92 का रजि०प्रार्थना-पत्र जिसमें ए०डी०ओ० (सी०) के विरुद्ध लोन की छूट कम बनाने, कर्ज माफी करा देने हेतु अवैध शुल्क लेने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? क्या जांच के बाद कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मो० आजम खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश की बढ़ती आबादी एवं विशाल क्षेत्र के कारण नये ट्यूबवेलों के लगाने की योजना

63–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की बढ़ती आबादी एवं विशाल क्षेत्रफल के पेयजल लाइनों के विस्तार एवं बढ़ते जल दबाव के कारण नयेट्यूबवेलों के लगाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना टाउन एरिया एवं पथरदेवा में जल निगम द्वारा संचालित अधूरी योजनाओं कब तक पूर्ण होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं । सीमित संसाधनों को दृष्टि में रखते हुये कोई विस्तृत योजना नहीं है । आवश्यकतानुसार नलकूपों के लगाने तथा पाइप लाइन के विस्तार हेतु धनराशि स्वीकृत की जाती है ।

उक्त योजनाओं हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है उसके अनुसार कार्य किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत शुष्क शौचालयों को पानी में परिवर्तित किये जाने के कार्य हेतु कतिपय नगर पालिकाओं को धन आवंटन किया जाना एवं गबन तथा कार्यवाही

64–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 87-88 में स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत शुष्क शौचालयों को पानी में परिवर्तित करने के लिए सीतापुर, फैजाबाद, गाजियाबाद, भदोही, फैजाबाद नगरपालिका, महापालिका, इलाहाबाद तथा सिटी बोर्ड, मुजफ्फरनगर को अनुदान आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो आवंटित अनुदान उपर्युक्त पालिकाओं में अनुबन्ध करा कर सुलभ इन्टरनेशनल संस्था अग्रिम भुगतान किया गया है ? अग्रिम भुगतान के बाद भी आज तक निर्माण कार्य पूरा न करके संस्था ने दो करोड़ रुपये का गबन किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं काली सूची में संस्था को डालने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

वर्ष 1987-88 में स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत शुष्क शौचालयों को पानी में परिवर्तित किये जाने के कार्य हेतु नगर पालिका, सीतापुर, फैजाबाद, सिटी बोर्ड मुजफ्फरनगर तथा नगर महापालिका इलाहाबाद को तथा वर्ष 1988-89 में नगरपालिका, गाजियाबाद तथा भदोही को धनावंटन किया गया था ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज में क्षेत्र समिति सिसवा बाजार में अनुसूचित जाति के कक्षों हेतु विद्युतीकरण

65–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि क्षेत्र समिति सिसवा बाजार, मराजगंज ने अनु० जाति बस्ती कक्ष संख्या 10 और 11 में विद्युतीकरण हेतु विद्युत विभाग, गोरखपुर को दिनांक 24-2-90 में इस्टीमेट

धनराशि रु० 30,464 विद्युत विभाग बुक सं० 430935, रसीद संख्या (1) में जमा किये हैं, किन्तु आज तक अनु० जाति बस्ती तथा अल्पसंख्यक बस्ती में विद्युतीकरण हेतु स्ट्रीट लाइट नहीं दी गयी है ? क्या विद्युतीकरण के नाम पर विद्युत भण्डार से अवर अभियन्ता द्वारा विद्युतीकरण का सामान आवंटित करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर एवं दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत विद्युतीकरण कार्य हेतु पूर्ण सामग्री आवंटित नहीं हुई है । कुल 14 अदद खम्भों की आवश्यकता के विरुद्ध मात्र 8 अदद खम्भें मिले हैं तथा उनको लगा कर तार खींच दिया गया है । वहां स्ट्रीट लाइट भी जल रही है । शेष 6 खम्भों के समक्ष अन्य सामग्री तो प्राप्त हो गयी है लेकिन 6 खम्भें अभी प्राप्त नहीं हो पाये हैं । अतः किसी कर्मचारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यालय मुख्य कार्मिक अधिकारी उ०प्र० जल निगम में अनुसचित जाति/अनुसूचित जन जाति अभ्यर्थियों का अवर अभियन्ता के पद पर साक्षात्कार एवं उन्हें नियुक्ति पत्र, दिये जाने के सम्बन्ध में

66–श्री चैनसुख भारती–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय मुख्य कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० जल निगम (कार्ल्टन होटल के पास) 6, राणा प्रताप मार्ग लखनऊ के पत्रांक संख्या 1986/अ–2–2/नियुक्ति/90–जे०ई० (सिविल) दिनांक 7-12-90 के अन्तर्गत विशेष भर्ती अभियान में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों का अवर अभियन्ता के सिविल पद हेतु साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो क्या उनका परीक्षाफल घोषित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है, तो क्या परीक्षाफल घोषित करके अवर अभियन्ताओं के अविलम्ब नियुक्ति पत्र दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

जी नहीं ।

विभाग की वित्तीय स्थिति ठीक न होने, संसाधनों की कमी एवं व्यय भार की अधिकता होने के कारण ।

जी नहीं, क्योंकि जल निगम की शाखाएं/मण्डल कार्यालय अस्थगित किये जाने के कारण उनके समक्ष समस्त पद फ्रीज कर दिये गये हैं ।

बरेली स्थित हाजिमपुर बधशाला को नगर से बाहर हटाये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय का आदेश एवं अनुपालन

67–श्री राजेश अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगर बरेली स्थित हाजिमपुर बधशाला को नगर से बाहर हटाये जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय का कोई आदेश प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इन्दिरा नगर लखनऊ में स्थित सेंट डोमिनिक सेवियों स्कूल के पास पटरी दुकानदारों को बाजार लगाने हेतु क्षेत्र एवं सुविधाएं

68–हाजी मो० हयात–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि इन्दिरा नगर, लखनऊ में स्थिति सेंट डोमिनिक सेवियों स्कूल के पास पटरी दुकानदारों को बाजार लगाने हेतु एक विस्तृत क्षेत्र आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो यहां पर दुकानदारों/ग्राहकों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करायी गयी है ? क्या-क्या सुविधायें अभी उपलब्ध कराना शेष है ? क्या यह भी बतायेंगे कि जो सुविधायें उपलब्ध करानी शेष हैं, उनको कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

स्थायी स्थान उपलब्ध कराने तक केवल वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत अस्थायी स्थान उपलब्ध कराया गया है ।

यहां के दुकानदारों को बिजली, पानी सड़क एवं सफाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

कोई सुविधा उपलब्ध कराया जाना शेष नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी में लकड़ी के बने हुए बिजली खम्भों को बदले जाने की मांग

69–श्री हरक सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद में लकड़ी के बने हुये बिजली के खम्भे कितने लगे हैं ? क्या यह सही है कि मानव जीवन का सड़े खम्भों के कारण भारी क्षति हो रही है ? यदि हां, तो क्या इनको शीघ्र बदला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पौड़ी जनपद में लगभग 2170 लकड़ी के खम्भे लगे हुये है । इस खम्भों के कारण मानव जीवन को क्षति होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । इन लकड़ी के खम्भों में से जो सड़ रहे हैं उनको चरणों में बदला जायेगा । 93-94 में 200 खम्भे तथा 94-95 में 600 खम्भे बदलने का प्रस्ताव है ।

जनपद मुरादाबाद में सम्भल तहसील मुख्यालय पर परिवहन डिपो बनाने की स्वीकृति एवं कार्य

70–श्री सत्य प्रकाश–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में सम्भल तहसील मुख्यालय पर परिवहन बस डिपो बनाने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कब तक उक्त डिपो का कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

डिपो के लिए भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर ही सम्भल जनपद मुरादाबाद में डिपो के निर्माण पर कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा ।

मुरादाबाद, सम्भल को चलने वाली वर्कशाप में खड़ी बसों को सड़क पर चलने के लिए मांग

71–श्री सत्य प्रकाश–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि सम्भल, मुरादाबाद को चलने वाली बसें वर्कशाप में ही खड़ी हैं ? यदि हां, तो सड़क पर चलने के लिये वर्कशाप में से वह कब तक बाहर लाई जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

इस मार्ग की कुल 13 बसों में से 3 मरम्मत हेतु वर्कशाप में हैं ।

मरम्मत कार्य सम्पन्न हो जाने पर उन्हें पुनः इसी मार्ग पर संचालित किया जायेगा ।

सम्भल विद्युत उपकेन्द्र मुरादाबाद से विद्युत सप्लाई का विवरण

72–श्री सत्य प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्भल, विद्युत उपकेन्द्र मुरादाबाद से विद्युत सप्लाई नियमानुसार की जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों इसके लिये क्या सम्भव उपाय किया जा रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

66/11 के०वी० सम्भल विद्युत उपकेन्द्र से विद्युत परिषद् के द्वारा निर्धारित समय से कम अवधि के लिये आपूर्ति की जाती है । सम्भल के ग्रामीण क्षेत्र में इस विद्युत उपकेन्द्र से 5 एम०बी०ए० 66/11 के० वी० के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है पर 66 के०वी० लाइन के तार की लगातार चोरी की घटनाओं के कारण इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित होती है । इस लाइन के तार चोरी हो जाने पर ग्रामीण क्षेत्रों को 2x5 एम०बी०ए०, 132/37.5 के०वी० ट्रांसफार्मर्स से विद्युत आपूर्ति होती है । इससे इन ट्रांसफार्मरों पर अधिक भार पड़ता है । अतः नगर की विद्युत आपूर्ति में भी प्रभाव पड़ता है । विद्युत तार की चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु स्थानीय स्तर पर प्रशासन से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है ।

श्री अनूप सिंह रावत, ग्राम सगीना पोस्ट चमडरवान, जिला अल्मोड़ा की ताप विद्युत से मृत्यु एवं मुआवजा

73–बची सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि 17 दिसम्बर, 89 को श्री अनूप सिह रावत, ग्राम सगीना, पोस्ट–चमडरवान, जिला अल्मोड़ा की मृत्यु उच्च ताप विद्युत तार के टूट कर करेंट लग जाने से हो गयी थी ? क्या विद्युत परिषद् द्वारा उनके आश्रित को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या

मृतक के आश्रितों द्वारा सभी औपचारिकतायें भी पूर्ण कर भेज दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या विद्युत परिषद् मृतक आश्रितों को मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

विद्युत परिषद् द्वारा मृतक के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जा चुका है :–

चेक संख्या–432916

दिनांक 16-6-93–रु० 5000/-

चेक संख्या–432917

दिनांक 16-6-93–रु० 5000/-

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद के विद्युत वितरण खण्ड–2,उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के नियन्त्रणाधीन सबस्टेशन झूंसी के पेट्रोल मैन की मृत्यु एवं देयकों का भुगतान

74–श्री जोखू लाल यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि सब स्टेशन झूंसी, जनपद इलाहाबाद विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय राज्य विद्युत परिषद्, इलाहाबाद के नियंत्रणाधीन 5 मार्च, 1992 से 30 मार्च, 1992 तक किन-किन पेट्रोलमैन की सेवाकाल में मृत्यु हुयी है ? उनमें से किन-किन कर्मचारियों के ग्रेच्युटी फण्ड, पेंशन जीवन बीमा तथा अन्य देयकों का भुगतान उनके वारिसों को करा दिया गया है ? किन-किन मृतक कर्मचारियों के देयकों का भुगतान शेष है ? इसका कारण क्या हैं ? क्या मंत्री जी मृतक कर्मचारियों के अपेक्षित देयकों तथा पेंशन आदि का भुगतान शीघ्र करा देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विद्युत वितरण खण्ड–2, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् इलाहाबाद के नियंत्रणाधीन सब स्टेशन झूंसी, जनपद इलाहाबाद क्षेत्र में 5 मार्च, 1992 से 30 मार्च, 1992 की अवधि में केवल एक पेट्रोलमैन श्री अमर बहादुर सिंह यादव की सेवाकाल में दिनांक 7-3-1992 को मृत्यु हुई थी । स्व० श्री यादव की जीवन बीमा तथा भविष्य निर्वाह निधि उनके वारिसों को भुगतान की जा चुकी है । उनकी पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान शेष है । अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मिर्जापुर से स्व० श्री यादव की सेवा पुस्तिका प्राप्त होते ही उनकी पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी स्वीकृत कर दी जायेगी और वारिसों को उसका शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा ।

सब स्टेशन नीबकरोरी के मदनपुर फीडर (फर्रुखाबाद) की टूटी पड़ी लाइन से रामेश्वर सिंह पुत्र श्री बद्री सिंह, नि० नवादा दोयम फर्रुखाबाद की मृत्यु एवं मुआवजा

75–श्री चन्द्रभूषण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब स्टेशन नींबकरोरी के मदनपुर फीडर (फर्रुखाबाद) की टूटी पड़ी लाइन से रामेश्वर सिंह पुत्र श्री बद्री सिंह, नि० नवादा दोयम, थाना मोहम्मदाबाद

(फर्रुखाबाद) की मृत्यु अगस्त, 1991 में हो गयी थी ? विद्युत विभाग के नियमों के अनुसार मृतक के आश्रितों को मुआवजा की धनराशि हेतु सारी औपचारिकतायें पूरी कर दी गयी थी ? क्या अभी तक मृतक के आश्रितों को कोई सहायता राशि नहीं मिली है ? सहायता राशि कब तक दिलवाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

परिषदीय नियमानुसार मृतक के आश्रितों को रु० 10,000.00 की अनुग्रह धनराशि सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिनांक 7-1-1994 को स्वीकृत की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांवों का विद्युतीकरण एवं अवशेष गांवों का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

76–चौधरी रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा होकर वहां पर प्रकाश की व्यवस्था प्रारम्भ हो गयी है ? कितने गांव विद्युतीकरण हेतु आज तक अवशेष है ? कितने गांव अभी तक विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत नहीं लिये गये हैं ? क्षेत्र के सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक पूरा होगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्च, 1993 तक बढ़नी विकास खण्ड के 48 गांवों का, शोहरतगढ़ विकास खण्ड के 49 गांवों का तथा जोगिया विकास खण्ड के 34 गांवों का विद्युतीकरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण परिभाषानुसार एवं एल०टी० मेन्स द्वारा किया जा चुका है जिसकी सूची† सदन के पटल पर रख दी गयी है । उपरोक्त तीनों विकास खण्डों के कुल 229 आबाद गांवों का विद्युतीकरण अभी शेष है जिनमें से वर्ष 1993-94 में 8 गांवों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव जनपदीय सिंचाई एवं विद्युत सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित है । उपरोक्त विकास खण्डों के कुल 360 आबाद गांवों मे से शेष बचे 221 गांव विद्युतीकरण के अन्तर्गत अभी नहीं लिये गये हैं ।

इन क्षेत्रों के बचे गांवों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में संसाधनों की कमी के कारण समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

77–श्री बंशीधर भगत–

(दि० 2-3-94 को अता० प्र० सं० 180 द्वारा उत्तरित)

---

† छापी नहीं गई ।

रामनगर जिला नैनीताल में प्रस्तावित बस अड्डे की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

78–श्री बंशीधर भगत–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामनगर, जिला नैनीताल में स्वीकृत रोडवेज बस अड्डा बनेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि रामनगर, जिला नैनीताल में प्रस्तावित बस अड्डे की भूमि पर अतिक्रमण हो गया है ? यदि हां, तो उसे रोकने और हटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

स्वीकृत बस अड्डे का निर्माण प्रारम्भ कराया गया था किन्तु मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कार्य रोक दिया गया । स्थगन आदेश समाप्त कराने के प्रयास जारी हैं । बस अड्डे की भूमि पर अतिक्रमण हो गया था जिसे दिनांक 18-12-93 को जिला प्रशासन की सहायता से हटवा दिया गया है बस अड्डे की सुरक्षा हेतु पविहन निगम ने वहां पर दो चौकीदारों को भी तैनात कर दिया है ।

जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद में कतिपय गांवों में बजली के खम्भे खड़े होने के कारण उन्हें विद्युतीकरण किये जाने की मांग

79–श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधान सभा क्षेत्र 285, जहानाबाद जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम दरियापुर मजरा अकिलाबाद, महुआखेड़ा मजरा पिपौरी व मंसूरपुर (वि० खण्ड खजुहा) तथा वि० खण्ड अमौली में आजमपुर गड़वा में बिजली के खम्भे गड़े हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त गांवों का अपूर्ण विद्युतीकरण कब तक पूर्ण कराया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उल्लिखित ग्रामों का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार एवं एल० टी० मेन्स बिछाकर विद्युतीकरण कर दिया गया है । इनके मजरों में खम्भे खड़े हैं जिनको विद्युत परिषद् ने नहीं खड़ा किया है । उपरोक्त ग्रामों के मजरों का विद्युतीकरण परिषद् में वांछित संसाधनों की उपलब्धता को देखकर प्रस्तावित नहीं है ।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के क्षेत्र के अन्तर्गत दुबारा बोर किये जाने के काबिल हैण्ड पम्पों को दुबारा बोर किये जाने की मांग

80–श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधान सभा क्षेत्र 285 जहानाबाद, जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत कितने हैण्ड पाइप दुबारा बोर किये जाने के काबिल है ? कब तक उक्त हैण्ड पम्प दुबारा बोर किये जायेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद जनपद फतेहपुर में कुल 1501 हैण्डपम्प लगाये गये जिनमें से 48 नग हैण्डपम्प दुबारा बोर किये जाने के काबिल है ।

धन उपलब्ध होने की स्थिति में दुबारा बोर कराया जायेगा ।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड मीठौरा, निचलौल, सिसवा बाजार के ग्रामीण अंचलों में लगे खराब हैण्ड पम्पों को मरम्मत कराये जाने की मांग

81–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज के विकास खण्ड मीठौरा, निचलौल, सिसवां बाजार के ग्रामीण अंचलों में अनुसूचित जाति निर्बल वर्ग के लिये पेयजल के लिये इण्डिया मार्क टू के हैण्ड पम्प जो राज्य सरकार द्वारा लगाया गया है, वर्षों से खराब पड़ा है ? क्या सरकार तत्काल वहां पर लगे हुये हैण्ड पम्पों की मरम्मत कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक–

जी हां ।

रिबोरिंग की आवश्यकता है । आगामी वर्ष के लिये हैण्ड पम्पों के रखरखाव हेतु प्राविधानिक धनराशि की उपलब्धता पर मरम्मत कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जनपद गाजीपुर विकास खण्ड भांवरकोल विकास खण्ड बाराचवर तथा विकास खण्ड कासमाबाद में अनु० जाति बस्तियों में विद्युतीकरण व्यवस्था किये जाने की मांग

82–श्री अफजाल अंसारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर विकास खण्ड भांवरकोल विकास खण्ड बाराचवर तथा विकास खण्ड कासमाबाद में कुल कितने ऐसे आबाद राजस्व ग्राम हैं जहां सवर्ण बस्तियों में विद्युतीकरण कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि उसी गांव की अनु० जाति बस्तियों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी गांव की सूची उपलब्ध कराते हुये अनु० जाति बस्तियों में विद्युतीकरण कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद गाजीपुर विकास खण्ड भांवरकोल विकास खण्ड बाराचवर तथा विकास खण्ड कासमाबाद में 101 ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया है । उपरोक्त ग्रामों से सम्बन्धित अनुसूचित जाति की 53 बस्तियों को विद्युतीकृत किया गया है एवं 48 अनुसूचित जाति बस्तियां अविद्युतीकृत है । ग्रामों की सूची संलग्न है । शेष अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्ध पर निर्भर है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 180–181 पर)

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन से जी० पी० एफ० की व्यवस्था एवं जी० पी० एफ० एडवान्स मांगने पर दिये जाने की प्रक्रिया

83–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके वेतन से काटे गये जी० पी० एफ० के रख-रखाव की उचित व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो वर्ष 1992-93 में कुल कितना धन उपलब्ध है ? कर्मचारियों का जी० पी० एफ० एडवान्स मांगे जाने पर कितने समय में उपलब्ध करा दिया जाता है ? विलम्ब के लिये कौन-कौनअधिकारी उत्तरदायी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

वर्ष 1992-93 के अन्त में असम्प्रेक्षित लेखों के अनुसार सामान्य भविष्य निर्वाह निधि-मद में कुल संचित राशि 454-66 करोड़ थी ।

कर्मचारियों द्वारा कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भविष्य निधि अग्रिम की मांग की जाती है । इसकी धनराशि दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी । परिषद् में वित्तीय कठिनाइयों के कारण विवाह एवं उपचार से सम्बन्धित अग्रिम को प्राथमिकता दी जाती है और यह सामान्यतः एक माह में उपलब्ध हो जाता है । अन्य प्रयोजनों हेतु इसमें अधिक समय लगता है ।

विभिन्न इकाइयों के द्वारा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कर्मचारियों को उपलब्ध होती है । इसमें विलम्ब का प्रमुख कारण वित्तीय कठिनाई है और कोई व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में ग्राम बसुई ग्राम सभा नौर विकास खण्ड नरेन्द्र नगर में चोरी गया बिजली का तार एवं कार्यवाही

84–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बसुई ग्राम सभा नौर, वि० खं० नरेन्द्र नगर टि० ग० में बिजली के खम्भे कब गाड़े गये थे ? क्या कारण है कि बिजली के तार 4 वर्ष बाद भी नहीं खींचे गये ? इस ग्राम के लिये जो तार दिया गया था क्या वह चोरी हो गया ? यदि हां,तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्राम बसुई ग्राम सभा नौर विकास खण्ड नरेन्द्र नगर टिहरी गढ़वाल में वर्ष 1990 में खम्भे गाड़े गये थे । इस ग्राम के लिये जो तार दिया गया था, वह चोरी हो गया था । तार चोरी की रिपोर्ट थाना नरेन्द्र नगर में की गयी थी । इन मामलों में पुलिस जांच के आधार पर सक्षम न्यायालय द्वारा दंड देने के विषय में निर्णय लिया जाता है । तार चोरी का पता नहीं चल पाया । अब पुनः तार का प्रबन्ध हो गया है तथा शीघ्र ही विद्युत आपूर्ति चालू कर दी जायेगी ।

विद्युत विभाग में स्थानान्तरण किये जाने वाले अवर अभियन्ताओं की संख्या एवं स्थानान्तरण में स्थानान्तरण आदेशों का उल्लंघन

85–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सत्र 1992-93 में विद्युत विभाग में कुल कितने अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण किये गये ? उनकी कुल संख्या कितनी है तथा आदेश निकालने के बाद कुल कितने स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये गये हैं ? इस परिवर्तन के क्या कारण है ? क्या उक्त स्थानान्तरण में स्थानान्तरण आदेशों का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

स्थानान्तरण सत्र 1992-93 में कुल 859 अवर अभियन्ता केन्द्रीय (मुख्य अभियन्ता जल विद्युत) स्तर पर स्थानान्तरित किए गए ।

आदेश निकालने के बाद कुल 184 अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण आदेश निरस्त किए गए ।

आदेश निरस्त करने के निम्न कारण थे:–

1–क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त पदधारिता विवरण में त्रुटि पाये जाने के कारण ।

2–ऐसे अवर अभियन्ता जो सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति के लिए विचाराधीन थे ।

3–परियोजना से स्थानान्तरित अवर अभियन्ता, जिन्होंने पाली कार्य करने की सहमति दी थी ।

जी नहीं ।

जिला वाराणसी की नगरपालिका, भदोही के कार्यकारी अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी व श्री शमशेर खां, कर अधीक्षक के बारे में जांच आख्या

86–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, भदोही, जिला वाराणसी के कार्यकारी अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी व श्री शमशेर खां, कर अधीक्षक, भदोही नगर पालिका के बारे में जांच आख्या एवं 8 सदस्यों के दो प्रार्थना-पत्र, जो कि आयुक्त, वाराणसी व जिलाधीश, वाराणसी को दिये गये हैं, को अपने पत्र के साथ संलग्न करके नगर विकास मंत्री को ता० 17-12-93 को प्रश्नकर्ता ने भेजा है तथा एक पत्र कार्यकारी अध्यक्ष, नगरपालिका, भदोही, वाराणसी के बारे में इस आशय का ता० 17-1-93 भेजा है कि उन्होंने नगरपालिका का चुनाव फर्जी नाम से लड़ा था ? यदि हां, तो आयुक्त ने जांच में क्या तथ्य सही पाया है ? उक्त दोनों पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक–

जी हां ।

जी हां । जांचोपरान्त श्री सलाउद्दीन पुत्र श्री निजामुद्दीन अन्सारी के स्थान पर श्री सलाउद्दीन पुत्र घूरे के नाम से नामांकन पत्र भरे जाने के दोषी पाये गये ।

नगरपालिका भदोही के कार्यमुक्त कर अधीक्षक श्री शमशेर खां को किए गये अनियमित वेतन आदि के भुगतान के लिए अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी को संयुक्त रूप से दोषी पाये जाने पर अध्यक्ष को दिनांक 8-1-94 व अधिशासी अधिकारी को दिनांक 11-2-94 को नगरपालिका अधिनियम की धारा–81 के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की गई ।

कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा पालिका का चुनाव फर्जी नाम से लड़े जाने के संबंध में आयुक्त, वाराणसी मण्डल ने जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) वाराणसी की राय प्राप्त करके अपने पत्र दि० 21-2-94 द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा–171 एफ० के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी को निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गांव सभा सरांव, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में पीने को पानी की समस्या के बारे में श्री अलाउद्दीन का जिलाधीश को पत्र एवं कार्यवाही

87–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा सरांवा, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी जो वरुणा नदी के किनारे ऊंचाई पर बसा है, में पीने के पानी की जटिल समस्या है ? क्या

इस सम्बन्ध में जिलाधीश, वाराणसी को ता० 9-1-93 को श्री अलाउद्दीन निवासी गांव सरांवा ने प्रार्थना-पत्र दिया था और जिलाधीश ने उक्त प्रार्थना-पत्र को अधिशासी अभियन्ता, पंचम मण्डल, वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा था ? यदि हां, तो क्या अब तक उक्त मुस्लिम बस्ती में दो हैण्ड पम्प लगाये गये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच कराकर दो हैण्ड पम्प वहां पर लगाने की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

गांव सभा सरांवा, विरांवकोट पेयजल योजना में सम्मिलित है । उक्त गांव जल सम्पूर्ति योजना के अन्तिम भाग में स्थित होने तथा पानी की लाइन में खराबी के फलस्वरूप जल सम्पूर्ति के लिए उक्त गांव में 12 इण्डिया मार्ग–II हैण्ड पम्पों की स्थापना कर दी गई है ।

जी हां ।

जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र संख्या–518/3लेखा/डी०पी०सी०, दिनांक 3-2-93 के साथ उक्त प्राप्त पत्र पर कार्यवाही हेतु अधिशासी अभियन्ता, पंचम निर्माण शाखा, जल निगम, वाराणसी को भिजवा दिया गया था ।

बड़ा सरांवा, जिसमें प्रश्नगत मुस्लिम बस्ती है, राजस्व ग्राम सरांवा का एक मजरा है जिसकी आबादी लगभग 100 हैं । 250की आबादी पर एक हैण्ड पम्प के हिसाब से उक्त मुस्लिम बस्ती में 5 इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प जलापूर्ति हेतु पूर्व में ही अधिष्ठापित किये जा चुके हैं ।

जनपद मथुरा में ग्राम जुल्हेंदी व बसोती, ब्लाक मथुरा में विद्युत लाइन तारों की चोरी एवं पुनः विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

88–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम जुल्हेंदी व बसोती, ब्लाक मथुरा, जनपद मथुरा की विद्युत लाइन के तारों की चोरी विगत दो वर्ष पूर्व हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अभी तक विद्युत लाइन का पुनः निर्माण करके विद्युत आपूर्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है और वहां पर विद्युत आपूर्ति कब तक चालू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

चोरी गई तार को इस कारण नहीं बदला गया क्योंकि संबंधित ग्रामों में कोई विद्युत संयोजन नहीं है । पर्याप्त संख्या में संयोजन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर ही उक्त तार को बदलना सम्भव हो सकेगा अन्यथा विद्युत चोरी होने की सम्भावना रहती है ।

आगरा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को विद्युत उपलब्ध कराये जाने विषयक मामले एवं उपभोक्ता को भुगतान पत्र 'बिल' भेजा जाना

89–श्री उदय भान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कितने किसानों के मामले हैं, जिनको विद्युत मुहैया नहीं करायी जा सकी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विद्युत विभाग

उपभोक्ता को अपना भुगतान पत्र "बिल" भेजकर भुगतान के लिये उन्हें बाध्य कर रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आगरा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में माह 1/94 तक 520 नलकूपों के ऐसे मामले लम्बित हैं, जिन्हें विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है । ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं से राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निर्धारित दरों पर भुगतान हेतु अनुरोध किया जाता है ।

सार्वजनिक प्रतिष्ठान थर्मल पावर टाण्डा, फैजाबाद के परिसर में निजी शिक्षा संस्थायें संचालित किये जाने की अनुमति शासन द्वारा दिये जाने के कारण

90–श्री मित्र सेन यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठान थर्मल पावर, टाण्डा, फैजाबाद के परिसर में निजी शिक्षा संस्थायें सरस्वती शिशु मन्दिर चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो राजकीय प्रतिष्ठान परिसर में उक्त प्रकार की निजी संस्थायें संचालित किये जाने की अनुमति शासन द्वारा प्रदान करने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर फैजाबाद में सरस्वती शिशु मन्दिर नहीं चलाया जा रहा है । परियोजना कालोनी परिसर में निजी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित दो विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं:–

1–विवेकानन्द शिशु कुंज

2–आर्य कन्या जूनियर हाई स्कूल

क्योंकि 1987 में परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी विद्यालय/हाईस्कूल, बेसिक शिक्षा परिषद्/उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद से मान्यता प्राप्त नहीं थे तथा अध्यापकों की कमी के कारण परिषदीय विद्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों/सी०आइ०एस०एफ० तथा निर्माण कार्य में लगी कम्पनियों के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करना सम्भव नहीं था । इसी तथ्य को ध्यान में रखकर मुख्य परियोजना प्रबन्धक द्वारा अपने पत्रांक 3821/टी०टी०पी०टी०/सी०पी० एम०/एस०–143, दिनांक 18-9-87 द्वारा परिषद् से अनुरोध किया था कि उपरोक्त स्कूलों के लिये परिषद् द्वारा भवन उपलब्ध करा दिये जायं । परिषद् ने अपने पत्रांक 469–डब्लू०सी०/राविप–औ०स०–19/88–5एफ/82 दिनांक 9-2-88 द्वारा उक्त दोनों विद्यालयों को शिक्षण कार्य हेतु स्थान/भवन प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया था । परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् उक्त दोनों विद्यालयों को भवन आवंटित कर दिये गये हैं ।

जनपद गोरखपुर में गोरखपुर से परिवहन निगम द्वारा कतिपय मार्गों पर बसों का चलाया जाना तथा उनसे प्राप्त आय

91–श्री मोलई—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में गोरखपुर से झंगहा-गोरखपुर से नई बाजार गोरखपुर से सरैया (सरदार नगर) आदि मार्गों की बसें, कब से उ० प्र० परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही है ? उक्त तीनों मार्गों पर वर्ष 1984 से वर्ष 1993 के माह नवम्बर तक आय क्या थी ?

क्या इन तीनों मार्गों की बसों को क्रमशः झंगहा से आगे राजधानी, नई बाजार से आगे नेकवार घाट व सरैया से आगे डुमरी खास तक चलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जनपद गोरखपुर में गोरखपुर से झंगहा मार्ग की सेवा जून, 1972 से तथा गोरखपुर से नई बाजार मार्ग की सेवा अप्रैल, 1992 से संचालित की जा रही है । गोरखपुर से सरैया (सरदार नगर) मार्ग की सेवा सितम्बर, 1986 से संचालित की गई जिसे असंतोषजनक आय प्राप्त होने के कारण 4 जून, 1993 से बन्द कर दिया गया है ।

उक्त तीनों मार्गों पर वर्ष 1984 से वर्ष 1993 के माह नवम्बर, तक रु० 47,00,286.90 की आय हुई थी ।

गोरखपुर-झंगहा मार्ग पर राजधानी तक 14 कि० मी०, गोरखपुर ने नई बाजार मार्ग पर नेकवार घाट तक 13 कि० मी० तथा गोरखपुर-सरैया मार्ग पर डुमरीखास तक 11 कि० मी० मार्ग अराष्ट्रीयकृत है ।

वर्तमान में शासन की नीति परिवहन निगम की सेवाओं का अन्तर्राष्ट्रीयकृत मागाश पर विस्तार अथवा नवीन सेवाओं के संचालन की नहीं है जिसे दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्गों पर सीधी सेवा का संचालन प्रस्तावित नहीं है ।

जनपद गोरखपुर से कचहरी बस स्टेशन से झंगहा मार्ग पर प्राइवेट आपरेटर्स व टैक्सी वालों का कब्जा एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

92–श्री मोलई प्रसाद–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर से कचहरी बस स्टेशन से झंगहा मार्ग पर तीन साल पूर्व दिन में छः बार उ० प्र० परिवहन निगम की बसें आती व जाती थीं । यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त जिले में निगम की बसों से सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति होती थी ? क्या यह भी सही है कि इस मार्ग पर यातायात पर प्राइवेट आपरेटर्स व टैक्सी वालों ने कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

यह सही है कि गोरखपुर जनपद में निगम की बसों से सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी । यह सही है कि इस मार्ग पर प्राइवेट आपरेटर्स व टैक्सी वालों द्वारा संचालन किया जा रहा है ?

अनाधिकृत संचालन के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है , इसे रोकने के लिए समय-समय पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । परिवहन निगम द्वारा अनुबन्धित सेवायें चलाने का भी प्रस्ताव है जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके ।

जिला वाराणसी के नगरपालिका भदोही के कर अधीक्षक श्री शमशेर खां द्वारा अनियमित भुगतान के निमित्त वसूली के सम्बन्ध में कार्यवाही

93–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका भदोही, जिला वाराणसी के 8 सदस्यों, राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, झूरीराम, आदि ने दिनांक 27-9-93 को जिलाधीश, वाराणसी को कर अधीक्षक, श्री शमशेर खां को 45,283 रु० का अनियमित भुगतान के निमित्त नगरपालिका अधिनियम की धारा–81 के अन्तर्गत वसूली करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है ? क्या उसकी प्रतियां आयुक्त, वाराणसी तथा निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश को भी भेजी हैं ? यदि हां, तो वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत अनियमित भुगतान के लिए अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी को संयुक्त रूप से दोषी पाये जाने पर अध्यक्ष को दिनांक 28-1-94 व अधिशासी अधिकारी को दिनांक 11-2-94 को नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–81 के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है ।

जनपद वाराणसी, श्री शमशेर खां, कर अधीक्षक को अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में दोषी पाये गये अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस का जारी किया जाना

94–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर जिलाधिकारी, ज्ञानपुर, वाराणसी ने अपने पत्रांक सं० 123,127 व 128, दिनांक 23-9-93 के द्वारा जिलाधीश, वाराणसी को रिपोर्ट भेजते हुये, उसमें लिखा है कि श्री शमशेर खां, कर अधीक्षक ने 5-2-92 से 3-4-93 तक वहां कार्य नहीं किया है ? यदि हां, तो कार्य किये बिना ही नगरपालिका अध्यक्ष तथा अधिशासी अधिकारी ने वेतन, स्कूटर एलाउन्स, मकान का भत्ता तथा बोनस आदि का भुगतान एक फर्जी प्रस्ताव पारित करके कर दिया है ? यदि हां, तो अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत अनियमित भुगतान के लिए अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी को संयुक्त रूप से दोषी पाये जाने पर अध्यक्ष को दिनांक 28-1-94 व अधिशासी अधिकारी को दिनांक 11-2-94 को नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 81 के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है ।

जनपद गोरखपुर में स्थित ब्लाक ब्रह्मपुर के कतिपय गावों को दिये जाने वाले लकड़ी के पोलों की जगह पत्थर के पोलों को दिये जाने की मांग

95–श्री मोलई–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में स्थित ब्लाक ब्रह्मपुर के राप्ती-गोर्रा नदी दोआब के ग्राम विशुनपुरा, कटसिकरा, डीहघाट, दीवां, गोपालपुर, बौठा, सिलहटा, रानापार, ठकुराई, मुन्डेरा आदि गांवों को उप विद्युत गृह राजधानी (गोरखपुर) से लकड़ी के पोल पर विद्युत लाइन दी जाती है ? क्या उसमें लगे प्रायः सभी लकड़ी के पोल बाढ़, बरसात व जल जमाव से सड़ गये हैं ? यदि हां, तो इस दिशा में जांच कराकर सड़े पोलों की जगह पत्थर वाले पोल कब तक लगा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । इन लाइनों पर लगभग 700 लकड़ी के पोल लगे हैं । कुछ पोल बाढ़, बरसात व जल जमाव से नीचे सड़ गये हैं, सड़े पोलों को बदलने का कार्य शीघ्र किया जायेगा । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण पत्थर के पोल लगाने की कोई योजना अभी नहीं है ।

जनपद गोरखपुर में उप विद्युत केन्द्र राजधानी से दोआबा स्थित विशुनपुर में लो वोल्टेज समस्या निराकरण तथा फिरंगी प्रसाद विशारद के पत्र पर की गई जांच में आरोपों का सिद्ध न होना

96–श्री मोलई–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि जनपद गोरखपुर में स्थित उप विद्युत सब स्टेशन राजधानी से राप्ती-गोर्रा नदी दोआब के ग्राम विशुनपुरा से सम्बन्धित विद्युत लाइन के डिम जलने एवं उसकी शिकायत प्राप्त होने पर कमी दूर न करने तथा सब स्टेशन के कर्मचारियों हेतु बने कमरों को भारतीय स्टेट बैंक, गोरखपुर के कर्मचारियों को देकर किराया वसूलने की कितनी शिकायतें माह जनवरी, 1993 से अब तक सम्बन्धित जे० ई० को प्राप्त हुयी हैं ? उस पर कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

33/11 के० वी० उप विद्युत केन्द्र राजधानी से राप्ती दोआबा में स्थित ग्राम विशुनपुर में लकड़ी के पोल पर विद्युत आपूर्ति की जाती है । सायंकाल (पीक आवर्स) में लो वोल्टेज समस्या की शिकायत है, जिसका कारण ग्राम में एक फेस की लाइन का होना है । तीन फेस लाइन बनाने हेतु परिषद् स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है एवं तीन फेस लाइन के बन जाने पर बल्ब डिम जलने की समस्या समाप्त हो जायेगी ।

जहां तक 33/11 के० वी० विद्युत उप केन्द्र राजधानी पर बने कर्मचारी आवास में किसी के रहने से संबंधित शिकायत का प्रश्न है, जनवरी, 1993 से अब तक अवर अभियन्ता को कोई शिकायत प्राप्त नहीं है । केवल दिनांक 18-1-94 को श्री फिरंगी प्रसाद विशारद द्वारा की गई शिकायत अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से जांच हेतु प्राप्त हुई है । उपरोक्त शिकायत की जांच की गई । जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है ।

जनपद वाराणसी, मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में मालवीय ब्रिज पर बसन्त कालेज से बहादुर पुर तक सोडियम लाइट की व्यवस्था किये जाने की मांग

97–श्री छब्बू पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि 240, मुगलसराय, वाराणसी, विधान सभा क्षेत्र में मालवीय ब्रिज पर बसन्त कालेज से पड़ाव होते हुये बहादुरपुर तक सोडियम लाइट न होने के कारण अन्धकार रहता है आये दिन दुर्घटना होती है ? क्या इस मार्ग में सोडियम लाइट की व्यवस्था करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्रश्नगत स्थल नगरपालिका, मुगलसराय अथवा नगरमहापालिका, वाराणसी के सीमान्तर्गत नही आता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस यात्रियों की बेहतर सुविधा हेतु उठाये गये कदम एवं जनपद देवरिया को यातायात के विशेष संसाधन

98–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस द्वारा यात्रियों को बेहतर सुविधा हेतु कौन से प्रभावी कदम उठा रहे हैं ? जनपद के प्रत्येक प्रमुख मार्गों पर बसे चलाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या बिहार से सटे एवं प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद होने के नाते देवरिया जिले को यातायात के विशेष संसाधन सुलभ कराये जायेंगे ?

श्री आर० के० चौधरी–

परिवहन निगम द्वारा यात्रियों को बस द्वारा बेहतर सुविधायें प्रदान करने हेतु प्रदेश के 117 महत्वपूर्ण बस स्टेशनों को "अ" श्रेणी में, जिला मुख्यालयों एवं डिपो मुख्यालयों के 77 स्टेशनों को "ब" श्रेणी में, निगम के स्वामित्व वाले 147 बस स्टेशनों को "स" श्रेणी में तथा किराये के भवनों में स्थित 196 बस स्टेशनों को "द" श्रेणी में विभाजित कर प्रत्येक बस स्टेशन में श्रेणीवार निर्धारित मानक के अनुसार यात्री सुविधायें दी जा रही हैं । इस हेतु कार्यवाही तेज करने के उद्देश्य से वर्ष 93-94 में परिवहन निगम द्वारा 134.90 लाख रुपये का बजट प्राविधान किया गया है । परिवहन निगम द्वारा लम्बी दूरी की सेवायें, रात्रि सेवायें, अन्तर्राजीय सेवायें तथा विशेष सुविधा युक्त एक्सप्रेस सेवायें, सेमी डीलक्स एवं डीलक्स बसों का भी संचालन किया जा रहा है । निगम के सीमित वित्तीय संसाधनों तथा सीमित बस बेड़े को देखते हुए शटल मार्गों पर निजी बसों को अनुबन्धित कर संचालित करने की योजना विचाराधीन है तथा प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए उपनगरीय मार्गों पर मिनी बसों को अनुबन्धित कर संचालित करने की योजना भी विचाराधीन है ।

परिवहन निगम द्वारा जनपद देवरिया के लिए उपलब्ध बस सेवाओं को देखते हुए एवं निगम के सीमित वित्तीय संसाधनों तथा सीमित बस बेड़े को देखते हुए वर्तमान में यातायात के लिए बस सेवाओं में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विशेष संसाधन को उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद आगरा के ब्लाक अकोला में कतिपय गांवों का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

99–श्री बदन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के ब्लाक अकोला में तहसील किरावली के ग्रामों का विद्युतीकरण न होने के कारण गांव पिछड़े हुये हैं ? यदि हां, तो शासन इस ब्लाक की न्याय पंचायत क्षेत्र खेडिया, जैंगारा और कराहरा के इन पिछड़े ग्रामों का विद्युतीकरण प्राथमिकता के आधार पर करवायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासन द्वारा जिला स्तर पर गठित सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति प्रत्येक वर्ष पूर्ण विचाराधीन जिले के शेष अविद्युतीकृत ग्रामों में से लक्ष्य के अनुरूप ग्रामों का चयन करती है। विचाराधीन ग्रामों का विद्युतीकरण उपरोक्त समिति द्वारा चयनित होने पर संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप किया जायेगा।

जिला फैजाबाद की नगरपालिका अकबरपुर के स्थानापन्न अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं कार्यवाही

100–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका अकबरपुर, जिला फैजाबाद के स्थानापन्न अध्यक्ष के विरुद्ध शासन को वर्ष 1993 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुयी हैं ? वे शिकायतें क्या-क्या हैं ? क्या उन शिकायतों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कब और किस अधिकारी द्वारा ? उन शिकायतों की जांच में क्या आरोप प्रमाणित है और उन प्रमाणित आरोपों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

वर्ष 1993 में 8 शिकायती पत्र प्राप्त हुये।

प्रतिमाह बैठक न बुलाने, पालिका की जीप का दुरुपयोग करने, पालिका के धन का दुरुपयोग करने, तहबाजारी कर लगाने के पूर्व आयुक्त का अनुमोदन न लेने, सुलभ शौचालय निर्माण हेतु फर्जी पार्टी को धन का भुगतान तथा सुलभ शौचालय का निर्माण न होने, 91-92 में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि का दुरुपयोग करने, चुंगी चौकी को तुड़वाकर दुकान बनवाने की शिकायतें हैं।

जी हां।

अक्टूबर, 1993 में परगनाधिकारी, अकबरपुर, फैजाबाद द्वारा जांच कार्य किया गया।

वाहनों से तहबाजारी शुल्क की वसूली के लिये स्टैम्प पेपर की जालसाजी तथा सुलभ शौचालय के निर्माण के लिये स्वीकृत धनराशि के फर्जी भुगतान के आरोप प्रमाणित हुये हैं और इन प्रमाणित आरोपों के आधार पर दिनांक 12-12-1993 को थाना अकबरपुर, फैजाबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद शहर में आकस्मिक रूप से काटी गई बिजली एवं भविष्य में नियमित रूप से उपलब्ध कराये जाने की मांग

101–श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह नवम्बर, 93 में इलाहाबाद शहर में कितने घन्टे बिजली अघोषित रूप से काटी गयी है ? भविष्य में बिजली नियमित रूप से उपलब्ध हो, इसके लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

माह नवम्बर, 93 में प्रदेश में ग्रिड की फ्रीक्वेंसी कम हो जाने पर या स्थानीय वितरण प्रणाली के ट्रांसफार्मरों के भारित होने के कारण इलाहाबाद शहर में आकस्मिक कटौती की गई है । शहर में विद्युत आपूर्ति नियमित करने हेतु रीवां रोड विद्युत उप केन्द्र पर 100 एम०वी०ए० 220/1342 के०वी० ट्रान्सफार्मर स्थापित किया जा चुका है जिसको मार्च-अप्रैल, 94 तक ऊर्जित कर दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त 132 के० वी० मिन्टो पार्क उप केन्द्र की वर्तमान क्षमता 20 एम० वी० ए० से बढ़ाकर 40 एम० वी० ए० करने की योजना परिषद के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कार्यान्वित की जायेगी ।

पिथौरागढ़ के विद्युत विभाग को विद्युत लाइनों से सम्बन्धित सामान को उपलब्ध कराये जाने की मांग

102–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत विभाग, पिथौरागढ़ के पास तार, ट्रान्सफार्मर, खम्भे तथा दूसरा सामान अत्यन्त कम मात्रा में है ? क्या सरकार स्टोरों की जांच करवा कर तुरन्त विद्युत लाइनों से सम्बन्धित खम्भे, ट्रान्सफार्मर व अन्य प्रत्येक सामान की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये विद्युत वितरण खण्ड, पिथौरागढ़ को खम्भे, ट्रान्सफार्मर तथा तार उपलब्ध कराये जा रहे हैं । एल० टी० पोल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तथा एच० टी० पोलों की व्यवस्था की जा रही है ।

श्रीनगर, गढ़वाल स्थित जल विद्युत बन्द परियोजना के रुके कार्य को पूरा किये जाने की मांग

103–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीनगर, गढ़वाल स्थित प्रदेश की महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना जिस पर करोड़ों रुपयों का खर्च कार्य शुरू करने में हो चुका है, धनाभाव के कारण बन्द हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रुके कार्य को पूरा करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । इस परियोजना के लिये विश्व बैंक की सहायता व निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश के प्रयास हो रहे हैं । वांछित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर इसको पूर्ण किया जायेगा ।

104–श्री हरक सिंह रावत–

[दि० 2-3-94 को अता० प्र० सं०–181 द्वारा उत्तरित ।]

उत्तरांचल क्षेत्र में सोलह घन्टे विद्युत उपलब्ध कराये जाने की मांग

105–श्री हरक सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सोलह घन्टे तक विद्युत ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध कराने की सरकारी घोषणा के अनुरूप उत्तरांचल क्षेत्र में विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे से अधिक विद्युत आपूर्ति की जा रही है । कभी-कभी प्रदेश के कुल विद्युत उत्पादन में कमी आ जाने अथवा लाइनों में खराबी आ जाने के कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आ जाता है जिसे शीघ्रातिशीघ्र ठीक करके विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी जाती है ।

गाजियाबाद नगर में विभिन्न कालोनियों में आने जाने के लिए विभिन्न रूटों पर चलने वाली बसों का विवरण

106–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में महानगरों के साथ गाजियाबाद नगर में भी विभिन्न कालोनियों में आने-जाने के लिये नगर बस सेवा चालू की गयी थी ? यदि हां, तो वहां वर्तमान समय में किन-किन रूटों पर कितनी बसें चल रही हैं ? उक्त नगर की किन-किन कालोनियों के लिये कौन से रूट निर्धारित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

वर्तमान में गाजियाबाद नगर में नगर बस सेवा के अन्तर्गत संचालित 5 मार्गों का विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है । इन मार्गों पर कुल 67 बसें वर्तमान में संचालित हो रही हैं ।

कालोनियों के नाम संलग्न तालिका में दर्शाये गये मार्गों में विस्तारपूर्वक अंकित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 182 पर)

लखनऊ पुराना किला, कैन्ट रोड पर स्थित मस्जिद के पीछे गली में सीवर लाइन की नियमित सफाई किये जाने की मांग

107–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ, पुराना किला, कैन्ट रोड पर स्थित मस्जिद के पीछे की गली में सीवर लाइन की नियमित सफाई न होने तथा सीवर लाइन के ऊपर ढक्कन न लगे रहने के कारण उक्त सीवर लाइन बुरी तरह बजबजाकर बह रही है, जिसके कारण वहां दुर्घटनायें भी घटित होती रहती हैं और जन स्वास्थ्य को भी गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या

मंत्री जी उक्त सीवर लाइन के मेन होलों पर ढक्कन लगवाने एवं उनकी नियमित रूप से सफाई करवाये जाने की व्यवस्था करने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

लखनऊ, पुराना किला, कैन्ट रोड पर स्थित मस्जिद के पीछे की गली में लगभग 50 मीटर सीवर लाइन स्थाई रूप से बन्द है । जिसे चालू करने हेतु रु० 25 हजार का आगणन बनाया जा चुका है । आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य कराया जायेगा । सीवर लाइन चालू दशा में है ।

सभी मेन होलों पर कवर लगे हुये है । सीवर लाइन चालू दशा में है नियमित सफाई की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर महापालिका क्षेत्र में पेपर मिल कालोनी में बिक्री किये गये मकानों का रेट और विक्रय का क्राइटेरिया तथा शेष मकानों को विक्रय किये जाने की मांग

108–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ नगरमहापालिका क्षेत्र में पेपर मिल कालोनी में कुछ मकान बिक्री कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस रेट से और विक्रय का क्या क्राइटेरिया निश्चित किया गया है ? क्या शेष मकानों को विक्रय करने की योजना है ? क्या उन्हीं नियमों के आधार पर यह विक्रय भी किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की पेपर मिल कालोनी के किराये के किसी भवन का अभी तक विक्रय नहीं किया गया है ।

पेपर मिल कालोनी के साथ-साथ किराये पर उठी अन्य अमितव्ययी सम्पत्तियों का निस्तारण/विक्रय शासनादेश दिनांक 16-6-93 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार होगा । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारिता विभाग द्वारा संचालित सेल के अन्तर्गत किसानों को दिये गये कनेक्शन एवं उस पर लेसू का बकाया धन तथा बिजली आपूर्ति के लिए क्षतिग्रस्त साधनों को ठीक किये जाने की कार्यवाही

109–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग द्वारा संचालित सेल के अन्तर्गत विगत वर्ष 93-94 में किसानों को कितने कनेक्शन दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? लेसू का कितना पैसा सेल पर बकाया है और उसको देने की क्या व्यवस्था बनायी गयी है ? बिजली आपूर्ति के लिये जो साधन होने चाहिये वह कितने दिन से क्षतिग्रस्त हैं और उनको ठीक करने के लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मोहम्म आजम खां–

दि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ (सेस) द्वारा वर्ष 1993-94 में 65 विद्युत कनेक्शन कृषि कार्य हेतु दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लेसू का समिति के ऊपर कोई बकाया नहीं है । हां, इतना अवश्य है कि राज्य विद्युत परिषद् विद्युत वितरण (प्रथम) द्वारा समिति के ऊपर माह दिसम्बर, 1993 तक कुल 22.62 करोड़ रुपये के दर्शाये गये बकाये के सापेक्ष समिति के अनुसार कुल 6.035 करोड़ रुपये का बकाया है । उक्त बकाये में से 3.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा 10 लाख रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है ।

विद्युत आपूर्ति के लिये मुख्यतया कन्डक्टर एवं ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता होती है । लाइन कन्डक्टर की चोरी होने पर आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् उसे यथासमय बदल दिया जाता है । ट्रान्सफार्मरों के क्षतिग्रस्त हो जाने पर यथासम्भव उसे पन्द्रह दिन से कम समय के अन्दर ही बदलवा कर बाधित हुई विद्युत आपूर्ति को संचालित कराया जाता है ।

110–श्री बचनू राम पटेल–

[दि० 2-3-94 को अता० प्र० सं०–193 द्वारा उत्तरित]

111–श्री राम सरन वर्मा–

[दि० 2-3-94 को अता० प्र० सं०–193 द्वारा उत्तरित]

महापालिकाओं की भांति उत्तर प्रदेश में जल संस्थान के कर्मचारियों को शासन द्वारा आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

112–श्री रमेश कान्त लवानियां–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि महापालिकाओं की भांति उत्तर प्रदेश में जल संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में शासन द्वारा आंशिक आर्थिक सहायता दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

जल संस्थानों द्वारा जल मूल्य/जल-कर/सीवर-कर की वसूली की जाती है और इस आय से उनके वेतन आदि का व्ययभार वहन करने के लिये सक्षम होना चाहिये ।

आगरा नगर के अति प्रदूषित जल के शुद्धीकरण हेतु आर्थिक सहायता

113–श्री रमेश कान्त लवानियां–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा नगर के अति प्रदूषित जल के शुद्धीकरण हेतु जल संस्थान, आगरा के सीमित साधनों को देखते हुये वर्ष 1993-94 में शासन से कोई आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या शासन द्वारा निकट भविष्य में आर्थिक सहायता दी जायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां । वर्ष 1993-94 में 10 लाख रु० की धनराशि जल के शुद्धीकरण हेतु रसायनों के क्रय के लिए दी गई है ।

जल शुद्धीकरण का दायित्व जल संस्थान का है शासन द्वारा केवल दैवी आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर तथा राहत निधि से धनराशि प्राप्त होने पर ही विचार किया जाता है ।

फैजाबाद-रायबरेली राष्ट्रीयकृत मार्ग पर अवैध रूप से चल रही बसों की रोकथाम हेतु चेकिंग व वसूली

114–श्री तेजभान सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद-रायबरेली राष्ट्रीयकृत मार्ग पर पुलिस व परिवहन अधिकारियों की मिली भगत से कितने टाटा 407 व प्राइवेट बसें अवैधरूप से चल रही हैं ? यदि हां, तो इससे परिवहन विभाग को कितना नुकसान हो रहा है ? उक्त अनाधिकृत वाहनों की रोकथाम हेतु क्या अब तक उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

फैजाबाद-रायबरेली के राष्टीयकृत मार्गों पर टाटा–407 व प्राइवेट बसों के अवैध संचालन के कुछ मामले प्रकाश में आये हैं । इनकी रोकथाम के लिए प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आकस्मिक चेकिंग की जाती रही है । चेकिंग के फलस्वरूप फैजाबाद के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर 6 अवैध रूप से चलने वाली टाटा–407 एवं बसों के 27 बार चालान किये गये तथा रु० 48,997.60 यात्री-कर वसूल करने की कार्यवाही की गई । इसी प्रकार रायबरेली जनपद के राष्टीयकृत मार्गों पर अवैध संचालन की रोकथाम हेतु दिनांक 1-4-93 से 31-1-94 तक की अवधि में 135 जीपों को चेक किया गया, 126 वाहनों के चालान किए गये तथा 121 वाहनों व 28 चालकों को विभिन्न थानों में बन्द किया गया जिसके फलस्वरूप रु० 29,740.00 यात्रीकर के रूप में वसूल किया गया ।

अवैध वाहनों के संचालन की रोकथाम हेतु समय-समय पर आकस्मिक चेकिंग कराई जा रही है ।

प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी (मुरादाबाद) नगर पालिका बिलारी की ओर से अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु प्रस्ताव व कार्यवाही

115–श्री चन्द्र विजय सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 31–कुन्दरकी (मुरादाबाद), नगरपालिका बिलारी की ओर से अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यीकरण से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव शासन को भेजा गया था ? उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक–

जी हां ।

प्रस्ताव सम्यक् विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिया गया ।

जनपद मुरादाबाद के कुन्दरकी व्यापारिक केन्द्र पर कतिपय बसों के रोकने की व्यवस्था किये जाने की मांग

116–श्री चन्द्र विजय सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के जनपद मुरादाबाद क्षेत्र 31 कुन्दरकी जो कि खादी का बड़ा व्यापारिक केन्द्र है से दिल्ली, बदायूं, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा व जयपुर आदि डिपो की बसें बिना रुके गुजरती हैं ? क्या मंत्री जी उक्त बसों को कुन्दरकी पर रोकने के लिये कोई व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद के महत्व को देखते हुए दिल्ली-बदायूं मार्ग की सभी बस सेवायें इस स्थान पर रोकी जाती हैं । मुरादाबाद क्षेत्र की 39 बसें कुन्दरकी पर रोकी जाती हैं, जो कुल 175

अप/डाउन ट्रिप्स करती हैं, किन्तु अलीगढ़ एवं आगरा डिपो की बसें लम्बी दूरी की सेवायें होने के कारण यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कुन्दरकी पर नहीं रोकी जाती हैं। राजस्थान परिवहन निगम के जयपुर डिपो की बस जयपुर-दिल्ली-मुरादाबाद मार्ग पर संचालित होती हैं। यह सेवा कुन्दरकी से होकर नहीं गुजरती हैं।

अलीगढ़ व आगरा डिपो की बसें रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लम्बी दूरी के यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से ऐसा करना उचित नहीं है।

जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा घोषित डार्क क्षेत्र विकास बिलारी को डार्क क्षेत्र समाप्त किये जाने की मांग

117–श्री चन्द्र विजय सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 31–कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद में विकास खण्ड बिलारी, जनपद मुरादाबाद को उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् ने डार्क क्षेत्र घोषित कर दिया है ? वर्षा ठीक होने के कारण जल स्तर सामान्य हो जाने पर भी क्या शासन द्वारा डार्क क्षेत्र अभी सामाप्त नहीं किया गया है ? उक्त डार्क क्षेत्र कब तक समाप्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

विकास खण्ड को भूजल उपलब्धता आंकलन के आधार पर "डार्क" श्रेणी में घोषित करने का कार्य राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक द्वारा सम्पादित किया जाता है। विकास खण्ड को डार्क श्रेणी से मुक्त करने संबंधी कार्यवाही भूजल उपलब्धता पर निर्भर है। डार्क घोषित होने के उपरान्त पुनः सामान्य सर्वेक्षण के साथ-साथ सूक्ष्म सर्वेक्षण कराये जाने में लगभग एक वर्ष से दो वर्ष तक का समय लग जाता है जिसका प्रतिवेदन नाबार्ड को प्रत्येक वर्ष प्रेषित किये जाते हैं और उनके आधार पर नाबार्ड द्वारा विकास खण्ड को डार्क श्रेणी की परिधि से मुक्त करने की कार्यवाही की जाती है।

गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामों का विद्युतीकरण

118–श्री बचनू राम पटेल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 246–गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण 15 दिसम्बर, 1993 तक हो चुका है तथा कितने ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 1993-94 की योजना में करना सम्मिलित है ? कितने ग्रामों के ग्रामवासियों ने निजी कनेक्शन लेने हेतु आवेदन किया है और कितने लोगों ने निर्धारित शुल्क भी जमा किया है ? क्या वहां विद्युतीकरण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक कनेक्शन दे दिए जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

246–गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 15 दिसम्बर, 1993 तक 245 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। वर्ष 1993-94 में 10 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है।

दिसम्बर, 1993 तक 99 ग्रामवासियों ने निजी नलकूप के कनेक्शन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तथा इनमें से 55 ग्रामवासियों ने निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है । इनका विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

बांदा जिले में भूरागढ़ इन्टेक वेल से बाम्बेश्वर पहाड़ पर स्थित फिल्टर हाउस तक बिछाई गयी पाइप लाइन एवं क्षमता

119–श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में भूरागढ़ इन्टेक वेल से बाम्बेश्वर पहाड़ पर स्थित फिल्टर हाउस तक पाइप लाइन बिछाई गयी थी ? यदि हाँ, तो क्या यह पूरी क्षमता से जल पहुंचा रही है ? यदि हां, तो इसकी पूरी क्षमता क्या है ? इससे कितना जल चौबीस घन्टे में प्राप्त होना चाहिए और वर्तमान में कितना प्राप्त हो रहा है ? क्या क्षमतानुसार जल न पहुंचने का कारण खराब स्तर के पाइपों का होना है ? खराब स्तर के पाइपों को लगाने के लिए कौन दोषी है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रमाशंकर कौशिक–

जी हां ।

जी नहीं ।

4.50 एम० एल० डी० ।

4.50 एम० एल० डी० जल प्राप्त होना चाहिये, परन्तु वर्तमान में कार्यरत न होने के कारण जल प्राप्त नहीं हो रहा है ।

पाइप लाइन टेस्टिंग के समय पाइप फट गये थे जिन्हें फर्म द्वारा बदला गया तथा शेष क्षतिग्रस्त पाइप का होना पाया गया ।

खराब स्तर के पाइप लगाने के लिये विभागीय जांच चल रही है । इस बीच क्षतिग्रस्त पाइप हेतु रु० 87,000 की वसूली फर्म से की जा चुकी है ।

उत्तरदायित्व निर्धारित होने के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्नकर्ता द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु पानी की एक टंकी की व्यवस्था विषयक सचिव नगर विकास को प्रेषित पत्र एवं कार्यवाही

120–श्री छब्बू पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता विधायक ने राम नगर, नगरपालिका, वाराणसी में पेयजल व्यवस्था हेतु एक पानी की टंकी की व्यवस्था कराने विषयक कोई प्रार्थना-पत्र सचिव, नगर विकास को जून, 1992 में प्रेषित किया है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र का विवरण क्या है तथा इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां। उक्त प्रार्थना-पत्र में राम नगर, नगरपालिका, जनपद वाराणसी में पेयजल टंकी बनवाने का प्रस्ताव किया गया है।

धनाभाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

मुगलसराय निर्वाचन क्षेत्र, वाराणसी के जल निगम द्वारा लगाये जा रहे हैण्ड पम्पों में बरती जा रही अनियमितता की जांच विषयक पत्र एवं कार्यवाही

121–श्री छब्बू पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मुगलसराय निर्वाचन-क्षेत्र, वाराणसी के जल निगम द्वारा लगाये जा रहे हैण्ड पम्प में बरती जा रही अनियमितता की जांच विषयक कोई शिकायती पत्र नवम्बर, 92 में तत्कालीन मंत्री, नगर विकास को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो क्या शासन इस दिशा में अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं।

ऐसे किसी शिकायती-पत्र की जानकारी शासन को नहीं है परन्तु प्रश्नकर्ता सदस्य ने उ० प्र० जल निगम से संयुक्त निरीक्षण किये जाने का अनुरोध अवश्य किया है। मा० विधायक द्वारा संयुक्त निरीक्षण करने की तिथि उपलब्ध न कराये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

जिला हरदोई में ग्राम सभा अटवा असगांव, ग्राम अटवा में गड़े बिजली खम्भों पर ऊर्जीकरण किये जाने की मांग

122–श्री राम पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा अटवा असगांव, जिला हरदोई में ग्राम अटवा में बिजली के खम्भे वर्ष 1988 से गड़े हैं उन खम्भों पर तार नहीं खिचे हैं और न ही उनका ऊर्जीकरण हुआ है ? क्या मंत्री जी उक्त ग्राम के विद्युतीकरण हेतु आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। ग्राम अटवा असगांव, विकास खण्ड हरियावां, जनपद हरदोई का विद्युतीकरण दिनांक 1-9-86 को एल० टी० व एच० टी० मेन्स बिछाकर व 25 के० वी० के ट्रान्सफार्मर को लगाकर कर दिया गया था। अन्तराल में कोई भी विद्युत कनेक्शन न होने एवं चोरी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण मुख्य 11 के० वी० लाइन के तार चोरी हो गए, 27 खम्भे भी टूट गये। लाइनों को पुनः बनाना वांछित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

नगर के जल स्रोतों के विस्तार हेतु जल निगम, बांदा को शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी धनराशि एवं जल स्रोतों का विस्तार कार्य

123–श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या नगर के जल स्रोतों के विस्तार हेतु वर्ष 1990-91 में 1.49 करोड़ रुपये जल निगम, बांदा को शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये थे ? यदि हां, तो उक्त धनराशि से नगर के जल स्रोतों का क्या-क्या विस्तार कार्य 15 दिसम्बर, 1993 तक किया गया ? यदि नहीं,तो उक्त धन बांदा जल निगम को उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

उक्त धनराशि से एक नलकूप ऐशबाग में एवं दूसरा तिन्दवारी रोड पर अधिष्ठापित किया गया है । केन नदी से जल लेकर उसे शोधित करके सौ लाख लीटर प्रतिदिन पेयजल में अतिरिक्त वृद्धि किये जाने हेतु रा-वाटर मेन एवं क्लीयर वाटर मेन कार्य 80% पूर्ण कर लिया गया है और जल शोधन संयंत्र के निर्माण हेतु निविदायें प्राप्त कर ली गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा नगर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु व्यवस्था किये जाने की मांग

124–श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या नगर विकास मंत्री यह भी बतायेंगे कि नगर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु जल स्रोतों के विस्तारीकरण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विस्तृत प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्या बांदा नगर की भीषण पेयजल समस्या को देखते हुए उसके समाधान के लिये जल स्रोतों के विस्तारीकरण की योजना स्वीकृत करके इसी वित्तीय वर्ष में धन उपलब्ध कराकर उपरोक्त समस्या की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

बांदा नगर के पेयजल के समाधान हेतु रु० 214.74 लाख अनुमानित लागत की एक योजना का प्राक्कलन बनाया गया था । जिसके समक्ष रु० 149.00 लाख की धनराशि जल निगम को उपलब्ध करा दी गयी । उक्त धनराशि से एक नलकूप ऐशबाग में एवं दूसरा तिन्दवारी रोड पर अधिष्ठापित किया गया है । उक्त योजना के अन्तर्गत केन नदी से जल लेकर उसे शोधित करके 100 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता का जल शोधन संयंत्र का निर्माण कराया जायेगा, जिससे मार्च, 1995 तक पूर्ण हो जाने पर नगर को पर्याप्त जल आपूर्ति हो जायेगी ।

बांदा नगर की जनसंख्या के आधार पर जलापूर्ति किये जाने की मांग

125–श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा नगर की जनसंख्या के आधार पर नगर में वर्तमान में कुल कितना जल सप्लाई किया जा रहा है ? मानक के अनुसार कितना जल सप्लाई किया जाना

चाहिए ? क्या मंत्री जी इतनी कम जल सप्लाई को मानक के अनुसार करने के लिये विस्तारीकरण की योजना बनाये जाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

बांदा नगर की जनसंख्या के आधार पर वर्तमान में 17.66 एम० एल० डी० जलापूर्ति की जा रही है ।

मानक के अनुसार 20 एम० एल० डी० जल सप्लाई किया जाना चाहिए ।

बांदा नगर के पेयजल की मात्रा को बढ़ाने हेतु रु० 214.74 लाख अनुमानित लागत की योजना बनायी गयी है ।

आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध होने पर उक्त योजना मार्च, 1995 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा नगरमहापालिका में ठेकेदारों द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कमी के कारण अभियन्ता के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग

126–डा० राम बाबू हरित–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि आगरा नगरमहापालिका में जो कार्य ठेकेदार द्वारा कराये जाते हैं उनकी गुणवत्ता क्यों बहुत खराब रहती है ? क्या मुख्य नगर अधिकारी द्वारा किसी ठेकेदार के खिलाफ व सम्बन्धित अभियन्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

आगरा नगरमहापालिका में ठेकेदारों द्वारा कराये गये निर्माण की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है । गुणवत्ता के मानक को बनाये रखने के लिये कराये गये कार्य का परीक्षण लोक निर्माण विभाग की प्रयोगशाला में भी कराया जाता है ।

इस प्रकार के मामलों के संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा नगरमहापालिका में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की भर्ती किये जाने की मांग

127–डा० राम बाबू हरित–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा नगरमहापालिका में कितने स्थायी सफाई कर्मचारी हैं ? क्या ये आगरा की सफाई व्यवस्था के लिये पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की भर्ती कब और कितनी संख्या में की जायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

आगरा नगरमहापालिका में 3040 नियमित स्थायी सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

नगरमहापालिका की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की भर्ती का कोई प्रस्ताव महापालिका में विचाराधीन नहीं है ।

आगरा नगरमहापालिका के मुख्य अधिकारी द्वारा वर्तमान नगर प्रमुख को सुविधा उपलब्ध कराने के कारण दण्डित किये जाने की मांग

128–श्री छोटे लाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्व उप नगर प्रमुख की तरह वर्तमान उप नगर प्रमुख को आगरा नगरमहापालिका के मुख्य नगर अधिकारी द्वारा जनता की समस्या सुलझाने हेतु टेलीफोन, फर्नीचर (कैम्प कार्यालय), गाड़ी दौरे हेतु उपलब्ध करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य नगर अधिकारी को इसके लिये दण्डित किया जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां,

पूर्व एवं निवर्तमान उप नगर प्रमुख को फर्नीचर (कैम्प कार्यालय), गाड़ी दौरे हेतु यथासम्भव, कार्यालय/कैम्प कार्यालय के लिये लिपिक व स्टेनो उपलब्ध कराया गया था । गाड़ी मांगे जाने पर यथा-सम्भव निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी जाती थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली, तहसील नवाबगंज के ग्राम जिगनिया, भगवन्तपुर, विलासनगर में बन्द विद्युत आपूर्ति को खोले जाने की मांग

129–श्री भगवत सरन गंगवार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली, तहसील नवाबगंज के ग्राम जिगनिया भगवन्तपुर, बमनपुरी, विलासनगर में विगत कई वर्षों से विद्युतीकरण होने के उपरान्त भी विद्युत आपूर्ति बन्द है ? यदि हां, तो विद्युत आपूर्ति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जनपद बरेली के तहसील नवाबगंज के ग्राम जिगनिया, भगवन्तपुर का विद्युतीकरण 1/82, बमनपुरी का विद्युतीकरण 12/80 एवं विलासनगर का विद्युतीकरण 6/81 में किया गया था । उपरोक्त ग्रामों में विद्युतीकरण होने के उपरान्त भी कोई कनेक्शन नहीं लिया गया । वर्ष 1987 में भीषण तूफान के कारण ग्राम जिगनिया, भगवन्तपुर, बमनपुरी एवं विलासनगर के विद्युतीकरण के लिये बिछाई गई लाइनें एवं ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गये थे । इन ग्रामों में कोई विद्युत कनेक्शन न होने के कारण क्षतिग्रस्त लाइनों एवं ट्रांसफार्मर की मरम्मत नहीं की गयी । क्षतिग्रस्त लाइनों के पुनः निर्माण एवं ग्रामों में ट्रांसफार्मर लगाये जाने का कार्य ग्राम में पर्याप्त संयोजन प्राप्त होने पर एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

श्री रामकरन सिंह, सेवा निवृत्त सहकारी प्रवेक्षक का ग्रेच्युटी, फण्ड, बीमा, अर्जित अवकाश विषयक प्रार्थना-पत्र एवं कार्यवाही

130–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र० कानपुर मण्डल व प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ को सम्बोधित श्री रामकरन सिंह, सेवा निवृत्त सहकारी प्रवेक्षक, गै० नं०–2820 का क्रमशः दिनांक 10-11-93 व 21-12-92 को दिया गया प्रार्थना-पत्र, जिसमें प्रार्थी ने ग्रेच्युटी, फण्ड, बीमा, अर्जित अवकाश आदि के न प्राप्त होने की शिकायत है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां, 150 (एक सौ पचास) दिन का नकदीकरण उपनिबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र० कानपुर के आदेश सं०–851-54, दिनांक 18-2-94 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है । ग्रेच्युटी, फण्ड, बीमा आदि के भुगतान हेतु क्लेम फार्म श्री राम करन सिंह को भेजा गया है । उक्त क्लेम फार्म की औपचारिकतायें पूर्ण होने के पश्चात् भुगतान करा दिया जायेगा ।

जनपद उन्नाव के थाना अजगैन के अन्तर्गत श्री हरीश गोयल की रोडवेज बस द्वारा मृत्यु एवं मुआवजा दिये जाने की मांग

131–श्री मन्नू लाल कुरील–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9 अगस्त, 1993 को थाना अजगैन, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत नवाबगंज और उन्नाव के बीच जीप सं०–एम० पी० ओ० एच०–713 पर सवार श्री हरीश गोयल की रोडवेज बस से टक्कर हो जाने से मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में रोडवेज विभाग द्वारा मृतक के आश्रितों को मुआवजा का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या बस चालक के विरुद्ध परिवहन निगम द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त घटना की जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि जांच कराई जा रही है, तो जांच में विलम्ब होने का क्या कारण है तथा इसके लिये कौन दोषी है ? मृतक के आश्रितों को मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा के मुख्य द्वार की भूमि पर कब्जा एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

132–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा के मुख्य द्वार पर परियोजना की भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अनधिकृत कब्जा करके आवास बना लिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अनधिकृत कब्जा के लिये थर्मल प्रोजेक्ट के कुछ अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, विद्युत नगर, टाण्डा के मुख्य द्वार के सामने परियोजना की भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने छप्पर डाल लिया था और उसमें दुकानें चला रहे थे । कोई स्थायी निर्माण नहीं किया गया था । परियोजना स्तर से लगातार प्रयास करने के उपरान्त परिषद् की भूमि पर से अधिकांशतः दुकानें हटवा दी गयी हैं । वर्तमान समय में मात्र एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, की दुकान रह गयी है । जिसको खाली कराने के लिये परियोजना स्तर से जिला प्रशासन को सूचित किया जा चुका है ।

उक्त स्थिति में परियोजना का कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र औराई के अन्तर्गत आ रहे विद्युत सुविधा से वंचित गांवों को विद्युतीकरण किये जाने की मांग

133–श्री रंगनाथ–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र औराई के अन्तर्गत आ रहे तीन ब्लाकों क्रमशः औराई, भदोही, सेवापुरी के किन-किन गांवों में विद्युतीकरण 9 वर्षों के अन्दर किया गया है ? अभी तक कितने गांवों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर वंचित गांवों को विद्युतीकरण सुविधा से लाभान्वित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विधान सभा क्षेत्र औराई के अन्तर्गत आ रहे विकास खण्ड औराई, भदोही एवं सेवापुरी ब्लाकों के क्रमशः 23, 16 एवं 59 गांवों में विद्युतीकरण विगत 9 वर्षों के अन्दर किया गया है । (ब्लाकवार विद्युतीकृत गांवों की सूची संलग्न है) ।

अभी तक विकास खण्ड औराई में 195, भदोही में 177 और सेवापुरी में 119 गांव इस सुविधा से वंचित हैं ।

वर्ष 1993-94 के लिये भदोही ब्लाक में 2, औराई में 1 (एक) एवं सेवापुरी में 2 ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु जनपद सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयन किया गया है और इसके अतिरिक्त औराई ब्लाक में दो अम्बेडकर ग्रामों का भी विद्युतीकरण 1993-94 में प्रस्तावित है । आगामी वर्षों में इन विकास खण्डों में शेष गांवों का विद्युतीकरण हेतु संसाधनों की कमी के कारण कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 183–184 पर)

134–श्री बदन सिंह–

[दि० 2-3-94 को अता० प्र० सं० 171 द्वारा उत्तरित]

देवरिया नगर में अतिक्रमण हटाने के अभियान के अन्तर्गत श्री विजय शंकर जायसवाल का रेलवे की भूमि पर बने अस्थायी निर्माण को हटाये जाने पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

135–श्री मुक्तिनाथ यादव तथा श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि माह अगस्त, 93 में देवरिया नगर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है ? क्या उस अभियान के दौरान दिनांक 6-8-93 को श्री विजय शंकर जायसवाल का रेलवे की भूमि पर बना अस्थायी निर्माण भी अधिकार से परे जबरदस्ती गिरवा दिया गया है ? क्या उक्त अभियान का नेतृत्व ए० डी० एम० (प्रशासन), एस० डी० एम० सदर, कर निरीक्षक, नगरपालिका, देवरिया कर रहे थे ? यदि हां, तो उसमें सरकार द्वारा क्या कार्यवाही अब हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

रेल सम्पत्ति से अवैध कब्जा हटाने हेतु रेलवे विभाग द्वारा जिला प्रशासन से अनुरोध करने पर अतिक्रमणों में श्री जायसवाल द्वारा किया गया अतिक्रमण भी सम्मिलित है ।

अभियान में रेलवे विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के साथ-साथ जिला प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारी भी शांति व्यवस्था हेतु उपस्थित थे ।

प्रदेश सरकार से किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रामपुर की टाउन एरिया शाहाबाद में मोहल्ला मंगोली व भीतरगांव के रहने वाले लोगों के लिये पानी की व्यवस्था किये जाने की मांग

136–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद रामपुर की टाउन एरिया शाहाबाद में सम्मिलित मोहल्ला मंगोली व भीतरगांव के रहने वाले लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था अब तक नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन मोहल्लों में पीने के पानी की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जनपद रामपुर की टाउन एरिया शाहाबाद में सम्मिलित मोहल्ला मंगोली में 4 इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प तथा नल द्वारा एवं भीतरगांव में 2 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प तथा नल द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी के पात्र व्यक्तियों के ऋण माफ किये जाने की मांग

137–श्री चन्द्र विजय सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व में सरकार द्वारा 10 हजार रुपये के जो ऋण माफ किये गये थे उसमें प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षत्र 31–कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद के कुछ पात्र

व्यक्ति ऋण माफ होने से वंचित रह गये थे ? क्या सरकार उक्त पात्र व्यक्तियों के ऋण माफ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र हसनपुर में ग्रामीण अंचलों में 11 हजार के लाइनों के जर्जर तारों को बदलने की व्यवस्था किये जाने की मांग

138–श्री तुलाराम सैनी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद 26–हसनपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण अंचलों में विद्युत उपगृह से ली जाने वाली 11 हजार के लाइनों के तार जर्जर व पुराने होने के कारण दिन प्रतिदिन टूटते रहते हैं जिसके कारण विद्युत वितरण बाधित होने से किसानों को महीनों तक सिंचाई के लिये बिजली नहीं मिल पाती है ? क्या सरकार पुराने 11 हजार की लाइनों के तार बदलने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

हसनपुर विधान सभा क्षेत्र के साथ-साथ पूरे मुरादाबाद जनपद में तार एवं ट्रांसफार्मर की बहुत अधिक चोरी की घटनायें होती हैं । ए० सी० एस० आर० की तार की चोरी हो जाने पर विद्युत आपूर्ति नियमित करने हेतु ए० सी० एस० आर० तार के उपलब्ध न होने पर लोहे के तार लगा दिये गये हैं जो कि अधिक विद्युत भार वहन नहीं कर पाते हैं और अधिक भारित होने पर टूट जाते हैं जिससे विद्युत आपूर्ति में व्यवधान हो जाता है । ए० सी० एस० आर० एवं एल्यूमिनियम तारों की चोरी को रोकने के लिये औल एल्युमिनियम एलौय कण्डक्टर लगाने से ही विद्युत तारो की चोरी की रोकथाम हो सकती है । औल एल्युमिनियम एलौय कण्डक्टर की धातु औद्योगिक कार्यों के लिये अनुपयोगी होने के कारण चोरी की घटनायें स्वतः घट जायेंगी । ए० सी० एस० आर० एवं लोहे के तारों को बदलने के लिये और एल्युमिनियम एलौय कंडक्टर की मांग को परिषद् के वित्तीय संसाधनों में कमी के कारण वर्तमान में बदलना सम्भव नहीं है ।

जनपद बस्ती में अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों में विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

139–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में 93 तक कितने अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों में विद्युतीकरण हुआ है एवं कितनी बस्तियों में विद्युत आपूर्ति हो रही है ? जिन बस्तियों में विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है क्या उन बस्तियों में विद्युत आपूर्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बस्ती जनपद में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप दिसम्बर, 1993 तक कुल 988 अनु० जाति/जनजाति बस्तियों में विद्युतीकरण हुआ है एवं उन समस्त विद्युतीकृत बस्तियों में विद्युत आपूर्ति हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली मण्डल में जनहित में रोडवेज की बसों को पुवायां खुटार–मैलानी-बन्डा, शाहजहांपुर रोड पर चलाये जाने की मांग

140–श्री चेतराम–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली मण्डल में बिना परमिट की बसें शासनादेश के तहत बन्द की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या जनहित में सरकार रोडवेज की नयी बसें पुवायां खुटार–मैलानी–बन्डा, शाहजहांपुर रोड पर चलाये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां।

उक्त मार्गों पर पूर्व से ही बसें संचालित हैं।

कप्तानगंज (देवरिया) टाउन एरिया में जलकल की व्यवस्था किये जाने की मांग

141–श्री अम्बिका सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कप्तानगंज (देवरिया) टाउन एरिया में जलकल की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी व्यवस्था करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां।

कप्तानगंज टाउन एरिया में पाइप द्वारा पेयजल व्यवस्था है जो वर्तमान में टाउन एरिया द्वारा रखरखाव के अभाव में बन्द है।

प्रश्न नहीं उठता है।

मथुरा नगर में स्थित बधशाला में प्रतिदिन बध होने वाले पशुओं की संख्या एवं बधशाला को हटाये जाने की मांग

142–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगर में स्थित पशु वधशाला में कितने पशुओं का वध हो रहा है ? क्या उसके लिये स्थान वैध है ? बध जानवरों की श्रेणी क्या है ? क्या मथुरा से वधकर मांस विभिन्न जनपदों में भेजने की अनुमति दी गयी है ? यदि नहीं, तो प्रशासन द्वारा इसे रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या पशु वधशाला को हटाया जाना जनहित में निश्चित कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह कब तक हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

मथुरा नगर में स्थित पशु वधशाला में लगभग 45 पशुओं का बध प्रतिदिन होता है ।

जी हां, इसके लिये स्थान बैध है । वध जानवरों की श्रेणी महषि वंशीय है । मथुरा से वध कर महषि वंशीय जानवरों का मांस बाहर ले जाना प्रतिबंधित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतिबन्धित न होने के कारण ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के गोवर्धन गिरिराज महराज जी के क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किये जाने की मांग

143–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास एवं सुविधाओं की दृष्टि से जहां लाखों तीर्थयात्री गोवर्धन गिरिराज महराज जी के क्षेत्र में आते हैं ? क्या गोवर्धन टाउन एरिया जनपद मथुरा को नगर पालिका घोषित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या स्थानीय एवं तीर्थ यात्रियों के प्रवेश पर कर लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अन्य धार्मिक स्थलों पर भी प्रवेश कर लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या गोवर्धन पर प्रवेश कर समाप्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

जी हां ।

तीर्थ यात्रियों को जन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु यह कर लिया जा रहा है । जनपद मथुरा के अन्य धार्मिक स्थलों पर प्रवेश कर नहीं लिया जा रहा है क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

जी नहीं ।

स्थानीय निकाय के वित्तीय संसाधन सीमित हैं । इसलिये तीर्थ यात्री कर लगाया गया है । इससे होने वाली आय से तीर्थ यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करायी जाती हैं ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विकास खंड 3 व 4 में कूड़ा घर बनाये जाने की मांग

144–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड–3 एवं विकास खण्ड–4 में कूड़ा घर की व्यवस्था नहीं है ? क्या सरकार उक्त विकास खण्डों में अलग-अलग एक कूड़ा घर बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत विकास खण्डों में कूड़ेदान रखने का प्राविधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद रामपुर की टाउन एरिया शाहबाद के मोहल्ला–मंगोली, भीतरगांव व नालापार मोहल्लों में विद्युतीकरण किये जाने की मांग

145–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद रामपुर की टाउन एरिया–शाहबाद के मोहल्ला–मंगोली, भीतरगांव व नालापार मोहल्लों में अब तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त तीनों मोहल्लों का विद्युतीकरण शासन द्वारा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त मोहल्लों का विद्युतीकरण करने हेतु नई 11 के० वी० एल० टी० लाइनें व नये उप संस्थान बनाने की आवश्यकता होगी । परिषद में वित्तीय संसाधन अपर्याप्त होने के कारण विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया जा सका है । इन मोहल्लों का विद्युतीकरण नये कनेक्शनों हेतु उचित मात्रा में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर तथा उसके लिये धन की उपलब्धता के अनुसार कराया जायेगा ?

146–श्री हरक सिंह रावत–

[दि० 2-3-94 को अता० प्र० सं० 182 द्वारा उत्तरित]

सतपुली (पौड़ी गढ़वाल) को टाउन एरिया बनाने की योजना पर निर्णय लिये जाने की मांग

147–श्री हरक सिंह रावत–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सतपुली (पौड़ी गढ़वाल) को टाउन एरिया बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उस पर निर्णय हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया बनाये जाने के संबंध में निर्धारित मानकों की परिधि में न आने के कारण ग्राम समूह सतपुली को टाउन एरिया बनाया जाना समीचीन नहीं पाया गया ।

विकास खण्ड कर्णप्रयाग स्थित ग्राम जाख से ग्राम सभा बजान के अल्प विद्युतीकरण को पूर्ण किये जाने की मांग

148–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड कर्णप्रयाग स्थित ग्राम सभा जाख से ग्राम सभा बजान को किन परिस्थितियों के कारण अल्प विद्युतीकरण किया गया है ? क्या वर्तमान एवं आगामी समय में इन्हें पूर्ण विद्युतीकृत करने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विकास खण्ड कर्णप्रयाग स्थित ग्राम जाख का तोक बजान का विद्युतीकरण पूर्व में ही किया गया था। इसके पश्चात् कतिपय नये भवनों का निर्माण हुआ है जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इनका विद्युतीकरण वांछित संसाधनों पर निर्भर करता है। वांछित संसाधनों की उपलब्धता की कमी के कारण समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थलीसैण के अन्तर्गत पट्टी चौबान में गांव का विद्युतीकरण एवं विद्युत आपूर्ति

149–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थलीसैण के अन्तर्गत पट्टी चौबान में किन-किन गांवों का विद्युतीकृत किया गया है ? क्या विद्युतीकृत गांवों को नियमित विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? वर्तमान एवं आगामी समय में कुल कितने गांवों को विद्युतीकृत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थलीसैण के अन्तर्गत दि० 31-3-93 तक 53 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है जिनकी सूची संलग्न है।

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1993-94 में इस विकास खण्ड के 10 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है तथा इस विकास खण्ड के कुल 224 राजस्व ग्रामों में से 171 का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में होना है, किन्तु उक्त 171 ग्रामों में से पट्टी चौबान के 72 ग्राम ग्रिड लाइनों से बहुत दूर स्थित होने एवं घने जंगलों से घिरे होने के कारण इन ग्रामों का विद्युतीकरण केवल वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से ही सम्भव है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 185–186 पर)

विद्युत वितरण खण्ड, सुल्तानपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण एवं कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्रामों में किये गये कार्य एवं उक्त मद में हुआ भुगतान

150–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड, सुल्तानपुर में वर्ष 1990-91 एवं 91-92 में ग्रामीण विद्युतीकरण एवं कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों में कार्य कराया गया है ? उक्त कार्य किन-किन ठेकेदारों से कराया गया ? उक्त कार्य के लिये विभाग को कितना धन मिला ? उक्त मद से कितना भुगतान अब तक किया गया ? क्या कुछ ठेकेदारों का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो कितना ? क्या उक्त मद में प्राप्त धन को किसी अन्य मद में खर्च कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विद्युत वितरण खण्ड, सुल्तानपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 76 ग्रामों में तथा वर्ष 1991-92 में 2 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य कराया गया। "कुटीर ज्योति योजना" के अन्तर्गत उक्त वर्षों में कोई विद्युतीकरण का कार्य नहीं कराया गया। विद्युतीकरण का कार्य जिन

ठेकेदारों से कराया गया उनकी सूची† संलग्न है । उक्त कार्य के लिये वर्ष 1990-91 में रु० 10.51 लाख तथा वर्ष 1991-92 में रु० 3 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी । उक्त मद में अब तक रु० 16.60 लाख का भुगतान किया गया ।

जी हां । कुल रु० 8.51 लाख की धनराशि अभी तक बकाया है । उक्त मद में प्राप्त धन को किसी अन्य मद में खर्च नहीं किया गया है ।

151–श्री बैजनाथ रावत–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उ० प्र० आवास विकास परिषद्, लखनऊ के इन्द्रानगर कालोनी में सेक्टर डी० के अन्तर्गत निरस्त मकानों का आवंटन

152–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की जनपद लखनऊ की इन्द्रा नगर कालोनी के सेक्टर–8 तथा सेक्टर-डी के मध्यम आय वर्ग (सेमी फिनिस्ड) के किस-किस नम्बर के आवास अभी तक आवंटित नहीं किये गये हैं अथवा आवंटन से छूट गये हैं ? आवास संख्या 8/194, 8/203 तथा डी-1233 किसे आवंटित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या आवंटन से छूट गये हैं ? क्या यह सही है कि आवंटियों द्वारा निर्धारित धनराशि जमा न करने के कारण कुछ मकानों के आवंटन आदेश निरस्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो इन आवासों के नम्बर तथा वर्तमान मूल्य क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

परिषद् की इन्दिरा नगर आवास योजना लखनऊ के सेक्टर–8 तथा सेक्टर-डी के मध्यम आय वर्ग (सेमी फिनिस्ड) सभी आवास आवंटित हैं ।

मध्यम आय वर्ग भवन सं०–8/194 श्री कैलाशा चन्द्र अग्रवाल को आवंटित है ।

भवन सं०–8/203 भूतपूर्व विधायक श्री अकबाल हुसैन को आवंटित है ।

भवन सं०–डी–1233 श्री के० के० श्रीवास्तव को आवंटित है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्तमान समय में सेक्टर–8 तथा सेक्टर-डी में कोई भवन निरस्त होकर रिक्त नहीं है ।

जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत जल निगम की शाखायें व खण्ड एवं मस्टररोल से फर्जी भुगतान रोके जाने की मांग

153–श्री बची सिंह रावत–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में जल निगम की कितनी शाखायें व खण्ड कार्यरत हैं ? क्या वहां पर जल निगम द्वारा मस्टररोल से फर्जी भुगतान करने की आम शिकायत समाप्त की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† छापी नहीं गयी ।

श्री रमा शंकर कौशिक–

जनपद अल्मोड़ा में उ० प्र० जल निगम की 8 शाखायें और एक मण्डल है ।

जल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार मस्टररोल के फर्जी भुगतान करने की आम शिकायत नही है। यदि कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर कार्यवाही की जाती है । सामान्यतया मस्टररोल पर कार्य न कराने के आदेश पारित किये गये हैं । विशिष्ट परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करके ही मस्टररोल पर कार्य कराये जाते हैं ।

जनपद वाराणसी में ट्रक सं० यू० एस० एम० 4793 का स्वामित्व एवं उक्त ट्रक के गुम हो जाने विषयक रिपोर्ट व कार्यवाही

154–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में पंजीकृत ट्रक संख्या–यू० एस० एम० 4793 का पंजीकरण वर्ष 1993 के लिये नवीनीकृत किया गया है ? यदि हां, तो उक्त ट्रक किसके स्वामित्व में है ? क्या परिवहन विभाग को जानकारी है कि उक्त ट्रक के गुम हो जाने की प्राथमिकी थाना–जैतपुरा, जिला–फैजाबाद में मु० अ० संख्या–32/92 धारा 406 आई० पी० सी० के अन्तर्गत दिनांक 7-9-92 को दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या उक्त नं० ट्रक का पंजीकरण निरस्त किये जाने की कार्यवाही निरस्त की गयी ?

श्री आर० के० चौधरी–

परिवहन वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया जाता बल्कि प्रति दूसरे वर्ष स्वस्थता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है । वाराणसी में पंजीकृत ट्रक सं०–यू० एस० एम० 4793 एक परिवहन वाहन है जिसकी स्वस्थता प्रमाण-पत्र 05-2-89 को समाप्त हो गयी है । अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–56 के अन्तर्गत इसका पंजीयन वर्ष 1993 के लिये वैध नहीं माना जायेगा ।

कार्यालयाभिलेखानुसार उक्त ट्रक सर्वश्री हरी प्रसाद एवं भवानी दत्त पुत्र सर्वश्री रमाशंकर एवं कृष्ण भट्ट; निवासी–एस–4/150/1003 अर्दली बाजार, वाराणसी के स्वामित्व में है ।

उक्त ट्रक के गुम हो जाने की कोई सूचना वाहन स्वामी, अथवा अन्य द्वारा परिवहन विभाग को नहीं दी गयी थी । पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इस ट्रक के संबंध में अपराध संख्या–32/92 धारा 406 भा० द० वि० के अन्तर्गत थाना जैतपुर, फैजाबाद में 25-2-92 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, न कि दिनांक 7--9-92 को ।

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद द्वारा सूचित किया गया है कि अभियुक्त तथा ट्रक का कोई पता नहीं चल पाया जिससे मुकदमें में विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 6-9-92 को प्रेषित की जा चुकी है ।

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी, फैजाबाद से प्राप्त सूचना के आधार पर नियमान्तर्गत पंजीकरण निरस्त करने पर विचार करने हेतु संम्भागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी को निर्देशित किया जा रहा है ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना के ग्रामों में खराब पड़े ट्रांसफार्मर एवं उनके बदले जाने की मांग

155–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना में किस-किस ग्राम सभा में ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं ? वहां कितने वर्षों से विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध है ? क्या सरकार भविष्य में ट्रांसफार्मरों को बदलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मुजेहना विधान सभा क्षेत्र के 5 ग्रामों में ट्रांसफार्मर जल गये थे । 5 में से 3 ग्रामों में ट्रांसफार्मर बदला जा चुका है । शेष दो ग्रामों में ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया जिनका विवरण निम्नवत् है :—

1–ग्राम समदा, विकास खण्ड मुजेहना का ट्रांसफार्मर 3 वर्ष पूर्व जला था जिसे बदला नहीं गया । इस ग्राम के विद्युतीकरण की तिथि से अब तक मात्र एक कनेक्शन है जो बिजली का बिल अदा न करने पर कनेक्शन कटा है ।

2–ग्राम सोनबरसा, विकास खण्ड पड़री कृपाल का ट्रांसफार्मर तीन वर्ष पूर्व जला था । इस ग्राम में कोई कनेक्शन न होने के कारण ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया है ।

पर्याप्त कनेक्शन न होने के कारण ट्रांसफार्मर लगाना सम्भव नहीं है ।

जनपद रामपुर में ग्राम सैफनी व मधुकर, तहसील शाहाबाद में शासन द्वारा स्वीकृत 132 के० वी० विद्युत उपगृह केन्द्र तथा इसे स्थापना किये जाने की मांग

156–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि सरकार द्वारा ग्राम सैफनी व मधुकर, तहसील शाहाबाद, जनपद रामपुर में 132 के० वी० के विद्युत उपगृह केन्द्र की स्वीकृति दे दी गयी थी ? यदि हां, तो अभी तक उक्त केन्द्रों की स्थापना न होने का क्या कारण है ? यदि स्थापना होगी तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह प्रस्ताव सम्मिलित नहीं है .

जनपद रामपुर के ब्लाक शाहाबाद व ब्लाक चमरोआ में विद्युतीकरण हेतु चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण एवं अवशेष ग्रामों को विद्युतीकरण किये जाने की मांग

157–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रामपुर के ब्लाक शाहाबाद व ब्लाक चमरोआ में पिछले 10 वर्षों से आज तक चयन समिति द्वारा किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु चयन किया गया है ? क्या चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से ग्राम हैं ? क्या जिन ग्रामों में अभी तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं हो सका है, उन चयनित शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया, रामपुर कारखाना, पथरदेवा विकास खंड के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत खम्भे गिराये गये गांवों का विवरण एवं अपूर्ण विद्युतीकरण गांवों को विद्युतीकरण किये जाने की मांग

158–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के देवरिया, रामपुर कारखाना, पथरदेवा विकास खण्ड के अन्तर्गत कितने गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत खम्भे गिरा कर छोड़ दिये गये हैं ? उक्त गांव कौन-कौन से हैं ? इन ग्रामों में अपूर्ण विद्युतीकरण के लिये दोषी लोग कौन-कौन हैं ? ऐसे गांवों का विद्युतीकरण कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

देवरिया जनपद के देवरिया, रामपुर कारखाना व पथरदेवा विकास खण्ड में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत 19 ग्रामों में खम्भे गिरे पड़े हैं । यह गांव निम्न हैं :—

विकास खण्ड देवरिया

1–असना

2–विशनपुरा

3–चौवरिया पट्टी

4–सरैया

विकास खण्ड रामपुर कारखाना

5–मदरापाली

6–रघवापुर

7–मुड़ेरा मिश्र

8–तवक्कापुर

9–पकड़ी

10–सवरेजीरम

11–विशुनपुरा

12–विशुनपुर खुर्द

13–भरौटा

14–कुसम्हा बेतवा

15–सरजहीचक अगवा

16–वैकुन्ठपुर

17–बरियापुर का टोला रघुनाथपुर

18–रामपुर खुर्द

विकास खण्ड पथरदेवा

19–पोखरभिन्डा

19 ग्रामों में से चार ग्रामो (1–असना, 2–विशुनपुरा, 3–चौवरिया पट्टी, 4–सरैया) को छोड़कर शेष 15 ग्रामों का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार विद्युतीकरण किया जा चुका है।

19 ग्रामों में से निम्न पांच ग्रामों का चयन एल० टी० मेन्स डालकर सघन विद्युतीकरण के लिये वर्ष 93-94 में चयन कर लिया गया है :–– 1–असना, 2–विशुनपुरा, 3–बैकुन्ठपुर, 4–बरियारा का टोला रघुनाथपुर, 5–रामपुर खुर्द। शेष ग्रामों का सघन विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निभर है। तदनुसार कार्यवाही की जायेगी। अतः किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

जिला वाराणसी में कतिपय विकास खण्डों के गांवों का विद्युतीकरण एवं लक्ष्य से शेष गांवों का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

159–श्री रंगनाथ–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औराई विकास खण्ड, भदोही विकास खण्ड, सेवापुरी विकास खण्ड, जिला वाराणसी में कितने गांवों का विद्युतीकरण पिछले दो वर्षों में हुआ है ? क्या जितना विद्युतीकरण हुआ है उससे लक्ष्य पूर्ण हुआ है ? यदि नहीं, तो शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक पूर्ण होगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जिला वाराणसी में पिछले दो वर्षों (वर्ष 1991-92 एवं 1992-93) में औराई विकास खण्ड में शून्य, भदोही विकास खण्ड में 2 गांवों (91-92) में सबरपुर एवं 92-93 में कपाल्डीह) एवं सेवापुरी विकास खण्ड में 4 गांवों (91-92 में ठटेरा, 92-93 में ओदरहा पूरे बरियार एवं रामपुर) का विद्युतीकरण हुआ है। केवल सेवापुरी ब्लाक को छोड़कर विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर दिया गया। सेवापुरी ब्लाक में वर्ष 91-92 में दो के विरुद्ध केवल एक गांव का ही विद्युतीकरण हुआ। शेष एक गांवे को अगले वर्ष 92-93 में पुनः चयनित होने पर पूरा कर दिया गया।

जनपद देवरिया में विश्व बैंक की सहायता से लगे ट्यूबवेलों में लगे विद्युत तार, ट्रांसफार्मर के चोरी होने के बाद उन्हें पुनः उपयोगी बनाये जाने की मांग

160–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में नहरों के किनारे जल स्तर को बरकरार रखने हेतु लगाये गये ट्यूबवेलों में विश्व बैंक की सहायता से लगाये गये लाइनों के विद्युत तार, ट्रांसफार्मर एवं मोटर चोरी हो गये हैं ? यदि हां, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या उन ट्यूबवेलों को उपयोगी बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग में निर्माणाधीन रुके 31 के० वी० विद्युत सब स्टेशन कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग

161–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग में निर्माणाधीन 31 के० वी० विद्युत सब स्टेशन का कार्य कब शुरू हुआ था ? इसका निर्माण कार्य क्यों रुका हुआ है ? इस सब स्टेशन का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग में निर्माणाधीन 33 के० वी० विद्युत सब स्टेशन का कार्य अप्रैल, 1990 में शुरू किया गया था । देवप्रयाग विद्युत सब स्टेशन मार्च, 1991 में बन गया था परन्तु लाइन का निर्माण पूरा न होने के कारण ऊर्जीकृत नहीं हो पाया । दिनांक 12-2-94 को लाइन एवं विद्युत सब-स्टेशन का कार्य पूर्ण कर दिया गया है ।

जनपद बाराबंकी के कस्बा रुदौली में 8 घंटा जलापूर्ति किये जाने की मांग

162–श्री मित्र सेन यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के कस्बा रुदौली में जलापूर्ति कितने घण्टे की जाती है ? क्या यह सही है कि उक्त कस्बे में मात्र चार घंटे जल सप्लाई की जाती है ? जिससे जनता को पानी के अभाव मे अत्यधिक कठिनाई उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार विभिन्न चरणों में आठ घण्टा जल सप्लाई वहां पर किये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जनपद बाराबंकी के कस्बा रुदौली में नगर पालिका द्वारा जलापूर्ति प्रतिदिन सात घण्टे की जाती है ।

जी नहीं ।

विद्युत आपूर्ति निरन्तर न मिलने की स्थिति में आठ घंटे जलापूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है, तथापि 6 इंडिया मार्क–2 हैण्डपम्प एवं 150 वाटर पोस्ट स्थापित कर जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

163–श्रीमती रानी देवलता–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद बाराबंकी के कस्बा रुदौली में विद्युत आपूर्ति नियमित किये जाने की मांग

164–श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के कस्बा रुदौली में वर्तमान समय में कितने घण्टे बिजली आपूर्ति की जा रही है ? क्या यह सही है कि उक्त कस्बे में प्रतिदिन सैकड़ों बार विद्युत सप्लाई रोक-रोक कर की जाती है जिससे वहां के निवासियों को अत्यधिक कठिनाई उठानी पड़ती है ? क्या सरकार विद्युत आपूर्ति नियमित किये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद बाराबंकी के कस्बा रुदौली में प्रतिदिन 18 घण्टे औसतन विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

जी नहीं । कभी-कभी ट्रिपिंग/रोस्टरिंग के कारण आपूर्ति कुछ समय के लिये बाधित होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

165–श्री रमेश पोखरियाल निशंक–

[तीसरे बुध में अता० प्र० सं०–168 पर स्थानान्तरित]

जनपद सोनभद्र में कतिपय बांगा क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे वाहनों को नियमित किये जाने की मांग

166–श्री विजय सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में राबर्ट्सगंज, चोपन, दुद्धी, डाला, रेनुकूट, आगरा, अनपरा, शक्तिनगर थाना क्षेत्रों में पुलिस की सांठगांठ से कितनी अवैध टैक्सी व जीपें चलती हैं ? क्या यह सही है कि इससे लाखो रुपये के राजस्व की सरकार को क्षति होती है ? यदि हां, तो मंत्री जी इन अवैध वाहनों को नियमित करने की दिशा में कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री आर० के० चौधरी–

जनपद सोनभद्र में राबर्ट्सगंज, चोपन, दुद्धी, डाला, रेणुकूट, अनपरा, शक्तिनगर थाना क्षेत्रों में 1 अप्रैल, 1993 से 31 जनवरी, 1994 तक 56 जीप/टैक्सी अवैध रूप से संचालित पायी गयी ।

यदि कोई वाहन बिना परमिट संचालित होती है तो उससे सरकार को राजस्व की क्षति होती है ।

परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल द्वारा वाहनों के अवैध संचालन पर नियंत्रण हेतु नियमित चैकिंग की जाती है । अप्रैल, 1993 से जनवरी, 1994 के बीच बिना परमिट चलने वाली 56 वाहनों के चालान किये गये और उनमें से 23 वाहनों को बन्द किया गया । चालान के फलस्वरूप शमनशुल्क रुपया 6,350 एवं मार्गकर रु० 12,010 वसूल किया गया । न्यायालय द्वारा भी रुपया 8,129 जुर्माना किया गया । 12 जीपें/टैक्सी के विरुद्ध यात्रीकर अधिनियम की कार्यवाही की जा रही है । बिना परमिट जीपें/टैक्सी को परमिट से आच्छादित कराने के लिये वाहन स्वामियों को बाध्य/प्रोत्साहित किया जा रहा है और भविष्य में भी बिना परमिट संचालित वाहनों को परमिट से आच्छादित कराने की कार्यवाही की जाती रहेगी ।

जनपद–सोनभद्र के तेड़बुड़वा के मार्गों पर अवैध रूप से चल रही बसों के नम्बर एवं परमिट तथा राजस्व की क्षति

167–श्री विजय सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सोनभद्र के तेड़बुड़वा से कौन मार्ग पर कितनी और नम्बर की बसें चलती हैं ? उनके परमिट कहां से कहां तक जारी हैं ? उनमें से किन-किन बसों के ऊपर कितना-कितना रोड टैक्स अभी बाकी है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त बसें आर० टी० ओ० और पुलिस की सांठ-गांठ से अवैध रूप से तेल बुड़वा से कौन मार्ग पर चल रही हैं जिससे लाखों रुपये सालाना राजस्व की क्षति सरकार की हो रही है ? यदि हां, तो मंत्री जी इस मामले में कब तक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

तेड़बुड़वा कोन दुद्धी 62 किमी० का मार्ग है जिस पर आर० टी० ए० परमिट से आच्छादित निम्नलिखित 11 बसें चल रही हैं । इन बसों के नम्बर और उनके परमिटों में स्वीकृत मार्ग के विवरण निम्नवत् हैं :–

क्रम सं० वाहन संख्या	परमिट में स्वीकृत मार्ग का नाम
1–यू० आर० जेड 1808	तेड़बुड़वा–कोनदुद्धी
2–यू० पी० सी० 8156	—तदैव—
3–सी० पी० एल० 8017	—तदैव—
4–यू० एच० जेड० 8625	—तदैव—
5–वी० पी० सी० 6355	—तदैव—
6–यू० एम० जेड० 8907	—तदैव—
7–यू० पी०–65 सी–960	—तदैव—
8–यू० पी० 65 बी० 5027	—तदैव—
9–बी० एच० 24 एच 1047	—तदैव—
10–यू० पी० 61 4335	—तदैव—
11–यू० पी० एफ० 3073	—तदैव—

उक्त 11 बसों में क्रमांक–7 पर उल्लिखित बस संख्या–यू० पी०–65/सी–960 का मार्ग कर 30-9-93 तक जमा है और 1-10-93 से 31-3-94 तक रु० 3600/- बकाया है जिसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है । शेष 10 बसों का मार्ग कर 31-3-94 तक जमा है ।

चूंकि उपरोक्त सभी बसें परमिटों से आच्छादित है और नियमित रूप से मार्ग कर/यात्रीकर जमा कर रही है अतएव अनधिकृत रूप से संचालित होने का प्रश्न नहीं होता है । यदि कोई बस बिना परमिट के अवैध संचालन करती हुई पायी जाती है तो प्रवर्तन अधिकारी ऐसी वाहनों को चेक/चालान करके उनसे देय करों की वसूली करते रहते हैं ।

अलीगढ़ नगर में तोड़ी गई सड़कों के निर्माण हेतु उ० प्र० जल निगम द्वारा धनराशि भुगतान किये जाने की मांग

168–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बातायेंगे कि क्या उनके विभाग में नियम बना हुआ है कि जल निगम जिन सड़कों को वाटर लाइन या सीवर लाइन डालने के लिये तोड़ेगा, उनके पुनः निर्माण के लिये आवश्यक धन देना ? यदि हां, तो अलीगढ़ नगर की पिछले तीन सालों में तोड़ी गई सड़कों का धन न दिये जाने का क्या कारण हैं ? क्या सरकार सड़कों के निर्माण के लिये शीघ्र उचित कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

अलीगढ़ नगर में पिछले तीन वर्षों में तोड़ी गई सड़कों के निर्माण हेतु विश्व बैंक पोषित पेयजल एवं सीवरेज योजनाओं पर किये गये निर्माण कार्य हेतु उ० प्र० जल निगम द्वारा निम्नलिखित धनराशि का भुगतान किया गया है :–

(क) अलीगढ़ नगर पालिका को रु० 10.34 लाख

(ख) लोक निर्माण विभाग अलीगढ़ को रु० 2.716 लाख

कुल योग :– रु० 13.056 लाख

अलीगढ़ की सड़कों के निर्माण हेतु शासन द्वारा स्थानीय निकायों को अनुमन्यता के आधार पर सड़कों, उससे किनारे की नालियों, बन्द नालियों तथा उसे सीवरेज से जोड़ने के प्रयोजनार्थ चालू वित्तीय वर्ष 1993-94 में नगर पालिका अलीगढ़ को रु० 41.60 लाख साधारण सड़क अनुदान दिनांक 16-10-93 को एवं रु० 8.00 लाख का अतिरिक्त सड़क अनुदान दिनांक 4-11-93 को कुल रू० 49.60 लाख स्वीकृत किया जा चुका है ।

जनपद सोनभद्र के दुद्धी तहसील के म्योरपुर, बभनी व दुद्धी विकास खण्ड के ग्रामों में विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

169–श्री विजय सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के दुद्धी तहसील के म्योरपुर, बभनी व दुद्धी विकास खण्ड के समस्त ग्रामों को विद्युतीकरण की कोई योजना थी ? यदि हां, तो उस योजना के तहत तीनों विकास खण्ड में कितने ग्रामों की विद्युतीकरण किया गया और कितने ग्राम अभी विद्युतीकरण के लिये बाकी हैं ? उन बाकी गांवों का विद्युतीकरण कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नही, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि कुल विद्युतीकृत ग्रामों में से कितने गांवों में बिजली जल रही है ? यदि नहीं जल रही है तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । जनपद सोनभद्र के दुद्धी तहसील के ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद द्वारा प्रदत्त पूरे जनपद में ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य के अनुरूप तथा प्रतिवर्ष जिला स्तरीय विद्युत एवं सिंचाई सलाहकार समिति द्वारा चयनित ग्रामों के लिए अनवरत रूप से लागू हैं ।

तीनों विकास खण्ड में 107 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा अभी 170 ग्राम विद्युतीकरण के लिए बाकी हैं । इन ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

44 गांवों में बिजली जल रही है । बभनी विकास क्षेत्र में तारों की चोरी हो जाने के कारण वर्तमान में विद्युत आपूर्ति बाधित है । म्योरपुर एवं दुद्धी विकास खण्ड के ऐसे ग्राम जहां वर्तमान में विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है उसका कारण कुछ स्थानों पर तार/फेज क्षतिग्रस्त/चोरी हो जाना तथा कुछ स्थानों पर एक भी उपभोक्ता न होना है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना सेक्टर–बी के व्यवसायिक केन्द्र में दुकानों का निर्माण एवं आवंटन

170–श्री तेजपाल सिंह–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना सेक्टर-बी के व्यावसायिक केन्द्र में दुकानों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त केन्द्र में कितनी दुकानें बनायी गयी हैं और उनका आवंटन किन-किन व्यक्तियों को कब-कब किया गया है ? क्या सभी आवंटियों ने निर्धारित अवधि के भीतर दुकानों का मूल्य जमा करके रजिस्ट्री कराके कब्जा प्राप्त कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार निर्धारित अवधि के दुकानों का मूल्य न जमा करने वाले आवंटियों का आवंटन आदेश निरस्त करके अन्य व्यक्तियों की दुकानें आवंटित किये जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

कुल 178 दुकानें ।

दिनांक 20-12-89 को लाटरी द्वारा 168 दुकानों का तथा दिनांक 28-10-92 को अवशेष पंजीकृत व्यक्तियों के पक्ष में लाटरी द्वारा आवंटन किया गया ।

जी नहीं । लगभग 30 व्यक्तियों द्वारा रजिस्ट्री कराकर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है अवशेष आवंटीगणों द्वारा रजिस्ट्री की कार्यवाही प्रक्रिया में है ।

वर्तमान में आवंटन हेतु दुकानें रिक्त नहीं हैं । किसी आवंटी द्वारा प्राधिकरण से स्वेच्छा से जमा धनराशि वापस प्राप्त की जाती है या धनराशि व जमा किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त किया जाता है तो प्राधिकरण में प्रचलित नियमों के तहत रिक्त दुकानों का आवंटन किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन द्वारा उप नगर अधिकारी नगर महापालिका, बरेली के विरुद्ध गम्भीर घोटाले की जांच के आदेश एवं कार्यवाही

171–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा नगर महापालिका, बरेली को अपने गोपनीय पत्र सं०–1282/ए–9-7-93/88 एन० आर० वाई०/91 द्वारा उपनगर अधिकारी, नगर महापालिका, बरेली के विरुद्ध गम्भीर घोटाले की जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर मुख्य नगर अधिकारी ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

शासन के संदर्भित पत्र द्वारा मुख्य नगर अधिकारी, बरेली को श्री मो० सलीम खां, चेयरमैन, उ० प्र० युवक कांग्रेस (इ), श्रमिक प्रकोष्ठ, बरेली के शिकायती पत्र दिनांक 29 अगस्त, 93 पर जांच के उपरान्त समुचित कार्यवाही करने के आदेश दिये गये थे ।

शिकायतों की जांच मुख्य नगर अधिकारी, बरेली ने अपर मुख्य नगर अधिकारी द्वारा कराई । जांच आख्या में समस्त आरोपों को निराधार पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

172–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 400 के० वी० उपकेन्द्र मऊ पर बनाये गये आर० सी० सी० के खम्भों एवं फाउन्डेशन पर रेहट्रीटमेन्ट का कार्य एवं लागत

173–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 400 के० वी० उपसंस्थान मऊ पर बनाये गये आर० सी० सी० के खम्भों एवं फाउन्डेशन पर रेहट्रिटमेन्ट किया गया है ? क्या इसकी तकनीकी रूप से आवश्यकता था ? यदि नहीं, तो किस अधिकारी के आदेश से यह कार्य किया गया था ? उस पर कितनी लागत आयी थी एवं ठेकेदारों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 400 के० वी० उपकेन्द्र मऊ पर बनाये गये आर० सी० सी० के खम्भों एवं फाउन्डेशन पर रेहट्रीटमेन्ट का कोई कार्य नहीं कराया गया है । आर० सी० सी० स्ट्रक्चर पर रेहट्रीटमेन्ट की तकनीकी दृष्टि से कोई आवश्यकता नहीं थी तथा इस मद में कोई खर्चा नहीं किया गया एवं ठेकेदारों को कोई भुगतान नहीं किया गया ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत स्थायी विद्युत विच्छेदन के मामले एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

174–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत स्थाई विद्युत विच्छेदन के कितने मामले मार्च, 92 से जुलाई, 1993 तक विद्युत वितरण खण्ड प्रथम/द्वितीय जौनपुर, आजमगढ़ एवं देवरिया में लम्बित हैं ? उनका निस्तारण न होने के क्या कारण हैं ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू) लखनऊ में कार्यरत एक्स लाइसेंसी कर्मचारियों का परिषदीय वेतनमानों में सज्जीकरण/वर्गीकरण किये जाने हेतु समिति का गठन

175–श्री भगवती प्रसाद शुक्ला–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू) लखनऊ में कार्यरत एक्स-लाइसेंसी कर्मचारियों का परिषदीय वेतनमानों में सज्जीकरण/वर्गीकरण किये जाने हेतु किसी समिति का गठन किया गया है ? उक्त समिति कब गठित की गयी तथा उसमें कौन-कौन अधिकारी हैं ? उक्त समिति द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा लेसू के एक्स-लाइसेंसी कर्मचारियों का वर्गीकरण/सज्जीकरण किस तिथि तक कर दिया जायेगा ? उक्त कार्य में विलम्ब के लिये कौन अधिकारी दोषी हैं तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी व कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त समिति का गठन दिनांक 21-6-1993 को किया गया था जिसमें मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) अध्यक्ष, मुख्य अभियन्ता (लेसू) एवं उप मुख्य लेखा अधिकारी सदस्य तथा स्थानीय अभियन्ता (वितरण प्रथम) लेसू संयोजक हैं ।

उक्त समिति ने दिनांक 1-1-1994 को कार्यरत 178 एक्स-लाइसेंसी कर्मचारियों में से 136 कर्मचारियों के सज्जीकरण/वर्गीकरण की संस्तुति कर दी है तथा इसके आदेश दिनांक 31-1-94 को निर्गत किये जा चुके हैं । शेष 42 कर्मचारियों के मामले शीघ्र ही निर्णीत कर दिये जायेंगे ।

विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु जांच करायी जा रही है ?

महमूदाबाद (सीतापुर) के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं से अन्य जिले के विद्युत उपभोक्ताओं से ज्यादा विद्युत बिल लिया जाना एवं उसे वापस किये जाने की मांग

176–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महमूदाबाद (सीतापुर) के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से अन्य जिलों (बाराबंकी आदि) के कनेक्शन धारकों से ज्यादा विद्युत बिल लिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अन्य जनपदों से ज्यादा लिये गये बिल की रकम कनेक्शन धारकों को वापस कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । पंखा-बत्ती के ग्रामीण क्षेत्र के कुछ उपभोक्ताओं जिनका बिल टैरिफ के अनुसार निश्चित अवधि (फ्लेट रेट) पर बनना चाहिए था वह यूनिट आधार पर बना दिया गया जिसके कारण कुछ धनराशि अधिक ले ली गयी है ? अधिक ली गयी धनराशि का समायोजन कम्प्यूटर को आवश्यक डाटा भेजकर कर दिया गया है । अन्य जनपदों में, जहां यह त्रुटियां उपभोक्ताओं द्वारा जानकारी में लायी जाती है या परिषद् को स्वतः पता चलती है यह तत्काल ठीक कर दी जायेगी ?

जिला वाराणसी के ब्लाक पिंडरा के अन्तर्गत स्वच्छ पेयजल योजना के अन्तर्गत सूख गये कुएं की जगह हैण्डपम्प स्वीकृति किये जाने की मांग

177–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि स्वच्छ पेयजल योजना के अन्तर्गत गांव कोर्रा, मानपुर, नयेपुरा, राजपुरा, जेंगर, अमौत, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के अधिकांश कुएं सूख गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रति गांव चार-चार हैण्ड पम्प की स्वीकृति देकर पानी उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्रश्नगत मामले में कुओं का जल स्तर नीचे चला गया है ।

जी नहीं ।

ग्राम जेंगर, अमौत का मजरा है तथा ग्राम नैपुरा, राजपुर का मजरा है । ग्राम कोर्रा, मानपुर, राजपुर तथा अमौत मंगारी पाइप पेयजल योजना में सम्मिलित है जिसे आगामी वित्तीय वर्ष में चालू किये जाने का लक्ष्य है ।

जनपद वाराणसी में कतिपय सूख गये कुओं के कारण पानी की समस्या एवं हैण्ड पम्प लगाने की मांग

178–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नटवां, खरगपुर, बड़वापुर, दादूपुर गांव सभा चकखरापन तथा खररियां, खररियां कलूके पिरांव ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में कुएं सूख गये हैं, जिसके कारण पीने के पानी की समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

प्रश्नगत ग्राम बड़वापुर, दादूपुर, खररिया तालुकेन विरांव, विरांवकोट पेयजल योजना से लाभान्वित है जिसकी आपूर्ति की जा रही है । चकखरावन अनेई ग्राम समूह पेयजल (निर्माणाधीन) से संबंधित है ।

उक्त समस्त ग्राम पाइप पेयजल योजना के अधीन होने के कारण वर्तमान में हैण्ड पम्प लगाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 158, 160 और 174 के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

रवीन्द्र प्रताप जी प्रश्न 158, 160 और 174 के संबंध में कुछ व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहते हैं ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, विद्युत विभाग ने जिन तमाम प्रश्नों के उत्तर दिये है उसके बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मैं प्रश्न 158, 160 और 174 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि हम लोग प्रश्न इसलिये करते हैं प्रदेश की तमाम सारी समस्याओं का निदान हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मल्ल जी अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो पुनः प्रश्न करके पूछ लीजियेगा इन्हें यहां अभी कहने से कोई फायदा नहीं है । आप पहले मेरी बात तो सुन लें, मैं क्या कह रहा हूं ।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मेरे प्रश्न के संबंध में इतने दिनों के बाद सूचना दी गयी कि सूचना एकत्र की जा रही है । इतने ट्रांसफार्मर चोरी हो गये, करोड़ों रुपये की क्षति हुई और यह ढाई महीने में जवाब दे रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है । यह जनहित के लिये ठीक नहीं है ।

श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा को समतावादी ग्रुप के नेता के रूप में मान्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धी सूचना

श्री अध्यक्ष–

पहले मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दिनांक 4 मार्च, 1994 को स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होकर मुझे अपना पत्र दिनांक 4 मार्च, 1994 दिया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि वे विधान सभा में कम्युनिस्ट पार्टी विधान मण्डल दल के नाम से तीन सदस्यीय दल के सदस्य हैं । उनके उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विधान दल में विभाजन हो जाने के फलस्वरूप उन्होंने उक्त पार्टी से अलग होने का निर्णय लिया है और एक अलग समतावादी ग्रुप का गठन किया है जिसके वे नेता रहेंगे । श्री मित्रसेन यादव ने यह अनुरोध किया है कि उनके समतावादी ग्रुप तथा उसके नेता के रूप में उन्हें यह मान्यता प्रदान की जाय ।

मैंने भारत के संविधान के दसवीं अनुसूची के पैरा–3 के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए श्री मित्रसेन यादव को जो विधान सभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, जिसमें तीन सदस्य हैं, उक्त पार्टी से अलग समतावादी ग्रुप के गठन किये जाने की मान्यता दे दी है और उन्हें उक्त ग्रुप का नेता अभिज्ञात किया है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 4 मार्च, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं। इनमें से पहली सूचना श्री अमर नाथ यादव की वाराणसी उत्तरी के मोहल्ला नक्खीघाट व मढ़िया में सीवर न होने एवं बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(डा० रामबाबू हरित का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित होने पर)

श्री हरबंश कपूर की सूचना देहरादून नगर के मध्य से गुजरने वाले नाले की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री सतीश भाटिया की सूचना लखनऊ के क्षेत्र आलमबाग स्थित जय प्रकाश नगर की जल भराव समस्या का निदान कराने के संबंध में।

(श्री रतन लाल पंवार का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित होने पर)

(श्री गनपत सिह का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित होने पर)

श्री मदन गोपाल वर्मा की सूचना फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्र की पाराध नई सहकारी समिति में पूर्व नियुक्त सचिव द्वारा किसानों की धनराशि का गबन करने की जांच एवं खातेदारों से वसूली रोककर सचिव के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में।

3 माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं उनकी जगह पर प्रतीक्षा सूची में जो दो नाम हैं उनकी सूचना ली जायेगी। श्री कुंवर सर्वराज की सूचना आवास विकास परिषद् योजना नं०–6 बरेली द्वारा अधिग्रहीत किये गये प्लाटों को मुक्त कराने के संबंध में है और श्री पारसनाथ यादव की सूचना जौनपुर के बरसठी क्षेत्र में निर्माणाधीन शारदा सहायक खंड 39 इलाहाबाद रजबहा को शीघ्र निर्मित कराये जाने के संबंध में है। चूंकि तीन सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिये जिन सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी हैं उनमें से पहली सूचना श्री वंशीधर भगत की है। यह सूचना मैं ले रहा हूं। यह सारी सूचनायें पढ़ी हुई समझी जायेगी।

माननीय सदस्य श्री बरफिया लाल जुवांठा, माननीय सत्य प्रकाश विकल, श्री श्याम देव राय चौधरी, डा० सरजीत सिह डंग, श्री धनराज यादव, श्री रमेश बहादुर सिंह, श्री हृदय नारायण, श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री रवीन्द्र शुक्ला, श्री आचार्य जगदीश मुनि, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री बची सिंह रावत, श्री मुक्ति नाथ यादव, श्री राम कुमार शुक्ल, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" की सूचनाओं को अग्राह्य किया गया है।

(निम्नलिखित सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

वाराणसी उत्तरी के मोहल्ला नक्खी घाट व मढ़िया में सीवर एवं बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमर नाथ यादव

। महोदय, आपका ध्यान उक्त लोक महत्व एवं अविलम्बनीय जनहित के प्रश्न की ओर खींचना चाहता हूं कि उक्त मुहल्ला नक्खी घाट व मढ़िया में तीस हजार से अधिक नागरिक रहते हैं। ये मुहल्ला

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1959 में नगर महापालिका के गठन के बाद नगर क्षेत्र में शामिल किये गये हैं। तभी से उक्त क्षेत्रों में आज तक पानी निकासी एवं सीवर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया फलस्वरूप बराबर गंदा पानी बहता रहता है और जगह-जगह एकत्रित होता है। यह स्थिति बरसात के दिनों में और भयंकरतम् हो जाती है। जगह-जगह पानी लगा रहता है जिससे गंदगी का साम्राज्य बना रहने से जान लेवा बीमारियां भी पैदा होती हैं और नागरिक के जान भी चले जाते हैं। आने-जाने का कोई रास्ता नहीं रहता है लोग गन्दे पानी में से होकर आते जाते हैं। जिससे लोग भयंकरतम् जान लेवा बीमारियो से ग्रसित होते हैं और मर भी जाते हैं। जो शासन के लिये उचित नहीं है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके संज्ञान में लाकर जनहित में उक्त कठिनाइयों एवं जानलेवा बीमारियों से मुक्ति दिलाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र सीवर लगाने एवं पानी के निकासी की मांग करता हूं।।

देहरादून नगर के मध्य से गुजरने वाले नाले की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरवंश कपूर–

।मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान देहरादून नगर के बीचों बीच से गुजरने वाले नाले से उत्पन्न स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह नाला नगर की घनी आबादी वाले क्षेत्र से गुजरता है। कई वर्षों से नाले की मरम्मत नहीं हुई है और इसकी सफाई की नियमित व्यवस्था भी नहीं है, क्षेत्र में सीवर व्यवस्था न होने के कारण कुछ लोगों ने अपने सीवर की लाइनें नाले में सीधी खोल ली हैं। क्षेत्र में अधिकतर निर्बल आय वर्ग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। नाले के कारण क्षेत्र में गम्भीर समस्या खड़ी हो गयी है। और कभी भी महामारी फैल सकती है और जन साधारण के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। क्षेत्र की जनता नाले की मरम्मत, सफाई एवं ढकने की समय-समय से मांग कर रहे हैं।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए निवेदन करता हूं कि इस पर विस्तृत चर्चा कराई जाये।।

आलमबाग (लखनऊ) स्थित जय प्रकाश नगर की जल भराव समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश भाटिया–

।मान्यवर, माननीय नगर विकास मंत्री को जानकारी होगी कि आलमबाग, जनपद लखनऊ में जयप्रकाश नगर पड़ता है। यहां की जमीन काफी ऊंची-नीची है, जिसके कारण से जलभराव की बड़ी गम्भीर समस्या है। आलमबाग क्षेत्र में कहीं सीवर लाइन नहीं है गहरी नाली बरसाती पानी की निकासी हेतु आवश्यक है पर यह भी कि पूरे क्षेत्र में नहीं है। अतः जयप्रकाश नगर के गन्दे पानी की निकासी हेतु सिंगारनगर (अवध नर्सिंग होम के पास से) वी० आई० पी० रोड नहर की दूसरी पट्टी में गहरा नाला बनवाया जाय तथा पूरे क्षेत्र (जयप्रकाश नगर) की नालियों से जोड़ कर इस क्षेत्र के जलभराव की समस्या का निदान कराया जाये। यह गहरा नाला प्रस्तावित है। धनाभाव के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। अतः जानना चाहता हूं कि यह कार्य कब तक प्रारम्भ होगा।।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जहानाबाद (फतेहपुर) की पराध नई सहकारी समिति में सचिव द्वारा किसानों की धनराशि गबन करने एवं खातेदारों से वसूली रोकर कर सचिव के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन गोपाल वर्मा–

[मान्यवर, जनपद फतेहपुर के विधान सभा जहानाबाद क्षेत्र की पराध नई सहकारी समिति में पूर्व नियुक्त सचिव (श्री इस्माइल) द्वारा 41 बकायेदारों से वसूली करके उन्हें रसीद दी गयी । किन्तु ये सभी प्रतियां 21-4-92 और 30-5-92 के बीच की गयी । कुछ की पास बुकों में भी लिख दिया गया किन्तु ज्ञात हुआ कि सचिव द्वारा वसूली गयी धनराशि बैक में जमा न कर गबन कर लिया गया है । गबन सचिव द्वारा किया गया, वसूली खातेदारों से की जा रही है ।

सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए खातेदारों से वसूली रोककर सम्बिन्धित सचिव के विरुद्ध कार्यवाही तथा खातेदारों को ऋण मुक्ति दिलाने की मांग करता हूं ।]

आवास विकास परिषद् योजना नं० 6 बरेली द्वारा अधिग्रहीत किये गये प्लाटों को मुक्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर सर्वराज सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न संदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

नगर महापालिका बरेली द्वारा कुछ प्लाट्स उदयपुर खास बरेली में नागरिकों के हाथ बेचे गये थे, जिन्हें आवास विकास परिषद् ने सन् 1983 में अधिग्रहीत किये जाने की सूचना जारी की थी परन्तु 10 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक न तो नागरिकों को मुआवजा ही दिया गया और न ही इनकी भूमि को छोड़ा ही गया । प्लाट्स स्वामियों को पता चला है कि अब उक्त योजना के तहत इन प्लाटों को आवास विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत नहीं किया जा रहा है । परिषद् की इस प्रकार से की जा रही अनियमित कार्यवाही से क्षेत्रीय जनता में काफी क्षोभ एवं असन्तोष व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मेरी मांग है कि प्लाट्स स्वामियों को हुई क्षतिपूर्ति को परिषद् द्वारा दिलाये जाने एवं उक्त योजना से प्लाटों को मुक्त कराये जाने हेतु निर्देश करने का कष्ट करें ।]

बरसठी (जौनपुर) क्षेत्र में निर्माणाधीन शारदा सहायक खण्ड–39 इलाहाबाद रजबहा को शीघ्र निर्मित कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पारसनाथ यादव–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोक महत्व की समस्या की तरफ आकृष्ट करते हुए निवेदन करना है कि जनपद जौनपुर का दक्षिणांचल बरसठी विधान सभा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि से दो नदियों के बीच में स्थित है क्षेत्र जहां आवागमन के साथ से पिछड़ा है वहीं सिंचाई विद्युत आदि की भी घोर समस्या है सिंचाई हेतु एक मात्र नहर शारदा सहायक खण्ड–39 इलाहाबाद रजबहा क्षेत्र के मध्य से होकर गुजर रही है लगभग 20 वर्षों से यह नहर निर्माणाधीन है किन्तु आज भी अधूरी पड़ी है कीही खुदाई हो गयी है तो वहां पानी नहीं पहुंच रहा है कहीं नहर खोदी ही नहीं गयी है इतना ही नहीं किसानों की गयी भूमि का प्रतिकर भी नहीं दिया गया है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।|

बेलवाल स्पिनिंग मिल्स रामनगर (नैनीताल) में पुराने श्रमिकों को न लिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बंशीधर–

[महोदय, निवेदन करना है कि बेलवाल स्पिनिंग मिल्स, रामनगर, जनपद नैनीताल प्रबन्धकों द्वारा काफी समय तक बन्द कर दी गयी, जिसमें सैकड़ों मजदूरों का महीनों का वेतन तथा फंड के पैसे भी नहीं दिये गये ।

अब पुनः मिल चलने पर पिछले श्रमिकों को नहीं रखा जा रहा है तथा उनके वेतन व फंड भी नहीं दिये जा रहे हैं । जिससे कई घर बर्बाद हो जायेंगे, अतः जनहित में इसमें पूरी जानकारी लेकर सरकार पुराने श्रमिकों को फैक्ट्री में रखवाने का आदेश पारित करें ।]

नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को अगले कार्य दिवस में लिये जाने की सूचना

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैंने एक सूचना 311 की दी थी जिस पर निर्णय हुआ था कि आज सुनी जायेगी ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये उसके बाद आप सबकी जो सहमति होगी वैसा किया जायेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कल सदन में यह तय हुआ था । आज माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण का अन्तिम दिन है । हमारे बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलने से वंचित रह गये हैं और बहुत से माननीय नेता भी अभी बोलने से वंचित रह गये हैं । माननीय नेता विरोधी दल भी इस पर अपने विचार रखेंगे और माननीय नेता सदन भी आज बोलेंगे । तो मैं सभी माननीय सदस्यों से जिन्होंने 311 में सूचनायें दी हैं उनसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि अगले दिन जब भी कार्य दिवस होगा, इनको ले लिया जायगा । मैं इनको निरस्त नहीं कर रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन सुन लें । जो सूचनाएं आज आयी हैं, उन सूचनाओं की ग्राह्यता पर सुन लें । संक्षेप में मान्यवर, आप उनकी ग्राह्यता पर सुन लें । मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय दबे हैं और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का आज अन्तिम दिन है । मान्यवर, जितना समय हम इसमें बर्बाद करेंगे, उतने समय में सारे सदस्यों की सूचनाओं को संक्षेप में आप ग्राह्यता के बारे में सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जितनी सूचनायें हैं, कहिए तो सुना दूं । लेकिन फिर माननीय सदस्य, माननीय नेतागण, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन बोल ही नहीं सकेंगे ।

(व्यवधान)

---

१ नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कल माननीय नेता विरोधी दल ने भी आपसे यह निवेदन किया था और इस निवेदन के बारे में आपने अपना निर्णय भी दिया था। मान्यवर, जब आपने यह कह दिया था कि सदन में हम 311 की सूचना नहीं लेंगे, तो बहुत से माननीय सदस्य हमारे दल के वंचित रह गये होंगे। हम लोगों ने अपने कर्तव्य का पालन तो करेंगे, आप जैसा भी निर्णय दें, लेकिन इसे निरस्त न करें और अगले दिन ले लें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव पर चर्चा का अन्तिम दिन है। जब आप सदस्यों को बोलवाना शुरू कर देंगे, तो न आप नेता विरोधी दल को सुन पायेंगे और न नेता सदन को सुन पायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

और लोगों का भी विचार आ जाने दीजिए।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

हमारे माननीय सदस्यों ने नियम 300 की सूचनाएं भी दी थी। कुछ माननीय सदस्यों ने नियम 311 की सूचना भी दी हैं। मैं पहली सूचना को पढ़ ही देता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, बहुत विशेष महत्व के प्रश्न दबे जा रहे हैं, इसलिए मान्यवर, केवल ग्राह्यता पर सुन लें।

(व्यवधान)

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 4 मार्च, 1994 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :—

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी और श्री जगदम्बिका पाल की है। दूसरी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की, तीसरी सूचना श्री राम आसरे वर्मा की, चौथी सूचना श्री राम शरण वर्मा की, पांचवीं सूचना डा० सरजीत सिंह डंग की, छठी सूचना श्री राज कुमार शिवहरे की, सातवीं सूचना श्री बदन सिंह की, आठवीं सूचना श्री प्रणतपाल सिंह की, नवीं सूचना श्री रवीन्द्र शुक्ला की और दसवीं श्री रंगनाथ मिश्र जी की है।

मैं इनको स्थगित करता हूं और अगले दिन लूंगा।

ग्राम नीरपुर, परगना खैराबाद, तहसील व जिला सीतापुर के मजरा नेवादा–बरूआ को सरायन नदी के कटान से बचाने हेतु बन्धा बनाये जाने विषयक श्री सुरेश यादव की याचिका

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं ग्राम नीरपुर, परगना खैराबाद, तहसील एवं जिला सीतापुर के मजरा नेवादा–बरूआ को सरायन नदी के कटान से बचाने हेतु बन्धा बनाये जाने विषयक श्री सुरेश यादव, प्रधान पुत्र श्री राम नारायण यादव निवासी विवेकानन्दपुरी, जिला सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद सं० 5, 6 और 7 में कुछ नहीं है। मद सं०–8 को लेता हूं।

श्री राम करन आर्य बोलेंगे।

(श्री राम करन आर्य के खड़े होने पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत) †

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे स्मरण है कि श्री महाबीर सिंह सदस्य बिजनौर की स्पीच कांन्टीन्यू होनी है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री महाबीर सिंह–

मान्यवर, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिये मुझे अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैंने राज्यपाल के अभिभाषण को बड़े ध्यान से पढ़ा और सुना, लेकिन खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं पर प्रदेश में बिगड़ती हुई स्थिति की चर्चा नहीं है। सम्पूर्ण देश अपराधों से जल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपराधों की संख्या बढ़ी है, अपराधों की घटनायें बढ़ी हैं। हत्याओं की घटनायें बढ़ी हैं, डकैती और नकबजनी की घटनायें बढ़ी हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों से अपराधों का संकलन करा लें, तो मेरी बात की पुष्टि हो जायेगी। मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी मेरठ गये थे और वहां पर उन्होंने कहा था कि एक महीने में अपराधों पर नियंत्रण पा लिया जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी वहां से चले आये और वहां की जनता यह सोचती थी कि अब अपराधों से राहत मिल जायेगी, लेकिन उनके आने के दिन ही वहां पर एक घटना घट गयी। मान्यवर, आज भी अपराधों की संख्या बढ़ रही है, वहां की स्थिति बड़ी भयंकर है। मैं आपका ध्यान बिजनौर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां पर बिजली के तार और ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं इसके पीछे एक गिरोह सक्रिय हो रहा है।

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र दो तहसीलों के अन्तर्गत आता है, एक तो धामपुर और दूसरा चान्दपुर तहसील इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि 18 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक साढ़े 23 किलोमीटर तार चोरी हो गये तथा अनेक ट्रांसफार्मर चोरी हो गये हैं। और इसी प्रकार चांदपुर तहसील में पड़ने वाले ग्रामों में भी 10, 15 कि०मी० तार भिन्न-भिन्न तिथियों मे चोरी

---

† दिनांक 3 मार्च, 1994 की कार्यवाही से।

हो गयी हैं । इन अपराधों के कारण किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है, उनके गेहूं की सिंचाई नहीं हो पा रही है, गन्ने की सिंचाई नहीं हो पा रही हैं । मान्यवर, बिजनौर जिले में ट्रांसफार्मर का भी अभाव है । कृपया ध्यान दिया जाय । मान्यवर, हमारे यहां पर एक अपहरण की घटनाएं घट रही हैं जैसे एक व्यक्ति पानी लगाने के लिये है और दूसरा व्यक्ति कुएं पर रहता है । उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और दूसरे से कहा जाता है कि 10 हजार रुपया दो अन्यथा तुम्हारे आदमी को कत्ल कर दिया जायेगा ।

(इस समय 12 बजकर 37 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुए)

इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं । मान्यवर, जो पावर कोल्हू होता है, क्रेसर जो चलाया जाता है, उसको किसान चलाता है उन किसानों से 5 हजार से 20 हजार रुपये की मांग की जा रही है । नूरपुर के अन्दर चलने वाला एक क्रेसर है और उसके अन्दर से एक व्यक्ति को पकड़ कर ले गये और उसको जंगल के अन्दर ले जाकर बांध दिया गया और उससे 20 हजार रुपयों की मांग की गयी, 5 हजार रुपये लेकर उसको छोड़ तो दिया गया परन्तु 15 हजार रुपयों की और मांग की जा रही है । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में मुंडेरा में भी इसी प्रकार की घटना घटी है । जो चांदपुर मूल चौकी के अन्तर्गत भी है इसी प्रकार से लगातार घटनाएं घट रही हैं । मेरे क्षेत्र के किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और यह सरकार कुछ नहीं कर रही है । यह किसान विरोधी सरकार है, जनविरोधी सरकार है । मान्यवर, मैं चाहता हूं तार और ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराकर कुएं चालू कराये जायं,अपराधियों को शीघ्र पकड़ा जाय ।

मान्यवर, बलात्कार की बड़ी चर्चा हो रही है । मेरे क्षेत्र में भी शून्यगढ़ गांव में शिवाला धरने के अन्दर एक बाल्मीकी लड़की को कुछ लोग उठाकर ले गये 6-7 दिन तक लोग जबरदस्ती उसकी इज्जत लूटते रहे । और अभी तक उसमें कुछ नहीं किया गया है । (व्यवधान) लड़की ने वापस आकर आप बीती सुनाई तथा नाम भी बताये इसके बावजूद अभियुक्त नहीं पकड़े गये । ऐसी निकम्मी सरकार है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री महाबीर सिंह–

मान्यवर, इसी के साथ मैं प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री विश्राम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय नेता विरोधी दल द्वारा एक संशोधन पेश किया गया कि इस सरकार में कत्ल, डकैती, हरिजनों पर अत्याचार, महिलाओं पर बलात्कार आदि हो रहे हैं लेकिन इसका कोई उपाय नहीं बताया गया है । मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार को दोष देने से पहले यह भी मालूम कर लेना चाहिए कि दोष सरकार का है या किसी व्यवस्था का है । मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी सरकार बनती है और जो लोग उनके ऊपर तरह-तरह के आरोप लगाते हैं लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा इस तरह की कभी चर्चा नहीं की गयी कि इसके पीछे कौन सा दोष है, कौन सा कारण है जिनसे यह समस्या पैदा हो सकती है । मेरा निश्चित मत है कि एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यवस्था हमारे देश में चलती आ रही है। इसके चलते न बलात्कार खत्म हो सकता है, न लूट खत्म हो सकती है, न डकैती खत्म हो सकती है। वह व्यवस्था मैं कहना चाहता हूं कि इस समय गैर बराबरी है, असमानता है, जिसमें विषमता है, आर्थिक विषमता है और वह व्यवस्था ऐसे चली आ रही है जिसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था या मनुवादी व्यवस्था कहते हैं। इसके चलते डकैती, कत्ल, लूट, अत्याचार कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। यह व्यवस्था का दोष है, सरकार का दोष नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आयी है इसलिये लोगों को परेशानी पैदा हो रही है, एक चोट और दी है मनुवादी व्यवस्था के ऊपर। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस मनुवादी व्यवस्था को समाप्त करने के बाद इस का समाधान हो सकता है। अगर यह आपकी विषमता न होती तो यह डकैतियां न पड़ती, चोरी कैसे होती, लूट कैसे होती। यह व्यवस्था ऐसी बन रही जिसमें हमारे समाज के लोगों को उस व्यवस्था के ठेकेदारों ने अपने घर पर चौका बरतन करवाया, महिलाओं का शोषण करते रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोगों को मेहतरानी कहकर, धोबिन कहकर और महरिन कहकर हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार और शोषण होता रहा। लेकिन जब हमारी सरकार आयी तो हमारी सरकार के समाजवादी लोगों ने जब उन जातियों के उत्थान के लिये व्यवस्था कर दी तो लोगों को परेशानी महसूस हो रही है। उस व्यवस्था को तोड़ने का काम हमारे लोगों ने किया है, हमारी सरकार ने किया है।

पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे हरदोई जिले में हरिजनों पर अत्याचार हुए, उनके कत्ल किये गये, ऐसे 28 हरिजनों की लिस्ट मेरे पास है, उन पर कार्यवाही नहीं की गयी थी। मान्यवर, इसमें व्यवस्था का दोष दिखता है। जहां गांवों के लोगों को, समाज के गरीब लोगों की शिक्षा की बात की जाती है, प्राइमरी पाठशाला हर गांव में खोलने की बात है, हर न्याय पंचायत स्तर पर इण्टर कालेज खोलने की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। बड़े-बड़े लोगों के बच्चे तो काल्विन कालेजों में पढ़ लेते हैं लेकिन गांव के गरीब का बच्चा जहां पढ़ पाता है। उनकी व्यवस्था की बात हम करते हैं, दूसरी ओर विपक्ष को लोक अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, संशोधन के प्रस्ताव लाते हैं। यह व्यवस्था जब तक खत्म नहीं होगी, समाज की उन्नति नहीं होगी और उपेक्षा होगी। हम कुम्हारों को मछुआरों को पट्टा देने की बात करते हैं तो दूसरी ओर संशोधन पेश किये जाते हैं, विरोध किया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मनोवादी व्यवस्था के रहते हुए कोई भी सरकार इस समाज की बुराइयों को दूर नहीं कर सकती है। हमारी सरकार इस मनोवादी व्यवस्था को समाप्त करने पर तुली हुई है इस तरह से इस देश से मनोवादी व्यवस्था समाप्त हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री विश्राम सिंह यादव–

मैं अपना भाषण करते हुए कहना चाहता हूं कि जो संशोधन के प्रस्ताव आये हुए हैं उनको समाप्त कर दिया जाय वापस ले लिया जाय और इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव को सर्वसहमति से पारित किया जाय। जय भीम, जय भारत।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक दो बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं .जब माननीय मुख्य मंत्री जी महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर उत्तर दें तो कृपा करके इन बिन्दुओं पर भी अवश्य उत्तर दें। यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बिन्दु हैं।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण किसी भी सरकार की नीतियों को दिग्दर्शित करता है, उसके कार्यक्रमों का दर्पण होता है। मान्यवर, लगातार पिछले तीन माह से जो यह कहा जा रहा है कि यह सरकार गरीबों की दलितों की है पिछड़े वर्ग के लोगों की है पूरे प्रदेश में विकास के लिये नये फलसफे जोड़ रहे हैं। कुछ घोषणायें माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से हुई हैं, वे घोषणाएं ज्यादातर विकास की नहीं है। नकल अध्यादेश, 3/7 संबंधी प्राविधान को ऐक्ट से समाप्त करने की बात, बिक्रीकर को समाप्त करने का प्रयास है। इन चीजों से जो समस्यायें है उन्हें राहत देने की बात है, यह विकास की बात नहीं है यह प्रदेश के संसाधन को घटाने वाली और प्रदेश के विकास के भविष्य को अवरुद्ध करने वाली है। किसी भी प्रदेश के विकास का जो बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर है वह विद्युत और सिंचाई है। सरकार बनने के बाद उन्होंने स्पष्ट तौर से घोषणा की कि 16 घंटे बिजली गांवों में पहुंचायी जायेगी, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 16 घंटे बिजली दी जा रही है। जबकि जो प्लांट लोड फैक्टर है वह फरवरी, 1994 में 53.27 प्रतिशत था जबकि पिछले साल इसी माह में वह 57.87 प्रतिशत था इस हिसाब से बिजली उत्पादन घट रहा है तब यह कैसे बिजली 16 घंटे दी जा रही है। जनवरी, 93 में 57.2 प्रतिशत पी० एल० एफ० था, जनवरी, 94 में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 51.53 प्रतिशत था, यह मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। पिछले साल 57.2 प्रतिशत था उसकी तुलना में अबकी साल 51.53 प्रतिशत रह गया। तो यह जनवरी में घटा, फरवरी में भी घटा परन्तु दिसम्बर, 1992 में यह 55.53 प्रतिशत था जबकि वर्तमान सरकार में यह 59 प्रतिशत हुआ। जब माननीय मुख्य मंत्री जी की नयी सरकार आयी थी दिसम्बर में तब उन्होंने अधिकारियों से 16 घंटे बिजली देने की बात कही थी उस समय नया जोश था इसलिये दिसम्बर में बढ़ा। लेकिन एक माह ही इसका असर हुआ है उसके बाद से यह घटा है।

मान्यवर, पिछले महीने में आनपारा में 500 मेगावाट का जनरेशन बढ़ा था। पहले यह 3,271 था अब यह 500 मेगावाट बढ़कर 3,771 हो गया है। आज जो डिमांड है वह 5200 की है। 22 परसेन्ट लाइन लास की बात अभी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बतायी गयी थी तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर लाइन पर ज्यादा लोड दिया जायेगा तो लाइन लास ज्यादा होगा, बिजली की चोरी भी उसमें एक पहलू है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं अगर सरकार की मंशा है कि इसका उत्पादन बढ़ाया जाये तो जिस तरह से कारपोरेशन को बेच रहे हैं उसी तरह से इसका भी प्राइवेटाइजेशन करना होगा जिसके मैं विरोध में हूं। मैं सार्वजनिक क्षेत्र के हितों की बात करता हूं। यदि आप इसे ठीक करना चाहते हैं, पावर जनरेशन को, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बाइफरकेशन कर दें जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग कर दें जिससे अगर तीन हजार मेगावाट जनरेशन दे तो तीन हजार डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना होगा। इससे जो बिजली की चोरी होती है वह नहीं हो पायेगी। अगर बिजली की चोरी होती है तो उस विभाग की अधिकारी की जिम्मेदारी फिक्स होगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि सी० डी० ए० रेशियों जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक इस प्रदेश का विकास नहीं होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने से कार्य नहीं चलेगा । यह कह देना कि अपराधों की बाढ़ आयी है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है या साम्प्रदायिकता बढ़ी है, से काम नहीं चलेगा ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश का जनमानस कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु को देख रहा है और उसके संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी चिन्ता करें । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में जितना पैसा जमा होता है जनता का, सरकार का या इन्स्टीट्यूशन का उस जमा पैसे के अनुसार ऋण दिया जाता है और यही सी० डी० रेशियो है । यह पैसा जब इन्डीविड्यूल को मिलेगा तो वह स्वावलम्बी होगा, इन्स्टीट्यूशन को मिलेगा और फैक्टरी को मिलेगा तो उससे फैक्टरी का विस्तार होगा तभी प्रदेश का विकास होगा । आज सी० डी० आर० 43 परसेन्ट है, 92 में 45 परसेन्ट था, 91 में 46 परसेन्ट था, 90 में 48 परसेन्ट था और 86 में 49 प्रतिशत था । मान्यवर, आपको याद होगा कि जब रिजर्व बैंक के गवर्नर वेंकटरमण यहां आये थे आपसे मिले थे तब एक मिस वाच की कमेटी बनायी थी उसकी रिपोर्ट आ गयी है । उसमें यह लिखा है कि सी० डी० आर० की स्थिति कैसे ठीक हो सकती है .....

श्री अधिष्ठाता–

पाल जी, अब समाप्त करें, आपका समय खत्म हो चुका है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर प्रदेश सरकार वास्तविक रूप से गांवों में गुणात्मक परिवर्तन करना चाहती है तो प्रदेश सरकार एक महीने युद्धस्तर पर काम करवा के आर्थिक रजिस्टर बनवा दे, उसमें उस गांव की तस्वीर आ जायेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय मुलायम सिंह यादव इस प्रदेश के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जो 2-4 खास व्यक्ति हैं, उनमें उनका नाम लिया जाता है । माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की सरकार है चुनाव के बाद से जब से मुलायम सिंह ने सत्ता संभाली है, तब से प्रदेश में व्यापक सुधार हुआ है । हमारे विपक्ष में जो बैठे हुए लोग है, उनका केवल हल्ला मचाना ही एक संकल्प है, सिद्धान्त है, साथ ही झूठ बोलना, अफवाह फैलाना और साम्प्रदायिकता फैलाकर पूरे देश में लाशों का व्यापार करना, देश को ध्वस्त कर देना ही इनका ध्येय है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान को पूरी दुनिया के नक्शे पर देखें तो काफी पिछड़ा है, इसी तरह हिन्दुस्तान में हमारा प्रदेश विकास के मामले में काफी पिछड़ा था । दुनिया में जितने भी कोढ़ी हैं, अंधे हैं, लूले-लंगड़े हैं, उसके एक तिहाई से अधिक केवल हिन्दुस्तान में बसते हैं । इन विपक्ष में बैठे लोगों को इसकी चिन्ता नहीं है कि कैसे इनका अंधापन दूर हो, कैसे अशिक्षा दूर हो, कैसे इनका कोढ़ दूर हो। इनका बस एकमात्र लक्ष्य है कि किस तरह से देश को साम्प्रदायिकता की आग में झोक कर यह देश की गद्दी पर हावी हो जायें ।

मान्यवर, मैं एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हिन्दुस्तान में जो गांव में बसने वाले लोग हैं, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित है, अल्पसंख्यक हैं, उनकी ओर किसी भी सरकार की पिछले 40 सालों में निगाह नहीं गयी । पहली बार मुलायम सिंह यादव की सरकार ने प्रदेश के इन गांवों में रहने वाले लोगों को बिजली-पानी देकर, गांवों को सड़कों से जोड़कर उनके अन्दर स्वाभिमान की भावना जागृत करने का काम किया है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश

की हालत बहुत खराब है, अगर हम इस पर विचार करें तो पायेंगे कि इसके लिये सारे ही लोग जिम्मेदार हैं चाहे वह पक्ष में हो या विपक्ष में बैठे हों। आज बहस चलती है, कश्मीर के बारे में। यह लोग हरदम पाकिस्तान, मुसलमान का नाम लेते रहते हैं। इस सदन में अभी दो दिन पूर्व "अधिकृत काश्मीर हमारा है, प्रस्ताव पास करके हमने यह सिद्ध कर दिया कि कल तक कश्मीर हमारा था, लेकिन सच है कि आज भी हमारा है और हमारा रहेगा। इसी तरह मानसरोवर का मामला है, घर-घर में मानसरोवर की कहानी कही जाती है। हिन्दू के गाय चराने की कहानी आज भी हमारे गांव-गांव में बच्चों को सुनायी जाती है। भगवान शंकर का कैलाश पर्वत और पार्वती का नैयहर की तमाम किवदन्तियां गांवों के चौपालों में कही जाती हैं। चीन ने कई बार आक्रमण करके इस पवित्र स्थान को हमसे छीन लिया तथा काफी जमीन हमारी हथिया ली, लेकिन उस ओर इन लोगों का ध्यान नहीं जाता है, यह लोग हरदम पाकिस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान मुसलमान चिल्लाते रहे हैं और मुसलमान - मुसलमान की रट दिन-दिन लगाते रहते हैं।

(माननीय सदस्य की आवाज बहुत तेज होने के कारण माईक पर स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा था।)

मान्यवर, मैं थोड़ा बहुत अपने जिले के बारे में भी कहना चाहता हूं। अभी माननीय पाल साहब ने बताया, उन्होंने आंकड़े भी दिये। मान्यवर, 1991 में जब मुलायम सिंह जी की सरकार आयी थी तो लालगंज का पुल स्वीकृत किया गया था लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर इन लोगों ने कैन्सिल कर दिया। मेरी मांग है कि गौराघाट और लालगंज का पुल बनवाया जाये और घाघरा नदी पर बांध बनवाया जाये। इसके साथ ही कुदरहा ब्लाक में कन्या विद्यालय की स्थापना करायी जाये। यह सरकार दलितों, कमजोर और पिछड़े वर्गों की हितैषी है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो छात्रवृत्ति मिलती है वह छात्रवृत्ति नहीं छात्र वेतन है जो प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता मुलायम सिंह यादव को प्रदेश ही नहीं अब देश की गद्दी देना चाहती है। इन शब्दों के साथ मान्यवर, आपने जो मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिये आभार प्रकट करता हूं और इस जनप्रिय सरकार द्वारा महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है उसका समर्थन करता हूं। (माननीय सदस्य की आवाज स्पष्ट नहीं थी)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मैं आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण मैंने बड़े ध्यान से सुना। श्री राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतियों व कार्यकलापों का उल्लेख होता है लेकिन इसमें राज्यपाल ने सरकार की नीतियों का निरर्थक स्तुतिगान ही किया है। मुझे सन्तोष होता यदि इस स्तुतिगान को सार्थक बनाने के लिये यह भी कह दिया गया होता कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के ढाई-तीन महीने में इस प्रदेश में अपराध बढ़ाने का एक नया कीर्तिमान कायम किया है, यदि यह कहा गया होता तो यह भाषण कुछ सार्थक होता। इस अभिभाषण में श्री राज्यपाल द्वारा 35 से अधिक बार मेरी सरकार शब्द का प्रयोग हुआ है जिस समय यह अभिभाषण पढ़ा जा रहा था उस समय मैंने, मेरी सरकार के बारे में चन्द पंक्तियां लिखी, जो यह है कि—

बढ़ रहे अपराध हैं तो क्यों तुम्हें तकलीफ है,
अरे यह तो होना लाजिमी है, क्योंकि यह मेरी सरकार है।

मान्यवर, अपराध बढ़ना तो लाजिमी है क्योंकि अपराधी समझते हैं कि उनकी सरकार बन गयी है, अपराधी स्वतंत्र हो गये हैं। यह सरकार दलितों, हरिजनों, कमजोर वर्गों और महिलाओं की हितैषी होने का दावा करती है लेकिन जितने अत्याचार मान्यवर, आज इन वर्गों पर हो रहे हैं, उतने कभी नहीं हुए हैं। इस अभिभाषण में एक स्वच्छ प्रशासन और संवेदनशील प्रशासन की बात कही गयी है। मुझे बड़ा दुख होता है जब इस सदन में महिलाओं पर हुए अनाचार की चर्चा होती है तो उधर के बैठे हुए लोग निर्लज्जता के साथ हंसते हैं, यह महिलाओं के प्रति इनकी भावना को उजागर करता है। क्या यही इनकी संवेदनशीलता है ? यह कहा गया कि इस वर्ष की योजना के लिये केन्द्र से 4,762 करोड़ रुपया प्राप्त होगा जो कि गत वर्ष से 512 करोड़ रुपया अधिक है। परन्तु यह मिलेगा कैसे ? वित्त पोषण व अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये सरकार क्या कर रही है ? सरकार एक समिति गठित करे जो यह देखे कि नये टैक्स लगाये जायेंगे या नहीं। खर्चों में कोई कमी होगी नहीं होगी। मुझे मालूम है कि खर्चे बराबर बढ़ रहे हैं, तब क्या और टैक्स लगाये जायेंगे जैसा आज बसों के किराये बढ़ाने का संकेत दिया गया गरीबों को इस सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जा रही है।

यह सरकार किसानों के हितैषी होने का दावा करती है। हमने अपने शासन काल में किसानों को उत्पीड़न से बचाने के लिये किसान जोत बही बनाई थी जिसमें सारी चीजें इन्द्राज होती थी ताकि उसको परेशान नहीं होना पड़े। आज वह सारी योजना इस सरकार के आने के बाद ठप्प कर दी है। किसानों को जो सुविधा मिलती थी उस सहूलियत को भी इन्होंने नकार दिया। 16 घंटे किसानों को पानी मिलने का दावा धोखा साबित हो रहा है। मान्यवर, मैं आगरा से चुनकर आता हूं। आगरा प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है। वहां की विद्युत व्यवस्था के बारे में विकास के बारे में, औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में और औद्योगिक विकास के बारे में कहना चाहता हूं। विकास के नाम पर वहां पर सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है, वहां पर विद्युत आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है। पी० एल० एफ० घटता जा रहा है, सितम्बर, 93 के मुकाबले पी० एल० एफ० जनवरी में घटा, फरवरी में घटा। वहां पर जो विद्युत संयंत्र लगे हुए हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, विद्युत आपूर्ति ठीक न होने के कारण विद्युत उत्पादन कार्य ठप्प पड़े हुए हैं, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आगरा शहर एक ऐतिहासिक शहर है, वहां पर विद्युत आपूर्ति सही रहे। मान्यवर, ताज के बारे में कहना चाहता हूं। ताज से प्रदूषण से बचाने के लिये 82 हेक्टेयर भूमि का वनीकरण किया जा रहा है। परन्तु ताज को प्रदूषण से बचाने के नाम पर आज वहां पर जो उद्योग पहले से लगे थे, वे बंद होने जा रहे हैं। वहां का विकास अवरुद्ध होता जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पूर्व में लगे उद्योगों का आधुनिकीकरण किया जाय और उन्हें बंद होने से बचाया जाय। आगरा के उद्योगों को तबाह किया जा रहा है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कि ताजमहल के लिये अधिकाधिक पर्यटक आकर्षित हो इसके लिये आगरा का सर्वांगीण विकास कर उसे सुन्दर बनाया जाय। तथा वहां के वर्तमान उद्योगों को बचाते हुए प्रदूषण विहीन इलेक्ट्रानिक्स व पावर लूम इण्डस्ट्री का केन्द्र बनाया जाय। जूता उद्योग को विकसित किया जाय। अभिभाषण में कानपुर में वैराज बनाये जाने की बात कही गई है। परन्तु पानी के लिये तरसती आगरा की जनता के लिये वैराज पर कुछ भी नहीं कहा गया है। अभी 18 फरवरी को मुख्यमंत्री कहीं गये थे वहां वाहवाही लूटने के लिये आश्वासन दिया परन्तु उसका यहां जिक्र नहीं है। यह निन्दनीय है। वैराज आगरा की पहली आवश्यकता है। जिसे पूरा किया जाय।

अन्त में मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा आगरा में सड़क सफाई व मार्ग प्रकाश की हालत बहुत दयनीय है। अन्य महानगरों की तुलना में आगरा की उपेक्षा की जाती है। मैं मांग करता हूं कि आगरा को अधिक से अधिक सुविधायें व धन दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

कृपा करके बैठ जांय, आपका समय समाप्त हुआ।

* श्री बाल गोविन्द राजवंशी–

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि जबसे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी तब से पुराने इतिहास को देखते हुए बड़ी शान्ति है। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपने क्षेत्र मछेरहटा विधान सभा सीतापुर का दे रहा हूं। जब से मेरी सरकार बनी तब से मेरे क्षेत्र में एक भी दलित उत्पीड़न, बलात्कार, डकैती व हत्या का मामला नहीं आया। ऐसी शान्ति कभी देखने में भी नहीं आयी थी। इसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में पुरानी सरकारों की अपेक्षा बहुत बड़ी शान्ति है। जो लोग यह चिल्लाते हैं कि साम्प्रदायिकता भड़क रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, वह अपने भी गिरेबान में झांककर देखें कि हमारे शासन में जबकि उनका नारा था भयमुक्त समाज की स्थापना और राम, रोटी और इन्साफ देने का। लेकिन क्या वह भयमुक्त समाज बना पाया।

अयोध्या की 6 दिसम्बर की घटना के बाद प्रदेश देश और विदेशों में क्या हुआ। महीनों कर्फ्यू लगा रहा, लोग परेशान हुए। हजारों निर्दोष लोगों की हत्यायें हुयीं। राम भी नहीं मिले क्योंकि राम को मानने वालों ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। रोटी तो उनकी सरकार के नेताओं को मिली। इन्साफ मिला विरोधी नेताओं को, जिसका ज्वलन्त उदाहरण हमारे जिले में श्री ओम प्रकाश गुप्त जी को नाजायज जेल भेजा गया। उनके मकान में भूसा भरवा दिया गया और भी तमाम विरोधी नेताओं को बदले की भावना से तमाम प्रकार से सताया गया और भयमुक्त समाज की स्थापना तो एक भयवह स्थिति देश में 6 दिसम्बर की घटना के बाद आयी कि किसी को भय नहीं रह गया। इस प्रकार से आज जो ढाई तीन महीनों की सरकार के कार्यकाल में छोटे-छोटे मामलों को ऐसा उछालते हैं जिससे आगे सदन की कार्यवाही नहीं चल पाये। हमारी सरकार जो कहती है वह करती है। जो-जो कहा वह हम लोग कर रहे हैं। नकल अध्यादेश खत्म किया गया। सफाई कर्मी महिलाओं को सुबह 6 बजे के बजाय साढ़े आठ बजे ड्यूटी के लिये सरकार ने कहा है इससे सफाई कर्मी महिलाओं को बहुत ही राहत मिल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रणत पाल सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। कांग्रेस सरकार द्वारा जो डंकल प्रस्ताव लाया गया है जो गुलामी का प्रतीक है, उस संबंध में इस सरकार की कोई नीति स्पष्ट नहीं है। न्यायालयों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरे क्षेत्र गोकुल के कारब गांव में लक्ष्मण महाराज जी का मंदिर है और उससे लगी हुई 8 बीघा जमीन है, जिस पर फसल खड़ी है। न्यायालय के स्टे के बावजूद भी एस० पी० मथुरा ने उसे अपराधियों को दे दिया है। इस प्रकार न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरा क्षेत्र विकास की दृष्टि से शून्य रहा है। आज वहां पर पीने के पानी की काफी समस्या है। ऐसे भी गांव हैं, जहां पर लोगों को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पीने के लिये पानी नहीं मिल रहा है, जैसे नगला, संजा, बरोली, मनीला बाली, मदैम इन सभी गांवों में पीने के पानी की भीषण समस्या है। महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। जहां तक सरकार यह कहती है कि हम 16 घंटे बिजली दे रहे हैं, यह बिल्कुल झूठ है। मेरे क्षेत्र में 8 घंटे बिजली नहीं आ रही है। अगर कहीं आती भी है तो दो फेज में आती है, जो किसान के किसी भी उपयोग में नहीं आती है। हमारे ऊपर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाया जाता है।

मैं तो कहता हूं कि जो लोग उधर बैठे हैं, ये लोग साम्प्रदायिक हैं। ये समाज को तोड़ना चाहते हैं। अब ये कैसे तोड़ना चाहते हैं। आज इन्होंने अगड़ों और पिछड़ों के नाम पर हिन्दू समाज में एक खाई का निर्माण कर दिया है, अगर इसे समय रहते पाटा नहीं गया तो आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी और कहेगी कि हमारे पूर्वजों ने समाज को तोड़ने का काम किया। अगड़ा और पिछड़ा की बात कह कर ये सत्ता में बना रहना चाहते हैं। आज मेरे जनपद में जंगल राज है। आये दिन चोरी, डकैती, बलात्कार, अपहरण, लूट आदि की घटनायें हो रही हैं और अपराधी लोग एस० पी० मथुरा के यहां बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, जिसके कारण आज प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। मेरे क्षेत्र में गड़सोली माइनर, आंगई माइनर, डहरुआ माइनर, सिंहोरा माइनर, दौलतपुर माइनर और कटैला माइनर ऐसी हैं, जिनमें 1968 से आज तक टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। 1-1 कि०मी० की दूरी तक माइनर नहीं हैं परन्तु इंजीनियर लोग 50 हजार रुपये रख-रखाव पर खर्च कर रहे हैं पीने के पानी से लेकर सिंचाई तक की समस्या बनी हुई है और आज वहां पर किसान परेशान हैं। डंकल प्रस्ताव जो किसानों व देश की जनता के लिये एक तरह से गुलामी का संदेश है। यह एक खतरनाक प्रस्ताव है। किसानों को पूर्ण रूप से पंगु बनाने वाला प्रस्ताव है। किसान विरोधी है और यह सरकार जन विरोधी भी है। मान्यवर, हमारे जनपद में जंगल राज्य कायम है उसका एक नमूना मैं देना चाहता हूं विगत 26 ता० को चौमा में एक प्रधानाचार्य को सरेआम गोली मार दी गयी हत्यारे स्कूटर में आये उन्हें गोली मार कर चले गये पुलिस मूक दर्शक बनी रही। तो यह जंगल राज का नमूना है।

मेरा गोकुल क्षेत्र विकास के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है जिसके लिये मैं अभिभाषण में संशोधन पेश करना चाहता हूं। हमारा क्षेत्र पिछड़ा है वहां राया में एक डिग्री कालेज की स्थापना की जाय; बलदेव में एक सरकारी बस स्टैण्ड बनाया जाय। मथुरा गोकुल बलदेव तीर्थ स्थल है वहां पर्यटक बहुत आते हैं इसलिये वहां मथुरा से गोकुल, बलदेव, राय, साहाबाद के लिये सरकारी बसें चलायी जायं। बलदेव में एक खीर सागर है उसका जीर्णोद्धार किया जाय। इन शब्दों के साथ नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधनों से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री लाल बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से चंद बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कुशल नेतृत्व में जब से यह सरकार बनी है तब से दलितों, हरिजनों, अल्पसंख्यकों के अन्दर जाग्रति आयी है जिसकी सामने बैठे हुए सामप्रदायिक और सामंती ताकतें देख नहीं पा रही हैं यही कारण है कि वह अव्यवस्था फैला रहे हैं। हमारे नेता के कुशल नेतृत्व को सहन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रदेश का योजना परिव्यय 12 परसेंट बढ़ गया है। बिजली, खेती, उद्योग हर क्षेत्र में काम हो रहा है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में सारे काम वक्त पर हो रहे हैं पिछली सरकारों के समय जो कार्य अवरुद्ध हो गये थे वह प्रारम्भ हो गये हैं जब से यह सरकार बनी है तब से कागजों

काम नहीं हो रहे हैं । हमारी सरकार ने नकल अध्यादेश वापस लिया जिससे बहुत राहत मिली है । इस नकल अध्यादेश की वजह से हमारे विधान सभा क्षेत्र 118 प्रतापगढ़ में वजहा इण्टर कालेज के प्रवक्ता उस्मान साहब जिन्हें साम्प्रदायिक एस० डी० एम० ने गिरफ्तार कर लिया था की हृदय गति रुक जाने से देहान्त हो गया । तो यह अत्यन्त शर्मनाक बात हुई । इसके साथ ही हमारा जिला जो मंत्रियों का जिला कहलाता था पूरे प्रतापगढ़ सदर विधान सभा क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ है । माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार आने के बाद तमाम विकास के कार्य जो अवरुद्ध थे वह चालू कर दिये गये हैं ।

जब से माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार बनी है तब से हरिजनों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के विकास के तमाम कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जो पहले नहीं होते थे केवल कागज में दिखा दिये जाते थे आज वह सही रूप में कार्यान्वित हो रहे हैं । हरिजनों के नाम पर पहले कागज में कार्य दिखा दिये जाते थे जैसे विद्युतीकरण और सड़कों का काम सवर्णों के क्षेत्र में होता था । हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है ।

श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के नगरों के विकास के संबंध में कोई योजना नहीं रखी गयी है । ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर पलायन हो रहा है उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों का नगरों में विलय और उसके बाद उस बढ़ते हुए जनसंख्या के दबाव से सड़कों, नालों और यातायात की स्थिति गम्भीर है ।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

उसके बारे में कोई योजना अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल महोदय ने नहीं रखी है । मान्यवर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग बहुत पुरानी है जिसके संबंध में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है । मान्यवर, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास में एक अपना विशेष योगदान रखता है फिर भी मेरठ में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में भी अभिभाषण में कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है । मान्यवर, मेरठ में बीज के लिये किसी अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में कुछ नहीं कहा है ।

मान्यवर, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आई० एस० आई० सक्रिय है । मेरठ के मोहल्ले हाशिमपुरा, इमलियान, दाऊदग्रान, शाहपीर गेट, सोहराब गेट क्षेत्र के निवासी पूरी तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेन्ट बन चुके हैं । इस सत्र की शुरुआत तथा राज्यपाल के अभिभाषण की पूर्व संध्या पर मेरठ में जो दंगाइयों ने खुलकर नंगा नाच किया है उसके बारे में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है । मान्यवर, मेरठ में पाकिस्तान के खुफिया एजेन्टों ने रात 8.30 बजे एक मामूली ट्रक दुर्घटना का बहाना लेकर भारी पथराव व फायरिंग किया । एस० डी० एम० सिटी, एस० पी० सिटी, सी० ओ० वहां घिर गये । एक सी० ओ० व 3 थानाध्यक्ष तथा एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए । मुख्य मंत्री जी ने इस ट्रक दुर्घटना में मृतकों को 60 हजार रुपये दिये । मुझे प्रदेश में सड़क दुर्घटना में प्रत्येक मरने वाले को 60 हजार देने पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु तुरन्त मुआवजा व अनुदान देकर मेरठ में दंगाइयों के हौसले बुलन्द किये गये और ऐसे तत्वों की गिरफ्तारी तक नहीं की गयी है ।

मान्यवर, पूरे प्रदेश के अन्दर समाचार पत्रों में भी आया है कि कश्मीर व पाकिस्तानी आई० एस० आई० के एजेन्ट पूरे प्रदेश में हावी हैं और यह सरकार बेखबर है और इसका अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है और न ही इस बारे में कुछ कहा गया है । पाकिस्तानी खुफिया एजेन्टों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है और सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिये इसको रोका जाय ।

मान्यवर, जब से यह सरकार आयी है तबसे दलितों, पिछड़ों और हरिजनों के बारे में कुछ नहीं किया गया है । हमारे मेरठ जिले में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का मात्र 13 प्रतिशत एचीवमेन्ट है, इसलिये यह कहना गलत है कि यह सरकार दलितों, पिछड़ों और हरिजनों की सरकार है । मान्यवर, हाथी रूपी सरकार के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं । इनकी कथनी और करनी में फर्क है । मान्यवर, सरकार ने दलितों, पिछड़ों और हरिजनों तथा गरीबों के लिये ऋण की व्यवस्था नहीं की है। इसलिये मैं मान्यवर, आपके माध्यम से चाहता हूं कि हमारी उपरोक्त सभी बातें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ दी जायें ।

श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

मा० अधिष्ठाता महोदय, आपने श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया । इसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

मान्यवर, मैं देवरिया जिले के कुसीनगर, कसया क्षेत्र से चुनकर आया हूं । मेरा दल सपा और बसपा सरकार के गठबंधन को समर्थन दे रहा है । मान्यवर, अभी चर्चा में शांति और कानून व्यवस्था के संबंध में जो बातें सुनी । भाजपा के माननीय सदस्यों ने कहा है उसमें मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी का शासन काल था उस समय कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। इसको आपने कभी क्या गौर से सोचा है । आज यहां महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में बात आप लोग करते हैं, यही सदन हैं जब आप शासन में थे, समस्त विपक्ष ने पथरदेवा काण्ड के पीड़ित महिलाओं पर बलात्कार के विरोध में दो दिन तक इस सदन का बहिष्कार किया था और समस्त विपक्ष यह मांग कर रहे थे कि इस मामले में न्यायिक जांच करा ली जाय । लेकिन आपने अपने शासनकाल में इतनी ही उचित मांग को स्वीकार नहीं किया था और आज आप ला एण्ड आर्डर की बात करते हैं, महिलाओं के उत्पीड़न की बात करते हैं । मान्यवर, आपने कभी सोचा है कि हिन्दुस्तानी जिस दिन गुलाम थे, उस दिन हम सबने मिलकर त्याग और बलिदान कर भारत मां की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था । उस समय न कोई हिन्दू था, न कोई मुसलमान था, न कोई सिख था न कोई ईसाई था । हर आदमी केवल हिन्दुस्तानी था । आपके शासनकाल में समाज का एक वर्ग यह समझता था कि मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं, जो उपेक्षापूर्ण और पक्षपातपूर्ण उनके साथ आपका व्यवहार था । एक जाति वर्ग समुदाय के लोग समझते थे कि हम इस देश के नागरिक ही नहीं हैं । क्या देश के लिये उन लोगों ने देश की आजादी के लिये खून-पसीना नहीं बहाया था, क्या अपने को समर्पित नहीं किया था । आज आप सपा-बसपा के शासन में हरिजन उत्पीड़न देख रहे हैं, कभी आपने क्या अपने शासनकाल के बारे में इस पर सोचा है.... (व्यवधान) (घोर व्यवधान) मान्यवर, आपने जो अवसर दिया है, सुन लीजिये, सब लोग खड़े हो गये हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं । आप लोगों को बैठाइये । देवरिया जनपद प्रदेश का सबसे बड़ा जिल है, कुशीनगर को जिला मुख्यालय बना कर उसका विकास का रास्ता करावें और कुशीनगर कसया विधान सभा क्षेत्र में छोटी गण्डक पर नौतन धनियागढ़ के पास एक सेतु का निर्माण करावें जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया । उसे मान्यवर, आपके अभिभाषण से संशोधन चाहता हूं ।

* श्री मयंकेश्वर शरण सिंह–

मान्यवर, इस सरकार के जमाने में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत ही बिगड़ गयी है। इस समय प्रशासन कितना निरीह हो गया है, इसका कोई अता-पता नहीं रह गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के एक आदमी, जिसके पिता की हत्या कुछ समय पूर्व हुई थी, के पास जिन लोगों ने हत्या की थी, वही लोग कुछ दिन पहले पहुंचे, उसके गांव उसके घर पहुंचे और उसको डराया-धमकाया और उससे कहा कि जैसे तुम्हारे पिता की हत्या हुई है, वैसे ही तुम्हारी भी हत्या करवा दूंगा। मैं इसके विरोध में उस आदमी को लेकर एस० पी० के यहां गया, तो संसदीय कार्य मंत्री जी सुन लीजिये कि उस एस० पी० ने मुझ विधायक से किस तरह का और क्या जवाब दिया। एस० पी० ने जवाब दिया है कि विधायक जी मैं इसकी रिपोर्ट लिखवा देता हूं तो वह लोग आये दिन, फिर उसको मारेंगे पीटेंगे, डारायेंगे और धमकायेंगे, इसलिए आप इसकी तरफ से रिपोर्ट न लिखवाइये। एक आई० ए० एस०, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस तरह की बात हमसे कही, जिन पर लोगों के जानमाल के सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वह जनता को समझा रहा है कि रिपोर्ट लिखवाओगे तो तुम्हारे ऊपर वह लोग गाज गिरा देंगे। यह शर्मनाक स्थिति आज हो चुकी है। इससे स्पष्ट है कि यह सरकार और प्रशासन कितना निष्क्रिय और निरीह हो चुका है। मान्यवर, अनुसूचित जाति-जनजाति, दलितों, पिछड़ों की सरकार होने का दावा करने वाली यह सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार के निवारण के लिये कोई भी योजना नहीं बनायी गयी है, इसका इसमें उल्लेख नहीं है।

सरकार चिल्लाती जा रही है कि भ्रष्टाचार हटायेंगे लेकिन मान्यवर, उसके लिये यह कोई कदम नहीं उठा रही है।जब से यह सरकार शासन में आयी है अराजकता में वृद्धि हुई है, बलात्कार, हत्याएं, डकैती की घटनाओं में तेजी आयी है। मान्यवर, इनको रोकने के लिये सरकार की कोई नीति राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में स्पष्ट नहीं की गई है। यह कहा गया है कि खरीफ के उत्पादन में सम्भवतः कमी आयी है इसलिये रबी की फसल में प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, यह प्रयास कैसे किया जा रहा, जिसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, कोई योजना उसकी कारगर नहीं दिखाई दे रही है। बोलते रहने या चिल्लाते रहने से प्रयास नहीं होते उसके लिये कुछ कर के दिखाना होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने नकल विरोधी कानून आते ही समाप्त कर दिया है और इस नकल विरोधी कानून को हटाने के बाद एक समिति का गठन भी कर दिया है। इस समिति को क्या कार्य सौंपा गया है, इसका कोई जिक्र नहीं है। पांच अप्रैल से इम्तेहान होने वाले हैं, नकल विरोधी कानून को हटाकर क्या कार्य किया है इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। मान्यवर, मैं ऐसे क्षेत्र से चुनकर आया हूं जिसने इस देश को दो-दो प्रधान मंत्री दिये हैं।

रायबरेली के बारे में कहा जाता है कि वहां कई विकास कार्य हुए हैं। मान्यवर, मैं वहां की स्थिति बताना चाहता हूं कि वहां कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। 90 प्रतिशत नहरों में टेल तक पानी नहीं जाता है। वहां पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। वहां पर एक मात्र सड़क है। कानून व्यवस्था को सुधारने के प्रयास किये जायं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर–व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री निरवेन्द्र कुमार मुन्ना–

श्रीमन्, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं हृदय से आपका आभारी हूं। श्रीमन्, यह तो उत्तर प्रदेश का ही जन मानस नहीं पूरे भारतवर्ष का जन मानस यह मान चुका है देश के आजाद होने के 45 वर्षों बाद यह जो सरकार बनी है यही एक ऐसी सरकार है कि जिसके वोट थे उन्हीं की सरकार बनी है। जिनके वोट नहीं हुआ करते थे दुर्भाग्य से मैं उन्हीं ब्राह्मण की जाति के घर का पैदा हुआ हूं। मैं स्वयं उस जाति के बारे में जानता हूं। मैं इसी तारतम्य में यह बताना चाहता हूं कि जब इन्होंने देखा कि दलितों, पिछड़ों की सरकार बनी है तो यह लोग हमारी सरकार को बदनाम करने लगे। मैंने अपने गांव में भी देखा लोग किस तरह की बात करते हैं।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गई)

मान्यवर, ऐसी कौन सी सरकार है जिसके समय में बलात्कार न हुए हों, डकैती न हुई हो, कत्ल न हुए हों। लेकिन इस बार मैं खुद आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जाति के लोग अखबारों में, पत्रिकाओं में इस तरह की घटनाओं को फ्रंट पेज पर छापते हैं।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गई)

इन लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि दलितों, पीड़ितों, गरीबों के लोगों की सरकार बनी है। यह जनता के सामने इस सरकार को बदनाम कर देना चाहते हैं। श्रीमन्, आप भी जानते हैं कि भाजपा की पार्टी ने दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किये। यह लोग हमको बुला रहे थे कि सपा में मत जाओ यह ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। यह लोग इस सरकार को बदनाम कर देना चाहते हैं, जो पिछड़ी और अनुसूचित जाति की सरकार है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बाबू लाल––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह जो सामने बैठी हुई सरकार है और यह पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की दमदर्द होने का दम भरती है। इसी के शासनकाल में हरिजनों, दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। अभी हमारे यहां दुर्गा चमार की अविवाहित पुत्री के साथ बलात्कार करके इनके सपा कार्यकर्ताओं ने निर्मम हत्या कर दी इतना ही नहीं अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। सफीपुर के राम कुमार चमार की सपा के कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी। उन्नाव जनपद में जंगली चमार जूनियर इंजीनियर की इनके ही कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी। आज तक उनके अभियुक्तों को पकड़ा नहीं गया है। चूंकि सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त है। आज यह कहा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार बनी है लेकिन दलितों के ऊपर चारों तरफ से अत्याचार हो रहे हैं। उनका रहना दूभर हो गया है। उनको चारों तरफ से सताया जा रहा है। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि सफीपुर में कोई विकास कार्य कई वर्षों से नहीं हुआ है। कोई सड़क नहीं बनी है। इस राज्यपाल के अभिभाषण में विकास कार्यों को जोड़ा जाए। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। किसी भी सरकार की नीति उसके कार्य करने को परिलक्षित करती है। मैं अल्मोड़ा जनपद से विधायक हूं। मुझे लगता है कि अभिभाषण में हमारे पर्वतीय क्षेत्र के बारे में विकास के संबंध में जो भी योजनायें हैं, उसके बारे में सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है जिससे वर्तमान में वहां की योजनाएं बिल्कुल ठप्प पड़ी हुई हैं। मैं अल्मोड़ा जिले में शिक्षा की जो अव्यवस्था है उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लगभग एक हजार से ज्यादा पद वहां पर शिक्षकों के अभाव में खाली पड़े हुए हैं। सरकार अभी भी उनके बारे में गम्भीर नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है वह आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसी तरह से जो विद्यालय वहां खुले हुए हैं उनके भवनों की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। ऐसे विद्यालय भवनहीन हैं। पढ़ाई की अव्यवस्था हो रही है। भयानक संकट पेयजल का भी है और वर्तमान में माननीय मुलायम सिंह जी ने घोषणा की है कि हम सभी लोगों को पानी उपलब्ध करायेंगे और जो पुरानी योजनायें हैं उनकी मरम्मत करेंगे और सबको पानी देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी इस घोषणा से कोई फायदा नहीं हो रहा है और जो पैसा उन्होंने दिया है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जितनी भी हमारे यहां पर सड़कें हैं अभी तक जो पैसा उन्होंने दिया है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जितनी भी हमारे यहां सड़कें हैं जो पूर्व में बनी हुयीं थीं और अभी तक कच्ची हैं उनका डामरीकरण होना है। वहां के लोगों की लम्बे समय से मांग रही है कि जहां कच्ची सड़कें हैं उनका डामरीकरण पहले कराया जाय उसके बाद नयी सड़कें स्वीकृत की जायं लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस अभिभाषण में विकेन्द्रीकरण के बारे में कहा गया है। इस सम्बन्ध में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि विकेन्द्रीकरण के तहत पहले जिला, ब्लाक, तहसीलों का गठन किया जाय और उसके बाद राज्य का पुनर्गठन किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम कृष्ण वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिये अवसर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिन चीजों को इंगित किया गया है उसमें बहुत सी चीजें, बहुत सारी समस्याओं का उल्लेख होने से रह गया है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ का रहने वाला हूं और मेरा निर्वाचन क्षेत्र किठौर है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गयी है वहां पर जंगल का राज कायम हो गया है। मुख्य मंत्री जी पिछले दिनों वहां गये थे उनको वहां की समस्याओं से अवगत कराया गया था लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है। वहां पर कत्ल, अपहरण, लूटमार का बोलबाला है। वहां लोग खेती करने नहीं जाते हैं। जो इलाका खेती में सबसे अच्छा था वहां की स्थिति बहुत खराब है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का विकास रुक गया है। मैं सरकार को यह बताना चाहूंगा कि मेरठ जनपद की स्थिति बहुत खराब है। मेरठ की स्थिति में सुधार की व्यवस्था की जाय। वहां पर सड़कों की हालत बहुत खराब है। बरसात के बाद जो उनकी मरम्मत की जानी चाहिये वह नहीं हो पायी है। लोक निर्माण मंत्री जी हमारे सामने उपस्थित हैं मेरा उनसे निवेदन है कि जो सड़कों की मरम्मत के लिये पैसा दिया गया था वह कर्मचारियों को वेतन देने में खर्च कर दिया गया है। प्रति किलोमीटर जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेन्टीनेन्स के लिये दिया जाता है उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है इसलिये सड़कों की मरम्मत बरसात के बाद नहीं हो पायी है। मेरठ की एक और आघात पहुंचा है। 1993-94 का जो डिस्ट्रिक्ट प्लान का पैसा था उसको स्टेट सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया गया है इसलिये जितने भी विधायक हैं उनको क्षेत्रों के विकास के लिये पैसा नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस बात को देखें और वहां के विकास के लिये धन की व्यवस्था करायें। मेरठ में 94-95 का जनपद प्लान अधूरा है। मैं बताना चाहूंगा कि किठौर जहां से 2 लाख जनता का मैं रिप्रेजेन्टेटिव हूं वहां पर विकास का नया कोई काम नहीं हुआ है। न सड़कें बन रही है, न पिछले वर्ष बनी, न अभी तक कोई काम शुरू हुआ है। मान्यवर, मेरठ का वह क्षेत्र बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गया है और मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां की सड़कों के लिए धन उपलब्ध कराने की कृपा करें। वहां पर किसी भी तरह का कोई अस्पताल नहीं है, शिक्षकों की बहुत बड़ी कमी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर सड़कों का तुरन्त सुधार कराया जाय, स्कूल, उनकी बिल्डिंग, अस्पतालों और सभी चीजों की व्यवस्था की जाय। इसी के साथ आपके माध्यम से जो संशोधन है, जो माननीय नेता विरोधी दल ने रखे हैं, उसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लाल मणि प्रसाद–

मान्यवर, आपने जो मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री बी० आर० वर्मा द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया हैं, उसके प्रति मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योति राव फूले दलितों, शोषितों के मसीहा भारत रत्न बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेदकर एवं साहू जी महाराज के प्रति श्रद्धा सुमुन अर्पित करते हुए इस सरकार को इस नाते बधाई देना चाहता हूं। इस धरती पर गौतम बुद्ध ने जहां मानवता का संदेश दिया, वहीं धरती पर मोहम्मद साहब के विचारधारा के मानने वाले लोगों ने आपसी प्रेम और भाई-चारा का संदेश दिया। इस धरती पर कबीर साहब ने जहां रूढ़िवादी और पाखंडवादी व्यवस्था का विरोध किया, वहीं इस धरती पर ईसा मसीह के विचार-धाराओं के मानने वाले लोगों ने अपाहिजों और अपंगों को गले लगाया। इस धरती पर गुरु गोविन्द सिंह ने जहां स्वाभिमान और सम्मान की भावना पैदा किया, वहीं इस धरती पर हजारों-हजारों साल से जो मनुवादी व्यवस्था के तहत यहां पर अहीर, कुर्मी, कहार, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, भर, केवट, मल्लाह, दुसाध, चमार, पासी, बेलदार वगैरह या हिन्दू धर्म से दुखित होकर जो लोग सिक्ख, इसाई, पारसी, बौद्ध बने, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, मनुवादी व्यवस्था के स्थान पर बाबा साहब ने भारतीय संविधान दिया, जिनके बदौलत यहां का बहुजन समाज कुछ आगे बढ़ा। लेकिन आजादी के 46 वर्ष के बाद भी सही मायने में बाबा साहब डा० भीम राव अम्बेदकर का संविधान लागू न होने के कारण राष्ट्रीय समस्याओं ने अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय बरकरार हैं। यदि वास्तव में बाबा साहब डा० भीम राव अम्बेदकर का संविधान पूर्णतः लागू हो जाता, तो ये राष्ट्रीय समस्यायें न रहती। मैं बधाई देना चाहता हूं इस सरकार को मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव को जिन्होंने साम्प्रदायिक ताकतों का मुह तोड़ जवाब देने के लिए बहुजन समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कांशीराम जी से समझौता करके इस प्रदेश में दलितों, शोषितों, पिछड़ों एवं अल्प संख्यकों को त्वरित गति से न्याय देने के लिए साहसिक कदम उठाया है साथ ही साथ मैं प्रदेश की जनता की बधाई देना चाहता हूं, स०पा०, ब०स०पा० की सरकार बनाकर ऐसी लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जिन लोगों ने धर्मिक भावनाओं को फैला करके समाज में हिन्दू, मुस्लिम के नाम पर नफरत की भावना पैदा किया, आपस में लड़ाने का काम किया और आज इस सरकार के प्रति सबको आशा लगी हुई कि यह

प्रदेश के उत्थान में हर वर्ग को न्याय देगी और मैं 178 हैसर बाजार बस्ती विधान सभा क्षेत्र से चुनकर पहली बार आया हूं, मैं सरकार का ध्यान इस क्षेत्र की समस्याओं के प्रति आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बाढ़ से पीड़ित प्रति वर्ष रहता है। यहां पर आज तक कोई विकास की योजनायें लागू नहीं हुई, जिससे यह क्षेत्र अछूता रहा। यहां पर सड़कों और सिंचाई के संसाधनों की कमी है, जिससे यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। यहां पर मुखलिशपुर टोल टैक्स माफ करने के साथ-साथ धनघटा में विद्युत उप केन्द्र, एक राजकीय बालिका इन्टर कालेज, नाथनगर में डिग्री कालेज, नाथ नगर और धनघटा में एक-एक कोल्ड स्टोरेज और एक वहां पर सुतली उद्योग से सम्बन्धित फैक्ट्री लगाई जायं। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए बन्द खलीलाबाद चीनी मिल को चालू कराया जाय घाघरा नदी पर पक्का पुल बनवाया जाय। असहायता प्राप्त विद्यालय की समस्याओं के निदान की तरह भी हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अन्त में मैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कांशीराम जी को पुनः बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने जाति तोड़ो, समाज जोड़ो आन्दोलन के नाम पर 6,000 जातियों और 40,000 उप जातियों को इकट्ठा करके बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेदकर के स्वप्नों को साकार करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव से समझौता करके उत्तर प्रदेश में सरकार बना कर साम्प्रदायिक शक्तियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। अन्त में पुनः महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री बी० आर० वर्मा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री राज कुमार शिवहरे–

मान्यवर, आपने मुझे जो बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मान्यवर, मैं बांदा जनपद से आता हूं। बांदा जनपद उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि वहां पर विकास के नाम पर कोई सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की कोई योजना नहीं है। मान्यवर, विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं कि जो सरकार से पैसा सड़कें बनाने के लिए जाता है, उसका बड़ी भारी मात्रा में दुरुपयोग होता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बांदा जनपद में सबसे ज्यादा हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं। आप इन घटनाओं को रोज समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे। आज के भी समाचार पत्र में इसी प्रकार की घटना का जिक्र है। चार लोगों द्वारा हरिजन युवती पर बलात्कार किया गया है। मान्यवर, हमारे जिले से दो मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। बांदा में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। वहां पर एक यादव दरोगा है, उसने एक हरिजन को लटका-लटका कर मारा है। इस प्रकार से लगातार हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। यह लोग जिस वर्ग की बात करते हैं, उनकी बातों को पचा नहीं पा रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर पेयजल योजना की घोषणा की गयी थी, लेकिन वह घोषणा ही घोषणा रह गयी और पेयजल की समस्या जहां की तहां बनी हुई है। वहां पर न कोई स्कूल है और कालेज है, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भी बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, हमारा विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है । मान्यवर, वहां पर बहगुन नदी है, उस पर कोई पुल नहीं है इसलिये आवागमन की बड़ी कठिनाई है । इसलिये मैं मांग करता हूं कि उस नदी पर एक तो गौहावर और दूसरे बुधाना में पुल बनाये जायें, जिससे जनता को लाभ हो सके । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में नील गायों का प्रकोप बहुत बढ़ गया है, वह किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, इससे किसान परेशान हैं । मान्यवर, मीरान पर में जहां पर कोई अस्पताल नहीं, वहां पर अस्पताल की मांग करता हूं और एक कन्या इन्टर कालेज की मांग करता हूं । मान्यवर, हमारे यहां पर राम गंगा नदी से बहुत सी कटान हो गयी है, तो मेरा अनुरोध है कि उस कटान की जमीन की पैमाइश करायी जाये और कटान रोकने के लिये प्रबन्ध किये जायें । इसके अतिरिक्त फतेहगंज गढ़िया रंगी से टापर तक लेपन कार्य सड़क बनायी जाये और जो किसानों को मुआवजा दिया जाता है वह नहीं दिया गया है । मुआवजा की अतिशीघ्र व्यवस्था करायी जाये इस प्रकार से हमारे विधान सभा क्षेत्र में विकास के नाम से कुछ कार्य नहीं हुआ है । मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि डवोर में एक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये और पेयजल की व्यवस्था करायी जाये । 250 हैण्ड पम्पों की मांग करता हूं । सिंचाई हेतु ट्यूबवेलों, शिक्षा के लिए स्कूल की मांग करता हूं तथा विद्युतीकरण की मांग करता हूं ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने से घोर व्यवधान बना रहा ।)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप सब लोग कृपया बैठ जायं तो फिर माननीय सदस्य जो कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लूं ।

(घोर व्यवधान)

मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि अधिक से अधिक नये माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिल जाय । लेकिन ऐसा है कि जिन सब लोगों ने नाम दिये होंगे, अध्यक्ष पीठ पर जो बैठता है, यह उसके लिए जरूरी नहीं है कि वह उनमें देखें या लिस्ट से बंध जायं । मैं प्रयास करूंगा अधिक से अधिक लोगों को बुलवाने का । इसलिए यह सब मुझ पर छोड़ दें । मैं एक हां से और एक ना से बुलवाऊंगा । मेरा प्रयास है बिल्कुल नये लोगों को बुलवाने का ।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने की अनुज्ञा मांगते रहने पर व्यवधान बना रहा)

मेरी प्रार्थना सुन लें । मैं यहां पर बैठकर न इधर हूं न उधर हूं । मैं प्रयास कर रहा हूं कि सबको बराबर सम्मान कर सकूं । मैं सभी की भावनाओं का आदर करूंगा ।

(व्यवधान)

आप बैठ जायं । मैं कोई ऐसा शब्द नहीं कहना चाहता हूं जो आपको अप्रिय लगे, मैं विनती कर रहा हूं कि आप बैठ जायं ।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, मैं बिन्दु की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में पृथक पर्वतीय राज्य का उल्लेख किया गया है । मान्यवर, यह बड़े हर्ष का विषय है कि सरकार की प्रतिबद्धता पृथक राज्य के प्रति है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें संदेह और शंका है कि सरकार पृथक उत्तरांचल राज्य के प्रति गम्भीर है । मान्यवर, इस देश की रक्षा और सुरक्षा में, देश की अखण्डता में हिमालय ने सदा सदियों से प्रहरी की भूमिका अदा की है । उत्तरांचल से बहने वाली नदियों ने इस देश को हरा भरा किया है । मान्यवर, उत्तरांचल के वनों ने इस देश के पर्यावरण को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाई है । लेकिन मान्यवर, इस प्रदेश की सरकारों के गलत नियोजन गलत नीतियों के कारण आज पहाड़ों में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी और महंगाई बढ़ी है और इसी का कारण है मान्यवर, कि पहाड़ों में, पहाड़ की जनता ने पृथक उत्तरांचल की मांग उठायी, 1971 में नैनीताल में पृथक उत्तरांचल की मांग सबसे पहले उठी । मान्यवर, जो पुनर्गठन आयोग की समय-समय पर रिपोर्ट है, उन्होंने भौगोलिक, प्रशासनिक और आर्थिक आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया है । 1928 में नेहरू समिति की रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख है, जो पुनर्गठन आयोग के सदस्य पणिकर थे उन्होंने भी इस बात को लिखा है । 1948 में दर आयोग ने भी उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात को स्वीकार किया है । आज इस उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों को मौज-मस्ती के क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया है और पर्वतीय क्षेत्र को मौज-मस्ती के लिये चुना है, लेकिन दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्र की जनता के सुख-दुख में सहभागिता नहीं निभायी । मान्यवर, 12 अगस्त, 1991 को जब यहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस सदन में उस सरकार द्वारा पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव बहुमत के माध्यम से स्वीकार करा के केन्द्र सरकार को भेजा था । हमारे विपक्षियों ने जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं, एक आवाज, एक नारा देना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा 12 अगस्त, 1991 को जो प्रस्ताव इस सदन में लाया गया था, उसमें बहस नहीं करायी गयी । मान्यवर, सभी अवगत हैं कि 12 अगस्त, 1991 को जब उत्तरांचल राज्य का प्रस्ताव सदन में आया था, प्रतिपक्ष के सम्मानित सदस्य अपने सुरक्षा कर्मियों की बात को लेकर इस सदन से वाक-आउट कर गये थे । मान्यवर, इस सदन में जब प्रतिपक्ष नहीं होगा तो बहस किस से करायेंगे । प्रतिपक्ष द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 लाइन का प्रस्ताव पास कराके केन्द्र सरकार को भेजा है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि 5 मार्च, 1992 को 30 पेज की रिपोर्ट उत्तरांचल राज्य के बारे में केन्द्र के गृह मंत्रालय को यहां से भेजी गयी, वह तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी के हस्ताक्षरों से भेजी गयी (भारतीय जनता पार्टी दल की ओर से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, 5 मार्च, 1993 को दिल्ली की लोक सभा में एक गैर सरकारी विधेयक लाकर हमने सिद्ध किया है कि सड़क से लेकर संसद तक इसके प्रति भारतीय जनता पार्टी कितनी गम्भीर है । मान्यवर, जो हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं अगर वे उत्तरांचल राज्य के प्रति गम्भीर होते तो बजाय इस सदन में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते रहने के, केन्द्र सरकार पर उन्हें दबाव डालना चाहिये था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रस्ताव पारित कराके सदन से भेजा है, उस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार स्वीकार करे और अतिशीघ्र उत्तरांचल राज्य की घोषणा करे (भारतीय जनता पार्टी दल की ओर से मेजों की थपथपाहट) मैं कहना चाहता हूं कि अगर उत्तरांचल राज्य बनेगा तो निश्चित रूप से वह एक भारत का सम्पन्नशाली राज्य होगा । हमारे सत्ता पक्ष के लोग आज कहते हैं कि उत्तरांचल राज्य के संसाधन कौन होंगे, कितने होंगे ? मान्यवर, हमारे पास वन है, हमारे वनों से 100 करोड़ रु० की

आमदनी होती है । जब 63 हजार पर हिमाचल प्रदेश में 68 सदस्यों की विधान सभा हो सकती है तो 75 हजार पर उत्तरांचल में एक विधान सभा हो सकती है । हमारे यहां लघु उद्योग हैं, जल विद्युत परियोजनायें हैं, डेयरी उद्योग है और भी इसी तरह से तमाम संसाधन के साधन हैं । हम अपनी जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली का उत्पादन करके उत्तरांचल राज्य को सम्पन्नशाली राज्य बना सकते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

* श्री अब्दुल रईस–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, इस तीन महीने के अन्तर्गत जो हमारी सरकार ने उपलब्धियां अर्जित की है, जो समाज के उत्थान की बात कही है, जो-जो घोषणायें माननीय मुख्य मंत्री जी ने की हैं वह सराहनीय हैं । खलिहान बीमा योजना की घोषणा की गयी, इसके अन्तर्गत अब गरीब किसानों को मजदूरों को 100 रु० से लेकर 7 सौ रु० तक की क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था होगी । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने दो हजार से बढ़ाकर 5 हजार खलिहान बीमा योजना करने का काम किया है । यह एक सराहनीय कार्य किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत जो घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की थी उसमें कड़कती हुई धूप में, ठिठुरती हुई ठंडक में, बरसात में धरती का सीना फाड़कर जो किसान गेहूं पैदा करता था, चाहे वह अनाज हो, गेहूं हो, चावल हो उन्हें रखने का कार्य करता था और यदि आकस्मिक रूप से कोई आग लग जाती थी तो उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती थी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको बढ़कर दो हजार से पांच हजार कर दिया है, यह एक सराहनीय कार्य है । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने होमगार्डों के दैनिक वेतन भत्ते को 25 रुपये से बढ़कर 35 रुपये कर दिया है, यह एक सराहनीय कार्य है । अब मान्यवर, यह इन्होंने क्यों किया इस पर विचार करने की बात है । होमगार्ड में कौन लोग जाना चाहते हैं, इसमें पिछड़े, दलित वर्ग और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको खाने को रोटी नहीं मिलती है, मूली नहीं मिलती है, आलू नहीं मिलता है, उन तबकों के लोग होमगार्ड में भरती होकर थाने में ड्यूटी करते हैं और अपमान की जिन्दगी बिताते हैं । हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर ध्यान दिया है । माननीय अध्यक्ष जी अब मैं आपका ध्यान माननीय मुख्य मंत्री जी के उन कार्यों की ओर दिलाना चाहता हूं, जब इससे पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, विकलांगों को, वृद्धाओं को, विधवाओं को पेंशन देने की योजना चलाई थी, यह उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्य मंत्री थे जिन्होंने हर ब्लाकों में कैम्प के माध्यम से पेंशन देने का कार्य किया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने इसको ठप्प कर दिया था । अब हमारी सरकार फिर सत्ता में आई है हम फिर से हर ब्लाकों में कैम्पों के माध्यम से विधवाओं को, विकलांगों को, वृद्धाओं को पेंशन देने का कार्य कर रहे हैं और यह सराहनीय कार्य है । इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

* श्री अमर जीत सिंह जनसेवक–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, इस प्रदेश में जब यह सरकार सत्तारूढ़ हुई, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के बावजूद, मेरे मन में प्रसन्नता हुई, मुझे खुशी हुई । पूरे प्रदेश में उसके जनमानस में यह चर्चा हो रही थी कि यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लूली लंगड़ी सरकार है और, चूंकि राष्ट्रीय विकलांग संघ का अध्यक्ष होने के नाते, मैं भी लूला हूं, तो कम से कम यह लूली लंगड़ी सरकार प्रदेश के विकलांगों के सर्वांगीण विकास एवं उनके पुनर्विकास के प्रति यह सरकार प्रतिबद्ध होगी। लेकिन मान्यवर, जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के विकलांगों के लिए जो कुछ कहा गया है, अभी तक विकलांगों का आरक्षण तीन प्रतिशत था, वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और विकलांगों को मिलाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह लूली लंगड़ी सरकार विकलांगों के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है। मान्यवर, इनका कहना है कि प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए प्रत्येक गांव सभा में स्कूल खोले जायेंगे। मैं अमर जीत सिंह जनसेवक फतेहपुर के बिनदकी विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। बिनकी में गंगा की तलहटी में कटहरी क्षेत्र में केवट, कहार, यादव, हरिजन ये लोग निवास करते हैं। वहां पर 10 किलोमीटर की पट्टी में कोई स्कूल नहीं है। इस अभिभाषण में उस विद्यालय के लिए कोई चर्चा भी नहीं की गयी है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि मेरी सरकार में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के निर्बल वर्ग का गठबंधन होगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस कटेहरी क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां सारे निर्बल वर्ग के लोग रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कुछ ताकतवर लोगों द्वारा पाल बिरादरी के एक गरीब मजदूर की हत्या की गयी। इसी तरह एक यादव के ऊपर सुनियोजित हमला किया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में, जहां निर्बल वर्ग के लोग रहते हैं, शोषित हैं, दलित है, पीड़ित हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया जाय और यह सरकार उनके उत्थान के लिये निश्चित रूप से सोचे, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

एक सदस्य–

मान्यवर, मैं बार-बार खड़ा होता हूं, मैंने नाम लिखकर भी दिया है, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

मुझसे भी चूक हो सकती है, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में तथा एक विपक्ष में बुलवाने का प्रयास करूं। मैं यह भी जानता हूं कि कौन विपक्ष में है और कौन पक्ष में है।

श्री मदन गोपाल वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं फतेहपुर जनपद के जहानाबाद क्षेत्र के बारे में कुछ समस्यायें रखना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र 3 नदियों से घिरा क्षेत्र है और बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां समस्यायें बहुत हैं। पहली समस्या है कि चांदपुर–लोहरामऊ में लोन नदी पर अधूरा पड़ा पुल बनवाया जाय। दूसरी समस्या, मेरे क्षेत्र में 27 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं, जिनके भवन नहीं हैं, उनके भवनों का निर्माण कराया जाय। तीसरी समस्या यह है कि वहां 85 कि०मी० सड़के ऐसी हैं, जिनकी लेपन कार्य नहीं हुआ है, उसको पूरा कराया जाय। इसके अलावा भानेपुर–पचौरा मार्ग पर रपटे पर पुल को बनवाया जाय। मान्यवर, हमारे यहां रुस्तमपुर में 15 हजार आबादी के छोटे-छोटे गांव हैं, वहां कोई चिकित्सालय नहीं है, वहां जल्दी चिकित्सालय खुलवाया जाय। इसके अतिरिक्त 16 किमी० जमुना बेल्ट का किनारा जो है, उसे बुन्देलखण्ड में जोड़ा जाय।

इसके अलावा अमौली पावर हाउस में 5 मेगावाट का पावर हाउस लगाया जाय, जिससे वहां के नागरिकों को सुविधा हो। अभी हमारे यहां कंजरनडेरा गांव में एक काण्ड हुआ था, जिसे मुख्य मंत्री जी ने बड़े ही ठीक ढंग से निपटा दिया। वह कोई जातीय संघर्ष नहीं था, इसी के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी चर्चा समाप्त करता हूं।

1–जहानाबाद क्षेत्र में डाणा अमौली व दफसौरा, पम्प कैनाल पूर्ण रूप से नहीं चल रही है पूरी क्षमता से चलाया जाय।

2–जहानाबाद क्षेत्र में लगभग 90 गांवों के कुएं सूख गये हैं । भारी पेयजल संकट है। इसकी व्यवस्था हेतु कम से कम 3-3 इण्डिया मार्क हैण्ड पाइप लगवाये जायं।

3–जहानाबाद क्षेत्र में तीन नदियों से घिरा होने के कारण पशुपालन अधिक है पास में कोई पशु चिकित्सालय नहीं है इसकी व्यवस्था की जाय।

4–जहानाबाद क्षेत्र में ग्राम रुस्तमपुर में यूनानी चिकित्सालय के लिये तीन कमरे का भवन दान में दे दिया है जिससे उक्त भवन में यूनानी चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। धन्यवाद।

श्री जयपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। मैं अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अपने क्षेत्र की समस्यायें, जो बहुत ही अहम हैं, को सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं मेरे जिले में बहुत अर्से से जो मांग चल रही है वह आज शायद लड़ाई का रूप लेने जा रही है और यहां तक मैं कहना चाहता हूं कि कहीं प्रदेश के विभाजन की भयंकर मांग न उठ जाये। इससे पहले मैं सदन से मांग करता हूं कि मेरे जिले में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित की जाये, सारा सदन इस पर सोचे। अतः कमजोर और गरीब लोगों को सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिये बेंच स्थापित की जाये। मेरे क्षेत्र की भी कुछ समस्यायें हैं किसानों, मजदूरों की 40 सालों से यह मांग होती चली आ रही है कि काली नदी पर आड़ गांव के समीप एक पुल बनाया जाये। इस पुल के न होने के कारण हम लोगों को 40 कि०मी० घूमकर जाना पड़ता है अगर पुल बन जाये तो मात्र 2-3 मील की ही दूरी तय करनी पड़ेगी। इस पुल के बनाने में कोई ज्यादा लागत नहीं आयेगी। मैंने सर्वे कराया है केवल 30–35 लाख रुपये में वह पुल तैयार हो जायेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि मेरे इस मांग को तुरन्त पूरा किया जाये। ढिहाला गांव के नजदीक किसानों के 10–12 गांव ऐसे हैं जो एक नाला पड़ने की वजह से जल मग्न हो जाते हैं क्योंकि पानी नहीं निकल पाता है और 10 गांव की फसल बिल्कुल चौपट हो जाती है। कई बार जिले के हेट क्वार्टर पर अपनी बात रखी है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे क्षेत्र के मऊ खास गांव में एक चीनी मिल स्वीकृत हुई थी, मुझे पता नहीं, हम लोग बहुत सम्पर्क कर चुके हैं लेकिन कहते हैं कि स्वीकृत है और उसके बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जबकि उसके बाद की स्वीकृत मिलें बनना शुरू हो गयी हैं।

मान्यवर, एक अहम मांग और है जिसके संबंध में प्रदेश के सारे नेताओं और माननीय सदन को यह सोचना है कि जो गरीब किसानों और मजदूरों ने ऋण ले लिया था वह आज 3 हजार से बढ़कर 13 हजार और 15 हजार हो गया है और इन पैसों को अदा करने में गरीब लोग बिल्कुल सक्षम नहीं हैं। इन लोगों को अमीन रोज पकड़कर तहसील में ले जाता है और 13-14 दिन उनको जेल में रखकर छोड़ देते हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि कम से कम दलितों की कही जाने वाली सरकार इस बात पर गम्भीरता से सोचे, कम से कम उनके ब्याज को माफ कर दे और किश्तों में उनसे पैसा ले ले। मान्यवर,

आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर समय दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं।

* श्री इरशाद–

मान्यवर, एक हम चर्चा में शामिल होने का मुझे आपने अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार रख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि वह हाथ जिन्होंने लाखों चिराग बुझा दिये, लाखों माताओं की गोद सूनी कर दी, उन्होंने मुल्क में इस प्रदेश में धर्म के नाम पर, साम्प्रदायिकता के नाम पर, राम के नाम पर दंगा कराया आज वही हाथ इस देश और प्रदेश में शान्ति व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय कांशी राम जी ने जिन विचार धाराओं को लेकर इस प्रदेश में संघर्ष किया है वह विचार धारायें एक चिराग के मानिन्द हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मजलूम, शोषित, कमजोर और हजारों काले गोरे बच्चों को मारकर पाताल पहुंच दिया वहीं आज एक काला बच्चा के नाम पर दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अल्पसंख्यकों, दलितों और कमजोर वर्गों से कोई वास्ता नहीं रहा है। यही लोग जब सत्ता में थे तो इनके विचार अलग थे लेकिन सत्ता के गलियारे से उठकर चले जाने के बाद इनके वसूल, नीतियां, विचार धारायें बदल गयी हैं। आप अपने कार्यकाल में झांककर देखिये आपने क्या किया था, केवल साम्प्रदायिकता के अलावा आपने कुछ भी नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि आज मुलायम सिंह यादव और माननीय कांशी राम ने आज इस प्रदेश को नई दिशा दी है।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, दलित शोषित समाज के उत्पीड़न तथा दलितों के बच्चों के उत्पीड़न की कोशिश की गयी। जो यह लोग धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर बात कर रहे हैं उससे दलितों, शोषितों और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस संविधान के रचयिता बाबा भीम राव अम्बेडकर ने जो दलितों आदि के लिए संविधान बनाया, उससे दलितों और अल्पसंख्यकों वर्ग का हित नहीं था। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के अंन्दर अगर कोई दंगे हो रहे हैं, दलित का उत्पीड़न हो रहा है, आज किसी पिछड़े का उत्पीड़न हो रहा है, आज किसी अल्पसंख्यक का उत्पीड़न हो रहा है तो मान्यवर, यह उत्पीड़न क्यों हो रहा है ? मान्यवर, यह सब साजिश के तहत हो रहा है जिससे कि माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार बदनाम हो।

मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के विकास के लिए, तीन महीने के माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार के कार्यकाल में विकास की गति तेज हुई है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि प्रदेश में जाति-पांति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसे समाप्त होना चाहिए। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वहां पर एक नदी पड़ती है जिसमें हजारों की तादात में लोगों का नुकसान होता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के उत्पीड़न को रोका जाये।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया करके आप बैठ जायं। आपका समय समाप्त हुआ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राधे श्याम गुप्त–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो विसंगतियां हैं, आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं । मान्यवर, पिछड़े जिला फतेहपुर जनपद की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । मान्यवर, तीन महीने हो गये सरकार के कार्यकाल के लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार के विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं बल्कि जो योजनायें हैं वह भी अधूरी पड़ी हुई हैं जिससे सरकार को लाखों रुपये की राजस्व हानि हो रही है, निर्माण कार्य रुके हुए हैं । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो वहां पर योजनायें चल रही हैं उनको अविलम्ब पूरा कराया जाय । पिछड़े वर्ग के लोगों को राहत सहायता मुहैया करायी जाय । मान्यवर, आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं कि जो राज्यपाल के अभिभाषण में दिया गया था कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा । मान्यवर, एक हार्स पावर बिजली की सिक्योरिटी एक सौ रुपये देय होती थी, अब छः सौ रुपये सिक्योरिटी हो गयी है और 650 रुपये सिस्टम लोडिंग चार्ज जमा करने होते हैं इस प्रकार कुल 1,250 रुपये प्रति हार्स पावर कर दी गयी है । यदि यही स्थिति रही तो दूसरे उद्योग नहीं लग पायेंगे । इसमें संशोधन करायें मान्यवर, और किसी नीति का सरकार ने अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया है । मान्यवर, कुछ अपने क्षेत्र विशेष के बारे में बताना चाहता हूं, मेरा क्षेत्र जनपद फतेहपुर महत्वपूर्ण क्षेत्र है, पूरब क्षेत्र में इलाहाबाद पड़ता है और पश्चिम में कानपुर महानगर । इन महानगरों के बीच में विकास का कार्य रुका हुआ है । मान्यवर, अभी तक फतेहपुर जनपद में किसी प्रकार के विकास की व्यवस्था नहीं की गयी है । कृषकों के आर्थिक विकास के लिए चीनी मिल की स्थापना करायी जाय । कोई विद्यालय नहीं हैं । पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । एस०पी० व बी०एस०पी० के गठबन्धन की जो यह सरकार बनी है, कहती है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में दलितों व पिछड़ी जाति के लोगों को प्रोत्साहन देंगे, परन्तु आज तक इन्हीं इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की है । मेरे क्षेत्र में मात्र दो विद्यालय हैं उनमें भी विज्ञान विषय की व्यवस्था नहीं है । लड़कियों के लिए कोई विद्यालय नहीं है.....

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायं । मैंने श्री मिश्रा जी को बुला लिया है ।

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गुप्त–

सिंचाई के साधनों का अभाव है । इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वहां पर लड़कियों के लिए विद्यालय तथा सिंचाई की व्यवस्था की जाय ।

श्री राम औतार मिश्रा–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । हमारी नगरी शहीदों की नगरी है । वां पर दो बड़ी-बड़ी फैक्टरियों का निर्माण होने जा रहा है । एक है बिन्दल एग्रोफर्टिलाइजर कम्पनी और दूसरी है बाम आर्गेनिक है । इन्होंने गरीब जनता की जमीन का अधिग्रहण किया है । बिन्दल एग्रो फर्टिलाइजर कम्पनी ने 1,100 एकड़ जमीन को अधिग्रहीत किया है, जिसमें से केवल 400 एकड़ जमीन पर निर्माण कार्य हो रहा है, शेष जमीन खाली पड़ी है । अगर किसान उस पर कृषि करता तो हजारों टन अन्न उत्पादित करके देता । एक प्रकार से देखा जाय तो राष्ट्र का नुकसान हो रहा है । इसी प्रकार बाम आर्गेनिक का है, इसने 400 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की है परन्तु अभी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है । इस प्रकार देखा जाय तो गरीब किसानों की 1,200 एकड़ के आसपास जमीन

खाली पड़ी हुई है । कांट में एक भी इंटर कालेज नहीं है । 11 जुलाई को महामहिम श्री राज्यपाल जी ने इण्टरमीडिएट कालेज खोलने की घोषणा कर दी थी, परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर इण्टर कालेज खोला जाय । शाहजहांपुर में 300 शैय्या का अस्पताल का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाय, स्वीकृत बाई पास का निर्माण शुरू किया जाय । हमारे निर्वाचन क्षेत्र अजीतगंज–चौनापुर मार्ग का निर्माण एवं चौनापुर के करीब गरई नाले का पुल पर एक पुल स्वीकृत है, कई टुकड़ों में यह बन भी गया है, इसके लिए पैसा भी स्वीकृत हुआ था परन्तु आज तक यह पुल एवं मार्ग नहीं बना है, इसलिए इस पुल एवं मार्ग को अविलम्ब बनाया जाय । 1989 से हमारे यहां नहरों की सफाई नहीं हुई है । जब से कांग्रेस सरकार गई है तब से विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, इसलिए विकास के कार्यों की तरफ ध्यान दिया जाय । डंकल प्रस्ताव की बात आती है । हमारी कांग्रेस सरकार ने 50 साल से किसानों की सेवा की है । अगर वह प्रस्ताव किसानों के हित में होगा तो उसका लाभ किसानों को मिलेगा और अगर वह किसान विरोधी होगा तो वह लागू नहीं होगा । धन्यवाद ।

श्री मोहर सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मेरे निर्वाचन हरोड़ा क्षेत्र में 100 ऐसे लिंक मार्ग हैं, जिनको अभी तक सम्पर्क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है । इनकी लम्बाई 350 कि०मी० से ऊपर है । इन्हें सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाये ।

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव पर कुछ संशोधन रखना चाहता हूं मेरे क्षेत्र हरोड़ा में सहारनपुर–सानागढ़ मार्ग पर ढमोला नदी में पुल नहीं है वहां पर पुल का निर्माण किया जाय । मेरे क्षेत्र में एक मुस्लिम गाड़ा आबादी रहती है जो शैक्षिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनको पिछड़े वर्ग में घोषित कर दिया जाय ।

मेरा एक निवेदन और है शासन कठोरता से चलता है । कठोरता किसके लिये होनी चाहिये गुण्डों और बदमाशों के लिए होनी चाहिये, जिला प्रशासन के लिये होनी चाहिये । लेकिन मुलायम सिंह उनके लिये मुलायम बने हुये हैं जिसके कारण पूरे प्रदेश में अराजकता का महौल हो गया है दूसरी तरफ जब माननीय कल्याण सिंह का राज्य था वह ऐसे लोगों के लिये कठोर थे इसलिये हमारी जनता पार्टी का शासन अच्छी तरह से चला । आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिये आपका आभारी हूं ।

* श्री अकबर अली–

मान्यवर, मैं आभारी हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है वहां कोई उद्योग नहीं हैं इसलिये वहां उद्योग लगाये जायं ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो सपा०, बसपा० की सरकार बनी है तब से प्रदेश में अमन कायम हुआ है । यह सरकार गरीबों की है दलितों की है । पहली बार यह दलित और शोषित समाज की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इंसानियत की सरकार चुन कर आई है । इससे उधर के बैठने वाले यह लोग दुखी हैं । [x x x]
(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री सुरेश संगल–

मान्यवर, यह बंदे मातरम् के खिलाफ नहीं कह सकते हैं ।

श्री उदय भान सिंह–

इसे कार्यवाही से निकालें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप शांत रहें, आप लोग बैठ जायं ।

श्री अकबर अली–

यह समाज को तोड़ने वाले हैं, जरायम करने वाले हैं 1990 और 1992 के बीच में जब यह सरकार में आये इन्होंने प्रदेश को लहू लुहान कर दिया । आज शांति और अमन का राज कायम हुआ है तो इन्होंने तेजी शुरू कर दी है । मेरे जिले में परसू गांव में इन लोगों ने जनवरी महीने में एक मुस्लिम परिवार के लोगों के छप्पर उखाड़ दिये उनके घरों को लूट लिया और उनके गन्ने के खेतों को आग लगा दी । यह आग कब लगाई जब इनके नेता [xxx] का वहां भाषण हो रहा था । एक तरफ वह भाषण दे रहे थे दूसरी तरफ लूट हो रही थी । यह इनके कारनामे हैं, यह इनके क्रिया कलाप हैं । आज भी यह यही चाहते हैं प्रदेश साम्प्रदायिकता आग की ज्वाला से धधक उठे इंसानियत तबाह हो जाय । दंगा करने वाले यही हैं । पहले आग लगायेंगे उसके बाद बाल्टी लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम आग बुझाने आये हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, साहिद यही, कातिल यही, तो इस प्रदेश का क्या होगा ?

मान्यवर, गरीबों की यह सरकार ठीक से चल रही है और इसके पहले 1989 में श्री मुलायम सिंह मुख्य मंत्री थे तो उस समय भी हमारे मुख्य मंत्री जी ने विधवाओं, बृद्धा लोगों को पेंशन दिलाई थी लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था की भाजपा सरकार ने उसको समाप्त कर दिया था ।

पुनः मुलायम सिंह जी ने विधवाओं वृद्धाओं और बेसहरा लोगों को पेंशन देने जा रहे हैं । हमारी सरकार ने बाबा भीम राव अम्बेदकर की जयंती पर छुट्टी की घोषणा कर दी है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें और बैठ जायें । (व्यवधान)

श्री अकबर अली–(व्यवधान के मध्य) मान्यवर, हमारी सरकार ने सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी 8.30 बजे से कर दिया है जिससे सफाई कर्मचारियों के औरतें अपने घर का काम भी देख सकती हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं मैंने श्री बच्ची सिंह रावत को बुला लिया है ।

(व्यवधान)

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सुरेश संगल–

(व्यवधान) मैं व्यवस्था चाहता हूं कि श्री अकबर अली ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जो अपमानजनक बातें कहीं हैं उन्हें कार्यवाही से निकलवा दिया जाये क्योंकि इससे राष्ट्र का अपमान हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं कार्यवाही देख कर कार्यवाही करूंगा ।

(व्यवधान)

* श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा पर बोलने का समय दिया । इस समय जो सबसे ज्वलंत विषय हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पृथक राज्य की स्थापना का चल रहा है उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया जिसके द्वारा पौड़ी, अल्मोड़ा और काशीपुर में बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किये । मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि राज्य बनाने का विषय केन्द्र सरकार के अधीन है और केन्द्र सरकार द्वारा ही इसका निर्माण किया जायेगा । अभी 2 मार्च 94 को राज्य सभा में इस विषय पर चर्चा हुई थी जिसमें पृथक उत्तरांचल राज्य बनाने के लिये भाजपा सांसदों के साथ-साथ समाजवादी काशीपुर में बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किये । मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि राज्य बनाने का विषय केन्द्र सरकार के अधीन है और केन्द्र सरकार द्वारा ही इसका निर्माण किया जायेगा । अभी 2 मार्च 94 को राज्य सभा में इस विषय पर चर्चा हुई थी जिसमें पृथक उत्तरांचल राज्य बनाने के लिये भाजपा सांसदों के साथ-साथ समाजवादी पार्टी के सांसद श्री यशपाल द्वारा भी इस पृथक राज्य की मांग का समर्थन किया गया । जहां तक नाम की बात है तो वह कोई भी हो सकता है उससे अन्तर नहीं पड़ता है । वैसे स्कंद पुराण में उत्तराखण्ड का जो उल्लेख है उसमें उत्तराखण्ड की सीमा हरिद्वार तीर्थ से शुरू होकर कैलाश मानसरोवर तक जाती है लेकिन वह उत्तरांचल में ही समाहित है ।

मान्यवर, क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं तो लोग सड़क, पेयजल और सिंचाई की समस्यायें बताते हैं और जिनके संबंध में तमाम विधायकों ने यह कहा है लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इसलिए जब यह क्षेत्र में जाते है तो जनता कहती है कि पेयजल नहीं है, सड़क नहीं है तो यह कहते हैं कि कमेटी बना दो । बिजली नहीं है तो कहते हैं कि कमेटी बना दे । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कमेटी बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा । केवल कमेटी बनाने से जनता इस सरकार को कमेटी सरकार कने लगी है । इसलिए हर एक पर तात्कालिक समस्या यह है कि यदि पानी नहीं तो पानी उपलब्ध करायें और बिजली नहीं तो उसे उपलब्ध करायें और समस्याओं पर सरकार गम्भीरता से विचार करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, क्षेत्र में लोग यह चर्चा कर रहे हैं :–

"बरबादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है,

अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, जब हर शाख पर उल्लू बैठे हैं।"

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री बशीर–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने बोलने का मौका दिया। यह मजलूमों की सरकार है और उस तरफ बैठे हुए लोग जालिम हैं। आज यह प्रचार किया जा रहा है कि इस पार्टी में कैसे लोग हैं ?

श्री सुरेश संगल–

मान्यवर, यह अभिभाषण पर कल बोल चुके हैं, फिर भी बोले जा रहे हैं, आप इनको रोकिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब बैठें, आप कल बोल चुके हैं, इस तरह नहीं।

* श्री श्याम किशोर यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जब से माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार आई है, इस प्रदेश के किसानों ने अमन चयन की सांस ली है। इस प्रदेश में जो किसानों के ऊपर भार था, जिन नहरों में दसों साल से कभी पानी नहीं चला था, सोलह घण्टे बिजली नहीं मिली थी, यह सारी व्यवस्था मुलायम सिंह जी ने कर दी है। इस सरकार में, इसके शपथ लेने के बाद आज तक जितना विकास हुआ है, वह उधर बैठे लोगों के शासनकाल में 17 महीनों में भी नहीं हुआ था। जो फसल बीमा योजना लागू की गई है, उससे किसानों को बहुत राहत पहुंचाई गई है। किसानों को और जो सारी सुविधाएं दी गई हैं, उससे प्रदेश के सारे किसान और दूसरे लोग खुशहाली महसूस कर रहे हैं। जिन नहरों और रजबहों में कभी पानी नहीं गया, उसमें अब पूरी क्षमता से पानी गया है और किसान उससे अन्न उत्पादन कर वह अच्छी फसल पैदा करेगा। उससे 46 सालों में सबसे ज्यादा कृषि का उत्पादन किसान करके दिखयेगा। जिस तरह दलित लोगों को इसमें राहत दी गई है, अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाया गया है, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की गई है, उस सबसे स्पष्ट होता है कि यह बाबा साहब के अरमानों की सरकार है, डाक्टर लोहिया के सपनों की सरकार है और महात्मा गांधी के सपनों की सरकार है। यह माननीय मुलायम सिंह यादव और कांशीराम जी के परिश्रम की सरकार है, जो उनके पद चिन्हों पर पूरी तरह चल रही है। हमें आशा करनी चाहिए कि आने वाले समय में यह सरकार चतुर्मुखी विकास करेगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर यह कहते हुए अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजा राम त्यागी–

(घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, जब से सपा-बसपा की सरकार इस प्रदेश में आई है, दंगे, हत्यायें, बलात्कार और डकैती आदि की घटनाएं एक दम से सारे प्रदेश में बढ़ गई हैं, क्योंकि वह सब लोग इसी सरकार के लोग हैं । 16 घंटे बिजली की बात बिल्कुल झूठी है । महाराजगंज तहसील मुख्यालय पर, जहां से मैं चुनकर आता हूं विद्युत आपूर्ति में (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राजाराम त्यागी–

मान्यवर, रायबरेली जनपद में पूर्ण विद्युतीकरण बताया गया है । मैं ऐसे ब्योरे दे सकता हूं कि वहां पर विद्युतीकरण नाम-मात्र को ही किया गया है । केवल खम्भे गड़े हैं परन्तु तार की कोई व्यवस्था नहीं है । रायबरेली महराजगंज में बछरावां से होती हुई नगराम के पास महराजगंज एक ड्रेन निकलती है जो सुल्तानपुर जनपद की सीमा तक जाती है जिससे हजारों हैक्टेयर भूमि जलमग्न रहती है । खेती की जमीन इस प्रकार से बर्बाद चली जाती है किसान उस पर कुछ फसल नहीं बो सकता है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि यह ड्रेन बहुत लम्बी है अतः इसकी खुदाई की समुचित व्यवस्था की जाय ताकि ड्रेन से अतिरिक्त नहरों को पानी निकलाकर मिल सके और इस तरह से भूमि जलमग्न न हो पाय । मान्यवर, अभी मैंने अपनी बात समाप्त भी नहीं की है आपने लाल बत्ती जला दी । महंराजगंज तहसील में मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की जाय । इस तरह की कोई व्यवस्था माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है । मान्यवर, सम्पूर्ण विधान सभा में पेयजल की व्यवस्था बहुत खराब है इंडिया मार्का हैंड पम्प लगवाये जाने के लिये आपसे अनुरोध करता हूं ताकि वहां पर पेयजल की समस्या को दूर किया जा सके । विधान सभा बछरावां क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों का बाहुल्यता है यहां पर पीने के पानी की बहुत समस्या है । महराजगंज तहसील मुख्यालय पर फायर बिग्रेड की स्थापना की जाय । यहां बहुत से प्रतिभायुक्त खिलाड़ी है, यहां पर स्टेडियम बनाया जाय । इसके लिये कई बार मांग कर चुके हैं । बछरावां में यहां पर रफी अहमद किदवई पार्क है, इसके बारे में कई बार मांग की गई है कि इसे स्टेडियम का रूप दे दिया जाय परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । शिवगढ़ मुख्यालय यहां पर कन्या इन्टर कालेज नहीं है, इसकी भी व्यवस्था कराई जाय ताकि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी अपनी बालिकाओं बच्चों को पढ़ा सकें । वि०ख० महराजगंज के हलोर नामक स्थान पर स्कूल हैं तो वहां पर गणित व विज्ञान पढ़ाने के लिये अध्यापक नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वहां पर इसकी व्यवस्था कराने का कष्ट करें । आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया धन्यवाद ।

* श्री राजबली जैसल–

मान्यवर, मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया । उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबन्धन से जो सरकार बनी है उसकी नीतियां राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से स्पष्ट हो जाती हैं । प्रदेश के गरीब, लाचार, मजदूर लोगों के सम्मान और अधिकारों को पूरा करने के लिये यह सरकार दृढ़ संकल्प है। यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है इसे यह अच्छा नहीं लग रहा है कि गरीब, मजदूर लाचार जो रहे हैं आज वह प्रदेश सरकार की कुर्सी पर बैठे हैं । यह भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनियोजित ढंग से इस सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने राम, रोटी-और इन्साफ का नारा देकर इस उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का काम किया लेकिन मान्यवर, राम, रोटी और इन्साफ के नाम पर सरकार बनाकर सरकार न तो राम मंदिर की रक्षा कर सकी । एक मस्जिद को लेकर हजारों मंदिरों को ढहा डाला और वह सरकार जो माननीय मुलायम सिंह की सरकार ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर मंदिर और मस्जिद दोनों की रक्षा की थी उस सरकार ने राम मंदिर की रक्षा करने का काम किया था और बी० जे० पी० की सरकार ने मस्जिद ढहाकर अनेक मंदिर गिरा डाले । आज भाजपा के लोग सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं यह लोग कहते हैं कि जंगल राज कायम हो गया है तो कहां पर जंगल राज कायम हो गया है । बिजली पहले सरकार में 8 घण्टे मिलती थी और आज 16 घण्टे से 24 घंटे तक बिजली मिल रही है । इस प्रदेश में जो नकल अध्यादेश का कानून लगा हुआ था उस कानून को खत्म करके सरकार ने चुनौती दी है कि नकल नहीं होगी । आज नहरों में जहां कभी पानी नहीं पहुंचता था आज टेल तक पानी पहुंच रहा है । इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

* श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । आज उत्तर प्रदेश में अराजकता, गुण्डागर्दी, अत्याचार, जातीय संघर्ष जितना पिछले ढाई-तीन महीनों में देखने को मिला उतना इसके पहले कभी भी देखने को नहीं मिला । मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कानपुर में गंगा बैराज के बारे में चर्चा की लेकिन उसमें इतनी बात लिखकर अपनी बात समाप्त कर दी कि केन्द्र सरकार के साथ मिलकर कानपुर गंगा बैराज का निर्माण किया जायेगा । आज कानपुर के नागरिक पीने के पानी के लिये बूंद-बूंद के लिये तरस रहे हैं । आज जब कानपुर के नागरिक पानी की बात करते हैं तो यह कह दिया जायेगा कि गंगा बैराज के बन जाने पर पानी मिलेगा । जो पिछली सरकार के टाइम में हैण्ड पम्प लगवाये गये थे उनको सुधरवाने के लिये कोई इन्तजाम नहीं किया गया है ।

मान्यवर, पानी एक महत्वपूर्ण चीज है बिन पानी सब सून होता है । पानी की व्यवस्था करने में सरकार अक्षम साबित हुई है । मान्यवर, जल संस्थान जितना जर्जर हुआ है उतना इसके पहले कभी नहीं हुआ । । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह संशोधन लाना चाहता हूं कि कानपुर में जलापूर्ति के लिये सुनिश्चित प्रयास करें । मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं कानपुर छावनी वहां से एक मंत्री जी भी सरकार में हैं यह क्षेत्र नव विकसित क्षेत्र है । चाहे सड़क की बात हो चाहे बिजली की बात हो चाहे पानी की बात हो । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से राज्यपाल के अभिभाषण में यह संशोधन करवाना चाहूंगा कि इस कैण्टोनमेंट क्षेत्र के लिये जो नव विकसित क्षेत्र है पानी, सड़क, बिजली, सीवर लाइन जो जाम रहती हैं । इन सभी चीजों में सुधार हो । सड़कें जो अभी से ही चलने लायक नहीं हैं तो बरसात आने पर क्या स्थिति होगी इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । सामने जो बैठी सरकार है जब इस सरकार के समाने कोई भी समस्या उठाओ तो हमेशा यह जवाब मिलता है कि भाजपा की सरकार ने इस पर क्या किया ? इसी विषय में अधिक समय खर्च

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करती है ऐसा नहीं होना चाहिए । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गंगा की सफाई के लिये करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं परन्तु आज भी गंगा में दूषित पानी जा रहा है जिससे यह करोड़ों रुपया जो खर्च किया जा रहा है, बेकार चला जा रहा है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो गंगा प्रदूषण इकाई है उसको ठीक तरीके से निर्देशित किया जाय ताकि गंगा में दूषित पानी न जाय । इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(श्री नंद लाल सिंह पटेल का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । कल से मैं बराबर खड़ा हो रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रयास करूंगा कि आपको भी समय मिले ।

श्री नन्द लाल सिंह पटेल एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय बरखू राम वर्मा जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उस पर आपने बोलने के लिये जो मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, 2-3 महीनों से हमारे सामने बैठे हुए लोगों को पानी, बिजली और तमाम चीजों का कष्ट है । ऐसा लगता है कि डेढ़ साल की इनकी सरकार में पानी, बिजली भरपूर था । डेढ़ बरस की इनकी सरकार में शाहजहांपुर में जो नंगा नाच हुआ था वहां पर इनके लोगों को पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई । एक सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं उनका भी प्रकरण यहां पर उठा था और विपक्ष के तमाम लोगों ने बहिर्गमन किया था । लेकिन उस मामले की जांच नहीं करायी गयी थी न्यायिक जांच की हमारी मांग को नहीं माना गया था । आज यह लोग छोटी-छोटी मनगढंत घटनाओं को यहां उठाते हैं और यदि कहीं छोटी सी घटना हो जाती है तो विपक्ष के नेता और सब लोग वहां पहुंचते हैं ।

मान्यवर, चरखारी में जो घटना हुई थी उस पर इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की थी । इसी तरह से कुसुम मिश्रा कांड की कोई जांच नहीं करायी गयी । शाहजहांपुर में मुख्य मंत्री जी की बिरादरी के 15, 16 लोगों के साथ बर्बर व्यवहार किया गया था लेकिन उस मामले की भी कोई जांच नहीं करायी गयी । अध्यक्ष महोदय, मैं अब इलाहाबाद की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । वहां के एक मंत्री द्वारा मकान पर कब्जा किये जाने का मामला यहां पर उठा था लेकिन उसकी न्यायिक जांच नहीं करायी गयी। आज मनगढ़ंत बातों को कहकर सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं । यह सरकार किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का भला चाहती है लेकिन सरकार के काम में अड़ंगा डालने के लिये तमाम इस तरह की बातें कही जाती हैं ।

माननीय मुलायम सिंह की सरकार ने गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के विकास के लिये कार्य किया है । हमारे इलाहाबाद में एक साल में कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां पर स्कूल न बन जाय । इसी तरह से कोई न्याय पंचायत ऐसी नहीं बचेगी जहां पर प्राइमरी हाई स्कूल न खुल जाय । पिछले 40-45 सालों में जहां पर विकास की किरणें नहीं पहुंची थीं वहां के विकास के लिये हमारी सरकार ने ध्यान दिया है । जहां पर अनुसूचित जाति के लोगों की बस्तियों हैं उनको पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया जा रहा है और इन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजनायें बनायी गयी हैं । माननीय मुलायम सिंह की सरकार किसानों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों का भला करना चाहती है, उनके मनोबल को उठाना चाहती है,

उनके मान सम्मान की रक्षा करना चाहती है लेकिन इन लोगों को यह बात अच्छी नहीं लग रही है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान करछना विधान सभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जहां से मैं चुनकर आया हूं। वह सामंतों का क्षेत्र है। वहां पर सामंतवादियों का आतंक रहा है और उन्हीं के लिये काम हुये हैं। वहां पर अनेक नाले हैं और दोनों तरफ नदियां हैं वहां पर आपकी नजर जानी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय बरखूराम वर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं जयभारत, जयहिन्द।

* श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, मैं सलोन विधान सभा क्षेत्र से जीत कर आया हूं। यह वर्तमान सरकार पर्यावरण और सफाई की दुहाई देती है। श्रीमन्, सलोन विधान सभा क्षेत्र के बीच सई नदी निकलती है। इस नदी में रायबरेली पेपर मिल का गंदा पानी गिरता है जिसके कारण लाखों मछलियां मर जाती हैं। इस गंदे पानी को जब जानवर पीते हैं तो बीमार हो जाते हैं और यहीं नहीं मान्यवर, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ छतोह ब्लाक है, वह पिछड़ा हुआ, हरिजनों और अल्प संख्यकों का बाहुल्य ब्लाक है, जिसमें आजादी से लेकर आज तक कोई हाई स्कूल नहीं है और सलोन विधान सभा के बीचोबीच से सई नदी निकलती है, जिसमें रायबरेली जिले की पेपर मिल का गंदा पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे उसमें मछलियां मर जाती हैं और नदी के करीब जितने गांव बसे हैं, उनके पशु पानी पीते हैं, तो वे बीमार हो जाते है और जो मनुष्य उसमें नहाते हैं वे बीमार हो जाते हैं। सलोन विधान सभा क्षेत्र प्रदेश में आलू उत्पादन में दूसरे नम्बर पर आता है, जहां पर आज तक आलू से संबंधित किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं लगाया गया है, इसलिये आलू से संबंधित व्यंजनों का कोई न कोई उद्योग वहां पर लगाया जाय। दूसरे सलोन ब्लाक के पूर्वी क्षेत्र में पानी का जल स्तर गिर रहा है, पानी पीने के लिये वहां पर बड़ी परेशानी है, इसलिये वहां पर कोई न कोई ओवर हेड टैंक बनाकर पीने के पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाय। सलोन ब्लाक के पश्चिमी क्षेत्र में जो नील गायों का आतंक है, रात भर किसान इस ठंडी के समय में जग-जग करके अपनी फसल ताक रहे हैं, इसलिये यह बड़ा गम्भीर विषय है और फसलों को नीलगायों से बचाने के लिये सरकार कोई उपयुक्त कदम उठाये। छतोह ब्लाक में सब-पावर हाउस जोकि बना हुआ है, उसमें केवल विद्युत प्रवाहित करता है, उसमें कनेक्शन जोड़ कर विद्युत प्रवाहित किया जाय। सलोन विधान सभा की समस्त सड़कों पर जो बोल्डर डाल दिया गया है, उसमें गरीब लोगों की साइकिलों के टायर कट जाते हैं, इसलिये वहां पर उन सड़कों पर लेपन स्तर तक कार्य कराया जाय। मान्यवर, इस सरकार की जो भी नीतियां हैं, वह पानी में लकीर खींचने के समान है। ये किसी को राहत नहीं दे सकते। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिये मैं आपका एक बार फिर आभार प्रकट करता हूं।

श्री जसवन्त सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री बी० आर० वर्मा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, हमारी सरकार बने हुए 3 माह होने जा रहे हैं। आज गांव में रहने वाले, दलित, मजदूर और किसान ऐसा महसूस कर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहे हैं कि पहली बार उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, क्योंकि इस सरकार ने जिस तरीके से काम करने का ढंग अपनाया है, उससे गांवों में खुशी की लहर दौड़ गयी है। मान्यवर, प्रदेश में हमारी सरकार जब से आई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से घबड़ाये हुए हैं, उसका परिणाम है कि पूरे प्रदेश में दंगा कराने का काम वे लोग कर रहे हैं और मैं तो यह कहूंगा कि यह पार्टी भारतीय दंगा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हमको इन भाजपाइयों द्वारा धर्मनिरपेक्षता का जो नाटक दिखाने का ढोंग दलितों के यहां ही खिचड़ी खाकर क्यों किया, मुसलमानों के यहां सिवइयां खाकर क्यों नहीं किया ? मान्यवर, यह अपने को राम भक्त कहते हैं और मुसलमान नाम से इन्हें चिढ़ पैदा होती है, मगर इन्हें यह नहीं मालूम है कि फिल्म जगत के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ भजन "मन तड़पत हरिदर्शन को आज", फिल्म बैजू बावरा की है और इसे एक मुसलमान भाई, शकील बदायूंनी द्वारा लिखा गया। मान्यवर, यह एक मुसलमान भाई "नौशाद" द्वारा संगीत बद्ध किया गया तथा मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया। यह ऐसा भजन है, जिसको हमारे हिन्दुस्तान में सभी लोग सुनते हैं। यह लोग भी भजन तो पसन्द करेंगे, लेकिन भजन बनाने वाले से नफरत करेंगे। हमारे देश की करोड़ों मातायें 30-40 साल से हमदर्द का ग्राइप वाटर अपने बच्चों को पिला रही हैं। उसके निर्माता कौन हैं ? उसके निर्माता मुसलमान भाई हैं और हमारे सामने बैठने वाले भाइयों ने ग्राइप वाटर जरूर पिया होगा, फिर भी इनकी मानसिकता में परिवर्तन नहीं आया है। मान्यवर, इसी प्रकार से हमदर्द कम्पनी है। हमदर्द कम्पनी साफी बनाती है और इन लोगों का खून साफ कर रही है, फिर भी इनका खून साफ नहीं हुआ है। अगर कोई दवा माननीय मुलायम सिंह जी बना देंगे, तो उससे इनके दिल और दिमाग दोनों साफ हो जायेंगे ; वह दवा जल्दी ही आने वाली है। जब बाजार में आ जाये तो सामने बैठे मा० सदस्यों को सरकार की तरफ से मुफ्त बंटवा दी जाय। यह मेरा निवेदन है।

अब मैं मान्यवर, अपने क्षेत्र की बात कहनी चाहता हूं। मैं कानपुर देहात के सरवन खेड़ा क्षेत्र से चुनकर आता हूं। वहां सड़कों का बड़ा अभाव है। यह वह क्षेत्र है जहां पर सत्ता पक्ष के लोग सदैव रहे हैं, लेकिन यह सदैव से पिछड़ा ही रहा है। हमारे क्षेत्र में सड़कों की मुख्य समस्या है, उसका निदान करने की कृपा करें। मान्यवर, कानपुर देहात का मुख्यालय अभी तक नहीं बन पाया है मेरा निवेदन है कि उसका मुख्यालय तत्काल बनाया जाय और उसका शिलान्यास किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, शासक दल के एक विधायक ने यह कहा कि वह तारीफ करेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग सेंवई खायें, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चाहे हम लोगों को आमंत्रित करके देख लें, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर मुसलमान भाई के यहां सेंवई खाने के लिये तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है वह भारत के मुसलमान को रहीम, रसखान और डा० जाकिर हुसैन देखना चाहता है। अगर वह खाता यहां की है और गाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग सजग हैं।

मान्यवर, मैं आगरा जनपद के दयालबाग क्षेत्र आया से आता हूं। मेरा क्षेत्र आगरा महानगर क्षेत्र के चारों ओर पड़ता है। बीच में महानगर और चारों और दयालबाग का क्षेत्र है। पिछले बीस वर्षों में जो कालोनियां बनी हैं, वह मेरे क्षेत्र में बनी हैं। मान्यवर, आगरा में अनेक ऐसी कालोनी हैं जिनका

किन्हीं कारणों से भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृत नहीं हुआ है जिसके आधार पर उनको अवैधानिक कालोनी कहा जा सकता है। मेरा आरोप हैं कि इस अवैधानिक कालोनी को विकास प्राधिकरण सुविधा शुल्क न मिलने के कारण अथवा भू-माफियाओं के साथ तालमेल करके अथवा सहकारी आवास समितियों के तकनीकी अन्य जानकारियों के कारण ऐसी कालोनी आगरा में अनेकों हो गयी हैं। ऐसी कालोनियों में सड़क, विद्युत, खड़न्जा, नाली और जो अनिवार्य जिम्मेदारियां हैं उनको न तो विकास प्राधिकरण लेने को तैयार है और न ही महापालिका जब हम विकास प्राधिकरण के पास जाते हैं तो वह यह कहते हैं कि इस कालोनी का भू-विन्यास मानचित्र पास नहीं है, न ही विकास शुल्क लिया गया है अतः इस अवैधानिक कालोनी की जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है और जब नगर पालिका के पास जाते हैं जो वह यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि यह कालोनी अथवा बस्ती हमारे यहां पंजीकृत नहीं है और न ही विकास प्राधिकरण से स्थानान्तरित की गयी है। अतः हम इस पर एक पैसा भी वैधानिक रूप से खर्च करने के लिये सक्षम नहीं हैं। मेरा सरकार से कहना है कि यहां के लाखों परिवार नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं मेरा कहना है कि कोई योजना तैयार करके इन लाखों परिवारों को नारकीय जीवन बिताने से छुटकारा दिलाया जाय और नगरपालिका को अलग से अनुदान देकर इसकी जिम्मेदारी नगरपालिका को दी जाय।

मान्यवर, गत 8 फरवरी को आगरा तहसील दयालबाग विधान सभा क्षेत्र में पूरी तरह से ओलावृष्टि हुई है जिसमें 60 फीसदी से 100 फीसदी फसल चौपट हो गयी हैं। जिनमें मिठाकर-खाल-खलौआ, गडसानी, सुनेड़ी, सिरौली, विचपुरी, चौहटना, सदरवन, सुनारी, आदि सैकड़ों गांवों में ओला वृष्टि हुई है। जब मैं मरे हुए पक्षियों और बोरा भरकर ओला लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास गया तो अधिकारियों ने यह कहकर टाल दिया कि जानते नहीं हो यह मुलायम सिंह की सरकार है यहां किसानों की बात नहीं सुनी जाती है।

मान्यवर, आगरा में अकोला ब्लाक में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चौधरी चरण सिंह डिग्री कालेज को मान्यता मिली थी। इस सरकार ने आने के बाद, माननीय मुलायम सिंह जी ने मेरठ विश्वविद्यालय का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय करके किसी एक विशेष वर्ग को लुभाने की कोशिश की है। मेरा कहना है कि यदि वास्तव में माननीय मुलायम सिंह जी चौधरी चरण सिंह जी का आदर करते हैं और चौधरी चरण सिंह जी के दत्तक पुत्र कहे जाने पर गर्व अनुभव करते हैं तो मेरा कहना है कि अकोला में चौधरी चरण सिंह डिग्री कालेज को 50 लाख रुपये का अनुदान देकर साबित कर दें कि वह वास्तव में चरण सिंह जी के सच्चे अनुयायी हैं।

मान्यवर, विद्युत के संबंध में कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में अनेकों गांव ऐसे हैं जिनके घरों के ऊपर से होकर बिजली के तार गुजर रहे हैं और वे तार जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं तार टूटने से लोग विद्युत विभाग के कालकलेवा बन रहे हैं। इससे आज तक हमारे क्षेत्र में 50 व्यक्तियों की जानें जो चुकी हैं कोई सुनने वाला नहीं है। विद्युत विभाग से कहने पर उनका कहना है कि हमको विद्युत नवीनीकरण के लिए अलग से सरकार द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि जीर्ण-शीर्ण खम्भे और तार जो आवासों के ऊपर जा रहे हैं, उनको बदला जाय और उससे हुई मौतों में किसान की प्रति जान के हिसाब से मुआवजा दिलाया जाय।

मान्यवर, मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर पहली बार चुनकर आया हूं और बाहर से यह सुना था कि सरकार सदन में सदैव ईमानदारी का आचरण करती है लेकिन आचरज तब हुआ जब इस सदन में माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि किसान को 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। नेता विरोधी दल ने भी जब इस बात पर आपत्ति करके कहा था तो मुख्य मंत्री ने जोर देकर कहा था कि इस बात को पता कर लीजिये तो भी उन्होंने कहा था कि 16 घण्टे बिजली आ रही है लेकिन आगरा में पिछले 70 दिनों से अगर यह साबित हो जाय कि 16 घण्टे बिजली आ रही है तो आप मुझे जो दण्ड देना चाहें वह स्वीकार है और सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने तक को तैयार हूं।

आगरा में मान्यवर, बैराज के नाम पर एक व्यक्ति विशेष राजनीति कर रहा है लेकिन आगरा को राजनीति की नहीं बैराज की आवश्यकता है चाहे यह डाउन पर बने या अपसाइड पर बने लेकिन आगरा की जनता बैराज चाहती है क्योंकि वह एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। आज आगरा की जनता दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, मथुरा के लोगों का मलमूत्र पानी के स्थान पर पी रही है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि आगरा में अविलम्ब बैराज का काम प्रारम्भ कराया जाय। हमारे क्षेत्र में बरौली अहीर ब्लाक में आदमी पानी के लिए तरस रहा है और वहां पानी 300 फीट तक नीचे उतर गया है। इस क्षेत्र में न नहर है, न तालाब है, न झीलें हैं और न बम्बे हैं, न ही सिंचाई का कोई साधन है इसलिए मेरी मांग है कि अतिशीघ्र बैराज या बीयर का निर्माण कराया जाय।

मान्यवर, ताज महल दिल्ली वालों के लिए सुख समृद्धि और विदेशी धन अर्जित करने का साधन बन गया है जबकि आगरावासियों के लिए कंगाली और बेरोगारी देने वाला बन गया है। पर्यावरण कानून लागू होने की वजह से उद्योग बन्द हो रहे हैं, इस ओर ध्यान दिया जाय। मैं इस सदन में यह घोषणा कर देना चाहता हूं कि अगर इस पर समय रहते नहीं सोचा गया तो वह दिन दूर नहीं जब आगरा के किसान ताजमहल की ओर पशुओं को लेकर कूच कर देंगे।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय और प्रबन्धक की सांठ-गांठ से फर्जी नियुक्तियां हो रही हैं और आगरा में लगभग 200 अध्यापकों की फर्जी नियुक्तियां की गयी हैं इसकी उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूं। मान्यवर, आगरा में महानगर बस सेवा को गांवों के सुदूर स्थान तक लगभग 50 कि०मी० तक चलाया जाय जिससे परिवहन की समस्या दूर हो सके। इसके अतिरिक्त निजी बस सेवा को देहाती क्षेत्र में चालू करने के लिए आदेश अतिशीघ्र जनपदों में पहुंचाया जाय।

श्री सफदर रजा खां–

मान्यवर, मैं माननीय बी० आर० वर्मा द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपने सामने बैठे भाजापाइयों से कहना चाहता हूं कि आप अपने लिए जिस सभ्यता की बात करते हैं मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गजनवी जैसे लोग इस देश में सदैव लुटेरा कहा जाता था, उसने कहीं एक मन्दिर तोड़ा होगा, आपने भी तो एक मस्जिद को सामूहिक रूप से तोड़ कर यह सिद्ध कर दिया है कि आप गजनवी से ज्यादा असभ्य हैं और उससे भी ज्यादा विवेकहीन हैं। आपकी सभ्यता गजनवी की हजारों साल पुरानी असभ्यता जैसी है आपकी तुलना इतिहास गजनवी से करेगा। इसका मुझे अफसोस है।

(इस समय 3 बजकर 17 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अखिलेश पीठासीन हुए)

मान्यवर, पिछले 6 दिसम्बर, 92 को इस प्रदेश की जनता में एक जो आतंक छाया हुआ था, अल्पसंख्यक सोचता था कि पता नहीं हम इस देश के नागरिक रहें कि नहीं रहें, दलित वर्ग सोचता था कि पता नहीं अब इस देश का संविधान बचेगा कि नहीं, पिछड़ा वर्ग सोचता था कि कहीं ऐसा न हो कि फिर से साम्राज्यशाही कायम न कर दी जाय । इस कारण उसी दिन से इन सबके दिल दिमाग में आतताईयों के प्रति टकराहट की भावना थी । 6 दिसम्बर को जब मस्जिद गिरायी गयी तो एक लड़ाई विचारों की पैदा हो गयी । वह लड़ाई सत्ता की नहीं थी, व्यवस्था की थी जिसका परिणाम दलितों, पिछड़ों, अल्प संख्यकों की मौजूदा सरकार है ।

मान्यवर, पिछले 6-7 दिनों में इस सदन में कानून व्यवस्था और जातीय संघर्ष की तमाम बातें उठायी गयी हैं । मगर यह जातियां पैदा किसने की है मेरा कहना है । जातियां हजारों साल पहले जिन्होंने बनायी थी, 6 दिसम्बर, 92 को संघर्ष भी उन्हीं लोगों ने पैदा किया । सत्ता करने के लिए जातियां बनायी थी, सत्ता पर बने रहने के लिए संघर्ष भी पैदा किया जो यह संघर्ष पैदा हुआ है तब दलितों पिछड़ों में भी अल्प संख्यकों में एक-एक पैदा हुआ है । अब यह जाति पैदा करने वाले घबरा गये हैं जाति बनाकर समाज तोड़ने वाले अब साम्प्रदायिकता पैदाकर इस देश को तोड़ने, बरबाद करने के लिये कार्य कर रहे हैं और जाति बनाकर मौजूदा सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं मनी और माफिया के ये सरदार हैं और मीडिया भी इनके हांथों में है । इनके द्वारा भ्रम फैलाकर कुछ फर्जी आंकड़ों को बताकर, सच्चाई को छिपाकर सरकार को गिराने की चालें चली हैं । मान्यवर, आज जो जातीय संघर्ष है, यह प्रतिशोध की भावना है । जब दलितों, पिछड़ों की सरकार बनी तो उनके अन्दर यह भावना जगी कि जो हमको हजारों वर्षों से अपमानित किया जाता है, सम्मान नहीं मिलता है, अब ये हमारी यह सरकार है हमें सम्मान मिले । दूसरे वर्ग को यह धक्का लगा कि इस एका से अब उनकी हजारों साल की सत्ता इनके हाथों से निकल गयी इस वर्ग में दलितों पिछड़ों के प्रति बहुत अधिक प्रतिशोध पैदा है इस दोहरी प्रतिशोध की भावना से टकराहट स्वाभाविक है यह जो स्थिति है इस पर सदन में गम्भीरता से विचार नहीं किया गया आरोप-प्रत्यारोप में समय बीत रहा है मान्यवर, जो विकास देखना चाहते हैं तो प्रदेश का मानक समाज का तो पहले इस प्रतिशोध की भावना को खत्म करना होगा और इसके लिए जाति तोड़ना होगा समाज जोड़ना होगा, जो मौजूदा सरकार है जो इसकी सोच है कि हर वर्ग को हर नागरिक को समानता व सम्मान मिलना चाहिये उस सोच से सबको अपनी सोच को मिलाते हुए सरकार को सहयोग देना चाहिये ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है । चांदा क्षेत्र में, जिसके लिये समाचार-पत्रों में भी छपा है, गंदे पानी के पीने से लोगों की मौतें हो चुकी हैं । चांदा क्षेत्र के पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिये अधिक से अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है । मान्यवर, कुछ प्रदेश की समस्यायें हैं इसी क्रम में भूमिहीनों के नाम पर पट्टे हुए हैं वे अधिकतर पट्टे प्रभावी व्यक्तियों को जिनके परिवार में काफी जमीनें पहले से हैं । उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भूमि हीन दिखाकर पट्टे करा दिये गये हैं । जिससे भूमिहीनों को हक अधिकार नहीं मिल पाया इस तरह के पट्टों को निरस्त करते हुए नये सिरे से भूमिहीन को पट्टे देकर सरकार को कदम आगे बढ़ाना चाहिये । मान्यवर, इसी तरह हड्डी और चमड़ा निस्तारण के लिये जो पिछली सरकार ने कानून बनाया है नीलामी का उसे निरस्त होना चाहिये । बड़े-बड़े सामन्तवादी लोग अपने अधीन अपने लोगों के नाम नीलामी लेकर गरीब

लोगों की तथा उनकी जो लोग पेशेवर है उनका धन्धा हड्डी चमड़ा निस्तारण है उनकी रोजी रोटी छीन ले रहे हैं, मान्यवर, इस पर भी सदन को विचार करना चाहिए।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

मैं उसे निरस्त करने की सदन से अपील करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं रोकते हुए पूरे सदन का तथा आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री कृष्ण वीर सिंह सिरोही--

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और जो मा० नेता विरोधी दल ने अपने संशोधन का प्रस्ताव रखा है उस पर मैं बल देता हूं। मान्यवर, आज यह सरकार किसानों की सरकार कहलाना चाहती है लेकिन ऐसा नहीं। इन्होंने साढ़े चार रुपया 1-1-94 से शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के गन्ने की कीमत तो बढ़ा दी जबकि इन प्रजातियों के गन्ने की पूर्ति सीजन के शुरू में अर्थात 1-1-94 तक हो गई। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसका भुगतान शुरू से किया जाये मान्यवर, हमारी सरकार ने जो बैंकों के माध्यम से गन्ने की कीमत के भुगतान की नीति बनायी थी जिससे जो समिति में घोटाला होता था, जो भ्रष्टाचार होता था, पर्ची दी नहीं जाती थी, यह सब चीजें इससे रोकी गयी थी, मगर इन्होंने बैंकों से भुगतान रोक दिया है अब उसमें फिर से घोटाला हो रहा है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है किसान जो समिति से 20, 30, किलोमीटर दूर रहता था और जो उसके बैंक की शाखा नजदीक है। उसमें उसका पैसा चला जाता था और जब उसे आवश्यकता पड़ती थी वह निकाल देता था। मान्यवर, आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए हर नहर, बम्बे और रजबहों में पानी टेल तक पहुंचा दिया। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में गांव बदरका और खैय्या में टेल तक तो पानी पहुंचा नहीं मगर पटरियां टूटी पड़ी हैं और पानी बाहर सारे गांव में आकर बह रहा है। समस्त फसल नष्ट हो गई तो यही इनकी टेल तक पानी पहुंचाने की इनकी नीति है। मान्यवर, इन्होंने कहा कि 16 घन्टे हम बिजली दे रहे हैं मगर बस सब कागजों में ही है। अगर आप वास्तविकता देखें तो पुराने तार 33 एम० वी० के कई-कई महीनों से टूटे पड़े हुए हैं कई जगह इन तारों की चोरी हो गयी है, ट्रांसफार्मर फुंक गये हैं। इसकी इनको कोई चिन्ता नहीं है कि यह कार्य पूरा हो जाये। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं इन्होंने हमारे क्षेत्र में बने विश्वविद्यालय का नाम स्व० चौधरी चरण सिंह जी के नाम का कर दिया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपने घोषणा तो कर दी कि स्व० चौधरी चरण सिंह जी के गांव नूरपुर से मेरठ तक पूरी सड़क पक्की कर देंगे। मान्यवर, चौधरी चरण सिंह जी मेरठ के नूरपुर की मड़ैया उनका जन्म स्थान है। उनकी प्रतिमा लगी है। मैं आपके माध्यम से मा० मुख्य मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि उनके जन्म स्थान नूरपुर मड़ैया से मेरठ तक जो शेष कच्ची सड़क है उसे पक्का करवाया जाये। मान्यवर, में एक बात और कहना चाहता हूं, उ० प्र० बहुत बड़ा प्रदेश है जिसके कारण इसके विकास एवं प्रशासन की दृष्टि से कठिनाई पड़ती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आदमी को लखनऊ आना जाना रहता है, 12,14 घन्टे उसे आने में लग जाते हैं और उसे बहुत खर्च वहन करना पड़ता है। इसलिए मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग राज्य की मांग करता हूं। आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य कायम हो गया है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, बलात्कार की घटना हो रही है, डकैती, राहजनी की हत्याएं हो रही हैं, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र की फरवरी, 94 के अन्त की घटना है। एक महिला के साथ बलात्कार की कोशिश की और नाकामयाब होने पर शराब की बोतल से उसके बाद उसकी हत्या कर दी

गयी । यह घटना सिम्भावली थाने से 2 किलो मीटर दूर की है । उसके साथ घटना देखने वाले 10 साल के बच्चे की भी हत्या कर दी गयी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, इस तरह आप देखें, बिल्कुल जंगल राज की स्थापना हो गयी है और यह कहते फिर रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है, ऐसा कहीं नहीं है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में अन्य बहुत सी समस्यायें हैं, जिन्हें श्री राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ लिया जाय । यह आज की कार्यसूची के पेज संख्या 111–112 पर अंकित हैं । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद ।

श्री गौरी शंकर, एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, महामहिम का अभिभाषण जो है, यूं तो स्वयं में बहुत ही संक्षिप्त है, एक विषय के लिये । लेकिन बहुत विस्तारपूर्वक बहुत सी चीजों की तरफ इशारा भी करता है । मान्यवर, इस अभिभाषण के पृष्ठ–2 पर बहुत ही स्पष्ट तौर से अंकित किया गया है कि योजना धनराशि का लगभग 70 प्रतिशत अंश ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये आवंटित किया जायेगा साथ ही मेरी सरकार के लिये त्वरित ग्रामीण विकास एवं किसानों की समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय होगा, इसके लिये मेरी सरकार प्रतिबद्ध है ।

श्रीमन्, हमारी सरकार का संकल्प है कि हम हर गांव को पेयजल से, सड़क से जोड़े, शिक्षा की व्यवस्था करायें और विद्युतीकरण करायें । हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, यह हमारा लक्ष्य है । अभी एक साहब प्राइमरी स्कूलों की बात कर रहे थे । मेरी सरकार का यही ध्येय है कि ग्रामीण अंचल में प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाईस्कूल खुलें और हर तरफ शिक्षा का प्रसार हो, इस बात के लिये भी बहुत स्पष्ट तौर से इस अभिभाषण में उल्लेख किया गया है । मान्यवर, बहुत से सदस्यों ने बिजली और पानी के संबंध में अपनी चिन्ता व्यक्त की है, उसके लिये भी खासतौर से इस अभिभाषण में उल्लेख है और कहा गया है कि इसी परिप्रेक्ष्य में मेरी सरकार द्वारा किसानों को बिजली एवं पानी की सुविधा समयबद्ध कार्यक्रमानुसार उपलब्ध कराये जाने के स्पष्ट आदेश दे दिये गये हैं ।

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल का भाषण सुन रहा था ।

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

माननीय नेता विरोधी दल भी काफी समय से हैं मैं भी 20 वर्षों से सदन में आ रहा हूं । मैं पहली बार 27 फरवरी, 1974 को आया था और अब 27 फरवरी, 1994 बीत चुकी है । इस दौरान मैंने नेता विरोधी दल को कई बार सुना है । इस तरह से वह अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, जिस तरह से कुछ चीजों की ओर जानबूझकर उल्लेख कर रहे थे, जिससे भ्रम हो । कुम्हारीकला के लिये आपने कहा कि कोई तालाब आदि की मिट्टी देने के लिये उल्लेख नहीं किया गया है । मान्यवर, मैं भी गांव गली में रहता हूं और जानता हूं कि कुछ ऐसी जमीन होती है, जो तालाब की नहीं होती है, लेकिन उसको खोदने के बाद उसमें पानी डालने के बाद उसका प्रासेस/ट्रीट्रमेंट किया जाता है, उसमें बहुत सारी चीजों को मिलाया जाता है, उसके बाद उससे बरतन बनाये जाते हैं, यही कुम्हारीकला है । लेकिन माननीय

नेता विरोधी दल जानबूझकर इस बात की आलोचना टीकाटिप्पणी कर रहे थे, जबकि उन्हें इस कदम का स्वागत करना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री गौरी शंकर, एडवोकेट–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिये भी बधाई देता हूं कि उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के लिये आरक्षण का प्रतिशत 18 से बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर दिया है, इसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण 2 पतिशत किया गया है । मान्यवर, आज गरीबों, दलितों, शोषितों के स्वाभिमान में वृद्धि हुयी है और माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में उनका सम्मान बढ़ा है । मैं पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर को बधाई दूंगा कि पहली बार उन्होंने पी० डब्लू० डी० में चीफ इंजीनियर के पद पर रघुराज राम चौधरी को बिठाया है और कुल 2 चीफ इंजीनियर इस वर्ग से बनाकर बहुत बड़ा काम किया है ....

मा० नेता विरोधी दल ने साम्प्रदायिकता की चर्चा की है और शान्ति व्यवस्था खराब होने पर बहुत जोर देकर सरकार की विफलताओं का उल्लेख किया है । इस विषय में तो मैं क्या कहूं क्योंकि सारी बातें सत्य से परे है । केवल यह बात ही इस समय कहना मुनासिब समझता हूं कि–

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम ।

वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती ।।

मान्यवर, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं और माननीय अध्यक्ष जी आप खड़े हो गये हैं इसलिये आपके सम्मान में, मैं बैठ जाता हूं ।

श्री मित्रसेन यादव, स० वि० स० को समाजवादी के सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं ।

"श्री मित्रसेन यादव, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 04 मार्च, 1994 को मेरे समक्ष स्वयं उपस्थित होकर मुझे अपना पत्र दिनांक 04 मार्च, 1994 दिया । उक्त पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि समतावादी ग्रुप के एक मात्र सदस्य और उसका नेता होने और समाजवादी पार्टी के सिद्धान्तों से समानता रखने के कारण वे समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होना चाहते हैं । उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि इसके लिये नेता, समाजवादी पार्टी विधान दल सहमत हैं । नेता, समाजवादी दल की सहमति सूचक उनके हस्ताक्षर श्री मित्रसेन यादव के उपर्युक्त पत्र पर अंकित हैं ।

अतः वर्णित परिस्थितियों में, भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के संगत प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुये मैं यह निर्णय देता हूं कि श्री मित्रसेन यादव, जो समतावादी ग्रुप के एक मात्र सदस्य और उसके नेता हैं, को समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में सम्मिलित कर लिया जाय । तदनुसार विधान सभा की दलीय सूची एवं अन्य अभिलेखों को संशोधित कर दिया जाय ।"

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

*श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।.....

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्री किरन पाल सिंह जी आप एक मिनट के लिये बैठ जायं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, ये लोग शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं लेकिन इन्होंने साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया है, प्रदेश में उन्माद फैलाया है।

मान्यवर,

हम आह भी करते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम,
वो कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होती ॥

इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, श्री गौरी शंकर जी वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने अभी कहा कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को चीफ–इन्जीनियर बनाया गया लेकिन यह भूल गये कि उस व्यक्ति में काबलियत भी थी। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म नीतियां बतायी गयी हैं। उन नीतियों को यह सरकार किस तरह से क्रियान्वित करेगी, मोटे तौर पर इसका भी खुलासा होता तो मान्यवर, इस सदन को कोई दिशा मिल जाती, कोई जानकारी मिल जाती कि सरकार इनको किस तरह से क्रियान्वित करेगी। योजना राशि 12 फीसदी बढ़ा है। उसके बाद में वित्त पोषण के लिये समिति बनायी है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि किन-किन बातों पर, कौन से प्वाइन्ट है, किस पर विचार करेंगे, इसका जिक्र होना चाहिए था। अभिभाषण में कहा गया है कि कुछ योजनायें ऐसी हैं जिनके कार्यान्वियन से जनसाधारण को कोई फायदा नहीं होता है, यह बात एक वाक्य में कही गयी है। यह भी कहा गया है कि उन पर विचार करके उन्हें तत्परता से समाप्त किया जायेगा। मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी वह कौन सी योजनायें हैं उनका जिक्र इसमें होना चाहिए, जिसको आप नकारा योजना समझते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग भी उस बारे में कुछ सुझाव देते कि यह प्रदेश के हित में है या नहीं है। इसलिये उसका नाम होना चाहिये।

मान्यवर, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं उन्होंने कहा है कि सत्तर फीसदी गांवों के विकास के लिये और किसानों के लिये खर्च करेंगे। मान्यवर, वास्तव में हमारे देश में बड़े-बड़े नेता हुये हैं। इस देश के जितने भी गांव है वहां पर किसान खेती पर ही निर्भर रहता है, अगर गांवों में सुविधायें नहीं पहुंची तो न ही किसान का भला होगा और न ही मजदूर का भला होगा, मान्यवर, जिस तरीके से कहा जा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है अभी तक वैसा नहीं हुआ है । आपने इसमें कहा है कि सत्तर फीसदी गांवों के लिये खर्च करेंगे और आगे यह भी कहा है कि खेती की पैदावार को बढ़ायेंगे । मान्यवर, जब वर्षा ही कम हुयी तो खेती की फसल खराब हो गयी है । लेकिन इस पर मान्यवर, आपने क्या किया । मौसम की वजह से फसल खराब हो गयी है । माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप जब जवाब देने के लिये खड़े होंगे तो कहेंगे कि उदाहरण लीजिये ।

मान्यवर, मैं यह तथ्य गंभीरता से संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आपने जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 को स्थगित किया है, जनता के साथ धोखा है, कल्याण का कार्य नहीं है । जहां तक बिजली का सवाल है मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में जिन-जिन किसानों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 14 घंटे तो नहीं हां, पहले की तुलना में विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है, परन्तु कितने घन्टे मिल रही है इसका सही-सही हिसाब हम नहीं दे पायेंगे । इसका मैं स्वागत करता हूं । किसान डाई की खाद खरीदते हैं, व्यापारी सुपर फास्ट मिलावट करके बेचता है जिससे खेती को नुकसान हो रहा है । मान्यवर, किसी तरह का डर और भय नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी समाजवादी हैं और समाजवादी मूल्यों को अच्छी तरह जानते हैं जो शीर्षक होते हैं और जो शोषित होते हैं, इन दोनों के हित अलग-अलग है । मान्यवर, आपने इस धारा को समाप्त करके अच्छा कार्य नहीं किया है ।

मैं पुरजोर मांग करता हूं कि जो आपने घोषणा पत्र में वायदा किया है और बहुत सी घोषणायें और बातें कही गयी हैं शायद सभी पर आप अमल करवायें, लेकिन आपने घोषणा पत्र में वायदा किया है । मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 स्थगित की है, जन कल्याणकारी कतई नहीं है, क्योंकि आजकल मिलावट बहुत की जा रही है । फसलों के लिये जो कीटनाशक दवायें हैं उनमें भी मिलावट की जाती है, खाद में मिलावट की जाती है । आपने इस तरह कालाबाजारियों को भयमुक्त कर दिया है । आगे आने वाले दिनों में ढांचा और भी बिगड़ेगा और प्रणाली में भी सुधार नहीं आयेगा । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि धारा लागू रखिये । इस संबंध में जिलाधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है, मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है अगर इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया तो कालाबाजारियों में मिलावट की होड़ सी शुरू हो जायेगी । मान्यवर, दो महीने से किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया ।

मान्यवर, मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस सरकार ने गांवों के किसानों को राहत देने के लिये ग्रामीण क्षेत्र में सत्तर फीसदी खर्च करने का वायदा किया है । साथ ही शीरे के संबंध में कहना चाहता हूं, शीरे में जो 70 प्रतिशत उसका हिस्सा था तो तब आपकी पार्टी के लोगों ने कहा था कि शुगर लाबी के दबाव में आकर यह काम कर रहे हैं । केन्द्र सरकार ने उस समय यह कहा था कि शीरे के खुले बाजार में आ जाने से किसानों को जो फायदा होगा, उसका हम प्रपोसनेट दाम किसानों को दिलायेंगे । श्री नरसिम्हाराव जी की जब यहां पर रैली हुई थी तो उस समय आपने कहा था कि यह शीरा रैली हुई है आपने सरकार में आने के बाद उस नियम को उल्टा करके उसे 65 परसेन्ट नियंत्रण में कर दिया । हो सकता है उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे आर्डर कुछ लोग ले आये हों परन्तु आपका आदेश आज तक चल रहा है । अगर आप कोई रैली करते हैं तो क्या आप पर यह आरोप नहीं लगेगा कि यह शराब रैली हो रही है । यदि शीरे पर नियंत्रण नहीं रखा जाता तो किसान को जो फायदा पहुंचता या उसे जो गन्ना के दाम दिये गये हैं, उससे कहीं ज्यादा उसे मिल सकता था ।

चौधरी चरण सिंह जी जब पहली बार मुख्य मंत्री बने थे तो आज तक लोग यह कहते हैं कि उस समय गन्ने का दाम इतना मिला कि गरीब किसानों के पक्के मकान बन गये । यदि आपकी इच्छा है कि

किसानों को लाभ हो तो आप भी वही काम करते जिससे किसानों को गन्ने का अधिक दाम मिलता और जिनके घर कच्चे रह गये थे, उनके भी पक्के हो जाते और लोग याद करते कि माननीय मुलायम सिंह जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हुए थे और उन्होंने गन्ने का इतना दाम दिलाया। मान्यवर, कई बाते हैं, जिन्हें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई खास जिक्र इस अभिभाषण में नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कोई स्पष्ट घोषणा इसमें नहीं है। मछुवारों व कुम्हारों को पट्टा देने की बात तो है परन्तु क्या गांव में और छोटे-छोटे उद्योग नहीं हैं? बहुत सारे छोटे-छोटे उद्योग हैं, इसलिए उन छोटे-छोटे उद्योगों में लगे हुए लोगों को भी आप प्रोत्साहन दीजिए जिससे गांवों के विकास के साथ ही साथ बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी।

आपने मण्डल कमीशन को लागू किया, हम भी उसका स्वागत करते हैं शेड्यूल कास्ट का आपने आरक्षण बढ़ाया, उसका भी हम स्वागत करते हैं। आप अपने घोषणा पत्र को पढ़कर देखें। आपने कई वायदे किये हैं। हो सकता है आपके दो घोषणा पत्र हों, आपके पार्टनर कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिये। आपने घोषणा पत्र में कहा है नौकरियों में ऊंची जाति के गरीबों को 10 प्रतिशत, पर्वतीय क्षेत्र में ऊंची जाति के गरीबों को 2 प्रतिशत तथा महिलाओं को 2 प्रतिशत आरक्षण देंगे। यदि महिलाओं को आरक्षण देना था तो उसका जिक्र इस अभिभाषण में होना चाहिये था। बिहार सरकार ने जो लागू किया है, उसी आधार पर आपने भी कह दिया। अपने घोषणा पत्र के मुताबिक आपने मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात कही, उसका हम स्वागत करते हैं, अनसूचित जाति का कोटा बढ़ाया, अच्छा किया परन्तु अन्य लोगों के लिए आपने जो आरक्षण की बात कही है, उनके लिए आपने अभिभाषण में कुछ नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना भाषण संक्षिप्त करें।

श्री किरन पाल सिंह–

अन्त में मैं कहना चाहता हूं क्योंकि आप बार-बार लालबत्ती जला दे रहे हैं। समस्यायें बहुत हैं आप समय नहीं दे रहे हैं एक बहुत बड़ी समस्या प्रदेश में आ सकती है इस प्रदेश में जो सांप्रदायिक माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिये मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं गंभीरता के साथ इसे लें पिछले 5,7 सालों से एक दौर चला है वोट के खातिर निर्दोष लोग मारे गये उससे लोगों को कुर्सी मिली और लोगों की कुर्सी छिनी। फिर यही दौर न हो मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे छोटा हूं कुछ सुझाव दूंगा आप बुरा मत मानें पिछली बार जब आप मुख्य मंत्री थे इसी प्रकार माहौल गरमाया था। आज मैं मान सकता हूं कि जातीय समीकरण ने धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद पर काबू पाया है लेकिन जब उसे अधिक दबाया जाता है तो फिर जातीय समीकरण पर भी धर्मांधता हावी हो जाती है जैसा पिछले समय हुआ था।

आप बार बार लालबत्ती जला दे रहे हैं मैं सुझाव देना चाहता हूं। पिछली सरकार में जब बीजेपी के लोगों ने सांप्रदायिक माहौल क्रियेट किया यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है हमारे प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने भी उस माहौल को पैदा करने दिया। जब प्रदेश के मुखिया के नाते पब्लिक प्लेटफार्म से कुछ ऐसी बातें कहेंगे तो उसका असर पड़ता है। आज लोग तलाश में हैं कैसे उत्तेजना का माहौल कायम हो आप उत्तेजित न हो संयम से काम लें और इस प्रदेश में सांप्रदायिक वातावरण न बनने दें।

कुछ लोग यह कोशिश कर रहे हैं। आप लालबत्ती जला रहे हैं बहुत सी बातें कहनी थी बाबरी मस्जिद की बात कहनी थी लेकिन समय नहीं दे रहे हैं। इसलिये मैं यहीं समाप्त करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि यह जो धन्यवाद का प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आया है इसका समर्थन करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मैं अपने विचार व्यक्त करने खड़ा हुआ हूं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है बहुत कम अन्तराल में दो बार राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इस सदन के सम्मुख होने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिये इस अभिभाषण में कोई बहुत नयी बात नहीं कही गयी है। अभी कुछ दिन पहले सरकार अपने इरादे बता चुकी है। इस अभिभाषण में सबसे अच्छी बात जो लगी इस बार वह यह है कि यह सरकार स्पष्ट इरादों के साथ कुछ संकल्पों के साथ आई है और वह वायदे भी सोच समझ कर किये गये हैं इसने मुझे प्रेरित किया है कि मैं इस अभिभाषण का समर्थन अपने दल की ओर से करूं।

मान्यवर, जब इस सरकार का जन्म हुआ किन विषम परिस्थितियों में सत्ता संभाली यह सब जानते हैं। मान्यवर, 6 दिसम्बर की जो घटना हुई उसमें मात्र कोई ढांचा नहीं टूटा था, उस दिन इस प्रदेश में लोकतंत्र टूटा था, उस दिन लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास टूटा था, लाखों करोड़ों लोगों का स्वाभिमान टूटा था दिल टूटे थे उनका ढांचा तोड़ने का इरादा ही नहीं था बल्कि वे देश को तोड़ना चाहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने देश को तोड़ने नहीं दिया इसलिये मैं प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं। इसके साथ ही मैं श्री राज्यपाल महोदय को भी बधाई देना चाहता हूं जिनके कार्यकाल में दृढ़ता तथा तत्परता पूर्वक साम्प्रदायिक दंगों पर उन्होंने रोक लगाई। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको जनता को विश्वास दिलाना होगा कि उनके विश्वास को कोई नहीं तोड़ पायेगा और जनता की प्रदेश में सुरक्षा की जायेगी यह इरादा लेकर आपको चलना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक आप साम्प्रदायिकता से लड़ते रहेंगे और विकास से सामजंस्य बनाये रहेंगे तब तक हमारा दल का आपकी सरकार को पूरा समर्थन मिलता रहेगा। लेकिन मैं एक बात आपसे दृढ़तापूर्वक कह देना चाहता हूं कि हम साम्प्रदायिकता से लड़ने की ताकत तो देना चाहते हैं लेकिन साम्प्रदायिकता से लड़ते-लड़ते जातियता को बढ़ावा नहीं देंगे वरना हमें विरोध करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा। इसका कारण है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निराश हो गये हैं वह चाहते हैं कि साम्प्रदायिकता की बदनामी के आरोप से वह मुक्त हों और साथ ही आपको जातीय तनाव से उन्हें मुक्त रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती इस प्रदेश को आपको साम्प्रदायिकता और जातियता से मुक्त कराने की है। इससे प्रशासन चलाने में जनता का हमारा पूरा आपको सहयोग मिलेगा और हमारे दल की दखलन्दाजी नहीं होगी।

मान्यवर, सदन की परम्परा रही है कि हम नाम लेकर अधिकारियों का यहां जिक्र नहीं करते हैं लेकिन स्थानान्तरण नीतियों में आपसे कहना है स्थानान्तरण करें तो योग्यता के मानक को ऊपर रखें। यदि योग्यता का मानक तोड़ देंगे तो प्रशासन पर लोगों का विश्वास नहीं रहेगा और आप की भी पूरी पकड़ नहीं रहेगी। इसलिए अनुरोध है स्थानान्तरण के संबंध में आप और दृढ़ता दिखायें और सही अधिकारियों को सही जगह पर भेजे इससे प्रदेश का प्रशासन चलाने में आपको मदद मिलेगी।

मान्यवर, मैं नेता सदन और मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं आज जो संसदीय ढांचा है उसमें कोई प्रदेश विकास नहीं कर सकता है यदि योजना आयोग से प्रयास करके पर्याप्त धनराशि न मिले,

इसलिए बधाई देता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने 4762 करोड़ की धनराशि योजना आयोग से लाने का सराहनीय कार्य किया है इससे प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल हुआ है और जो धनराशि बढ़ी है वह 12 प्रतिशत बढ़ी है । मैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री प्रणव मुखर्जी और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिये देश के अन्य सभी राज्यों से अधिक धनराशि उपलब्ध कराई । इसके पहले योजना आयोग से सर्वाधिक धनराशि लेने वाला महाराष्ट्र राज्य होता था लेकिन पहली बार भारत वर्ष के इतिहास में सर्वाधिक धनराशि लेने वाला उत्तर प्रदेश राज्य हुआ है । मैं गवाह हूं कि जिन प्रयासों द्वारा शासन और प्रशासन ने मिल कर गंभीरता से विचार करके मुख्य मंत्री जी ने 4,762 करोड़ रुपये इस प्रदेश के विकास के लिये दिलाये उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं । एक बात और कह देना चाहता हूं कि इस धन का उपयोग करें तो सचेत होकर करें और विकास निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर न करके प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए उपयोग करें ।

मान्यवर, इस घोषणा का, जो मिट्टी से जुड़े हैं, जो गांधीवाद पर विश्वास करते हैं वे स्वागत करेंगे कि 70 प्रतिशत धन आप ग्रामीण क्षेत्र में खर्च करेंगे । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने कह तो दिया लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वह कैसे, कब, और किन योजनाओं के माध्यम से खर्च करेंगे लेकिन इस बात का अभिभाषण में जिक्र नहीं है । इसके लिए हमें 9 तारीख की प्रतिक्षा करना पड़ेगा और उस दिन इसके बारे में पता चलेगा । तब देखेंगे कि जो आपने कहा उसमें से कितना करने जा रहे हैं, उसी समय मैं इस विषय में कुछ कह पाऊंगा । पर आप जब भी करें गांधी जी की बातों को याद रखें कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा । यह जो अम्बेडकर विश्वविद्यालय यहां खुलना है, यह उत्तर प्रदेश की ही नहीं, भारत वर्ष की एक नामी–गिरामी संस्था है और हमें खुशी है कि हमारी सरकार ने उसका शिलान्यास राजीव जी ने किया था, उसका सपना देखा था, लेकिन कुछ लोग अम्बेडकर साहब के सिद्धान्तों के बीच में आ गए, उन्होंने उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं होने दिया और वह विश्वविद्यालय जहां का तहां रह गया । अब वह सदा सर्वदा के लिए चले गये और आप आये हैं, आप अम्बेडकर विश्वविद्यालय का निर्माण जितनी जल्दी करा सके, केन्द्र सरकार से सहयोग करके उनसे साधन प्राप्त करके, करायें । "व्यवधान" जब गांधी जी की बात होती है, अम्बेडकर साहब की बात होती है, तो कुछ मुनाफाखोरों का हित चाहने वाले लोग मसलने लगते हैं और सोचते हैं कि गांधी और अम्बेडकर के बिना देश होता तो कितना अच्छा होता । इनकी चलती तो यहां गांधी जी की नहीं गोडशे की तश्वीर लगती है...व्यवधान...मैं विश्वासपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि अगर कृषि का विकास नहीं हुआ, कुछ इसमें विकास नहीं कर पायेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 63-64 में और उसके आगे अन्नोत्पादन की जो स्थिति थी, जब हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं थे, इन्दिरा जी ने अपने इरादों और संकल्प से हमको इसमें आत्मनिर्भर बनाया है । तब के उत्तर प्रदेश में और आज के उत्तर प्रदेश में भारी अन्तर आ गया है । आज जनसंख्या काफी बढ़ी हुई है और खेती का क्षेत्रफल वही रहा है । स्थितियां विषम हो रही हैं, उनका सामना करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आजकल कृषि उपज की लागत बढ़ रही है, उसका एक ही रास्ता है, आपको कृषि को वही सुविधायें देनी पड़ेगी, जो उद्योग के क्षेत्र में उद्योगपतियों को मिलती हैं । जब तक यह सुविधाएं नहीं मिलेंगी, बढ़ी हुई चुनौतियों का सामना उत्तर प्रदेश का किसान नहीं कर सकेगा । इसलिए आप केन्द्र सरकार से बात करके कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाने का प्रयास करें । आपने 16 घंटा विद्युत आपूर्ति की बात की है, "लाल बत्ती होने पर.." मान्यवर, मेरी समस्या यह है कि मैं न पक्ष में हूं न विपक्ष में हूं, निष्पक्ष हूं, इसलिए मुझको दोनों ओर की बात सुननी पड़ेगी । इसलिए मैं आपसे अभी पांच मिनट का समय और लूंगा । ठीक है बिजली की आपूर्ति अवश्य बढ़ी है, किन्तु इसे देहातों में अधिक से अधिक पहुंचाएं, तब ही इसमें मैं आपका समर्थन

करूंगा । गन्ना मूल्य में वृद्धि हुई है, वह ऐतिहासिक वृद्धि हुई है । वहां पर हम और बेनी प्रसाद जी बैठते थे उस समय, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बराबर कहा कि आप गन्ना मूल्य पांच रुपया बढ़ा दो, किन्तु उसको नहीं बढ़ाया । केवल एक रुपया बढ़ाया और वह भी एक रुपया ढुलाई में चला गया, ऐसा इन्होंने हिसाब लगाया । इस तरह किसानों के गन्ने के मूल्य नहीं बढ़े । मान्यवर, जब किसान ने अपना बकाया मांगा, तो इन्होंने उन्हें रामकोला दिया, और वहां पर उनको गोलियां दीं । मान्यवर, प्रदेश में गेंदासिंह संस्थान इसलिए बना है कि हम गन्ना की रिकवरी बढ़ा सकें, शोध करें किन्तु आज उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है । उसकी ओर आप ध्यान दें, जिससे रिकवरी बढ़ सके । आज उत्तर प्रदेश में 25 से 28 तक नई चीनी मिलों के लिए लाइसेंस जारी किये गये हैं, उसके लिए यह हमारी सरकार बधाई की पात्र है । कुछ लोग, यह लोग इसमें बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनके समय में कोई चीनी मिल नहीं लगी हैं ।

मान्यवर, यह जो 25-26 चीनी मिलों की बात मैंने कही है उसी के सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि यह मिलें जल्दी से जल्दीं लगाई जायं ताकि उससे 15 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा और मान्यवर उससे 10 हजार करोड़ से ज्यादा का पूंजी निवेश होगा । यह कोई छोटा-मोटा पूंजी निवेश नहीं है । इससे प्रदेश के आर्थिक स्तर में सुधार आयेगा । इसलिए इनका लगाया जाना बहुत जरूरी है इसी के साथ-साथ मैं हरिजनों को जो आरक्षण 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत किया गया है उसका स्वागत करता हूं । इसके विषय में मैं माननीय मंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं एक संकेत देना चाहता हूं कि किन्हीं भी परिस्थितियों में यह हरिजनों का आरक्षण बढ़ाया जाय उन्हें दिया जाय परन्तु इसके साथ-साथ विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों को दिये जाने वाला आरक्षण किसी भी प्रकार से कम नहीं होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, थोड़ा समय और दे दें मैं दो-चार बातें कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मान्यवर, यह जिन्होंने नकल विरोधी कानून लाये थे उन्हें अक्ल को दूर-दराज तक कोई वास्ता नहीं था । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नकल विरोधी कानून को समाप्त करके अच्छा काम किया है परन्तु इसी के साथ आपको नकल को भी समाप्त करना पड़ेगा । नकल किन्हीं भी परिस्थितियों में न हो इसके लिए प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे । कैश क्रेडिट के बारे में मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आप बैंकों से लोन लें और उसे कैसे निवेश करें इसके बारे में भी योजना बनानी चाहिए । महाराष्ट्र, गुजरात में जिस तरह से 75-80 प्रतिशत किया जा रहा है उसी तरह से आप भी बढ़ायें । जहां तक बुनकरों का सवाल है उनको जो राहत की बात हैं वह दी जानी चाहिए । सूत का दाम बढ़ा है वह उनको मिलना चाहिए । अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि विद्युतीकरण के मामले में पहली बार ऐसा हुआ है । शेख चिल्ली की बात आई थी । एक सरकार आई थी इससे पहले उसे शेखचिल्ली कहूं तो अतिशयोक्ति न होगी । विद्युत जो पैदा होती है उसको ले जाने के लिये ट्रांसमिशन लाइन बनानी पड़ती है । पिछली सरकार ने आनपारा का विद्युत गृह तो बनवा दिया परन्तु बिजली निकालने के लिये ट्रांसमिशन लाइन नहीं बनाया गया । मान्यवर, या तो इन्हें अनुभव नहीं था या ये सरकार चलाना नहीं चाहते थे । इसी तरह से मान्यवर, उत्तरांचल बनाने की बहुत बात आती है कि यह अलग प्रदेश बनाया जाय । यह अलग प्रदेश कब बनेगा या नहीं बनेगा यह तो अलग बात है, इसका

निर्णय तो काफी बाद की बात है परन्तु आप इस समय वहां की सुविधायें तो बढ़ाईये ताकि जब उत्तराखंड एक प्रदेश बने तो वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जिले बनाये माननीय मंत्री जी हमने और हमारे दल ने आपको समर्थन किन्हीं मुद्दों के तहत दिया है और एक खास वजह से दिया है। आपने उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिकता के नाग को कुचलने का मजबूत कदम उठाया है। (सत्ता पक्ष से मेंजे थपथपाई गईं) आज इनके चेहरे बता रहे हैं कि साम्प्रदायिकता का यह नाग अगर पूरी तरह से दफन नहीं हुआ है तो घायल होकर बेदम जरूर पड़ा है। इनकी छुट-पुट कोशिशें अभी भी रहती हैं कि सत्ता तो चली गई हर हत्या को साम्प्रदायिकता की नजर से देखते हैं और वही नाम देते हैं। कहीं किसी घर में चूल्हा जलता है तो यह कोशिश यह करते हैं कि उसमें साम्प्रदायिकता की आग लगा सकें। बेगुनाहों की हत्या करते हैं। लाशों की तिजारत इनको बन्द करनी पड़ेगी। जब तक आप साम्प्रदायिकता से लड़ते रहेंगे हमारे दल का समर्थन आपके साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम स्वरूप शर्मा–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है उसी के सन्दर्भ में मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। गांवों के विकास की बात कही गई है। गांव का विकास यदि करना है तो गांव में रहने वाले लोगों का विकास करना होगा। उसमें खेतों, मजदूरों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक गांवों का विकास नहीं हो सकता है। और न ही वह माना जाएगा। गांव के खेत मजदूरों के विकास के लिए हमारे भाई तिवारी जी ने अभी कहा कि इनकी सरकार ने जब राष्ट्रीय आन्दोलन चल रहा था तब भी गांवों के विकास के संबंध में 1937 में कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि जब तक जमीन के मालिक जमीन को ज़ोतने वाले नहीं बनायें जायेंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन इनकी सरकार ने भी 47 साल तक कुछ नहीं किया। भूमि सुधार को आपको सख्ती से लागू करना होगा। तभी गांवों का विकास सुनिश्चित हो सकेगा। दूसरे आप ऐसा कानून बनाकर 10 साल के अन्दर जो सरमाएदारों, जमींदारों को पट्टे गलत तरीके से दिए गये हैं उनको खारिज करके उनके वास्तविक हकदारों को नहीं देंगे तब तक विकास नहीं होगा। एक बात चकबन्दी की है उसको सख्ती से लागू करना होगा। मेरे जिले में तमाम फार्म हैं जिन पर सीलिंग का एक्ट लागू है जो 25 सौ एकड़ तक के हैं लेकिन शासन के निकम्मेपन से वह जमीन आज तक खेत मजदूरों को नहीं दी गई है। हमने अनेक प्रयास किये। यह सरकार दलितों, शोषितों और पिछड़ों की सरकार है यह मुझे मालूम है यह सरकार भूमिहीन मजदूरों को यह जमीन दिलवाये यह मेरा कहना है। यह लोग हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले आते हैं इसलिए इस संबंध में मेरा कहना है कि इसके लिए पश्चिमी बंगाल की तरह स्पेशल कानून बनायें जिससे कि उनको अदालत में जाने का समय न दिया जाय और यदि दिया जाय तो निश्चित समय के अन्दर एक साल के अन्दर उनके विवाद का निपटारा हो।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री राम स्वरूप शर्मा–

कृषि उपज के उचित मूल्य के सही समर्थन मूल्य दिलाने की व्यवस्था की जाय। ताकि भारी तादात में जो किसान हैं उनको लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो गया है अब आप बैठ जायं।

श्री राम स्वरूप शर्मा–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

अब कार्यवाही में यह नहीं लिखा जायेगा । आप बैठ जायं ।

श्री राम स्वरूप शर्मा–

[x x x]

* मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता कांग्रेस दल, माननीय नेता जनता दल और माननीय नेता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य सभी नेतागण तथा सदन के माननीय सदस्यों, जिन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, अपने सुझाव दिये हैं, उसके लिये मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं । नये माननीय सदस्यों को जितना मौका मिलना चाहिये था वह नहीं मिल पाया इस बात का जरूर मुझे अफसोस है । नये माननीय सदस्यों के सुझाव आते तो उससे सरकार चलाने में और प्रदेश के विकास में सहायता मिलती । उनके योगदान से हम वंचित रह गये हैं लैकिन आगे उनको मौका मिलेगा । बजट जब पेश होगा तो उस समय जो हमारे नये माननीय सदस्य हैं उनको और मौका मिलेगा । मैं माननीय नेता विरोधी दल ने जो सवाल उठाये हैं उनका यहां उत्तर देकर उनको मैं संतुष्ट करने की कोशिश करुंगा और अन्य सदस्यों ने जो सवाल उठाये हैं उनको भी संतुष्ट करने की कोशिश करुंगा । उसके पहले मैं माननीय नेता जनता दल, माननीय किरनपाल सिंह जी ने जो सुझाव दिये हैं और जो आशंकायें व्यक्त की हैं उन आशंकाओं को दूर करने का हमारा उत्तरदायित्व है ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के संबंध में आपको बहुत चिन्ता है । लेकिन पूरा अध्ययन और पूरी जानकारी शायद आपको होगी । आवश्यक वस्तु अधिनियम को निलम्बित करने से या कार्यवाही न करने से किसानों पर या प्रदेश की जनता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शायद आपको यह जानकारी होगी । ऐसा नहीं है आपको जानकारी न हो ऐसा मैं स्वीकार नहीं करता हूं । आप की पढ़ने लिखने में दिलचस्पी है । मैं बताना चाहूंगा कि 99 सैकड़ा ऐसे केसेज हैं, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमें चलाये गये हैं वह 99 सैकड़े मुकदमें बरी हुये हैं और सरकार का करोड़ों रुपया मुकदमा चलाने में खर्च हुआ है । न्यायालय का सम्मान लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले करते हैं ।

दूसरी बात आपने शराब की कही, आपको जानकारी होनी चाहिए कि शीरा नियंत्रण का शराब से कोई वास्ता नहीं है । अल्कोहल फैक्टरियां बन्द हो रही हैं और बंद हो गयी थीं इनमें 1700 करोड़ रुपया लगा है और 700 करोड़ रुपया लगने वाला है । अगर यह फैक्टरियां बंद हो जायेंगी तो हजारों लोग बेरोजगार हो जायेंगे । हमारी दृष्टि है कि अगर बड़ी फैक्टरियां चलेंगी तो छोटी फैक्टरियां भी चलेंगीं । हमारी दृष्टि इंसाफ देने की है चाहे बड़ी फैक्टरियां हों या छोटी फैक्टरियां हों । इसलिये शीरे का नियंत्रण किया गया है । शायद आपको जानकारी होगी कि शीरे पर नियंत्रण महाराष्ट्र की सरकार ने किया है ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमने 65 सैकड़ा नियंत्रण किया है । महाराष्ट्र ने शीरे के बाहर जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । हमारी नीति को महाराष्ट्र की सरकार ने भी स्वीकार किया है । जहां तक आपने किसानों के संबंध में चिंता व्यक्त की है मैं कहना चाहूंगा कि किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी ।

पूरी जितनी सुविधा दी जा सकती है, वह किसानों को दी जायेगी और हम वचनबद्ध है कि प्राथमिकता के आधार पर खेती का विकास हम करेंगे । यह पहली बार होगा कि खेती पर सबसे ज्यादा खर्च किया जायेगा । आप 9 मार्च तक इन्तजार कीजिए, उसमें सब किसानों के संबंध में आ जायेगा । जहां तक माननीय नेता, कांग्रेस, प्रमोद तिवारी जी ने जो सुझाव दिये हैं, आपके अच्छे सुझाव है, आपने हमारी सरकार का मनोबल बढ़ाया है । साम्प्रदायिकता के खिलाफ आपने बात कही है, जब तक पूरी तरह से साम्प्रदायिकता को नहीं खत्म कर दिया जायेगा तब तक हमारी सरकार की मंशा नहीं पूरी होगी । जहां तक माननीय किरनपाल सिंह ने और माननीय प्रमोद तिवारी जी ने आशंका व्यक्त की है, जाति के बारे में, हमारी सरकार किसी भी आधार पर, जातीय आधार पर नहीं चलेगी, हम बाहर भी कह चुके हैं और फिर भी कहना चाहता हूं, सदन में, यह उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ की सरकार है केवल सपा०, बसपा० की सरकार नहीं है । इन्साफ की जहां तक बात है, दलितों को और पिछड़ों को ही नहीं हर किसान को इन्साफ दिया जायगा और जहां पर हमारी सरकार को आप देखें कि नाइन्साफी हो रही है, तो आपको हमारी कलम पकड़ने का पूरा अधिकार है । जहां तक योजना के संबंध में माननीय तिवारी जी ने जो कुछ कहा, उनका बड़प्पन है, वह योजना आयोग के अध्यक्ष है, 4,762 करोड़ रु० जो मिला है, उसमें तिवारी जी का भी बड़ा योगदान है, पहले से उन्होंने काफी मेहनत की थी, योजना आयोग से और प्रधान मंत्री जी से भी, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं ।

स्थानान्तरण के संबंध में आप समय-समय पर हमसे मिलते रहे हैं । आपका सुझाव है कि किसी भी तरह से पक्षपात के आधार पर और जातीय आधार पर स्थानान्तरण न किया जाय । योग्यता के आधार पर, जो अधिकारी सक्षम हैं, उनसे हमारी अपेक्षा है कि वे प्रदेश के विकास में प्रदेश सरकार को चलाने में अपनी प्रभावी भूमिका अदा करेंगे । जो सक्षम अधिकारी है उनको बढ़ावा दिया जायेगा और उनका मनोबल किसी भी तरीके से नहीं तोड़ा जायगा । यह सही है कि बजट आ रहा है, आपने स्वयं ही स्वीकार कर लिया, उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो सकता है, बजट का भारी हिस्सा विकास के कार्यों पर खर्च किया जायगा, किसी को खुश करने या क्षेत्रीय आधार पर प्रोत्साहन देने का कार्य नहीं किया जायगा । प्राथमिकता गांव, खेती, बिजली, पानी, सिंचाई, स्वास्थ्य आदि पर दी जायेगी । इन सुझावों के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं ।

अम्बेडकर विश्वविद्यालय का आपका महत्वपूर्ण सुझाव है । यह सही है कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने उसका शिलान्यास किया था । यह अच्छा काम है और अच्छे काम के लिए यह सरकार प्राथमिकता के आधार पर अम्बेडकर विश्वविद्यालय का निर्माण करायेगी । जहां तक माननीय नेता विरोधी दल, आपने सबसे पहले शुरुआत में ही कहा, समय तो कम है, हम कोशिश करेंगे कि आपने जो सवाल उठाये हैं, उसका पूरा उत्तर देने के लिए और आपका आभार भी प्रकट करेंगे । आपने पहली बार संयम से भाषण दिया है, लेकिन आपने एक शंका व्यक्त की है कि व्यक्तिगत लांछन न लगावें ।

[समय 4 बजकर २० मिनट]

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मैं भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिन्दगी में पहली बार जमीन से ऊपर उठकर आये हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हम हर अच्छे काम को अच्छा कहते हैं, यह अड़े रहते हैं । मुझे डर लगता है, अगर इस तरह से अड़े रहेंगे, यह अफवाहें और झूठ बोलने की परम्परा को समाप्त करें । एक किताब छपी है, बांट रहे हैं । उस को आप रोकें । किताब आर० एस० एस० द्वारा बांटी जा रही है उसको आप रोकें । मैं आपसे कहूंगा कि जरा इस पर भी नजर रखें । सपा के लोग नये हैं, उनसे थोड़ी बहुत भूल हो सकती है, ड्रामा करते हैं, लेकिन आर० एस० एस० की ओर से जो छोटी-छोटी किताबें बंट रही हैं, आप उनको रोकें, आप उन पर नजर रखें । हम अपनी गरिमा को पूरी तरह से बनाये रखेंगे, लेकिन उसमें सहयोग आप

का भी चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि हमने कभी भी आपके बारे में कुछ नहीं कहा है, व्यक्तिगत कुछ नहीं कहा है । पीलीभीत में जो घटना हुई थी और उसमें सिख लोग मारे गये थे, तब भी आपका नाम मैंने नहीं लिया था और केवल मुख्य मंत्री ही कहा था, नाम नहीं लिया था । अखबारों ने चाहे जो कुछ छाप दिया हो, लेकिन व्यक्तिगत कुछ नहीं कहा था । आपको चिन्ता भी होती होगी कि कुछ नहीं कहते हैं । आपने माफियों का सरदार कहा और न जाने क्या-क्या कहा, आपने सब कुछ मेरे बारे में कहा है, लेकिन हम व्यक्तिगत आपके बारे में कुछ नहीं कहेंगे ।

मान्यवर, जहां तक वार्षिक योजना का सम्बन्ध है, आपने सवाल उठाया है, 70 फीसदी योजना का है, बजट का नहीं है । 70 फीसदी योजना का है । अगर इस तरह से कहीं छपा है, तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि 70 फीसदी योजना का गांव और खेती के विकास पर खर्च किया जायेगा । 9 मार्च को बजट आने वाला है, उस दिन आप विभिन्न योजनाओं के बारे में देख लेंगे और आपको तब कहने का भी मौका मिलेगा और सारी स्थिति साफ हो जायेगी और आपके जो सुझाव मिलेंगे, उन सुझावों को भी और आपके सहयोग के लिये धन्यवाद देंगे ।

श्रीमन्, जहां तक 16 घंटे बिजली देने का सवाल है । आगरा के दयाल बाग के माननीय सदस्य ने अभी सवाल उठाया कि 16 घंटे बिजली वहां पर नहीं जा रही है, सच है, हम स्वीकार करते हैं कि वहां पर 16 घंटे बिजली नहीं गयी है और उसका कारण है कि ओवर लोड हुआ है । अब हमने उसमें सुधार लाने के लिये बड़े ट्रांसफार्मर भेजने के आदेश दे दिये हैं और मैं कहना चाहता हूं कि अब 16 घंटे वहां पर बिजली मिलेगी, लेकिन यह कहना कि 16 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, आप अतरौली का पता लगा लें, अलीगढ़ का पता लगा लें, कि बिजली मिलती है या नहीं मिलती है । मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 80 प्रतिशत गांवों में 16 घंटे बिजली जा रही है, अभी 20 घंटे नहीं जा रही है । जहां तक बिजली का सवाल है, उसमें सुधार हुआ है । वह आंकड़े मैं दे रहा हूं । 1-1-1994 तक 4,978 मिलियन यूनिट, यानी 14 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है । 1-12-1991 से 28-2-1992 जो आपका समय है, उसमें 4375 मिलियन यूनिट है । 1-12-1990 से 28-2-1991 तक 5545 मिलियन यूनिट, यानी कि बढ़ोत्तरी हुई है और 60 प्रतिशत अभी बढ़ा है पी० एल० एफ० में और आपके समय में भी 50.86 और उससे पहले हमारी सरकार में था 58.23, तो हर तरह से आपकी सरकार से हमारी सरकार में वृद्धि हुई है । इसको आपको स्वीकार करना ही होगा । कुल 1144 सब स्टेशन हैं जिसमें से 900 पर 80 सैकड़ा 16 घंटे से अधिक बिजली जा रही है शेष 240 सब स्टेशन हैं उसमें ओवर लोडिंग हैं इसकी वजह से 16 घंटे बिजली नहीं पहुंच रही है । इसलिये हम स्वीकार करते हैं कि 80 सैकड़ा में 16 घंटे बिजली जा रही है और 20 सैकड़ा में सुधारने की कोशिश है ।

कुल 28,446 नलकूप हैं जिसमें से 2,500 नलकूप बन्द हैं और आपके समय में 27,642 नलकूप थे जिसमें से 3400 बन्द रहे हैं और नहरों में टेलों पर पानी पहुंचाने का जहां तक रिकार्ड है वह सभी माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे । 9,798 टेलों में से 9,568 टेलों पर पानी पहुंचा है । 98 फीसदी टेलों पर पानी पहुंचाने का प्रयास किया है, पूरी तरह से नहीं पहुंचा है लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि कभी नहीं थी जो इतने थोड़े समय में हुई है । गन्ना मूल्य के बारे में यहां उठाया गया कि 65 रुपया कुन्तल होना चाहिए, हमने कोशिश की है माननीय किरन पाल सिंह जी जानते हैं, दबाव में तो हम किसी के नहीं हैं चाहे चीनी लाबी हो या शराब की हो, हम केवल 14 करोड़ जनता के दबाव में हैं, 14 करोड़ जनता का कैसे विकास होगा इसके दबाव में हैं । आपको पता है कि हमने गुड़ पर नियंत्रण हटाकर किसानों को 70 रुपये से लेकर 80 रुपये तक गन्ने की कीमत दिलायी है । इतना कभी भी गन्ने की कीमत नहीं मिली । आपको गांव-गांव घर-घर किसान आशीर्वाद दे रहा है, धन्यवाद दे रहा है, चिट्ठी लिख रहा है, हमको चिट्ठी मिली है । आपके समय में पहले साल 4 रुपये कुन्तल और दूसरे साल एक रुपया कुन्तल दाम बढ़ा । कहीं एक रुपया कुन्तल कीमत बढ़ाई जाती है । आपने कुल 5 रुपया दाम बढ़ाया था और हमने 12 रुपये कुन्तल गन्ने की कीमत बढ़ाई है । 61 रुपये की बजाय 70–80 रुपया तक कीमत किसानों को दिलाई है ।

जहां तक कुम्हारों का 'सवाल है जहां उसको मिट्टी मिलती है जिस गांव में कुम्हार होता है वहां मिट्टी होती है । इसके अतिरिक्त हमने कोशिश की है, आपने कहा, 367 लोगों को पट्टे आवंटित कर दिये गये हैं और इतनी जल्दी 317 को कब्जा भी दिला दिया गया है । तालाब हैं 21,413 और उसमें से पोखर हैं यह मिलाकर क्षेत्रफल आता है 2450 हेक्टेयर इनमें 4,693 स्थल हैं जहां कुम्हारों के लिये उपयुक्त मिट्टी पाई गयी है इसकी जांच कराई गई है । 317 को कब्जे दे दिये गये हैं और आवंटन 367 का किया गया है । दो महीने तीन महीने के अन्दर इतना बड़ा काम है । पूरे कुम्हारों को मिट्टी दिलाने का प्रयास करेंगे । जहां तक दाखिल खारिज की बात है, आपके समय में 77 हजार मामले निपटे । हमारे समय में अब तक 2 लाख 14 हजार निबटे हैं इतनी दाखिल खारिज की शीघ्र कार्यवाही कभी नहीं हुई । आपके समय मे 77 हजार और हमारे समय में 2 लाख 14 हजार, दूने से भी ज्यादा काम हुआ है, दो-तीन महीने में राजस्व विभाग में इतना काम हुआ है । जहां तक विकेन्द्रीकरण का सवाल है, पंचायत, टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटी, महापालिका है, कोआपरेटिव हैं, कोआपरेटिव के हमने चुनाव करा दिये हैं, आपने रोक रखे थे, हमने चुनाव करा दिये हैं । कहा गया कि 50 विभाग हमारे पास हैं । हम इन्तजार कर रहे हैं, अगर सभी विभाग बंट जायेंगे तो लोग आयेंगे कैसे, जो आने की सोच रहे हैं इधर अभी और आने वाले हैं, उनके लिये विभाग रखे हैं । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

जहां तक नकल अध्यादेश का सवाल है, माननीय नेता विरोधी दल आपने पता नहीं कैसे कहा कि गांव वालों का नुकसान हुआ है । नकल के लिये केवल छात्र जिम्मेदार नहीं हैं । पहले साल 10,500 छात्र गिरफ्तार किये गये, हथकड़ी लगायी जिसमें 1000 को और दूसरे साल 12 हजार गिरफ्तार हुए जिसमें 1200 को हथकड़ी लगी उनकी उम्र क्या थी 14 साल से लेकर 16 साल तक । आपने इसे कैसे स्वीकार कर लिया कि छात्र ही नकल के लिये जिम्मेदार हैं । फिर आपने कहा कि गांव का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है । पिछले साल 14 सैकड़ा हाई स्कूल का नतीजा आया । इसी लखनऊ के अन्दर सिटी मान्टेसरी स्कूल जिसका नतीजा हाई स्कूल का सेन्ट परसेन्ट रहता है, ताल्लुकेदार का 80 सैकड़ा रहता है तब आया है 14 सैकड़ा, गांव का 2 सैकड़ा से 3 सैकड़ा कुछ ऐसे सेन्टर्स थे एक भी रोल नम्बर वहां का चश्मा लगाये नहीं मिला । कौन जिम्मेदार है । क्या छात्रों की पढ़ाई का पूरा इन्तजाम है, जितने पुस्तकालय हैं उनमें पूरी किताबें रहती हैं । मान्यवर, आप प्रिंसिपल, माननीय नेता विरोधी दल टीचर रहे हैं । मैं भी टीचर रहा हूं । क्या आज पूरे समय टीचर स्कूल जाते हैं, स्कूलों की इमारतें हैं, पूरी पढ़ाई की व्यवस्था की गयी है । अकेले छात्र या शिक्षक जिम्मेदार नहीं है । इसलिये हमने नकल विरोधी कानून को खत्म किया । दूसरी कमेटी बनायी अवस्थी जी की अध्यक्षता में । हम उसके सुझाव मानकर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसी छात्र को जेल न जाना पड़े, कालेज में पुलिस बिना प्रिंसिपल की अनुमति के न जा सके और नकल नहीं होगी । इसमें आप सबका सहयोग चाहिए । सभ्य समाज में काला कानून लागू नहीं किया जाता है पता नहीं कैसे आपने यह गलत कानून लागू किया था । हमने जो चुनाव घोषणा-पत्र रखा था उसमें कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो इस नकल विरोधी कानून को हटायेंगे । आपके जो शिक्षा मंत्री थे वह लड़कर चले गये, आप तो जनादेश की बात करते थे, नकल विरोधी आदेश को समाप्त करने की हमने जो बात कही, जनता ने अपना फैसला दे दिया है ।

जहां तक उत्तरांचल का सवाल है, 1-2 मिनट में बिना बहस के प्रस्ताव पास करा दिया, कार्यवाही में आ गया । इतनी बड़ी बात बिना बहस के हो गयी । हमने जनप्रतिनिधियों, आम जनता और समाचार पत्रों के माध्यम से एक कमेटी बनायी, हमारे मिनिस्टर्स मौके पर जा रहे हैं पता किया जा रहा है कि

कितना क्षेत्रफल होगी, कहां से रेवेन्यू आयेगी, राजधानी क्या होगी इन सारे पहलुओं पर विचार करके तब उत्तरांचल की घोषणा करेंगे । और केन्द्रीय सरकार से हम जब मिलेंगे तो उन पर दबाव डालेंगे । आपने केवल नाम के लिये उत्तराखण्ड की बात कही थी और जिसे जनता ने समझा भी कि इसमें आपकी नियत साफ नहीं है । केवल वोट के खातिर आपने किया है । मैं मानता हूं हम वहां से हारे हैं और हमारा एक ही एम० एल० ए० वहां से चुनकर आया है लेकिन हम वचनबद्ध हैं कि हम उत्तराखंड राज्य का निर्माण करायेंगे ।

आरक्षण के संबंध में आपने बात कही । आप विश्वास करते हैं जी० ओ० पर और हम बना रहे हैं कानून । जो भी अधिकारी आरक्षण का पालन नहीं करेगा उसे कैद की सजा भी होगी और जुर्माना भी होगा । आपने कहा कि आरक्षण का शासनादेश लागू नहीं हुआ, आप तो इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं, और कई वर्षों से इस सदन के सदस्य रहे हैं आपको तो जानकारी होनी चाहिए थी कि जब अध्यादेश जारी होता है उसी दिन से वह लागू भी हो जाता है उसे शासनादेश की आवश्यकता नहीं होती है । बेरोजगारी बढ़ने के संबंध में आपने कहा कि यह बढ़ी है तो थोड़ा इन्तजार कीजिये । हमने एक उच्चस्तरीय कमेटी बिठायी है । वह यह तय करेगी कि कैसे बेरोजगारी मिटायी जाये । मुझे एक बात की खुशी हुई जब हम और चौधरी साहब मिलकर कहते थे कि कांग्रेसी भाइयों को समझाते थे कि गरीबी से बेरोजगारी नहीं होती बल्कि बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है और आपने उस वाक्य को बोलना शुरू कर दिया है इस बात की मुझे खुशी है और भी बातों का हमारी आप पालन करेंगे, अनुकरण करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है । उद्योगपतियों के बारे में आपने कहा । अभी मैं कलकत्ता गया था, वहां के उद्योगपतियों से मेरी बातचीत हुई, चाहे सड़क का ढांचा हो, बिजली देने की बात हो हम प्राथमिकता के आधार पर यह सब चीजें उन्हें देंगे । हमारा यह प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग हम उत्तर प्रदेश में लायें । हम अपनी उद्योग की नीति को जल्दी स्पष्ट कर देंगे । आपका भी यदि कोई सुझाव हो तो हमें बताइयेगा हम उसे भी शामिल करेंगे । आगरा बैराज के संबंध में आपने बात कही । आपने घोषणा की थी कि हम दो करोड़ रुपया देंगे और इसे तीन वर्षों में बना देंगे । मगर न तो आपने रुपया दिया और न ही इसकी शुरुआत करायी । आगरा बैराज के लिये कोई काम आपकी सरकार ने नहीं किया । हमने इसमें लगभग 60 करोड़ रुपया दिया है और जल आपूर्ति के लिए 32 करोड़ रुपये का अनुमान है । हम भारत सरकार को अनुरोध भी कर चुके हैं और पत्राचार भी हो गया है । जितना हिस्सा उत्तर प्रदेश का आता है वह हम देंगे । केन्द्र सरकार अपना आधा हिस्सा दे । आगरा बैराज का निर्माण जल्दी से जल्दी कराया जायेगा । जहां तक हैण्डपम्पों का सवाल है, आपके कार्यकाल में 4914 गांवों में पेयजल दिया गया था और हमारे पूर्व शासनकाल में 11,799 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया गया था । जहां तक नहरों की पटरी पक्की कराने का प्रश्न है, हमने निर्णय लिया है कि 5 हजार कि०मी० पक्की डामर रोड बनवायेंगे । निर्णय आपने भी लिया था, लेकिन 1 मीटर भी कहीं नहीं बनी, केवल आपने घोषणा कर दी। हम इसके लिये पूरी कोशिश करेंगे और बनवायेंगे । अगर 5 हजार कि०मी० से ज्यादा हो सके तो उसके लिये भी कोशिश करेंगे ।

मान्यवर, जहां तक बिक्रीकर समाप्त करने की बात है, हमने राज्यपाल महोदय के पहले भाषण में भी स्पष्ट कर दिया था कि बिक्रीकर समाप्त करेंगे और दूसरे विकल्प की व्यवस्था लायेंगे जिससे राजस्व की हानि नहीं होगी । इस बात की घोषणा हमने उद्योग व्यापार मण्डल की सहमति से की । उन्होंने लिखकर दिया है, मुख्य रूप से उनकी 3 मांग हैं । पहली मांग है कि ऐसी व्यवस्था हो, जिसमें उनका

उत्पीड़न और अपमान बन्द हो । दूसरी मांग उनकी है कि रिश्वत जो देनी पड़ती है, वह बंद हो । तीसरा उनका कहना है कि इंस्पेक्टर राज खत्म हो, हम इन तीनों बातों को पूरा करेंगे । आपने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में सेल्स टैक्स समाप्त करने की बात कही थी, लेकिन आप पर इंस्पेक्टर राज इतना हावी रहा कि आपकी हिम्मत नहीं पड़ी । हमने 6 महीने के अन्दर बिक्रीकर समाप्त करने का चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था और हम कोशिश करेंगे कि 6 महीने से पहले ही यह काम हो जाय ।

मान्यवर, जहां तक तुष्टीकरण का प्रश्न है, पता नहीं क्यों, इन्हें हर वक्त मुसलमानों से नाराजगी रहती है, जब आखिर में कोई बात नहीं बचती तो तुष्टीकरण की नीति की बात करते हैं । यह हमारी नीति नहीं है, तुष्टीकरण की नीति आपकी है । इलाहाबाद में विश्व हिन्दू परिषद् जो पास कर रही है, जो तिरूपति में प्रस्ताव पास हो रहा है, उसकी निन्दा आप क्यों नहीं करते, क्यों नहीं आलोचना करते । आप न तो उससे सहमत हैं, न निन्दा करते हैं । हम तो कोई भी बड़े से बड़ा धार्मिक नेता क्यों न हो, अगर उसकी बात गलत है, तो मैंने उनको दो टूक जवाब दिया है और ऐसे समय दिया है, चुनाव के समय, जब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती । आपने मुझको बहुत हत्यारा कहा, हिन्दू विरोधी कहा, लेकिन हमको उसी अयोध्या में, फैजाबाद में हिन्दू का वोट मिला, आप तुष्टीकरण की बात करते हैं । हमने उनके धार्मिक नेता की भी आलोचना की, लेकिन मुसलमानों ने भी हमको वोट दिया, इससे बड़ी नीति और क्या हो सकती है ? हमे तो दोनों ने वोट दिया । तुष्टीकरण की नीति आपकी है, इसलिये वहां बैठे हैं । तुष्टीकरण की न तो हमारी नीति है और न हम इसमें विश्वास करते हैं । यह आपके दल की और आपकी नीति है, आप लोग ही इसमें विश्वास करते हैं ।

मान्यवर, पता नहीं, इन्हें मुसलमानों से क्या नफरत है, सिखों से क्या नफरत है ? माइनारिटीज के लोगों से नफरत है । पहले आप हमारी नीति समझ लीजिये, भाषानीति के बारे में उर्दू के बारे में हमारी नीति जान लीजिये । हम सभी भारतीय भाषाओं के विकास की बात करते हैं । अंग्रेजी हटाओ की बात करते हैं, अंग्रेजी मिटाने की नहीं करते हैं । हम अंग्रेजी को सार्वजनिक जीवन से, कारखानों से न्यायालयों से हटाने की बात करते हैं । हम तो यह भी चाहते हैं कि सुप्रीमकोर्ट भी बहुभाषी बने । जहां तक उर्दू का सवाल है । उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने इसको द्वितीय भाषा राजभाषा बनाया, लेकिन उसका विकास नहीं हो रहा है । हम उसका विकास करेंगे और रोजी-रोटी से जोड़ेंगे ।

जहां तक देवनागरी में लिखने की बात है एक "मरकज" अखबार निकलता है, जो उर्दू नहीं जानते, यह उनके लिये है । जो नई पीढ़ी है, हम उसको उर्दू पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम देश की सभी भाषाओं का विकास चाहते हैं, ये भाषायें आपस में बहिनें हैं लेकिन हिन्दी और उर्दू का वही रिश्ता है जो बड़ी बहिन और छोटी बहिन का है । बड़ी बहिन हिन्दी को ज्यादा आदर देंगे और छोटी बहिन उर्दू उसका आदर करेगी । उत्तर प्रदेश में हम उर्दू को बढ़ावा देंगे, रोजी-रोटी से इसे हम जोड़ने का प्रयास करेंगे तभी उर्दू का विकास होगा, हम समस्त भारतीय भाषाओं का विकास चाहते हैं, केवल हिन्दी या उर्दू का नहीं ।

सुरक्षा बल के बारे में आपने बड़ा भाषण दिया और यह कहा है कि सड़कों से लेकर बैरकों तक साम्प्रदायिकता जागेगी और दंगा होंगे, यह आपने धमकी दी है, नहीं देना चाहिए, यह हमारी नीति नहीं है । जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम केन्द्रीय सरकार से मंगाते हैं केन्द्रीय सरकार को कभी फोर्सेस कश्मीर ले जाना होता है, कभी पंजाब में उसकी जरूरत पड़ जाती है, वह तुरन्त मंगा लेते हैं । सेन्ट्रल फोर्स जो यहां है उसको वापस भेजने के आदेश दे दिये, पहले तो 25 तारीख तक वापस करने की बात

कही अब 7 मार्च को वापस कर रहे हैं । आप जानते हैं कि हमें सेण्ट्रल से फोर्स मंगाना पड़ता है । आपने पी० ए० सी० का मनोबल गिराने की बात कहीं । मैं कहता हूं कि पी० ए० सी का मनोबल नहीं टूटने पायेगा । उत्तर प्रदेश की पी० ए० सी० पर हम गर्व करते हैं । लेकिन हम ऐसा फोर्स बनाना चाहते हैं जिसे हिन्दुस्तान के और भी प्रदेश अगर चाहते हैं तो दैवी आपदा के समय, संकट के समय, वार के समय हम उनका इस्तेमाल कर सकें और दूसरों की सहायता भी कर सकें सेण्ट्रल फोर्सेस मंगाने की जरूरत ज्यादा न पड़े, इस प्रकार के फोर्सेस बनाने का हमारा इरादा है । इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के जो लड़के तमिलनाडु, असम या और कहीं नौकरी कर रहे हैं अर्थात दूसरे सूबों में हैं दूसरे फोर्सेस में सर्विस कर रहे हैं, वह अगर आना चाहेंगे तो सुरक्षा बल में उनको सबसे पहले प्राथमिकता पर लिया जायेगा । आपने कहा कि सड़कों से लेकर बैरकों तक दंगे होंगे तो दंगों में आपका ज्यादा विश्वास है, मेरा नहीं ।

जहां तक 143 के अन्तर्गत बात कही है हमारी साफ नीति आ गयी है और अखबार में आपने पढ़ लिया है, हमारी जो नीति है वह मैंने सुप्रीमकोर्ट को बता दिया है ।

डंकल प्रस्ताव की नीति के बारे में मुझे ताज्जुब होता है कि डंकल के प्रस्ताव के बारे में आपको चिन्ता क्यों ? डंकल प्रस्ताव के बारे में मैंने कोचीन, त्रिवेन्द्रम, तमिलनाडु, मद्रास, रामेश्वरम्, लुधियाना, पटना, दिल्ली, कलकत्ता और उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में हमने सेमिनार किये और किसानों को जगाया उसके बाद फिर सब लोगों ने डंकल प्रस्ताव को समझा । पहले आप अपनी पार्टी में यह पता कर लें कि आपकी पार्टी डंकल प्रस्ताव पर एक है या नहीं । आपके ही नेता अमेरिका में जा करके, उदारता से प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव की आर्थिक नीतियों का पूरा समर्थन किया है ।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, अडवाणी जी डंकल साहब से अमेरिका में जाकर मिले हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हम तो डंकल का विरोध कर रहे हैं और हमने तो मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने की भी बात कही है और प्रधान मंत्री के एक वरिष्ठ मंत्री ने बयान भी दे दिया है । यह कहा जा रहा है कि मुख्य मंत्रियों का बहुमत हो जायेगा और यह प्रस्ताव मान लिया जायेगा लेकिन इसमें बहुमत और अल्पमत का सवाल नहीं है । हम पूरी नीति रखना चाहते हैं देश की जनता के सामने और प्रधान मंत्री जी के सामने । जहां तक चुनाव घोषणा पत्र का सवाल है, जो पार्टी चुनाव से पहले घोषणा पत्र निकालती है उस पार्टी को पूरा अधिकार है उसे लागू करने का । अब मैं डंकल प्रस्ताव के बारे में बताना चाहूंगा कि जो हमारी नीति है वही पार्टी की नीति होगी, डंकल प्रस्ताव के बारे में । उस पर कायम रहेगी ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मेरा सवाल है डंकल प्रस्ताव के बारे में । यह सरकार इसको कायम रखेगी या डंकल प्रस्ताव का समर्थन करेगी या विरोध करेगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, बात पुरानी है, अन्दर कमरे में क्या कार्यवाही हुई, आपका यह काम है । मान्यवर, डंकल प्रस्ताव के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में जो पत्रावली आदि है वह मेरे पास है अगर आप देखना चाहें तो उसे देख लीजिये । डंकल प्रस्ताव के बारे में आपने क्या किया है ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि डंकल प्रस्ताव के बारे में चुनाव के पहले आपने विचार व्यक्त किये थे प्रस्ताव के विरोध में। अब यह सरकार डंकल प्रस्ताव का विरोध करती है या खुले रूप में उसका समर्थन करती है या वह असमर्थ है। यही तीन बातें हो सकती हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, मैं बात छिपाना नहीं चाहता हूं, जो डंकल नीति है वह ज्यों की त्यों है और कई बार कह चुका हूं कि अपनी नीति से नहीं हटूंगा। किसानों के हितों के लिये मेरी सरकार जो कर सकती है वह करेगी। किसानों के हितों का जो प्राविधान है उसको सरकार लागू करेगी और उनको उसका हक मिलना चाहिए।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह अखबार में आया है कि वर्ल्ड बैंक, इण्टरनेशनल मॉनीटरी फण्ड आदि संस्थाओं के दबाव में आकर डंकल प्रस्ताव को मानना पड़ रहा है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आप डंकल प्रस्ताव को पूर्ण रूप से अमान्य कर दें, हम आपके साथ रहेंगे, कांग्रेस की चिन्ता मत कीजियेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव–

डंकल प्रस्ताव के बारे में हमारी नीति साफ है, हम कायम हैं, हमारा चुनावी घोषणा पत्र कायम है। दूसरी बात यह है मान्यवर, अखबारो में इस तरह का तो छपता ही रहता है, अखबार बहुत छापते हैं। मान्यवर, हमारी जो भी नीति होगी किसानों के हितों की होगी। मान्यवर, इन सभी बातों से ही बहस करने का मौका मिलेगा, बहस होगी अपनी राय रखने का मौका मिलेगा, मान्यवर, बहुत से ऐसे सवाल हैं मैं सभी की स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं, सदन के बीच भी उनको बता चुका हूं। मान्यवर, किसानों के हितों की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। आज कहीं भी जातीय संघर्ष नहीं हो रहे हैं, न ही देखने को मिल रहे हैं। जातीय आधार पर कहीं भी दंगे न हों इस पर सुधार किया जा रहा है और ध्यान भी दिया जा रहा है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसके अलावा और कोई बात नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

दि० 1-12-89 से 30-6-91 तक कुल 82 घटनायें हुई हैं और दि० 1-7-91 से 30-11-92 तक आपके शासनकाल में 208 घटनायें हुई हैं। 1-12-93 से 15-2-94 तक केवल 3 घटनायें हुई हैं। इसलिये अपराधों में काफी सुधार हुआ है। मैं पूरे आंकड़े इसलिये नहीं रख रहा हूं कि 21 फरवरी को जो आपका भाषण भी हो चुका था। इलाहाबाद, हमीरपुर, वनारस, कानपुर की घटनाओं के बारे में यहां पर जिक्र हो चुका है और उनका जवाब भी दिया जा चुका है, इसलिये पुनः यहां पर दोहराना ठीक नहीं है। जो चीजें आपकी रह गयी होंगी, उसे आप सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का मौका मिलेगा,

तब कह सकते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने विचार यहां पर व्यक्त किये और साथ ही नेता विरोधी दल से अनुरोध करता हूं कि वह अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले लें और सर्वसम्मति से राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे धन्यवाद प्रस्ताव को पास करें । आपने कल ही कहा कि महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण को जिस संयम व धैर्य का परिचय दिखाया गया है, मुझे भी उसकी खुशी है । साथ ही इस बात की भी खुशी होगी अगर आप उसी संयम व धैर्य के साथ अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस लेकर इसे सर्वसम्मति से पास करायेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल जी आप अपनी बात प्रारम्भ कर दें । एक मिनट हम रुक जाते हैं । 5.00 बजे अनुपूरक मांगें प्रस्तुत होनी हैं । उसके बाद आप अपनी चर्चा प्रारम्भ कर सकते हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, बहुत ही संक्षेप में और कम समय में, अपने संशोधन के प्रस्ताव के संबंध में मैं बिन्दुवार अपनी बात रखूंगा । मैं सबसे पहले माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं ।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, आपकी मंशा क्या है, वह तो आप बता दें ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, शायद आपने इस बात का संकेत दिया है कि क्या माननीय नेता प्रतिपक्ष अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं । दूसरा, मान्यवर, आप समय के प्रति भी सचेत होंगे । 5.00 बजे सप्लीमेन्टरी बजट भी प्रस्तुत किया जाना है । अब तो धन्यवाद के प्रस्ताव पर वोटिंग हो जाय तो उचित रहेगा ।

वित्तीय वर्ष 1993-94 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1993-94 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगें प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां बांटी जायं ।

(प्रतियां बांटी गयी)

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोई लम्बा चौड़ा भाषण करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं । बहुत संक्षेप में कहूंगा मैं उन सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे संशोधन प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये चाहे उसके पक्ष में या विपक्ष में । मैं अपने माननीय प्रमोद तिवारी जी के बारे में कहना आवश्यक समझ रहा हूं । मान्यवर, वह सुन नहीं रहे हैं । उन्होंने एक टिप्पणी की हमारे

बारे में, "विनाश काले विपरीत बुद्धि" । मैं कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करना चाहता हूं "विनाश काले समाप्त बुद्धि" । माननीय तिवारी जी की बात को सुन कर मैंने दो लाइन लिखे हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय नेता विरोधी दल के सदस्य माननीय तिवारी जी से इतना चिढ़ते क्यों हैं जब भी वह खड़े होते हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

बुद्धि समाप्त तब होती है जब किसी के पास होती है, जिनके पास है ही नहीं तो समाप्त कहां से होगी ।

श्री कल्याण सिंह–

तो मैंने वह दो पंक्तियां लिख डाली हैं श्रीमन्, कांग्रेस के बारे में :—

"खो रहे अस्तित्व अपना, आत्म हत्या को तैयार,
इस कदर प्यारी हुई है लालबत्ती वाली कार ।"

श्री अध्यक्ष–

मैथिली शरण जी की तर्ज में ।

श्री कल्याण सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया । जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में जो धनराशि प्राप्त हुई है 4,245 करोड़ के स्थान पर 4,762 करोड़ मिला है अर्थात् 12 परसेंट अधिक मिला है तब से महंगाई ..... लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में महंगाई कितनी बढ़ गयी ? इसलिये 4,762 करोड़ का आकार कितना रहेगा । इस पर प्रकाश नहीं डाला गया है। उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि योजना का आकार और वित्तीय संसाधनों में लगभग एक हजार करोड़ रुपये का अन्तर है । इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, जिसका अब उल्लेख कर देंगे ।

मान्यवर, दो-तीन बातें कहना चाहता हूं । पहली बात तो यह कि सरकार ने जो 16 घंटे बिजली देने की घोषणा की है वह सही नहीं है । आप चाहे तो प्रत्येक फीडर का विद्युत आपूर्ति का रिकार्ड देख लें । जिलों में कितनी बिजली गई यह देखें तो 16 घंटे जा रही है लेकिन उस जिले में सब स्टेशन से जो फीडर्स हैं जहां से किसानों को बिजली मिलती है वहां जो बिजली जा रही है वह दस प्रतिशत से ज्यादा बिजली इस प्रदेश में नहीं है । इस तरह आंकड़ों की बाजीगरी में जनता को न उलझायें क्योंकि इससे प्रदेश का भला नहीं होगा ।

मान्यवर, नकल के बारे में कहना चाहता हूं कि जो शिक्षण संस्थायें हैं वहां पढ़ाई का वातावरण ध्वस्त हो गया है । मैंने एक प्रश्न किया था कि ट्यूशन पर रोक लगाई कि नहीं ? मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जनादेश हमको मिला है नकल के कानून को निरस्त करने का । तो सच यह है कि मान लें श्री मुलायम सिंह जी को जनादेश नहीं मिला है बल्कि सच पूछें तो प्रधान मंत्री, श्री राव के आदेश से यह सरकार चल रही है और कांग्रेस की बैशाखियों पर यह सरकार चल रही है । जनादेश तो हमें मिला है चूंकि 176 की संख्या में भाजपा यहां बैठी है और 174 में वह हैं । इस प्रकार भाजपा को सर्वाधिक

वोट 34 प्रतिशत मिले हैं जबकि उनको 28 प्रतिशत मिले हैं। इसी प्रकार से दोनों के वोट जोड़ लें तो 40 लाख भाजपा को मिले हैं जो उनसे ज्यादा हैं, इसलिये जनादेश हमारे पक्ष में गया है। लेकिन कांग्रेस के बल पर सरकार बनाने का मौका आपको मिला है।

अब डंकल प्रस्ताव के बारे में सरकार ने अपना कोई दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं किया है। इनकी कठिनाई है कि कांग्रेस के बल पर यह सरकार चला रहे हैं और कांग्रेस सरकार जो केन्द्र में है वह देश को डंकल प्रस्ताव का समर्थन करके देश को गिरवी रखने जा रही है इसलिये मुख्य मंत्री जी चाहते हुए भी उस डंकल प्रस्ताव का विरोध नहीं कर सकते हैं। जहां तक भाजपा का प्रश्न है वह एक मत से डंकल प्रस्ताव के विरोध में है। हमारी पार्टी की आर्थिक नीतियों का समर्थन किया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक समय था जब दुनिया में राजनीति अर्थ की नीति को प्रभावित करती थी। लेकिन समय इतना बदल गया है कि दुनिया के देशों में अर्थ नीति वहां की राजनीति को बदल रही है। इस प्रकार से रूस, चीन, भारत दुनिया के सभी देश उदारीकरण ला रहे हैं। भाजपा भी उदारीकरण की नीति का समर्थन करती है लेकिन कांग्रेस की उदारीकरण की नीति का समर्थन नहीं करती है क्योंकि उदारीकरण के नाम पर यहां जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही है उससे लोगों की पूरी आजादी छिन जायेगी। उसी को मानकर यह बातें आपके सामने रखने का प्रयास किया है। श्रीमन्, आपने कहा कोई भेदभाव नहीं करते, मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी जब से शासन में आये हैं, तब से जितने ट्रांसफर व पोस्टिंग हुई, उसकी सूची निकालकर देख लें। मेरा इसमें यह कहना है कि इसके संबंध में जो तीन मानक निर्धारित हैं–ज्येष्ठता, श्रेष्ठता और कार्य क्षमता, उनमें से इन तीनों मानकों का ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इन मानकों को इसमें ध्वस्त कर दिया गया है और उसका परिणाम यह है कि आज हमारे प्रशासन तंत्र में एक कुण्ठा और घुटन और आक्रोश व्याप्त हो गया है। आज जो भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, वह देश और प्रदेश की जनता के हित में कतई नहीं जाएगा।

मुख्य मंत्री जी ने जो अपराधों के आंकड़ों के बारे में कहा है, आंकड़ों से जनजीवन सुरक्षित होता नहीं है। आज प्रदेश के अन्दर कानून और व्यवस्था की दृष्टि से स्थिति बहुत ही सोचनीय है। प्रश्न यह नहीं है कि चार अपराध बढ़ गये या चार अपराध घट गये और मेरा भी यह पैमाना कभी नहीं रहा है। किसी राज्य में 4 अपराध बढ़ने से किसी सरकार को खराब नहीं कहा करते और अपराध घटने से अच्छा नहीं कहा करते। प्रश्न केवल यह है कि जनता क्या महसूस कर रही है। आज उत्तर प्रदेश का हर नागरिक महसूस कर रहा है कि उसकी जानमाल और बहू-बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। मैंने आपके तीन महीनों का जो हिसाब लगाया है, जो पंजीकृत अपराध हैं उनकी संख्या 50 हजार तक पहुंच गयी है। डकैतियों की संख्या 400 तक पहुंच गयी हैं, अपहरणों की कुल मिलाकर संख्या 1 हजार तक पहुंच गयी हैं और हत्याओं की संख्या भी लगभग 2,200 तक पहुंच गयी है। इसी प्रकार बलात्कार जैसे वीभत्स अपराध की संख्या तीन-साढ़े तीन सौ तक पहुंच गयी है। तो हत्या और बलात्कार दो ही इश्यू हैं, जिनके आधार पर किसी भी सरकार की योग्यता, कुशलता और कार्यक्षमता नापी जा सकती है। पिछले तीन माहों में हत्याओं और बलात्कारों का ग्राफ बढ़ा है किसी भी सरकार की तुलना में। इसीलिये मैंने संशोधन रखा था, इसी पर बल देते हुए यही कहना चाहता हूं। इसी बात के साथ अपनी बात पर विराम देना चाहता हूं और अपने संशोधन पर पुनः बल देता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

ट्यूशन पर जो आपने प्रतिबन्ध लगाया था, वह तो आज भी ज्यों का त्यों है, उसमें तो प्रतिबन्ध हटाया नहीं है। दूसरी बात अपराधों के बारे में मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि इसका फिर मौका आयेगा। फिर भी अब सवाल इस बात का है कि अपराध और अपराधी घटे हैं या बढ़े हैं, उसके तो आंकड़े मैंने दिये हैं। आप भी हमें अपने दे दीजिये और हमारे ले लीजिये। अपराध तो आपके समय में बहुत बढ़े हैं। इसमें सरकार की नीयत देखी जाती है और यही देखी जानी चाहिए विचार करते समय। देखने की बात यह है कि हत्याएं होती हैं, तो सरकार किसके साथ है ? सरकार अपराधियों के साथ है या उनके खिलाफ है जो अपराध करते हैं, गलती करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की? इसे तो हमारी सरकार पूरी तरह से अपराधियों के खिलाफ खड़ी है और अपराधियों के खिलाफ ही नहीं, अपराधों में लापरवाही बरतने वाले जो अधिकारी हैं, उनके भी खिलाफ है, उनको दंडित किया जायेगा। और उसे हम फिर नहीं दोहराना चाहते हैं। गांव का आदमी कहता था "ऊपर नीचे सांस है, जब तक बी० जे० पी० का राज है"। पहले लोग रात-रात तक सो नहीं पाते थे। आज लोग चैन की नींद सो रहे हैं। भागे फिर रहे हैं तो माफिया लोग। उनको जरूर नींद नहीं आ रही होगी। जनता में जाकर आप पूछ लें। जनता गुमराह नहीं है, गुमराह तो आप हैं। आज हमारी कानून-व्यवस्था सुधरी है।

श्री अध्यक्ष–

बी० आर० वर्मा जी आप इस प्रस्ताव के बारे में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं सबसे पहले नेता सदन, माननीय मुख्य मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने जो अन्य दलों के नेताओं ने प्रश्न उठाये थे, उनका बिन्दुवार स्पष्ट ढंग से बहुत ही अच्छा बिना किसी चीज को छिपाये, हर चीज को स्पष्ट करते हुए जहां पर सरकार की कमियां रही हैं, वहां पर कमियां और जहां सरकार की अच्छाई रही है वहां पर अच्छाई को बताया है। जहां पर अपराध बढ़े हैं ? उनको बढ़ा हुआ और जहां अपराधों में कमी आई है, उसे उसी क्रम में रखा है। अन्य सदस्यों का जिन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष में या जिन्होंने विपक्ष में बोला है, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष के प्रति व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में बड़ा सम्मान रहा है। जब यह नेता सदन थे तब भी इनके प्रति मेरे मन में आदर था और जब यह नेता प्रतिपक्ष हैं तब भी मैं इनका आदर करता हूं। आज भी मैं इनका आदर करता हूं लेकिन जिस तरह की बात हमारे दल के बारे में नेता प्रतिपक्ष ने कही है उससे उनका सम्मान घटा है। इन्होंने नारे के बारे में जो कहा है "तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार" "ढोल गवांर विप्र पशुचारी, ये सब जूतन के अधिकारी", मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष से मैं बड़े विनम्र शब्दों में और प्रार्थनापूर्ण शब्दों में कहना चाहता हूं कि कोई भी बी० एस० पी० का नेता आप अगर साबित कर देंगे कि इन्होंने यह नारे अपने मुख से कहे हैं तो मैं पब्लिक लाइफ से अपने को रिटायर कर लूंगा। इन्हें इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिये। आजमगढ़ की दीवारों पर, प्रदेश क्या देश भर की दीवारों पर जन मानस के बीच में यह नारे किसने लिखे हैं। "अब भी जिसका खून न खौले, खून नहीं वह पानी है।" हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान, कहां से आये थे मुसलमान या तो मारो इनकी जान, नहीं तो भेजो पाकिस्तान" "मुसलमानों के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान" आदि-आदि। यह साम्प्रदायिक नारे किसने लिखवाये थे। ऐसे नारे लगाने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

परन्तु अब साम्प्रदायिकता को बढ़ाने का काम करेंगे ऐसे एक भी व्यक्ति को बक्शा नहीं जायेगा उन लोगों को जेल भेजा जायेगा ।

(मेजें थपथपाई गई)

एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसा नेता प्रतिपक्ष को भ्रम हुआ है आरक्षण के बारे में कि माननीय कांशीराम जी बी० सी० का आरक्षण नहीं चाहते । एस० सी०/एस० टी० और बैकवर्ड क्लास फेडरेशन का जो सम्मेलन 24 अप्रैल, 1948 को बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में हुआ था उस समय गोविन्द बल्लभ पन्त यहां पर मुख्य मंत्री तो । डा० अम्बेदकर उस समय केन्द्र में संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे और इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे ।

[समय 5 बजकर 20 मिनट]

उन्होंने कहा था पिछड़ी जाति के लोगों के लिये आरक्षण की कोई जरुरत नहीं है । सारे नेता लोग जिन लोगों ने डा० अम्बेदकर को बुलाया था, हतप्रभ रहे गये । जो व्यक्ति अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण की वकालत करने के लिये भारत से लेकर लन्दन तक लड़ाई लड़ी वह पिछड़े लोगों को आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा है । एक सदस्य ने कहा कि पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण क्यों नहीं चाहिये ? तो उनका कहना था कि इस देश के शेड्यूल्ड कास्ट इकट्ठे होकर कभी भी सरकार नहीं बना सकते हैं । सवर्ण इकट्ठे होकर कभी भी सरकार नहीं बना सकते हैं । लेकिन इस देश के पिछड़े लोग जो कि 52. 1/2 परसेंट हैं अगर इकट्ठे हो जायें तो गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सकते हैं । इसलिये इस देश का असली, मालिक पिछड़ी जाति के लोगों तुम हो । मालिक को घर का कोई कोना आरक्षित किया जाय यह उसकी बेइज्जती है । इसलिये इस पिछड़ी जाति के लोगों तुम और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग एक मंच पर इकट्ठे हो जाओ तो गोबिन्द बल्लभ पन्त जैसा [xxx] गौरव महसूस करेगा । (व्यवधान) इसलिये पहली बार मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में यह जो सपना डा० अम्बेदकर ने देखा था और उनकी जो कल्पना थी, जो डा० अम्बेदकर के सपूने अधूरे रह गये थे, उस सपने को बैकवर्ड क्लास, अनुसूचित जाति के लोगों और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करके श्री कांशीराम और श्री मुलायम सिंह यादव ने पूरा किया है । जाति व्यवस्था के बारे में बात कही गई । जाति व्यवस्था इस देश के लिये कलंक है उसे समाप्त करने के लिये कदम उठाना चाहिये और समाज को समता मूलक बनाना चाहिये । इन शब्दों के साथ जो माननीय किरन पाल जी ने घोषणा पत्र के बारे में कहा था हमारी बहुजन समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र लिखित नहीं है वह अनुशासन में विश्वास करती है यह मौखिक है । कांशीराम जी ने चुनाव के समय ऐलान किया था कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने से रोकेंगे और माननीय मुलायम सिंह यादव को मुख्य मंत्री बनवायेंगे । उन्होंने जो कहा था वह कर दिखाया । इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन तमाम नेताओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट किये साथ ही मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्र शब्दों में अनुरोध करूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्ताव उन्होंने रखा है उसको वापस लें और सर्वसम्मति से इस धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करवा दें ।

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पंत के प्रति अपमान जनक शब्द कहे जाने पर आपत्ति

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री बी० आर० वर्मा ने जो शब्द देश के प्रथम मुख्यमंत्री श्रद्धेय गोविन्द बल्लभ पन्त के बारे में व्यक्त किये हैं इस पर हमें और हमारे दल को घोर आपत्ति है इसलिये इन शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्री बी० आर० वर्मा ने जो शब्द सम्माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त के बारे में कहे वह बहुत ही आपत्तिजनक हैं। श्री पन्त ने प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जो सेवायें की इस प्रदेश में की, उससे सभी लोग परिचित हैं। इसको माननीय सदस्य वापस लें और इस बारे में मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। इसको कार्यवाही से निकलवा दें। [x x x] माननीय सदस्य वापस लें आप उनको इसका निर्देश दें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं चाहूंगा कि इस शब्द को वह वापस लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री कहने के लिये खड़े हैं उनको सुन लीजिये।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, माननीय वर्मा जी ने जिस संदर्भ में कुछ भी कहा है, हमें अफसोस है और खेद है। गोविन्द बल्लभ पन्त जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पन्त जी ने, नेहरू जी का व्यक्तित्व जरूर बड़ा हो गया था, लेकिन आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देश और प्रदेश की बड़ी सेवा उन्होंने की। प्रधान मंत्री नेहरू जी बन गये, मैं तुलना नहीं कर सकता हूं, यह बड़ा अच्छा सवाल नहीं है, लेकिन किन्ही मायने में नेहरू जी से पन्त जी का सम्मान और प्रतिष्ठा इस देश में कम नहीं है। जिस संदर्भ में, डा० भीमराव अम्बेदकर के भाषण को जो संदर्भ दिया है उससे जिनको ठेस पहुंची है, मुझे खुद ठेस पहुंची है, मैं पन्त जी के बारे में जो राय रखता हूं, जो कहा गया उसका मुझे अफसोस है। जो कार्यवाही में है, आपत्तिजनक है उसको वापस लिया जाय यह मेरा निवेदन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नेता सदन ने बहुत अच्छे शब्दों में खेद प्रकाश किया। वह उनकी जिम्मेदारी थी लेकिन जिन माननीय सदस्य चौधरी जी ने आपत्तिजनक शब्दों को कोट किया है, मान्यवर, मेरे मुंह से नाम गलत निकल गया, में क्षमा मांगता हूं। श्री वर्मा जी ने जो कहा है,

---

नोटः– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जिन आपत्तिजनक शब्दों को कहा है, स्वयं वर्मा जी को खड़े होकर इस बात की क्षमा याचना करनी चाहिये। उन्होंने श्री पन्त जी के बारे में जो अशोभनीय बातें कहीं हैं और मुख्य मंत्री जी ने उस पर खेद प्रकाश किया है वह इस बात का समाधान नहीं है। वर्मा जी को क्षमा करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

अभी हमारे माननीय बी० आर० वर्मा जी जो अपनी बात कह रहे थे प्रस्ताव के संबंध में, उसके बीच में कुछ माननीय पन्त जी के संदर्भ में कुछ बातें उन्होंने जो कहीं हैं मैं उनको दिखवा लूंगा और यदि कोई ऐसी बात होगी तो .....

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कार्यवाही क्या देख लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, दिखवा नहीं लेंगे। यह कार्यवाही का अंश नहीं रहेगा। पन्त जी इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनका अपमान हुआ है। यह कार्यवाही का अंग नहीं बन सकता। आपको इसकी घोषणा करनी पड़ेगी।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

देखकर निकलवा दूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीन नेता सदन ने क्षमा मांगी है। माननीय सदस्य भी क्षमा मांगें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है कि निकलवा दूंगा। निकाल दिया जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

इस तरह से सदन नहीं चलेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद तिवारी–

(घोर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस तरह से काम नहीं चलेगा।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

मेरी बात तो सुन लीजिये आप। आप मेरी बात तो सुनेंगे नहीं।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

इस तरह से सदन नहीं चलेगा।

श्री कल्याण सिंह–

अध्यक्ष जी, मैं बहुत देर से खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष–

मेरी बात तो सुन लीजिये आप।

श्री प्रमोद तिवारी–

नहीं सुनेंगे।

(श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री हरिशंकर तिवारी तथा उनके दल के कई सदस्य वेल में आकर बैठ गये।)

(घोर व्यवधान)

(माननीय श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री बाबू राम यादव और श्री राम लखन वर्मा के प्रयासों से सदन के वेल में बैठे सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री कल्याण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से खड़ा हुआ हूं, आपकी अनुमति के लिये, बहुत देर से खड़ा हुआ हूं श्रीमन्।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

इस तरह से सदन नहीं चलेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

अध्यक्ष जी, आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, पन्त जी के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है। वह आदर के पात्र हैं। उनके प्रति मेरी कोई बुरी भावना नहीं है। जिस नेता के पग चिह्नों पर चौधरी चरण सिंह चलते थे, वह अपने भाषण में कहा करते थे उन्होंने पन्त जी से बहुत कुछ सीखा है। मेरे दिल में कोई कतई ऐसी बात नहीं है, उनके प्रति

जो भी मैंने कहा है वह अपना वाक्य नहीं है बल्कि डा० अम्बेडकर के शब्द हैं उसमें बहुत उद्धृत किया है। पन्त जी इस प्रदेश के पहले मुख्य मंत्री रहे हैं और गृह मंत्री रहे हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन रहे हैं, उनके प्रति मेरा कोई निरादर करने का मकसद नहीं रहा है। मैंने भाषण में केवल उन शब्दों को उद्धरण दिया है।

(व्यवधान)

मान्यवर, उससे अगर किसी सदस्य की भावनाओं को ठेस लगी है, सदन को ठेस लगी है, तो में खेद प्रकट करता हूं। और अगर वह असंसदीय है, तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायें। मैंने जो बात कही थी, वह पूरी भी नहीं हुई थी, अब माननीय वर्मा जी ने खेद प्रकट कर दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

नहीं, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव में नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन भी जो उपस्थित किये हुए माने गये हैं, अस्वीकृत समझे जायेंगे।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 21 फरवरी, 1994 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 4 मार्च, 1994 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के रेगुलेटिंग एरिया के अन्तर्गत होने वाले अनाधिकृत कालोनियों के निर्माण को रोके जाने के विषय में है को वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं, दूसरी सूचना श्री मुक्ति नाथ यादव जी की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा कथित रूप से जारी किये गये

परिपत्र से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत करता हूं, तीसरी सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी जी की बिना पार्याप्त छात्र संख्या के जनपद टिहरी गढ़वाल में संस्कृत महाविद्यालयों को चलाये जाने के संबंध में है इस पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, चौथी सूचना वाराणसी स्थित काशी विद्यापीठ में हिंसा से उत्पन्न स्थिति के कारण अनिश्चित बन्दी के संबंध में श्री जगदम्बिका पाल की पांचवीं श्री रंगनाथ मिश्र, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की इस पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, छठीं सूचना श्री अमित अग्रवाल की, सातवीं सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी की, आठवीं सूचना श्री बची सिंह रावत जी की, नवीं सूचना श्री तुलसीदास राय चन्दानी तथा श्री रमापति शास्त्री की और दसवीं सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी की है, सभी को अस्वीकृत की हैं।

अब हम उठते हैं 7 तारीख को 11 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 40 मिनट पर 7 मार्च, 1994 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

4 मार्च, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14–15 पर)

विद्युत वितरण खण्ड, सुल्तानपुर में उन ठेकेदारों की सूची जिनसे ग्रामीण विद्युतीकरण कराया गया

क्रम सं०	फर्म का नाम
1	मैसर्स जी० पी० इण्टरप्राइजेज सुल्तानपुर ।
2	मै० आर० के० इण्टरप्राइजेज, प्रतापगढ़ ।
3	मै० दीपा इंजीनियरिंग वर्क्स, सुल्तानपुर ।
4	मै० आलोक इंजीनियरिंग वर्क्स, सुल्तानपुर ।
5	मै० एस० के० इंजीनियरिंग कारपोरेशन, सुल्तानपुर ।
6	मै० अशोक इंजी० वर्क्स, सुल्तानपुर ।
7	मै० मे० बी० एन० ट्रेडर्स, सुल्तानपुर ।
8	मै० मा० सन्तोषी ट्रेडर्स, सुल्तानपुर ।
9	मै० ममता इलेक्ट्रिकल, सुल्तानपुर ।
10	मै० विकास एण्ड कम्पनी, सुल्तानपुर ।
11	मै० निधि ट्रेडर्स, सुल्तानपुर ।
12	मै० जे० एस० इंजी० वर्क्स, सुल्तानपुर ।
13	मै० सी० रा० बिल्डर्स, सुल्तानपुर ।
14	मै० हिन्द इण्टरप्राइजेज, सुल्तानपुर ।
15	मै० शक्ति इंजीनियरिंग, सुल्तानपुर ।
16	मै० सिंह कान्स्ट्रक्शन कम्पनी, सुल्तानपुर ।
17	मै० संजय इंजी० वर्क्स, सुल्तानपुर ।
18	मै० भारत इंजी० वर्क्स, सुल्तानपुर ।
19	मै० सोनी कान्स्ट्रक्शन कं०, सुल्तानपुर ।
20	मै० एम० जे० इंजी० कारपोरेशन, सुल्तानपुर ।
21	मै० प्रकाश मोटर्स, सुल्तानपुर ।
22	मै० हिन्द इलेक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज, सुल्तानपुर ।
23	मै० जे० एस० इंजी० वर्क्स, सुल्तानपुर ।
24	मै० शिवा इण्टरप्राइजेज, सुल्तानपुर ।
25	मै० शक्ति इण्टरप्राइजेज, सुल्तानपुर ।
26	मै० दुर्गेश इंजी० वर्क्स, सुल्तानपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

निचलौल डिपो से महराजगंज होकर गोरखपुर मार्ग पर संचालित सेवाओं की समय सारिणी

(1)	ठुठीबारी	गोरखपुर	निचलौल	ठुठीबारी	
	8.30	12.00	15.00	18.30	
		12.30	17.30		
(2)	महराजगंज	गोरखपुर	महराजगंज	गोरखपुर	महराजगंज
	8.00	10.00	12.30	15.30	18.00 बजे
		10.30	13.30	16.00	
(3)	सिसवा	गोरखपुर	ठूठीबारी	निचलौल	सिसवा
	6.30	10.00	14.15	15.00	18.45
		10.45	14.30	17.00	
(4)	गोरखपुर	ठूठीबारी	गोरखपुर	निचलौल	गोरखपुर
	5.00	8.30	12.30	16.00	21.00
		9.00	13.00	18.00	
(5)	गोरखपुर	ठूठीबारी	गोरखपुर	ठूठीबारी	गोरखपुर
	6.00	9.30	12.30	17.30	21.30
		10.00	14.00	18.00	
(6)	ठूठीबारी	गोरखपुर	निचलौल	गोरखपुर	ठूठीबारी
	5.00	8.00	11.30	18.45	22.30
		8.30	15.45	19.00	
(7)	ठूठीबारी	गोरखपुर	ठूठीबारी	गोरखपुर	ठूठीबारी
	6.00	9.30	13.30	17.30	21.30
		10.00	14.00	18.00	
(8)	गोरखपुर	ठूठीबारी	निचलौल	गोरखपुर	
	7.00	10.30	11.30	18.00	
		11.00	15.00		
(9)	गोरखपुर	महराजगंज	गोरखपुर	महराजगंज	गोरखपुर
	7.30	9.30	12.00	15.15	18.00
		10.00	13.15	16.00	
(10)	ठूठीबारी	गोरखपुर	निचलौल	ठूठीबारी	
	7.30	11.00	14.00	17.00	
		11.30	16.30		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

निचलौल डिपो से लखनऊ एवं कानपुर मार्ग पर संचालित सेवाओं की समय सारिणी

(1)	निचलौल	ठूठीबारी	गोरखपुर	कानपुर
	12.00	12.30	16.30	3.00
		13.00	17.00	
(2)	कानपुर	गोरखपुर	ठूठीबारी	निचलौल
	19.00	5.00	8.30	9.15
		5.45	8.45	
(3)	निचलौल	गोरखपुर	दिल्ली	
	11.00	14.00	16.00	
		15.00		
(4)	दिल्ली	गोरखपुर	निचलौल	
	4.30	4.00	7.30	
		4.30		

नोट :—(1) निचलौल से लखनऊ होकर कानपुर मार्ग पर 2 बसें संचालित होती है ।

(2) निचलौल से लखनऊ होकर दिल्ली मार्ग पर भी 2 बसें संचालित होती हैं ।

एन० पी० चौधरी

प्रधान प्रबन्धक (संचालन) प्रक्षेत्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

विकास क्षेत्र महराजगंज में 12/93 तक विद्युतीकृत किये गये ग्रामों के नाम एवं विद्युतीकरण की श्रेणी

क्रम सं०	ग्रामों का नाम	सी० ई० ए० की परिभाषा के अनुसार विद्युतीकृत ग्राम	एल० टी० मेन्स द्वारा विद्युतीकृत ग्राम
1	जगपुर उर्फ सलामतगढ़	विद्युतीकृत	विद्युतीकृत
2	कबेलना खुर्द	"	"
3	परास खण्ड	"	"
4	बड़हरा राजा	"	"
5	विजयपुर	"	"
6	नेगता काजी	"	"
7	बागापार	"	"
8	कटहरा खास	"	"
9	रामपुर बुजुर्ग	"	"
10	सिसतनिया	"	"
11	बैजनाथ पुरकला	"	"
12	सोनरा	"	"
13	धनेता धनेई	"	"
14	बड़हरा रानी	"	"
15	लखिया धरूआ	"	"
16	चिउराला मऊपाकड़	"	"
17	पडरी बुजुर्ग	"	"
18	पिपरा देउरा	"	"
19	चौपरिया	"	"
20	माहिट	"	"
21	मछुअता	"	"
22	तरकुलता	"	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
23	बांसपार बैगौली	विद्युतीकृत	विद्युतीकृत
24	सिसता अमहवा	"	"
25	हजरतपुर	"	"
26	जंगल फरजंद अली	"	"
27	अहमदपुर	"	"
28	कुर्थिया	"	"
29	रूदलापुर	"	"
30	पिपरा रसूलपुर	"	"
31	जे० घुघराई उर्फ चेहरी	"	"
32	बैजनाथ पुर खुर्द	"	"
33	गोपी	"	"
34.	कान्हा	"	"
35	रम्होली	"	"
36	पकड़ी नोनिदा	"	"
37	रूधौली मावचक	"	—
38	सिंहपुर	"	विद्युतीकृत
39	पकड़ी	"	"
40	दुबौली	"	—
41	मररेवा	"	—
42	सिसता	"	—
43	बड़हरा	"	विद्युतीकृत
44	बरवाकतीम	"	"
45	खुटहा	"	—
46	मुडिला	"	विद्युतीकृत
47	सराय खुटहा उर्फ बखराव	"	"
48	नटवा	"	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
49	नेता सुरहरवा	विद्युतीकृत	विद्युतीकृत
50	सवरेजी	"	"
51	खेम पिपरा	"	"
52	कोता मुकुन्दपुर	"	"
53	मतिहनिया चौधरी	"	"
54	बमनौली	"	"
55	गिदहा	विद्युतीकृत	विद्युतीकृत
56	कृत पिपरा	"	"
57	इमिलिया	"	"
58	दरौली	"	"
59	कोदइबा	"	"
60	सेमरा	"	"
61	अगया	"	"
62	सिसवा राजा	"	"
63	बैकुण्ठपुर	"	"
64	अमसनिया बाजार–	"	"
65	नरनहा	"	"
66	गौनरिया बाबू	"	"
67	फुलवरिया	"	"
68	सतमरिया	"	"
69	विशुनपुर	"	—
70	पिपरा बाबू	"	विद्युतीकृत
71	रामपुर	"	"
72	सिसवा बाबू	"	"
73	मुजहना खर्द	"	"
74	सौना	"	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'ब'

(देखिये अता० प्र० सं० 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64 पर)

विद्युतीकृत ग्राम की अविद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की सूची

क्रमांक	गांव का नाम	कोड संख्या
ब्लाक—भांवरकोल		
1	लोवाडीह	873
2	बेलसड़ी	883
3	शहाबुद्दीनपुर	925
4	देवरिया	930
5	मुंडेरा बुजुर्ग	946
6	खैरावारी	996
7	मिर्जाबाद अदाई	1048
8	ओदा	1063
9	सुकडेहरा	1067
10	परतनपुरा	1081
11	वीरपुर	1127
ब्लाक—बारावंकी		
1	भीखमपुर अमहट	601
2	कसांवर	348
3	दुबिहा	359
4	गोसलपुर	368
5	पहाड़ीपुर	370
6	भाटसराय	375
7	ताजपुर	383
8	विशम्भरपुर पर्जुम	391
9	पतार	402
10	न्यू उर्फ ऊंचाडीह	436

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
11	अजीजपुर	445
12	भाटा	489
13	पहाड़पुर तोफिर	490
14	रामपुर	513
15	गोसाईपुर	528
16	पडरांव	534
17	लट्ठडीह	540
18	करीमुद्दीनपुर	541

ब्लाक—कासमाबाद

1	रामगढ़	015
2	सहदेउरा सा० पाली	020
3	मुहम्मदपुर	033
4	मुहम्मदपुर कुसुम	055
5	चफसिया	043
6	सोनबरसा उर्फ कासिमाबाद	094
7	कोडरा	095
8	लुकवा	096
9	नसीरुद्दीनपुर	110
10	कटया लहंग	116
11	राजापुरकला	117
12	शबाजपुर	139
13	मुस्तफाबाद	172
14	जहूराबाद	185
15	सुरजीपट्टी	186
16	गंगौली	197
17	अलावलपुर	271
18	डुमरांव उर्फ भटोलिया	238
19	बासुदेवपुर	292

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 106 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर)

गाजियाबाद नगर में नगर बस सेवा के अन्तर्गत संचालित 5 मार्गों का विवरण

1–आराधना सिनेमा से जी० टी० रोड होते हुए मुरादनगर वाया पुलिस फायर स्टेशन–मोहननगर–मेरठ मोड़–हापुड़ मोड़–पुराना बस स्टैण्ड–लोहियानगर–भीमनगर–मेरठ मोड़ ।

2–नया बस स्टैण्ड–हापुड़ मोड़–पुराना बस स्टैण्ड–कलेक्ट्रेट, हापुड़ चुंगी–सी/डी ब्लाक शास्त्रीनगर–शास्त्रीनगर मार्केट–स्वदेशी पालीटैक्स–विवेकानन्द नगर–लाललुआं–डालडा फाटक–चौधरी मोड़–रेलवे स्टेशन–घंटाघर–हापुड़–हापुड़मोड़–नया बस स्टैण्ड ।

3–राजनगर सेक्टर–23 से ए० एल० टी० सेन्टर–हापुड़ चुंगी–कलेक्ट्रेट पुरा बस स्टैण्ड–हापुड़ मोड़–नया बस स्टैण्ड–मोहननगर–प्रह्लादगढ़ी–वैशाली–कौशाम्बी–पी० ए० सी० बाईपास रोड–मकनपुर–विजय नगर–गौशाला फाटक ।

4–बृज बिहार से सी० ई० एल० फैक्टरी–साहिबाबाद डिपो–साहिबाबाद गांव–नया बस स्टैण्ड–हापुड़ मोड़–पुराना बस स्टैण्ड–हापुड़ चुंगी–हरसांव–डसना ।

5–गाजियाबाद–छपरौला–विसरख–कुलेसरा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र० सं० 133 का उत्तर पीछे पृष्ठ 86 पर)

विकास खण्ड भदोही, औराई एवं सेवापुरी में विगत 9 वर्षों में विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्रमांक	भदोही विकास खण्ड	क्रमांक	औराई विकास खण्ड	क्रमांक	सेवापुरी विकास खण्ड
1	बरदहा	1	मौनिया हरदूपट्टी	1	सईकरा
2	धनापुर	2	संवरा	2	भौरखुर्द
3	अमवां खुर्द	3	फौदापुर	3	नबरना
4	जोगोपुर	4	पूरे उचित	4	पयागपुर
5	पलहिया	5	नेवादा	5	हीरपुर
6	जगदीशपुर	6	कल्लेतारा	6	बरसठी
7	पुरुषोत्तमपुर	7	धकलेसहू	7	टोडरपुर
8	कंधिया	8	जाठी	8	भिटकरी
9	बहरी	9	डिघवट	9	सरगपुर
10	गोंडा जमनाजती	10	जद्दपुर (उगापुर)	10	सिखेड़ी
11	लठिया चौहान पट्टी	11	लोकमनपुर	11	बसेहपुर
12	हरिश्चन्द्रपुर	12	झेरवा	12	बेटआ
13	मानिकपुर	13	इटवा	13	दौलतिया
14	संवरपुर	14	मेधौपुर (कइरमऊ)	14	घासिला
15	कृपालडीह	15	पियर्रापुर	15	लखनसैनपुर
16	भैरोपुर	16	पठकौली	16	बैजलपुर (खरगोपुर)
		17	घमहापुर	17	पूरे
		18	विक्रमपुर	18	लठिया
		19	चकडहरिया	19	बरसता
		20	बारीपुर	20	बिलावलपुर
		21	चकबीरा	21	शिव का पूरा
		22	बनौली	22	करधना
		23	चकचौधी	23	रघुनाथपुर
				24	ओमनी
				25	रईसीपुर
				26	अदमा
				27	बरकी
				28	सिरिहरा
				29	चित्रसेनपुर
				30	मनकैया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
31	भरहुआ
32	गोसाईपुर
33	परमानन्दपुर
34	कोहराडीह
35	भिटारी सत्तनपुर
36	भरहा
37	बरनी
38	उपरवार
39	बनौसी
40	हरिभानपुर
41	खिल्लपुर
42	परौना उर्फ रामेश्वर
43	महराजपुर
44	तारापुर
45	खमौना
46	नहवानीपुर
47	सिखड़ी
48	चित्रसेनपुर
49	मनकैया
50	पूरे
51	जोगापुर
52	रघुनाथपुर
53	बेलवा
54	बिहड़ा
55	मुकरमा
56	ठठेरा
57	पूरे बरियार
58	ओदरहा
59	रामपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अता० प्र० सं० 149 का उत्तर पीछे पृष्ठ 92 पर)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बसीसैंण के अन्तर्गत दिनांक 31-3-93 तक विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड संख्या	विद्युतीकृत करने का वर्ष
1	नौगांव	1175	3/93
2	न्यानगढ़	1776	3/93
3	खण्डगांव	1183	2/91
4	कनाकोट	1184	2/91
5	सेरा बॉजकोट	1185	11/88
6	डांग	1186	11/88
7	भटकोटी	1187	11/88
8	कोटी	1189	3/89
9	पैठाणी	1192	11/88
10	बनास गूंठ	1193	2/89
11	कटोला	1204	2/89
12	सिलोगी (सिलोली)	1205	11/88
13	लाख	1206	3/89
14	मैली	1208	12/90
15	कान्डई	1211	3/89
16	बांजकोट	1212	3/90
17	मरखोला	1213	3/89
18	सिमड़ी	1215	3/90
19	चौंरा	1261	2/91
20	ग्वींथगांव	1265	2/91
21	रौखड़ा	1266	3/91
22	बंगाली	1267	3/91
23	ईड़ा	1268	2/91
24	धरिगांव	1271	2/92
25	हरतार	1273	2/92
26	बगेली	1274	3/92
27	नौगांव	1275	2/91
28	तिरपाली	1280	3/91
29	कपरोली	1284	3/85

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
30	जल्लू	1285	3/87
31	कैन्यूर	1286	3/85
32	जखोला	1287	3/91
33	रन्डोला	1291	3/91
34	रौली	1292	2/91
35	भैंसवाड़ा	1297	2/91
36	मुसेठी बंगला	1299	3/93
37	मुसेठी	1300	1/75
38	झरपाली	1301	1/88
39	खेतपाली	1302	3/88
40	कफल्ड	1303	2/76
41	हस्यूड़ी	1304	4/87
42	पफड़ियाणा	1305	2/88
43	मनोली (मन्दोली)	1306	3/88
44	भण्डेली	1307	1/87
45	कोटा	1308	1/87
46	मज्यूर	1309	1/87
47	पोखरी	1310	12/86
48	गांग गांव	1314	3/86
49	गडसारी	1316	3/86
50	रौता	1317	7/87
51	पितर सैंग	1318	1/87
52	सोबरा	1319	3/88
53	पनउऊ	1320	7/87

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 80 विधान सभा (123)–1994–813 (डी० टी० पी०) ।